एकादश माला, खंड 15, अंक 6

बुधवार, 30 जुलाई, 1997

8 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 57
Date 15-12-98

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 30 जुलाई, 1997/8 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	8	(क) और (घ)	(क) से (घ)
14	7	बीड़ंग	बीइंग
22	नीचे से 7	कमद	कदम
25	2 और 6	चालक	बालक
26	12	सहकारी	सरकारी
33	नीचे से 6	कार्यान्वय	कार्यान्वयन
34	नीचे से 10	श्री श्रीमती रेणुका चौधरी	श्रीमती रेणुका चौधरी
66	16	(क) और (घ)	(क) और (ख)
67	14	प्राप्त	(क) प्राप्त
71	13	योजन	योजना
87	2	अभिसयम को भेदभाव सहित	अभिसमय को भेदभाव रहित
101	नीचे से 8	श्री नन्द कुमार राय	श्री नन्द कुमार साय
105	नीचे से 2	जी हां ।	(क) जी, हां ।
123	2	1287	1207
134	12	किक्लोमीटर	किलो मीटर
134	24	डेवीपिंग	डेवलपिंग
205	नीचे से 5	(ग) और (घ)	(ग)
211	8	डा॰ वी॰ सुब्बारामी रेड्डी	डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी
233	7	श्री सिदैय्या कोरा	श्री सिद्दय्याकोटा
288	नीचे से 13	श्री लाल बिहारी तिवार	श्री लाल बिहारी तिवारी
309	7	श्री पीताम्ब पासवान	श्री पीताम्बर पासवान

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 6, बुधवार, 30 जुलाई, 1997/8 श्रावण, 1919 (शक)

विषय		कालम
किर्गिज गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	101, 103 से 106	2-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	102, 107 से 120	33-65
अतारांकित प्रश्न संख्या	1135 से 1315	65-252
सभा पटल पर रखे गए पत्र		253-257
पटना में 5 जून 1997 को एक संसद सदस्य पर कथित हमला		258-277
बबराला में टी०सी०एल० फैक्टरी के संबंध में		277-302
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए गोरखपुर की उर्वरक इकाई का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी	302-303
(दो)	मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पुन्नु लाल मोहले	303
(तीन)	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर अथवा मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री सोहनबीर सिंह	303-304
(चार)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को आवंटित भूमि में अनियमतताओं को रोकने के लिए मुखतारनामा अधिनियम, 1982, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और नोटेरी अधिनियम, 1952 में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के०सी० कोंडय्या	304
(पांच)	आन्ध्र प्रदेश को "मेगा सिटी" विकास योजना के अंतर्गत शेष धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी	304-305
(छः)	मई 1995 से पूर्व भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार और लद्दाखी जनता के प्रतिनिधियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी० नामग्याल	305

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(सात) चीनी मिलों के उत्पादन तथा गन्ने की खेती को प्रभावित करने वाले विनियमों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल 305-306

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

श्री पीताम्बर पासवान 308

श्री मधुकर सरपोतदार 310

श्री हन्नान मोल्लाह 332

श्री कांशी राम 346

श्री सुरेन्द्र यादव 353

श्री काशी राम राणा 361

प्रो० पृथ्वीराज दा० चव्हाण. 366-372

लोक सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 1997/8 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

इस समय श्री कुंवर सर्वराज सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित किया जाये *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां हमारे कुछ मेहमान आये हैं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में निर्णय करूंगा। मुझे आपका नोटिस मिल गया है। वास्तव में, मुझे काफी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन पर विचार कर रहा हूं। मैं इसके बारे में आज निर्णय करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि आज फैसला कर लूंगा। आप जाईये। आज विदेश से हमारे मेहमान आये हुये हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करना है। मैंने कह दिया कि आज इस पर विचार कर लूंगा और डिसीजन ले लूंगा। अब आप जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में लालू यादव को गिरफ्तार नहीं किया गया है *(व्यवधान)* उसके लिये अलग से जेल बनाया जा रहा है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

किर्गिज गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे, अपनी और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से किर्गिज गणराज्य की संसद की विधानसभा के अध्यक्ष महामहिम श्री यू०एम० मुकाम्बो और संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है,

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं :–

1. श्रीमती आर०ए० अचिलोवा
2. श्री ए०ए० आर्तिकोव
3. श्री के०आई० ईदीनोव
4. श्री आर०ओ० कचकीव
5. श्री ओ०सी० टेकेबोव
6. श्री ए०टी० तोमीरबोव

यह शिष्टमंडल 25 जुलाई, 1997 को दिल्ली में पहुचा। अब वे विशेष बाक्स में बैठे हुए हैं। हम अपने देश में उनके सुखी और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद और वहां के स्नेही देशवासियों को अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार

+

***101. श्री नवल किशोर राय :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एच०डी० शौरी की अध्यक्षता में गठित समिति ने "सूचना का अधिकार" संबंधी प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (घ) श्री एच०डी० शौरी की अध्यक्षता में गठित "सूचना के अधिकार तथा खुली एवं पारदर्शी सरकार के संवर्धन" से संबंधित कार्यदल ने मई 21, 1997 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस दल ने सूचना की स्वतन्त्रता सम्बन्धी एक विधेयक का मसौदा सरकार के विचारण के लिए तैयार किया है। इसकी अन्य मुख्य सिफारिशें : शासकीय रहस्य अधिनियम, 1923 की धारा 5, भारतीय साक्ष्य–अधिनियम, 1872 की धारा 123 तथा 124 में संशोधन तथा साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड-प्रक्रिया-संहिता, 1973, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 11 तथा सूचना के वर्गीकरण से संबंधित विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के मैनुअल में परिणामी संशोधन हैं। उपर्युक्त कार्यदल की रिपोर्ट विभिन्न, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य-सरकारों/संघ राज्य-प्रशासनों को, उसके द्वारा (उपर्युक्त कार्यदल द्वारा) की गई सिफारिशों पर उनके विचार/टिप्पणियां जानने के लिए भेज दी गई है। उपर्युक्त अधिनियमों तथा अन्य प्रावधानों को लागू करने वाले मंत्रालयों/विभागों से इन सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध अलग से किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में सूचना के अधिकार के बारे में पूछा गया है। आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में भारत सरकार की यह सोच बहुत अच्छी है। राजस्थान में इसके मुताल्लिक संघर्ष चल रहा है और पूरे देश में काफी समय से यह सवाल उठता रहा हैं कि रक्षा मामलों को छोड़कर सूचना का अधिकार आम नागरिकों को सीधे-सीधे दिया जाए। अभी जो देश में भ्रष्टाचार, हवाला और घोटाला का बोलबाला है, जब सूचना का अधिकार सीधे नागरिकों को होगा तो निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप होगा और स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन बन पाएगा। मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से भारत सरकार को, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को तथा माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी ऐसी मंशा है और सूचना का अधिकार देने की ओर उन्होंने कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद देने के बाद क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री नवल किशोर राय : धन्यवाद देने के बाद मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कब तक विधेयक के रूप में आ जाएगा ? यह निश्चित रूप से राज्य सरकारों को विचार के लिए भेजा गया है पर कितना समय और लगेगा और कब तक सरकार इस सदन में इस बारे में विधेयक लेकर आएगी और कब नागरिकों को सूचना का अधिकार मिल पाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती नटराजन : महोदय, कार्यदल की रिपोर्ट को पहले ही सभी सरकारों को भेज दिया गया है। इस कार्यदल ने एक प्रारूप विधेयक भी प्रस्तुत किया है। जैसे ही सरकारों से सिफारिशें प्राप्त होंगी, हम उन्हें संसद में प्रस्तुत कर देंगें। हमें आशा है कि हम शीतकालीन अधिवेशन के आरम्भ में ही सदन में प्रारूप विधेयक प्रस्तुत कर देंगें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर एच०डी० शौरी साहब के कार्यदल की रिपोर्ट 21 मई को आई और 24 मई को प्रशासनिक सुधार मामले पर मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अमूमन इस विषय पर क्या मत था, यह सदन की जानकारी में आना चाहिए। शीतकालीन सत्र में तो अभी काफी समय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जन आंदोलन खड़ा हो, ऐसा माननीय प्रधान मंत्री जी की उक्ति और यूनाटेड फ्रंट की मंशा रही है, कमिटमेंट रहा है, तो इसी सत्र में सूचना देने के अधिकार के बारे में विधेयक लाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि–

"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कब ?"

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र के उद्गारों के लिए उनका आभारी हूं। मेरा यह कहना है कि संयुक्त मोर्चे ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वचन दिया था, इसिलए हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। वास्तव में मैं एक कदम आगे जा रहा हूं, कार्य दल की रिपोर्ट आ गई है, मैं इसे सभापटल पर रख दूंगा ताकि माननीय सदस्य इसे देख सकें। मुझे आशा है कि राज्यों से शीघ्र प्रत्युत्तर मिलेगा। वस्तुतः तमिलनाडु जैसे राज्य एक कदम आगे चले गए हैं और उन्होंने अपना ही कानून पारित कर लिया हैं लेकिन कार्यदल की सिफारिश का भी यही अर्थ है कि इसे संसद में लाया जाना चाहिए ताकि संसद का सभी राज्यों के सम्बन्ध में सामन दृष्टिकोण हो सके। हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक है।

मेरे माननीय मित्र ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में पूछा हैं। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, जिसे संबोधित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं इस सम्बन्ध में लगभग सर्वसम्मति थी कि विधेयक की आवश्यकता हैं। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब देश के लिए एक सूचना अधिकार विधेयक हो। मुझे आशा है कि यह विधेयक अगले सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है। मेरे विचार से अब आगे अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

प्र० 102 श्री आनन्द कुमार हेगडे – उपस्थित नहीं।

प्र० 103 श्री सुरेश प्रभु

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह इसी सत्र में आ जाएगा ?

[अनुवाद]

डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी : ऐसा क्यों है कि प्रश्न 101 पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा ?

अध्यक्ष महोदय : स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये विस्तृत उत्तर के पश्चात आगे अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, हम अगले प्रश्न पर चले गये हैं।

[हिन्दी]

डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी : हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं, हमने क्या पाप किया है।

[अनुवाद]

हमने क्या पाप किया है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पाप किया होता तो मैं आपको मौका देता, आपने कोई पाप नहीं किया इसलिए मैंने आपको मौका नहीं दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सबके लिए स्वास्थ्य

*103. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 ईस्वी तक "सबके लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करते हुए कोई अंतिम रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रमुख (नोडल) एजेंसियां कौन-सी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) "सबके लिए स्वास्थ्य" भारत सरकार द्वारा 1983 में संसद के अनुमोदन से अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का समग्र उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्य का प्रकार है :–

(i) व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, दृष्टिकोण (एप्रोच) और समुदाय सहभागिता के जरिए "सन् 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता।

(ii) छोटे परिवार के मानदंड को अपनाना।

(iii) कार्मिक शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा की पुनर्संरचना।

(iv) समुदाय के बीच स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार।

(v) एक रेफरल पद्धति विकसित करना।

(vi) विधिवत् प्रशिक्षित स्टाफ से युक्त जानपदिक रोग विज्ञानी केन्द्र स्थापित करना।

(vii) मानसिक रूप से मंद, बहरे, गूंगे, दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग दुर्बल और वृद्ध व्यक्तियों का पुनर्वास, आदिवासी, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करना।

(viii) विशेष रूप से निवारक, संवर्धक और जन-स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों के कार्यकरण में सामंजस्य स्थापित करके, उनकी सेवाओं को एकीकृत करके इन पद्धतियों के चिकित्सकों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धतियों से संबंध करना।

(ix) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना।

(x) जैव-चिकित्सीय और संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान विकसित करना।

(xi) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध पद्धति विकसित करना।

प्रोफाइल में अनेक बदलाव आए हैं जिसमें एड्स जैसी बीमारी जुड़ गई है और प्राचीन बीमारियां पुनः प्रकट हो गई हैं। आयु में हुई वृद्धि के साथ कार्डियोवास्कुलर बीमारियों जैसी गैर-संचारों बीमारियों और कैंसर के रोग में वृद्धि होने की संभावना है। एकक प्रयोग शुरू किया गया है जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछली उपलब्धि की पुनरीक्षा करने और वर्तमान, प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 के अधीन निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां, इसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर के साथ उपाबंध में दिए गए हैं।

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक सतत् कार्यकलाप है जिसका संचालन प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी और प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की स्थिति

की पुनरीक्षा करके, आड़े आई कठिनाइयों का जायजा लेकर और परिणामों में सुधार करने के लिए शोधक उपाय करके किया जाता है। इस संबंध में हुई प्रगति को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद्, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उच्चतम नीति निर्धारक निकाय है, के समक्ष रखा जाता है और राज्य सरकारों को विशिष्ट कमियों के बारे में सतर्क किया जाता है। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श भी किया जाता है और अन्य राज्यों को उन्हें अपनाने का सुझाव दिया जाता है।

अनुबन्ध

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित स्तर और उपलब्धियां

क्र० सं०	संकेतक	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित स्तर	लक्ष्य			उपलब्धि का वर्तमान स्तर (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)
			1985	1990	2000	
1	2	3	4	5	6	7
1.	नवजात मृत्यु दर ग्रामीण (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)	136 (1978)	122			
	शहरी	70 (1978)	60			
	सम्मिश्रित	125 (1978)	106	87	60 से कम	74 (1995)
	प्रसवकालीन मृत्युदर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	67 (1978)			30-35	42.5 (1994)
2.	अंशोधित मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	लगभग 14	12	10.4	9	9.0 (1995)
3.	स्कूल जाने से पूर्व की आयु के शिशु (1-5 वर्ष) मृत्युदर (प्रति 1000)	24 (1976-77)	20-24	15-20	10	23.9 (1994)
4.	मातृ मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)	4-5 (1976)	3-4	2-3	2 से कम	24 (1993)
5.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशी (वर्ष)					
	पुरुष	52.6 (1976-81)	55.1	57.6	64	60.6 (1991-96)
	महिला	51.6 (1976-81)	54.3	57.1	64	61.7 (1991-96)
6.	2500 ग्रा० से कम वजन वाले बच्चे (%)	30	25	18	10	30 (1992)
7.	अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	लगभग 35	31	27	21	28.3 (1995)
8.	प्रभावी दम्पती सुरक्षा (प्रतिशत)	23.6 (मार्च, 1982)	37	42	60	46.8 (मार्च, 96)
9.	शुद्ध प्रजनन दर	1.48 (1981)	1.34	1.17	1	
10.	वृद्धि दर (प्रतिशत वार्षिक)	2.24 (1971-81)	1.9	1.66	1.2	1.93 (1995)
11.	परिवार का आकार	4.4 (1975)	3.8		2.3	3.5 (1994)
12.	प्रसवपूर्ण परिचर्या प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाएं (प्रतिशत)	40-50	50-60	60-75	100	82 (1993)

1	2	3	4	5	6	7
13.	प्रशिक्षित बर्थ अटैंडेंटों द्वारा प्रसव (प्रतिशत)	30-35	50	80	100	50 (1994)
14.	रोग प्रतिरक्षण की स्थिति (प्रतिशत कवरेज)					
	टी०वी० (गर्भवती महिलाओं के लिए)	20	60	100	100	78 (1996-97)
	टी०वी० (स्कूल बच्चों के लिए)					
	10 वर्ष		40	100	100	60.5 (1994)
	16 वर्ष	20	60	100	100	86.45 (1994)
	डी०पी०टी० (3 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	25	70	85	85	86.16 (1995-96)
	पोलियो (नवजात शिशु)	5	50	70	85	88 (1993-94)
	बी०सी०जी० (नवजात शिशु)	65	70	80	85	96 (1996-97)
	डी०टी० (स्कूल में आने वाले 5-6 वर्ष की आयु के नए बच्चे)	20	80	85	85	82 (1994)
	टायफाइड (स्कूल में आने वाले 5-6 वर्ष की आयु के नए बच्चे)	2	70	85	85	62.6 (1994)
15.	कुष्ठ-पता लगाए गए कुष्ठ रोगियों में से जिन रोगियों के रोग को नियंत्रित किया गया उनकी प्रतिशतता	20	40	60	80	74.86 (1994)
16.	क्षयरोग-पता लगाए गए क्षयरोग के रोगियों में से जिन रोगियों के रोग को नियंत्रित किया गया उनकी प्रतिशतता	50	60	75	90	42 (1995 (अनंतिम)
17.	दृष्टिहीनता की घटना (प्रतिशत)	1.4	1	0.7	0.3	1.49 (1986 सर्वेक्षण)

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 नमूना पंजीयन पद्धति अनुमान–भारत के महापंजीयक–भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, ईयर बुक–1992-93

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने बहुत ही स्पष्ट प्रश्न उठाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करते हुए कोई ब्लू प्रिन्ट तैयार किया गया है। उत्तर में केवल 'वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य' नीति के 11 विभिन्न मानदण्डों के बारे में बताया गया है। सरकार ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि सभी 11 मानदण्डों के संबंध में आज की तुलनात्मक स्थिति क्या है ? उत्तर भी पूरा नहीं दिया गया है। मैं पहले अपने प्रश्न के पूर्ण उत्तर के लिए आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है। अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मेरा अनुपूरक प्रश्न उत्तर पर भी हो सकता है। जब उत्तर ही नहीं दिया गया तो मैं अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभु, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, एक प्रश्न जिसका सरकार ने उत्तर दिया है, परिवार कल्याण क्षेत्र में "विकास" अथवा "कोई विकास" नहीं से संबंधित है। वर्ष 2000 तक 1.2% की विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1995 में, जोकि अद्यतन वर्ष है और जिसके

बारे में उत्तर में जानकारी दी गई है, यह 1.93% थी। इसकी तुलना वर्ष 1985, जब योजना को वास्तव में शुरू किया गया था, में 1.9% के आंकड़े से की गई है। क्या हमने कोई प्रगति की है अथवा क्या हम वास्तव में पीछे जा रहे हैं ? यही मैं जानना चाहता हूं।

यदि आप परिवार के आकार के बारे में दूसरे प्रश्न उठायें जिसे सरकार वर्ष 2000 तक घटाकर 2.3 तक लाना चाहती थी यह वर्ष 1995 में 3.5 था और जब योजना को शुरू किया गया, यह लगभग इसी आकार का था। हम इन विभिन्न मानदंडों में क्या प्रगति कर रहे हैं ?

यदि आप अंधेपन का उदाहरण लें, सरकार इसे घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाना चाहती थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इतने अधिक प्रश्न मत पूछिए, आपको उत्तर नहीं मिलेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : मैं केवल यही मुद्दा उठाऊंगा।

श्री प्रमोद महाजन : वे अनुपूरक प्रश्न पूछकर अपने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। ये स्वयं मंत्री रहे हैं!

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, अंधेपन का आंकड़ा 0.3 प्रतिशत है। अद्यतन सर्वेक्षण, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के अनुसार यह आंकड़ा 1.49 प्रतिशत है। अतः, सरकार वास्तव में इन सभी विषयों को अनदेखा कर रही है। क्या सरकार वास्तव में वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के बारे में गंभीर है ?

मैं भी सरकार के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं खुद उलझन में हूं कि क्या यह आरोप है अथवा प्रश्न। मैं नहीं जानता।

श्रीमती रेणुका चौधरी : माननीय सदस्य ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है।

सरकार की उपलब्धि के रूप में दर्शाये गए आंकड़े संगत रहे हैं। परंतु माननीय सदस्य ने जनसंख्या दर पर विचार नहीं किया है जो बढ़ रही है और जिससे हमारी उपलब्धि की प्रतिशतता कम होती है। जनसंख्या वृद्धि कम करने के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां निर्धारित की गई हैं। भारत इतना खराब नहीं है और मैं आपको निराशावादी जानकारी नहीं देना चाहती।

सच तो यह है कि केवल छह राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में पिछड़े रहे हैं और हम इनका अलग-अलग निरूपण करने हेतु प्रभावी कदम उठा रहे हैं ताकि हम इन क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक अनुकूल कार्यक्रम बना सकें। सच यह है कि अंधेपन पर नियंत्रण रखने के विषय पर चर्चा की जा रही है। हम जो लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, उनके अलावा हम भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ में देशभर में बड़े पैमाने पर मोतियाबिंद आपरेशन कराने की आशा कर रहे हैं ताकि पल्स पोलियो प्रतिरक्षीकरण की तरह इसमें भी राष्ट्र का सहयोग हो और हमें आशा है कि हम इसका प्रभाव कम कर सकेंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जिस तरह की भी प्रगति की जाए वह जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में की जानी चाहिए। प्रत्येक माननीय सदस्य को संबंधित राज्यों में जाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि केन्द्र द्वारा क्रियान्वित की गई नीतियां तथा कार्यक्रम संबंधित राज्य द्वारा अधिक प्रभावी बनाए जाएं।

श्री सुरेश प्रभु : मैंने केवल दो महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया है परंतु, यहां 12 मुद्दे हैं । एक अन्य उद्देश्य II "वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के लिए समुदाय के बीच स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना तथा श्रमशक्ति आवश्यकता को सहायता देने हेतु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा का पुनर्निधारण करना है।

महोदय, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और यह आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के नवीकरण के लिए किसी सीमा तक कदम उठाए है ताकि नई स्वास्थ्य शिक्षा मे मूल वास्तविकताओं तथा उन कारकों पर विचार किया जा सके जिन्हें लागू किया गया है क्योंकि वे संक्रामक रोग फिर से फैलते हैं जिन्हें हमने सोचा था कि उन पर नियंत्रण हो गया है ? सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को एक विषय के रूप में सम्बोधित करने हेतु कौन से प्रारंभिक कदम उठाए हैं ?

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि हमारे मेडीकल कॉलेज सार्वजनिक मांग के अनुरूप नहीं है परंतु सच यह है कि कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों से अधिक मेडिकल, कॉलेज हैं जिससे राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या असंतुलित है। इसकी पुनरीक्षा की जा रही है।

चिकित्सा पाठ्यचर्या के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा वह बिलकुल सही है। यह सच है कि हमारी कुछ पाठ्यचर्या थोड़ी पुरानी है। मंत्रालय के भीतर पुनरीक्षा भी चल रही है जो जल्दी ही मेरे पास पहुंच जाएगी और हम अपनी पाठ्यचर्या को अद्यतन कर पाएंगे क्योंकि वर्ष 1986 तक हमारी पाठ्यचर्या में 'एड्स' एक प्रासंगिक कारक के रूप में शामिल नहीं था और आज इसे शामिल करना है और हमारी कुछ प्रौद्योगिकियां अपने आप उन्नत हुई हैं। अतः इतने अधिक बिस्तरों आदि की आवश्यकता को इसके अनुरूप कम किया गया है। अतः मंत्रालय में चिकित्सा पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा विचाराधीन है और हम आशावादी है कि इस सत्र के अंत तक हम आपको बता पाएंगे कि हमने क्या किया है।

श्री पी०सी० चाक्को : वर्ष 1983 में नीति की घोषणा की गई थी। परंतु 16 वर्ष के बाद यह देखना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रियान्वयन

असंतोषजनक है। मैं मंत्री जी पर दोष नहीं लगाता क्योंकि हम स्वयं पिछले 16 वर्षों की घटनाओं के लिए अधिक जिम्मेदार हो सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जब माननीय मंत्री के लम्बे उत्तर में 11 मानदण्ड दिए गए तो उनमें परिवार नियोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य अथवा वर्ष 2000 के लिए निर्धारित जन्म दर नहीं दी गई। यह बहुत गंभीर चुक है। देश में केरल तथा तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जिन्होंने प्रत्येक एक हजार पर 17 की जन्म दर प्राप्त की और विशेषज्ञ अध्ययन के अनुसार यह एक आदर्श दर है। परंतु देश में अनेक राज्य इस दर के निकट भी नहीं आ पाए हैं। वर्ष 2000 के लिए क्या जन्म दर निर्धारित की गई है तथा इस जन्म दर को प्राप्त करने हेतु, केन्द्र सरकार की क्या कार्य योजना है ?

महोदय, अब स्वास्थ्य मंत्रालय में हमारे पास बहुत सक्रिय मंत्री हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विभिन्न मानदण्डों को कड़ाई से क्रियान्वित करेगी ताकि वर्ष 2000 तक देशभर में प्रत्येक एक हजार पर 17 की जन्म दर प्राप्त की जा सके।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं, माननीय सदस्य को अपना सम्मान करने के लिए धन्यवाद देती हूं। सच यह है कि केरल एक उदाहरण है परंतु जनसंख्या नियंत्रण का हाल का तथा सफल उदाहरण तमिलनाडु का रहा है। इसलिए हम अपनी विफलताओं को नहीं देख रहे हैं परंतु हम अपनी सफलताओं को देखेंगे और उसके बाद हम इन प्रयोगों का उपयोग करेंगे। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि केरल को अधिकतम साक्षरता दर प्राप्त होने का लाभ है। गोवा दूसरा राज्य है जिसने वांछनीय प्रतिस्थापन लक्ष्य प्राप्त किया है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से एक छोटा राज्य है। परंतु इन दो कारकों के बिना तमिलनाडु ने स्वयं बहुत लोकप्रिय दोपहर के भोजन की योजना चलाई जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आंध्र प्रदेश शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्ति कर लेगा और हमें आशा है कि हमें वहां भी सफलता मिलेगी। हम यह देखने के लिए अध्ययन करेंगे कि कैसे इन राज्यों में शिक्षा तथा कम भौगोलिक आकार के दो लक्ष्यों के बिना किस तरह आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

वर्तमान जन्म दर के संबंध में यह दर दो प्रतिशत है और हमें आशा है कि हम इसे कम कर पाएंगे। परंतु जैसाकि मैंने पहले कहा कि 6 राज्य वास्तव में समस्या दे रहे हैं। मेरे विचार से हम सब को सामूहिक रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता का विषय नहीं है। वरन् पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। मुझे आशा है कि हमारे पास आदान होंगें और विभिन्न राज्यों में सदस्यों द्वारा स्वयं पहल की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जी०एल० कनौजिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंत्रालय से सात साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं इंडियन कौंउसिंल आफ मैडिकल रिसर्च का भी सदस्य रहा हूं और फार्चुनेटली या अनफार्चुनेटली, मैं उत्तर प्रदेश में हैल्थ डायरेक्टर भी रहा हूं केन्द्रीय सरकार में जो मैंने देखा है, हमारे पिछली प्रोसीडिंग्स मंगाई जा सकती है, हैल्थ मिनिस्ट्री में जो रैकेट है वह जब तक नहीं निकलता है, तब तक काम आगे नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज हमें बड़ी खुशी है कि प्रधान मंत्री यहां मौजूद हैं। ये बड़े तजुर्बेकार हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके चेयरमैन माननीय प्रधान मंत्री हैं और इसलिए ये बहुत व्यस्त हैं। बीड़िंग हैल्थ मिनिस्टर ये बहुत सी संस्थाओं के चेयरमैन हैं और उनकी बहुत सी फाइलें पड़ी हैं। इसलिए पहला मेरा अनुरोध यह है कि ये थोड़ा समय दें, उनको अटेंड करें और जिन गवर्निंग बाडी की मीटिंगे आज साल-साल से नहीं हुई है, 11-11 महीने से नहीं हुई हैं, आई०सी०ए०आर० की डेढ़ साल से नहीं हुई है; ये इसलिए नहीं हुई है कि इनके जो मिनिस्टर हैं, वे बहुत व्यस्त हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि या तो प्रधान मंत्री स्वयं अटेंड करें या तो मिनिस्टर बनाए जाएं उनहें ये पावर डेलीगेट करें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि यह सरल समाधान है।

[हिन्दी]

श्री जी०एल० कनौजिया : सर, ये सब बातें इससे कनैक्टेड हैं इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। हमने यह देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह से रिपोर्ट तैयार होती हैं उसी तरह से हैल्थ डिपार्टमेंट में भी तैयार होती हैं। चूंकि मैं हैल्थ डायरेक्टर रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है कि ये रिपोर्टें किस प्रकार से पुरानी रिपोर्टों के आधार पर तैयार की जाती हैं जिनमें दिए गए डाटा वास्तविकता से बिल्कुल अलग होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चेलैंज के साथ कह सकता हूं और पार्लियामेंट में औथेंटिकली कह सकता हूं कि ये जितने भी डाटा दिए गए हैं ये सब गलत हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। हैल्थ डिपार्टमेंट के जो 11 पैरामीटर्स हैं, उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हैल्थ डिपार्टमेंट की जिनती गाड़ियां सी०एच०एस० की होती हैं वे हैल्थ डिपार्टमेंट को नहीं मिलती हैं। उन गाड़ियों का प्रयोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है और जो आपने अपने उत्तर में लिखा है–

[अनुवाद]

"व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण तथा समुदाय की भागीदारी से वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की वचनबद्धता।"

[हिन्दी]

यह आप कैसे करेंगे ?

मेरा अनुरोध है कि खाली कहने के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं उनको आप देख लीजिए। पहले मेडिकल

का एक सैक्रेटी हुआ करता था और तीन-तीन हैं, तमाम जाइंट सैक्रेट्रीज हैं, स्पेशल सैक्रेट्रीज हैं, लेकिन डायरैक्टर जनरल जो शुरू में एक हुआ करता था, वही एक आज तक चला आ रहा है। मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया है। इसको कैसे किया जाए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि डैसीमेशन आफ आल डिजीज का क्या कोई प्लान बनाया गया है, यदि बनाया गया है, तो वह इफैक्टिवली इम्पलीमेंट नहीं किया गया है और क्या डवलपमेंट आफ रैप्लेनेशन पर भी स्वास्थ्य मंत्री महोदया विचार करेंगी? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सचिव स्तर पर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है अन्यथा क्यों नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी०एल० कनौजिया : अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया इस पर भी विचार करेंगी कि जिस प्रकार से पहले मैडीकल का एक सचिव होता था और अब तीन-तीन होते हैं, तो क्या उसी प्रकार से डायरैक्टर जनरल भी एक से तीन बनाने पर विचार करेंगी ?

अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया बताएंगी कि ऐसा कोई प्रपोजल स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : जी नहीं महोदय, मैं नहीं समझती कि यह इस प्रश्न से संबद्ध है। यह "वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के बारे में है और नौकरशाही आधारभूत ढांचा इस मुद्दे से संबद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। अब श्री तोपदार।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा सभा में कही गई बात से सहमत हूं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न सुनें।

श्री तरित बरण तोपदार : परिवार कल्याण केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता का विषय नहीं है, यह राष्ट्र की भी चिंता का विषय है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार रोजगार पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के संबंध में सभा में चर्चा करने के लिए तैयार है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : महोदय, इस संबंध में मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संबंध में अन्य मंत्रालयों को बता दिया गया था और सचिवों की एक बैठक हुई थी जहां मंत्रालयों द्वारा यह वचन दिया गया था कि वे भी स्वास्थ्य के इस घटक में योगदान करेंगे। चर्चा चल रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे दिए गए वचन को पूरा करेंगे।

श्री तरित बरण तोपदार : क्या आप इस सभा में चर्चा आरम्भ करेंगे ?

श्रीमती रेणुका चौधरी : यदि कोई सदस्य संगत सूचना देता है तो हमें चर्चा शुरू करने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यहां मैं एक बात कहूंगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। कृपया चुप रहिए। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं।

मेरे पास श्री तोपदार के प्रश्न का उत्तर है। हमने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया है कि अपनी आजादी के 50वें वर्ष के समारोह के एक भाग के रूप में 26 अगस्त से 29 अगस्त 1997 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसमें कोई प्रश्न काल नहीं होगा, कोई सरकारी कार्य नहीं होगा; संसद के इस विशेष सत्र के दौरान कोई शून्य काल नहीं होगा। हम इसके लिए कार्यसूची तैयार कर रहे हैं। इस कार्यसूची में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जनसंख्या नियन्त्रण और जनसंख्या वृद्धि का है। अतः सदन को संसद के इस विशेष सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

उग्रवादी दलों को प्रशिक्षण

\+
*104. **श्री सत्य पाल जैन** :
श्री बादल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक आतंकवादी दलों ने देश के विभिन्न भागों में उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने के लिए कतिपय पड़ोसी देशों को शरण स्थल और प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इन उग्रवादी दलों को प्रशिक्षण देने में कौन-कौन से देश शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को इन देशों के साथ उठाया है, और

(घ) यदि हां, तो इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर समर्थन देने और उनमें शामिल होने की जानकारी हैं इस समर्थन में अन्य बातों के साथ पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवस्थित शिविरों में प्रशिक्षण देना, ज्ञात आतंकवादियों को शरण देना, हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करना, धन देना, घुसपैठ करना/वापस जाने में आंतकवादियों की सहायता करना आदि शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में कुछ इस प्रचार की भी विश्वसनीय खबरें हैं कि तालिबान ने भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी और अन्य युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधाएं हरकत-उल-अंसार को सौंपी हैं।

सरकार ने विभिन्न अवसरों पर जिसमें दोनों देशों के बीच हाल ही में सम्पन्न बातचीत भी शामिल है, इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है और अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। 23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में पुनः शुरू हुई विदेश सचिव स्तर की दूसरे दौरे की बातचीत की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श के लिए आतंकवाद को एक विषय के रूप में लिया गया था।

सरकार को अन्य पड़ोसी देशों में सक्रिय विद्रोही/आंतकवादी दलों की मौजूदगी तथा भारत की सुरक्षा के लिए शत्रुवत् गतिविधियां चलाने तथा उनके द्वारा इन देशों के प्रदेशों का उपयोग करने की भी जानकारी है। इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में सरकार की चिन्ता से इन देशों की सरकारों को नियमित रूप से अवगत कराया जाता रहा है। प्रत्येक मामले में, भारत सरकार और संबंधित सरकार भारत के विरुद्ध निर्देशित विद्रोही/आतंकवादी दलों की गतिविधियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं। इस मामले में हमें इन देशों की सरकारों का सहयोग मिल रहा है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि भारत में जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही हैं, हमारे कौन-कौन से पड़ोसी देश उन उग्रवादियों को मदद दे रहे हैं, उनको अपने देश में शरण दे रहे हैं। अपने उत्तर में उन्होंने एक देश पाकिस्तान का नाम लिया है। अपने उत्तर में भारत सरकार ने लिखा है—

[अनुवाद]

"सरकार ने, विभिन्न अवसरों पर, जिसमें दोनों देशों के बीच हाल ही में सम्पन्न हुई बातचीत भी शामिल है, इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है और अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। 23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में पुनः शुरू हुई विदेश सचिव स्तर की दूसरे दौर की बातचीत की समाप्ति पर जारी किए संयुक्त वक्तव्य में *अन्य बातों के साथ-साथ* दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श के लिए आतंकवाद को एक विषय के रूप में लिया गया था।

[हिन्दी]

जब से पंजाब और जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद चला है, हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। उनकी सहायता कर रहा है और बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हैं बहुत बार हिन्दुस्तान की सरकार अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुकी है।

[अनुवाद]

उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की हैं।

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है प्रधान मंत्री जी का ध्यान अपेक्षित है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कुछ सुधार नहीं आया है और अभी भी पाकिस्तान हमारे यहां के उग्रवादियों की मदद कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है।

मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से यह सवाल चाहता हूं कि 90 करोड़ के मुल्क के प्रधानमंत्री के तौर पर क्या वे पूरे दम-खम और पूरी इच्छा शक्ति के साथ पाकिस्तान सरकार को यह बात कहने की हिम्मत करेंगे कि जब तक पाकिस्तान हिन्दुस्तान में किसी भी भाग में काम करने वाले उग्रवादियों को शरण देता रहेगा और जब तक उनकी सहायता करता रहेगा, तब तक भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर नहीं सकते और भारत पाकिस्तान के साथ हमारे किसी किस्म के रिश्ते कायम नहीं होंगे। क्या दम ठोककर आप पाकिस्तान सरकार को यह बात कहने की कोशिश करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मुझे बीच में बोलने के लिए क्षमा करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मेरे माननीय मित्र ने एक प्रश्न उठाया हैं यह सत्य है कि विद्रोह और आतंकवाद जो कि हम न केवल कश्मीर में बल्कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से हुआ है। यह सत्य है कि हमारे पास इस मुद्दे के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। हम अपनी स्वयं की क्षमता और शक्ति से इन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं और हम प्रभावशाली ढंग से इनसे निपट रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सहायता करने के लिए किसी को कहने का प्रश्न ही नहीं है। भारत के पास अपनी सुरक्षा की देखभल करने के लिए क्षमता, धीर्य और समुत्थान शक्ति है। अतः मैं इस बारे में चिन्तित नहीं हूं, कि वे क्या करते हैं, हम अपनी देखभाल कर सकते हैं और हम अपनी देखभाल कर रहे हैं।

जहां तक राजनीतिक स्तर अथवा वाणिज्यिक स्तर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का संबंध है मैं उन्हें अलग मानता हूं। लेकिन किसी भी हालत में भारत अपनी सार्वभौमिकता और अपनी अखण्डता के बारे में कोई समझौता नहीं करेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का एक हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके साथ-साथ यह भी जानना चाहा था कि पाकिस्तान के अलावा और कौन-कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं जो ऐसी गतिविधियों को उत्साहित कर रहे हैं। अपने उत्तर में प्रधानमंत्री जी ने अफगानिस्तान का जिक्र किया हैं उन्होंने कहा है कि–

[अनुवाद]

> "अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी कुछ विश्वसनीय खबरे हैं कि तालिबान ने भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी और अन्य युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधाएं हरकत-उल-अंसार को दी हैं।"

[हिन्दी]

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि पीछे अभी एक पार्लियामेंटरी डैलीगेशन में नोर्थ ईस्ट में आसाम में हम गये थे और वहां के बहुत सारे अधिकारियों ने, सरकार के लोगों ने हमको बताया कि हमारे यहां जो उग्रवादी गतिविधि करने वाले लोग हैं, जब उनको हम चेंज करते हैं तो उनमें से बहुत सारे भूटान में और बंगलादेश में जाकर छुप जाते है, वहां वे शरण लेते हैं। पहले वे सरकारें शायद हमारे साथ ज्यादा सहयोग कर रही थीं, पर अब कुछ कारणों से वे सरकारें हमें ज्यादा सहयोग नहीं दे रही हैं, ऐसा वहां हमें बताया गया। एक बार हमको यह भी बताया गया, वहां के अधिकारी कई बार यह बात भी कहते हैं, कि हम आपके कहने पर इन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस बात का हमें विश्वास नहीं है कि कब सरकार इन उग्रवादियों से समझौता कर ले और फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाये।

मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो अफगानिस्तान का आपने इसमें जिक्र किया है और भूटान और बंगलादेश का नाम आ रहा है। क्या उन सरकारों के साथ भी आपने सख्ती के साथ यह आग्रह किया है कि वे अपने यहां ये एक्टीविटीज बन्द करें और अगर ये सरकारें बन्द नहीं करती, जैसे पाकिस्तान बीस साल से बन्द नहीं कर रहा, अफगानिस्तान बन्द नहीं कर रहा, बंगलादेश और भूटान भी उसमें शामिल हो गये हैं तो भारत सरकार इस मामले में क्या कठोर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, जिससे ये गतिविधियों वहां समाप्त हो सकें ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे माननीय मित्र ने अलग-अलग में मुझसे चार देशों के बारे में पूछा है। यहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है वहां जब स्थिति, उस समय की स्थिति से काफी भिन्न है जब उस देश में पिछली सरकार सेना में थी। नई सरकार के गठन के साथ, वस्तुतः अब एक से भी अधिक साल से हमारे सम्बन्धों में गुणात्मक सुधार आया है और वहां की सरकार उन लोगों को पकड़ने में हमारी सहायता कर रही है। जिन्होंने वहां पर अड्डे बना लिए हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इससे सन्तुष्ट हूं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने बंगलादेश के साथ जो सहयोग और समझौते किए हैं और जिस संयम के आधार पर दोनों देशों के बीच परामर्श चल रहा है, वह अत्यन्त सन्तोषजनक है।

जहां तक भूटान का सम्बन्ध है, वह हमारा अत्यन्त हितैषी पड़ोसी देश है। अतः वह सब लोग जो भूटान में घूसपैठ करके वहां जाते हैं उन्हें भूटान सरकार द्वारा कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इस समय मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं केवल यह कहना चहाूंगा कि जब कभी भी हमें आवश्यकता होती है, भूटान सरकार द्वारा हमें सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है।

जहां तक म्यांमार का संबंध है, हमारे संबंधों में इस मामले पर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। म्यांमर के साथ हमने फिर करार किये है। अब एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गए है। हम निरन्तर एक दूसरे के साथ बैठकें आयोजित करते हैं और मैं समझता हूं कि हमें जितने समर्थन और सहायता की आवश्यकता है, वह मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, अफगानिस्तान के बारे में भी बताएं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अशान्ति है। वहां गृह युद्ध चल रहा है। अतः यह कहना अत्युक्ति होगी कि कुछ सरकार हमें मदद करेगी या नहीं।

श्री बादल चौधरी : पाकिस्तान की आई०एस०आई० पड़ोसी देशों को अपने अड्डे के रूप में उपयोग करके जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में फैले हुए आतंकवादियों की सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। नवीनतम रिपोर्ट है कि आई०एस०आई० हमारे हितैषी पड़ोसी देश नेपाल के माध्यम से भी अपना कार्य संचालन कर रहा है। आई०एस०आई० की गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

यह एक स्पष्ट तथ्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों द्वारा प्रयोग करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की थाईलैण्ड, म्यांमार, बंगलादेश आदि के माध्यम से देश में नियमित रूप से तस्करी की जा रही है। यह भी बताया गया है कि आतंकवादियों को हथियार सामेर क्रान्तिकारियों से प्राप्त हो रहे हैं। सरकार द्वारा हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बंगलादेश, म्यांमार और थाइलैण्ड की सरकारों के साथ

मिलकर क्या कदम उठाए गए हैं ? मैं इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हमारे दुश्मन देशों द्वारा हथियारों की सप्लाई हथियारों की तस्करी करने से भिन्न गतिविधि है। ये दो अलग मामले हैं। यहां तब तरस्करी का सम्बन्ध है स्वाभावतः ही हमारा तन्त्र सक्रिय है और जहां कहीं सम्भव हुआ है। हमने काफी हथियारों को बरामद किया है। आज के सन्दर्भ में समस्या यह है कि पूरे विश्व में एक नए प्रकार का हथियार बाजार खुला है और इसलिए विश्व में सभी देशों को अब नए प्रकार के आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पूरे विश्व भर में और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सामुहिक रूप से आतंकवाद से निपटाने के लिए गए समझौते किये जा रहे हैं।

श्री बादल चौधरी : आई०एस०आई० के बारे में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने पिछले प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री बादल चौधरी : महोदय, मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप दो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपको केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक नेपाल का संबंध है, नेपाल सरकार हमें सहयोग दे रही है। वस्तुतः वे कुछ लोगों को पकड़ने में भी समर्थ हुए है जो उस मार्ग का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इस सन्दर्भ में नेपाल सरकार से प्राप्त अनुक्रिया और सहयोग सन्तोषजनक है।

श्री बादल चौधरी : महोदय, मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम प्रश्न में दूसरे स्थान पर है। केवल पहले प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दो प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है।

(व्यवधान)

आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते यह नियम के अनुरूप नहीं है। आप नियम नहीं तोड़िए।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूं कि बंगला देश का रवैया उनके देश के हिस्सों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में बदला हैं यह भी सत्य है कि वे उनके कुछ शिविरों को तहस-नहस कर रहे हैं। भूटान सरकार भी कुछ कार्यवाही कर रही है और यह कल के समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। लेकिन रूल यह है कि वे इन आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में खदेड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करके उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ? मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जिसे "शक्ति द्वीप" के रूप में जाना जाता था। यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी यही कहा था। आज बंगला देश से भगाए गए आतंकवादी मुख्य रूप से कचार के तराई वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं और वे धन और राशन की मांग करते हैं। जब मैंने पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधीश से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके पास कुछ कार्यवाही करने के लिए बल नहीं है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से की गई बात को स्वीकार किया और उसकी प्रशंसा की गई कि इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों में ही कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने नागालैण्ड में कुछ कार्यवाही की है और हमने उसका स्वागत किया है। लेकिन एन०एस०सी०एन० की गतिविधियां न केवल नागालैण्ड में बल्कि देश के अन्य भागों जैसे असम में भी चल रही है। एन०एस०सी०एन० उस क्षेत्र में सभी आतंकवादी संगठनों का जनक है। वे सभी अन्य आतंकवादी संगठनों का समन्वयन निकाय है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से, यद्यपि वह ब्यौरा प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस स्थिति से अवगत है। क्या वह इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्य बंगलादेश और भूटान से जाने वाले लोगों के लिए शरण-स्थल न बन जाए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे मित्र की चिन्ता का विषय प्रशंसनीय है। चूंकि वह उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं उनकी, टिप्पणी की अत्यधिक सराहना करता हूं। महोदय, जैसा कि आप स्वयं भी उस क्षेत्र को जानते हैं, उस क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करना बहुत ही जटिल मामला है क्योंकि कुछ विदेशी सरकारें भी इसमें लिप्त हैं। तस्करी जारी है। वहां पर आंतरिक आतंकवादी गतिविधियां भी चल रही हैं। मुझे उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है, हम सभी उन्हें जानते है। क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा करने के लिए पिछले दो या तीन दशकों में बड़े पैमाने पर कोशिशें चल रही है। मैं समझता हूं कि वह भारतीय प्रणाली, भारतीय लचीलापन और भारतीय सेनाओं के लिए प्रशंसावित है कि हमने उन्हें किसी समय हमसे बात करने के लिए बाध्य कर दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। मैंने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि आतंकवाद और विद्रोह के विरुद्ध आखिरकार युद्ध स्तर पर संघर्ष चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय मित्र मुझे यह बताने के लिए नहीं कहेंगे, कि हम क्या कमद उठा रहे हैं और वहां किन्हें तैनात कर रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह भी यह स्वीकार करेंगे कि भारतीय ताकत सुस्पष्ट है और हम इसे स्वयं करेंगे। बहुत सी बातें मेरे वहां जाने का एक कारण इस मुद्दे पर ध्यन केन्द्रित करना था। मेरे मित्र रक्षा मंत्री भी वहां गए थे।

श्री संतोष मोहन देव : हां, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हम जानते हैं कि इन चीजों में दृष्टिकोण

का तीन आयामी होना चाहिए। एक आर्थिक है। हम कैसे उपक्षेत्रीय सहयोग करते हैं ? इससे भी हमें सहायता मिलती है। दूसरा, मजबूती के साथ लचीलापन। तीसरा, जो वापिस आना चाहते हैं उनका हृदय जीतने का प्रयास करना इसलिए यह त्रिकोणीय नीति जारी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि वह और उनकी सरकार उसे मुद्दे के बारे में जागरूक है और हर एक चीज की चर्चा यहां पर नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार : आतंकवाद का विषय केवल नार्थ-ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो पी०डब्ल्यू०जी० का आतंकवाद है, वह एक नए किस्म का आतंकवाद है। इनको एक प्रकार से लिट्टे से सहयोग मिल रहा है। क्या लिट्टे के सम्बन्ध में श्रीलंका की सरकार से चर्चा करके कोई सार्थक पहल नहीं की जा सकती ? इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह अन्दरूनी आतंकववाद है जो एक राजनैतिक चक्र लेकर यहां पर रह रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कर्मा : इसके नियोजन के लिए या उस पर उचित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के लिए होम रूल्स एफेयर्स के अंतर्गत जो भी एजेंसियां हैं, उनको नियुक्त किया जाए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक। क्या आप कुछ टिप्पणियां करना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि हम यहीं तक सीमित रह गये हैं और उस तरफ नहीं गये है इसलिए मैं अनुमती देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह केवल सुझाव दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हम संबंधित राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में है जहां पर इस प्रकार का विद्रोह हो रहा है और जो भी सहायता की जरूरत है अथवा मांगी गयी है, दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज महिला मंत्री महोदय इतने जवाब दे रही हैं तो महिला सांसद को भी सवाल पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप सवाल पूछना चाहती हैं तो प्रधान मंत्री आपको जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रधान मंत्री महोदय दें तो अच्छी बात है क्योंकि महिला मंत्री है। ... *(व्यवधान)* एक देश का नाम नहीं आया है। बंगलादेश, भूटान और श्रीलंका का आ गया है। मैं केवल यह चाहती हूं कि प्रधान मंत्री महोदय उन तमाम देशों के नाम दे देते जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहता था, सवाल नहीं पूछा था। आजकल नागा विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता भी चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि एन०एस०सी०एन० की गतिविधियां बर्मा की टैरेटरी से चलती हैं। मैं जानना चाहूंगी कि क्या म्यांमार गवर्नमेंट से आपने बात की है क्योंकि जब तक एन०एस०सी०एन० की गतिविधियां म्यामार की टैरेटरी में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपने उन्हें नहीं सुना है। प्रधान मंत्री इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्योंकि जब तक एन०एस०सी०एन० की गतिविधियां म्यांमार टैरेटरी में खत्म नहीं होगी ईवन शांति वार्ता भी सफल नहीं होगी। बंगलादेश और भूटान का नाम तो आया है लेकिन हिंसक गतिविधियां जो नोर्थ ईस्ट में चलती हैं, उनमें से खास तौर पर नागा विद्रोही जो बर्मा की टैरेटरी का सहारा लेते हैं, क्या इसके बारे में आपने म्यांमार गवनेमेंट से बात की है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने उन्हें ध्यान से नहीं सुना है। प्रधान मंत्री ने म्यांमार के बारे में बताया हैं मै उन्हें ध्यान से सुन रहा था। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने इसे छोड़ा है। उन्होंने इस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

चालक श्रम अधिनियम में संशोधन

+

*105. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में आवश्यक संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां तो किए जाने वाले संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह भी विचार है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कैद की न्यूनतम अवधि में वृद्धि की जाये, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करना जरूरी हो गया है क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रकल्पना की गई है और उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं० 465/1996 में दिनांक 10.12.96 के अपने अधिनिर्णय में इस संबंध में निदेश दिया है। इस मुद्दे पर 7-8 जुलाई, 1997 को आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था और सम्मेलन में कुछ सुझाव दिए गए थे जिनके संबंध में भी संशोधन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री माणिकराय होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसमें उत्तर पूरा नहीं दिया गया है। उन्होंने क से घ तक का एक ही उत्तर उसमें दे दिया है। हमने "ग" में यह पूछा था कि क्या सरकार का यह भी विचार है कि इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कैद की न्यूनतम अवधि में वृद्धि की जाए ? पूर्व श्रम मंत्री अरुणाचलम साहब ने एक वार्ता परिषद् की थी। उसमें यह बताया है कि श्रम मंत्री ने सर्वेक्षण के साथ ही अदालत के अन्य आदेशों के अनुपालन को भी तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इनमें उन खतरनाक उद्योगों के मालिकों से 20,000 रुपये का मुआवजा लेना है, जहां बाल श्रमिक काम करते हैं। बाल श्रमिक पुनर्वास तथा कल्याण कोष का गठन, बाल श्रमिक के परिवार के एक व्यक्ति को समुचित रोजगार दिलाना तथा किसी उचित संस्थान में इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना शामिल है। वार्ता परिषद में उन्होंने यह बताया है। लेकिन उत्तर में जो दिया है, सिर्फ "क" से लेकर "घ" तक का एक उत्तर दिया है, यह ठीक नहीं है। ऐसा मेरा कहना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि मैंने पूर्व मंत्री का बयान जो उन्होंने वार्ता परिषद में मुद्दा रखा है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि अभी सर्वेक्षण दलों में केवल सरकारी अधिकारी होते हैं और सर्वेक्षण के समय इसकी सूचना पहले से हो जाती है, इसलिए क्या सरकार सर्वेक्षण दलों में गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मंत्री महोदय ने कहा है कि फैक्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, जहां बाल-श्रमिक काम करते हैं, उनसे 20 हजार रुपए लेने की बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 20 हजार से 50 हजार रुपए तक मुआवजा वसूल किया जाए। सरकार को बाल-श्रमिक की शिक्षा, रहने और खाने के लिए सहकारी खर्च के बारे में सोचना चाहिए, जिससे देश से बाल-श्रमिक की समस्या समाप्त हो। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, इस विषय पर सरकार विचार करेगी ? अगर विचार करेगी, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों?

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : महोदय, श्रम मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें मैं उपस्थित था। वर्तमान बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में कुछ दण्डात्मक उपबंध हैं। इस पूरी बैठक का निष्कर्ष बाल श्रम का सम्पूर्ण उन्मूलन था। बाल श्रम का सम्पूर्ण उन्मूलन न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें कुछ समय लगेगा। यह इसलिए कि हमारे पास बुनियादी-सुविधाएं नहीं है।

मुद्दे पर आने से पहले, मैं केवल कुछ स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। हर वर्ष, वर्तमान जनसंख्या में लगभग 16 मिलियन बच्चे जुड़ जाते है। इसका मतलब है, हर वर्ष आस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या भारत में बढ़ जाती है। यह वर्तमान स्थिति है।

सभी के लिए शिक्षा का सामान्य कार्यक्रम, आहार देने, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने और उनका पुनर्वास व्यापक कार्य हैं, जो न केवल श्रम मंत्रालय के लिए चिन्ता का विषय है बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। श्रम मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालय है जहां केवल हम कई मंत्रालयों, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों आदि की कोशिशों को मिलाने का प्रयास कर सकते है। इसिलए यह न केवल सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। बल्कि राष्ट्र के लिए भी चिन्ता का विषय है। हम इस मुद्दे को प्रकाश में ला सकते है।

कठोर दण्ड देने के लिए भी सुझाव है। यह सच है कि कुछ उपबंध विद्यमान हैं। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में महसूस किया गया कि इसे और भी कड़ा बनाया जाना चाहिए। मैं केवल एक या दो सुझाव दूंगा जो बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से अधिनियम को संशोधित करने के लिए दिए गए थे। अधिनियम का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड में वृद्धि की जाए। धारा 14(1) के अंतर्गत

दण्ड एक वर्ष के कारावास से कम नहीं होना चाहिए। सुझाव यह है कि इसे 20,000 रुपये, जिसे 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, के जुर्माने सहित तीन वर्ष के कारावास अथवा दोनों तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 14(2) के अंतर्गत दण्ड 15,000 रुपये के जुर्माने सहित दो वर्ष का कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, का होना चाहिए। धारा 14(3) के अंतर्गत दण्ड 20,000 रुपये के जुर्माने सहित तीन महीने का कारावास होना चाहिए।

यदि कोई प्रतिष्ठान बाल श्रमिकों को नियोजित करने का अपराध कर रहा है तो संयंत्र और मशीनों को जब्त करने, लाइसेंस रद्द करने और प्रतिष्ठान बंद करने के लिए कोई उपबंध होना चाहिए जिससे इसे रोका जा सकेगा। ये सुझाव हैं। अधिक अधिनियमों को शामिल करने

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको सम्पूर्ण अधिनियम का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं सम्पूर्ण अधिनियम का अध्ययन नहीं कर रहा हूं। वे इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाना चाहते हैं। प्रमाण देने का भार नियोक्ता पर डाला जाना चाहिए वे यह कह रहे है कि इसे संधेय बनाया जाये। मैंने इसे इसलिए पढ़ा है क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संपूर्ण अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाए और कारावास तथा जुर्माने को अनिवार्य बनाया जाए। प्रमाण देने का भार नियोक्ता पर डाला जाना चाहिए। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए सुझावों में इसी बात पर बल दिया गया है। हम इनकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैंने सर्वेक्षण दल के बारे में पूछा था, जिसमें कि सरकारी अधिकारी हैं, क्या इनमें गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा ? कृपया मंत्री जी इस बारे में जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हम माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात पर ध्यान देंगें। मैं सम्पूर्ण मामले का अध्ययन करके वापस आऊगां।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सरकार चाइल्ड लेबर के प्रश्न पर बहुत धीरे चलना चाहती है, क्योंकि 15 महीने बीत गए। 7-8 जुलाई को श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो आम सहमति बनी उस आम सहमति के आधार पर सरकार कानून में संशोधन करना चाहती है। उसके बाद में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। कि सरकार कानून में क्या संशोधन करना चाहती है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाना चाहती है कि बच्चे मजदूरी करने के लिए आएं ही नहीं ? क्या इस तरह की कोई योजना सरकार बनाना चाहती है ?

[अनुवाद]

एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। यह एक लम्बी प्रक्रिया है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं बहुत ही साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास कोई योजना है ... *(व्यवधान)*

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इस सम्बन्धी तन्त्र के संबंध में हमारे पास कुछ अनुदान सहायता प्राप्त स्कूल हैं और 72 अन्य स्कूल हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं हम यह सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 2200 करोड़ रुपए चाहते हैं कि कम से कम इस संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थवान बनाया जाये। बाल श्रम का पता लगाना और उसे दूर करना अवश्य ही राज्य का विषय हैं। मैं संपूर्ण आंकडें नहीं देना चाहता। यदि आप चाहते हैं तो मैं वे आंकड़े दे दूंगा। लेकिन केवल 1.05 लाख बच्चों को ही शिक्षा दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाल श्रम को दूर करने की नीति को अर्थवान बनाया जाये। सामान्य शिक्षा एक अनिवार्य अवयव है। संविधान के अनुच्छेद में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसी मूलभूत सुविधा देना ही एक समस्या है।

श्री रमेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री भाषण दे रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या कोई योजना हैं अथवा नहीं।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : हमारे पास अनुदान-प्राप्त-स्कूलों के लिए योजना है। कुछ अन्य योजनाएं भी चलाई गई है और उन्हें वित्त घोषित किया गया हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इनकी संख्या केवल 76 हैं लगभग 52 अनुदान सहायता प्राप्त स्कूल हैं। मैं पूर्ण ब्यौरा के साथ वापस आऊंगा। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। बीस लाख बच्चों में से केवल 1.05 लाख बच्चे ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : उन्हें योजना का नाम बताना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है। आप यह अगली बार दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पाटिल : अध्यक्ष महोदय, बाल श्रमिकों के प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री जी ने बहुत ही अधूरा दिया है। मैं उस बाल

श्रमिक के बारे में बोलना चाहती हूं जिसकी साधारण रूप से इस सदन में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं होगी। मैं उस इलाके से आती हूं जहां कम से कम दो-तीन लाख लोग पर ईयर वेस्टर्न महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, गोवा के शुगर फैक्ट्री एरियाज में गन्ना तोड़ने के काम के लिए माइग्रेट हो जाते हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं। जो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ कर उनके साथ जाते हैं। क्या उनके लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना बनाई है कि जो बाल श्रमिक वहां जाते हैं, जो अपने माता-पिता के साथ खेतों में गन्ना तोड़ने का काम करते हैं, वहां वे आम तौर से आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसे बाल श्रमिक खास तौर से महाराष्ट्र में बहुत हैं। क्या उनके लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना बनाई है कि जिनको अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ कर अपने माता-पिता के साथ दूर-दूर स्थानों में गन्ना तोड़ने के लिए छह-छह महीने के लिए जाना न पड़े। क्या ऐसी कोई योजना आपने बनाई है ?

[अनुवाद]

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पहले ही श्रम कानून है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम है, जिसके बारे में मैंने बात की है। लेकिन प्रश्न यह है कि बाल और वयस्क दोनों श्रमिकों का प्रवास होता है। लेकिन यह राज्य का विषय है। हम जब कभी ऐसे मामलों का पता लगाते हैं तो हम तत्काल राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हैं। उन्हें इस बारे में कदम उठाने चाहिए और पुनर्वास योजना शुरू करनी चाहिए। जब कभी बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए पाया जाता है, जैसा कि कानून में यह परिकल्पना की गई है, तभी पुनर्वास योजना शुरू की जाती हैं। लेकिन ऐसी बातों का पता लगाकर बताया जाना चाहिए। उदाहणार्थ, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको इस सब के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे पूछ रही है कि क्या आपके पास कोई परियोजना है अथवा नहीं।

श्री एम०पी०वीरेन्द्र कुमार : हमारे पास परियोजना है।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है। लेकिन जो माननीय मंत्री कह रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक किये जाने की आवश्यकता है।

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : महोदय, माननीय मंत्री ने बहुत ही अस्पष्ट उत्तर दिया है। यद्यपि उन्होंने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा बाल श्रम दूर किया जायेगा, ऐसा नहीं है। यदि आप आंकड़े और उच्चतम न्यायालय का आदेश देखेंगे तो पायेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है। वर्ष 1981 में यह 13.6 मिलियन था; वर्ष 1988-89 में यह 77 मिलियन था और अब यह अनुमानतः 23 मिलियन हो गया है। इसका अर्थ है कि यह बढ़ रहा है।

मेरे विचार से इसका मुख्य कारण गरीबी और शिक्षा की कमी है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे आंकड़े, जो बढ़ता हुआ रूख दर्शा रहे हैं, कम किये जायेंगे अथवा नहीं, और यदि हां तो बाल श्रम को कम करने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : महोदय, यह आंकड़े अलग-अलग हैं। उदाहरणार्थ 1981 की जनगणना में यह आंकड़े 13 मिलियन दर्शाए गए हैं और वर्ष 1991 में यह 11 मिलियन दर्शाए गए हैं। वर्ष 1987-88 में किये गये एन०एम०एस० के सर्वेक्षण में यह आंकड़े 17 मिलियन दर्शाए गए हैं। आप्रेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ोदा ने यह आंकड़े 44 मिलियन दर्शाए हैं। ये 16 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या हैं। अब राज्यों का सर्वेक्षण करने से 1.5 मिलियन के आंकड़े का पता चला है। ये आंकड़े 27 राज्यों से हैं। 5 राज्यों से अभी इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए सर्वेक्षण के आंकड़े अलग-अलग होंगे।

श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : महोदय, मुझे सभी आंकड़े प्राप्त हो गये हैं।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : ये आंकड़े अलग-अलग है। यह कहा है।

ओ०आर०जी०, बड़ोदा ने यह कहा है कि स्कूलों से बाहर बच्चों की संख्या 44 मिलियन है। इस प्रकार 100 मिलियन से भी अधिक विद्यार्थी स्कूलों से बाहर है। अतः यह एक भीषण समस्या है।

इसके संबंध में मैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत करता हूं। जब मैंने यह कहा है कि यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने न केवल इसके विधायी पहलुओं बल्कि मनोभावात्मक पहलुओं की भी जांच की है। माननीय न्यायाधीश हंसारिया ने 1986 की रिट याचिका (ग) सं० 465 में जो उदघृत किया है, मैं उसे पढ़ रहा हूं :

"मैं बच्चा हूं।
सारा विश्व मेरे आने को देखता है।
सारी पृथ्वी इस इच्छा से देखती है कि मैं क्या बनूंगा।
सभ्यता अधर में लटकी है।
मैं किसके लिए कल का विश्व बनूंगा
मैं बच्चा हूं।
मेरे भाग्य आपके हाथ में है।
आप निश्चित करेंगे कि मैं सफल होऊंगा या असफल,
मुझे उन चीजों की प्रार्थना करने दो जो खुशी दे सकें।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रशिक्षण दो ताकि मैं
विश्व के आशीर्वाद को पूरा कर सकूं।

श्री सत्यजीत सिंह दत्तोपसिंह गायकवाड़ : महोदय 1949 में इस माननीय सभा ने प्रत्येक युवक को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का

लक्ष्य निर्धारित किया था और वह लक्ष्य 1965 के अन्त तक पूरा किया जाना था।

यह सरकार आज तक इस लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही है। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सुन रहा हूं। वह बहुत ही अस्पष्ट उत्तर है। पहली बात यह है कि वे प्राथमिक शिक्षा को वरीयता देने में असफल रहे हैं। इसलिए, जब तक हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम बाल श्रम नहीं रोक सकते।

दूसरी बात यह है कि यदि हम उन्हें उनकी न्यूनतम आय से वंचित करते हैं तो क्या सरकार के पास उन्हें पोषक आहार उपलब्ध कराने की कोई विशेष योजना है जो वे आज तक अपने श्रम से प्राप्त कर रहे हैं, क्या सरकार की ऐसा कोई कार्यक्रम क्रियान्वित करने की इच्छा है और क्या सरकार के पास इनके क्रियान्वयन के लिए संशाधन और इच्छा है।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, संविधान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह काफी लम्बे समय से है। लेकिन प्रश्न यह है कि कुछ राज्यों में माध्यमिक स्तर तक सामान्य शिक्षा है और कुछ राज्यों में नहीं है। इसलिए यह अत्यधिक चिन्ता का मामला है। ऐसा कह कर यह नहीं है कि मैं उत्तर को टाल रहा हूं, मैं समस्या की गम्भीरता को सदन के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मंत्री अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। वे उन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए है कि हम राज्य सभा में अनिवार्य शिक्षा विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं और किसी भी तरह यह संविधान का एक भाग है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसे कब तक रोक दिया जायेगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 106 पर विचार करेंगे – श्री अमर पाल सिंह शहरी कार्य और रोजगार राज्य मंत्री कहां हैं ?

डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू : आप पीछे क्यों बैठे हैं ? कृपया ऐसे मत करिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय वह स्वस्थ्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यन्त खेद है। मुझे यह मालूम नहीं था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि

+

*106. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री सुखबीर सिंह बादल :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ चुनिंदा शहरों में परिवहन संबंध परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किन शहरों को शामिल किया जाएगा;

(घ) इन शहरों के विकास के लिए कुल कितनी निवेश राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन शहरों में इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा शहरी परिवहन पर गठित उप-दल ने सिफारिश की है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 10 लाख (एक मिलियन) से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजनाओं और यातायात सुधार उपायों में मदद के लिये एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि कायम की जाए।

2. प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि के उद्देश्य हैं :–

(I) 10 लाख (एक मिलियन) से अधिक आबादी वाले शहरों में द्रुतगामी परिवहन परियोजनाओं और सभी शहरों में परिवहन सुधार उपायों में इक्विटी, उदार ऋणों और अनुदानों के जरिये वित्तीय सहायता मुहैया कराना;

(II) साध्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की 50% लागत की वित्त व्यवस्था करना;

(III) भारत के अन्दर और बाहर नगर परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करना और

(iv) नगर परिवहन के क्षेत्र में कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना।

3. इस प्रस्ताव में शुरू में राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि को बजट प्रावधान के द्वारा शुरू करने और बाद में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले संगत करो/उपकरों द्वारा इसको जारी रखने का विचार है। उपदल ने सिफारिश की है कि शुरू में केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बजट प्रावधान (100 करोड़ रु० सालाना के हिसाब से 500 करोड़ रु० का मूलधन (सीडगनी) मुहैया कराया जाए। इसके अलावा, इतनी ही राशि, एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में चुनिन्दा केन्द्रीय लेबियों पर संगत कर/उपकर लगाकर जुदाई जा सकती है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के नाम इस प्रकार हैं :-

अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मुम्बई, नागपुर, पटना, पुणे, सूरत, बड़ोदरा, वाराणसी तथा विशाखापट्टनम।

(घ) चूंकि अब तक इस निधि की स्थापना नहीं हुई है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सुविधा हेतु 23 शहरों का चयन किया गया है और उनका आधार 1991 की जनगणना था जिसमें दस लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को इसमें लिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1991 के जनगणना के बाद 1996 तक जिन शहरों की आबादी दस लाख से ऊपर हो गई है, ऐसे कितने शहरों को लिया गया है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राजभाषा कार्यान्वय समिति

***102. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 1994, 1995 और 1996 के दौरान उक्त समिति की कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) मंत्रालय में हिन्दी के प्रचार के लिए समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) आठ।

(ग) मुख्य सिफारिशों में टिप्पणी व प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना; राजभाषा अधिनियम व नियमों का अनुपालन; राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करना; अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना; हिन्दी आशुलिपि व हिन्दी टंकण में स्टाफ को प्रशिक्षित करना व उनकी सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना; सभी फार्मों व मानक प्रारूपों का द्विभाषिक प्रयोग और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण करना शामिल हैं।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान

***107. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आई०वाई०), नई दिल्ली, केन्द्रीय योग और नेचुरोपैथी अनुसंधान परिषद (सी०सी०आर०वाई०एन०) और विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली और कटरा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था की परिसंपत्तियों का मूल्य कितना है तथा सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ग) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं और केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं। संबंधित शासी निकायों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में इन दोनों सोसायटियों के प्रबंध की देखभाल करते हैं।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्वर्गीय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दिल्ली में विश्वायतन योगाश्रम संस्थान की स्थापना

की है। न्यासी मंडल विश्वायतन योगाश्रम के प्रबंध की देखभाल करता है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भारत सरकार द्वारा न्यासी मंडल में इस समय केवल तीन सदस्य नामित हैं। केन्द्रीय योग अनुसंधान और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य कार्यकलाप गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य संस्थाओं के जरिए योग अनुसंधान और प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य संपन्न करना है। व्यक्तियों को योग-क्रिया का प्रशिक्षण देना और योग चिकित्सा के जरिए रोगों से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान करना। केन्द्रीय योग अनुसंधान के कार्यकलापों में शामिल हैं। इस समय विश्वायतन योगाश्रम का कार्यकलाप इसके नई दिल्ली केन्द्र में लोगों को योगाक्रिया का प्रशिक्षण देने तक सीमित हैं जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारें कटरा स्थित केन्द्र स्थित इसकी संपत्तियों के अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है। विश्वायतन योगश्रम अपने कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार से इस समय सहायता अनुदान प्राप्त करता है। चूंकि एक शीर्ष स्तरीय अनुसंधान संस्था अर्थात् केन्द्रीय योग अनुसंधान और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद पहले से ही मौजूद है और राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना करने का निर्णय ले लिए जाने के कारण केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम की परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना के लिए प्रयत्न आरंभ किए जा चुके हैं। केन्द्रीय यौग अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय योग संस्थान में विलय के लिए एक संकल्प पहले ही पारित कर दिया है।

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम को, 31.3.97 तक की स्थिति के अनुसार, दिए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(रुपये लाखों में)

केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्	418.37
केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान	629.25
विश्वायतन योगाश्रम	147.75

(घ) केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान तथा विश्वायतन योगाश्रम में इस समय कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :–

केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्	24
केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान	87
विश्वायतन योगाश्रम	17

केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक परिषद्, केन्द्रीय योग अनुसंधान तथा विश्वायतन योगाश्रम को 1996-97 तथा 1997-98 वर्षों के लिए किए गए वित्तीय आवंटनों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(रुपये लाखों में)

	1996-97	1997-98
केन्द्रीय योग अनुसंधान एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्	86.00	102.00
केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान	100.00	70.00
विश्वायतन योगश्रम	49.00	15.00

[हिन्दी]

भविष्य निधि मामलों के लिए अपीलीय न्यायधिकरण

*108. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त न्यायाधिकरण के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण ने अब 1.7.1997 से नई दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी

*109. **श्री एन०एस०वी० चित्थन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों में कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) उन उपक्रमों को छोड़कर जिन्हें योजना के प्रचालन से विशेष रूप से छूट प्रदान की गयी है सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता योजना 1983 से लागू है। केन्द्रीय सरकार के विभागीय रूप से चलाए जा रहे सभी उपक्रमों को योजना से बाहर रखा गया है।

इस योजना में शाप और संयंत्र स्तरों पर द्विपक्षी मंचों के गठन की परिकल्पना की गयी हैं उपयुक्त माने गये उद्यमों में, यह बोर्ड स्तरीय प्रतिभागिता का भी प्रावधान करती है। इस योजना में उद्यम आदि के उत्पादन, गुणवत्ता, लक्ष्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याणकारी उपायों, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, अनुपस्थिति, वित्तीय निष्पादन से संबंधित कार्य से संबंधित कतिपय मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार किए जाने का प्रावधान है।

125 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीड बैक) से पता चलता है कि कुल मिलाकर इस योजना का उत्पादन की उन इकाइयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था जिनमें व्यवसाय संघों की संख्या कम है और प्रबंधन द्वारा योजना में सहभागिता के लिए कर्मचारों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रतिपुष्टि से यह भी पता लगता है कि जिन इकाइयों में कड़ी अन्तरा-संघ प्रतिद्धन्द्धिता विद्यमान है वहां इस योजना के कार्य को संतोषजनक नहीं पाया गया है।

म्लेरिया के रोगियों में वृद्धि

*110. श्री के० परसुरामन :
श्री रमेन्द्र कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में 20 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मलेरिया के रोगियों की संख्या में इतनी भारी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) चालू वित्त वर्ष में जून माह को मलेरिया से संबोधित जानपदिक रोग विज्ञानी रिपोर्टें अभी तक सब राज्यों से प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर भी, कलेन्डर वर्ष अर्थात् जनवरी से मई, 1997 की अवधि के लिए उपलब्ध अद्यतन रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ष 1995 और 1996 की संगत अवधि की तुलना में मलेरिया की घटनाओं में कमी आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इस रोग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं :–

– दिसम्बर, 1994 से सात उत्तर पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

– राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, अस्पतालों, औषधालयों, मलेरिया क्लीनिकों के द्वारा तथा ग्रामीण स्तर पर औषध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपुओं की स्थापना करके मलेरिया रोगियों का शीघ्र पता लगाने और तत्काल उपचार करने का कार्य किया गया है।

– तकनीकी मूल्याकंन के आधार पर अनुसूची के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी छिड़काव और शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी उपाय करके वेक्टर नियंत्रण।

– अधिक सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को तेज करना।

– मलेरिया तथा वैक्टर से होने वाले अन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने के लिए और "मलेरिया नियंत्रण हर व्यक्ति का कार्य" प्रसंग (थीम) का प्रचार करने के लिए इसे देश में जनआंदोलन बनाने की दृष्टि से जून, 1997 से प्रतिवर्ष जून माह को मलेरिया-रोधी माह के रूप में मनाना और इसके फैलने के मौसम से पूर्व प्राधिकारियों और जनता को इसके प्रति सतर्क करना।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उड़ीसा और राजस्थान के सात राज्यों और मलेरिया को उच्च स्थानिकमारिकता वाले 100 जिलों और 19 शहरों/नगरों, को आवश्यक रूप से शामिल करने हेतु विश्व बैंक सहायता से एक विस्तृत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के संबंध में बातचीत पूरी की गई हैं इस परियोजना में पूरे देश में निगरानी व रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार करने तथा सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किया गया है।

मिरगी के मरीज

*111. श्री शिवाजी विट्ठल राव कांम्बले
श्री एन०एन० कृष्णदास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मिरगी के मरीजों की संख्या लगभग कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों की तुलना में ऐसे मरीजों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "90 मिलयन एपीलेप्टिक्स डोन्ट गैट एनी ट्रीटमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में मिरगी के मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए कदम उठाये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) अनुमान है कि देश में इस समय मिरगी

के लगभग 80 लाख रोगी हैं और जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऐसे रोगियों की संख्या में (प्रति एक हजार पर 5-10 की दर से) वृद्धि हुई है।

सभी अस्पतालों में मिरगी का इलाज सामान्य फिजीशियनों द्वारा किया जाता हैं देशभर में चलाए जा रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी मिरगी की घटनाओं में कमी आएगी।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के विस्थापित

*112. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विस्थापित कश्मीरी को उपलब्ध कराई गई अनुग्रह राशि और ऋण का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) जम्मू और कश्मीर में और राज्य से बाहर विशेष रूप से दिल्ली में स्थित शिविरों में रह रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों के परिवारों और अन्य लोगों के परिवारों की संख्या क्या है;

(ग) विस्थापित कश्मीरी लोगों को सुविधापूर्वक उनके घरों को वापिस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक लगभग कितने परिवार घाटी में वापिस भेज दिए गए हैं और कुल विस्थापित परिवारों का यह कितना प्रतिशत हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, जरूरतमंद, प्रवासियों को उनके राज्य/संघ शासित क्षेत्र में लागू भिन्न-भिन्न दरों पर नकद राहत प्रदान करती हैं। शिविरों में रह रहे प्रवासियों को राशन तथा आवास, स्वच्छता, चिकित्सीय देखभाल आदि जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र, वहां रह रहे प्रवासियों को शैक्षणिक, चिकित्सकीय एवं अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार घाटी में छोड़ी गई और क्षतिग्रस्त हो गई अचल सम्पत्तियों के लिए प्रवासियों को आकलित मूल्य के 50% की अधिकतम सीमा के साथ 1 लाख रु० की दर से अनुग्रह राहत प्रदान करती है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा राज्य स्व-रोजगार के अधीन भी कुछ प्रवासियों को ऋण उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक प्रवासी को अदा की गई राशि की अलग-अलग गणना करना या बताना राहत की प्रकृति, भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दरें लागू होने आदि कारणों से संभव नहीं है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने मार्च, 1997 को समाप्त हुई अवधि के दौरान प्रवासियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए 264.47 करोड रु० की राशि खर्च की है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सम्पत्तियों की क्षति के लिए 22.10 करोड़ रु० अनुग्रह राहत के रूप में भी खर्च किए हैं।

(ख) लगभग 45000 प्रवासी परिवार जम्मू में शिविरों में, 240 दिल्ली में और 18 चण्डीगढ़ में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) वापसी की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अक्तूबर, 1996 में राज्य में विधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद और एक लोकप्रिय सरकार के सत्तारूढ़ होने के साथ ही राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के अपने मूल निवास स्थान को सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक वापस लौटने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करने को उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार ने प्रवासियों की समस्याओं के सभी पक्षों की जांच के लिए राजस्व, राहत एवं पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तीय समिति गठित की है। प्रवासियों के मत जनाने के बाद वित्त आयुक्त (योजना एवं विकास) के नेतृत्व में एक उप समिति, प्रवासियों की वापसी के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित की गई है।

[अनुवाद]

क्षयरोग (टी०बी०)

*113. **श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षयरोग के कारण प्रतिवर्ष लगभग पचास लाख लोगों को मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष क्षयरोग के कितने मामले दर्ज किए जाते हैं;

(ग) क्या 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा के अनुसार यह पाया गया है कि स्वास्थ्य के अन्य विषयों की तुलना में क्षयरोग को निम्न प्राथमिकता प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या देश के अधिकांश टी०बी० अस्पतालों में क्षयरोग की रोकथाम की आवश्यक दवाइयों की कमी एक आम बात हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा टी०बी० अस्पतालों में औषधों की आपूर्ति में सुधार तथा क्षयरोग की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं। अनुमान है कि प्रतिवर्ष 5 लाख लोग क्षयरोग से मर जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष क्षयरोग के लगभग 14 लाख नए रोगियों की सूचना दी जाती है।

(ग) जी नहीं 1 वर्ष 1992 में कार्यक्रम की समीक्षा के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान थी तथापि, समीक्षा के बाद बजट प्रावधान बढ़ाया गया है और कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं वर्ष 1996-97 तक केन्द्र सरकार तथा

राज्य सरकार द्वारा 50-50 की हिस्सेदारी के आधार पर क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति की जाती थी। वर्ष 1997-98 से क्षयरोग रोधी औषधों की शतप्रतिशत आवश्यकता केन्द्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों को क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति निःशुल्क की जाती है।

खेतिहर मजदूर

*114. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री श्याम लाल बंशीवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार देश में खेतिहर मजूदरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इनके कल्याण हेतु योजनाओं पर वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई एवं वर्ष 1997-98 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार खेतिहर मजूदरों के कल्याणार्थ कुछ और कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) कृषि कर्मकारों की गणना दस वर्षीय साधारण जनगणना के दौरान की जाती है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में कृषि कर्मकारों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आई०डी०पी०) रोजगार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०) जैसी विभिन्न प्रमुख कल्याण योजनाओं का वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) लाभान्वित हुए कृषि कर्मकारों की संख्या और अन्य प्रत्यक्ष निष्पादन संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार करके, गैर-खेती कार्यकलापों का विविधीकरण करके, विभिन्न कौशल सुधार, गरीबी उन्मूलन, विकास और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का सतत् रूप से संचालन करके कृषि कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में आगे सुधार करने के लिए बहुआयामी कार्ययोजना को अंगीकार किया है। नई योजनाएं चलाई गई हैं जिनके नाम हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन०एस० ए०एस०) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन (एम०ई०जी०एस०टी०)। कृषि कर्मकारों के रोजगार और कार्यदशाओं को विनियमित करने और उनके लिए कतिपय कल्याण उपायों की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक विधान का मसौदा भी तैयार किया गया है। अधिनियमित किए जाने के बाद जिससे लगभग 135 मिलियन कृषि कर्मकार और छोटे और सीमान्त कृषि लाभान्वित होंगे।

विवरण-I

कृषि कर्मकारों और जुताई करने वालों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (राज्य वार)

(1991 की जनगणना के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/के०शा० प्रदेश	कृषि कर्मकारों की संख्या	जुताई करने वालों की संख्या
1	2	3	4
	भारत	74,597,744 (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	110,702,346
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,625,159	7,891,167
2.	असम	844,964	3,559,117
3.	बिहार	9,512,892	11,164,519
4.	गुजरात	3,230,547	4,703,628
5.	हरियाणा	896,782	1,829,530
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	1,125,311
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	49,99,959	5,915,633
9.	केरल	2,120,452	1,015,983
10.	मध्य प्रदेश	5,863,029	12,904,121
11.	महाराष्ट्र	8,313,223	10,172,108
12.	मणिपुर	47,350	437,499
13.	मेघालय	89,492	395,804
14.	नागालैण्ड	7,233	371,597
15.	उड़ीसा	2,976,750	4,598,500
16.	पंजाब	1,452,828	1,917,210
17.	राजस्थान	1,391,670	8,181,512
18.	सिक्किम	12,851	95,078
19.	तमिलनाडु	7,896,295	5,664,090
20.	त्रिपुरा	187,538	305,523
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	22,031,181
22.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	5,844,993

1	2	3	4
23.	अ० और नि० द्वीपसमूह	4,989	14,525
24.	अरुणाचल प्रदेश	20,054	235,987
25.	चण्डीगढ़	1,642	2,302
26.	दादरा और नागर हवेली	6,233	36,278
27.	दिल्ली	25,195	33,296
28.	गोवा	35,284	56,528
29.	दमण और दीव	1,199	3,266
30.	लक्षद्वीप	–	–
31.	मिजोरम	9,527	178,101
32.	पांडिचेरी	77,203	17,959

विवरण-II

विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण
(राज्य-वार और वर्षवार)

(रुपए लाखों में)

राज्य/के०शा०प्र०		योजना का नाम				
	वर्ष	आई०आर०डी०पी० *	ई०ए०एस० **	जे०आर०वाई० *	ट्राइसेम *	डी०डब्ल्यू०सी० आर०ए० *
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1994-95	8344.00	12987.50	33343.71	684.92	111.57
	1995-96	8336.41	18187.50	37232.40	684.92	718.75
	1996-97	8336.41	25137.50	17372.39	684.92	718.75
	1997-98	8612.23	1250.00	19410.49	684.92	718.75
अरुणाचल प्रदेश	1994-95	623.00	1200.00	322.51	51.22	21.74
	1995-96	623.43	2323.75	329.58	51.22	44.75
	1996-97	623.43	2126.25	178.30	51.22	44.75
	1997-98	644.07	125.00	199.22	51.22	44.75
असम	1994-95	2747.00	5790.00	8921.21	225.40	138.02
	1995-96	2743.50	10025.00	10820.18	225.40	283.75
	1996-97	2743.50	13525.00	5718.18	225.40	283.75
	1997-98	2834.27	0.00	6389.02	225.40	283.75
बिहार	1994-95	16232.70	12987.50	70386.81	1274.48	159.75
	1995-96	16218.24	20287.50	78598.18	1274.48	760.50
	1996-97	16218.24	26556.25	34075.58	1274.48	760.50
	1997-98	16754.81	4387.50	38073.25	1274.48	760.50
गोवा	1994-95	142.00	–	348.46	11.66	3.95
	1995-96	141.87	–	356.09	11.66	9.00
	1996-97	141.87	100.00	192.65	11.66	9.00
	1997-98	146.57	175.00	215.25	11.66	9.00

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	1994-95	3063.00	4475.00	13835.36	251.34	57.54
	1995-96	3059.22	8712.50	14754.11	251.34	258.25
	1996-97	3059.22	7312.50	3676.25	251.34	258.25
	1997-98	3160.43	1125.00	7124.30	251.34	258.25
हरियाणा	1994-95	736.00	3600.00	2389.61	60.40	71.29
	1995-96	735.33	4150.00	3398.28	60.40	146.50
	1996-97	735.33	3350.00	1531.81	60.40	146.50
	1997-98	759.67	1025.00	1711.52	60.40	146.50
हिमाचल प्रदेश	1994-95	240.00	625.00	1107.26	19.80	36.94
	1995-96	239.78	562.50	1149.09	19.80	76.00
	1996-97	239.78	1987.50	612.16	19.80	76.00
	1997-98	247.71	725.00	683.98	19.80	76.00
जम्मू और कश्मीर	1994-95	1000.00	3687.50	3103.75	140.00	107.01
	1995-96	999.09	8425.00	3381.00	140.00	220.00
	1996-97	999.09	4825.00	1243.93	140.00	220.00
	1997-98	1039.15	0.00	1389.86	140.00	220.00
कर्नाटक	1994-95	5603.00	8187.50	22911.44	459.84	79.90
	1995-96	5594.91	15712.50	24422.41	459.84	387.00
	1996-97	5594.91	14450.00	11665.34	459.84	387.00
	1997-98	5780.01	1050.00	13033.90	459.84	387.00
केरल	1994-95	2038.00	1700.00	6620.11	167.28	27.66
	1995-96	2036.15	2312.50	8029.34	167.28	180.00
	1996-97	2036.15	3562.50	4244.16	167.28	180.00
	1997-98	2103.50	2237.50	4742.08	167.28	180.00
मध्य प्रदेश	1994-95	10573.00	18170.00	49583.34	867.96	198.06
	1995-96	10565.39	28675.00	51119.46	867.96	698.75
	1996-97	10565.39	28337.71	22014.51	867.96	698.75
	1997-98	10914.93	4469.29	24597.22	867.96	698.75
महाराष्ट्र	1994-95	9096.00	9027.50	39760.18	746.64	136.65
	1995-96	9087.73	14325.00	41658.79	746.64	572.00
	1996-97	9087.73	8412.50	18937.55	746.64	572.00
	1997-98	9388.40	2400.00	21559.27	746.64	572.00
मणिपुर	1994-95	450.00	1237.50	41.36	36.94	15.81
	1995-96	449.59	125.00	425.45	36.94	61.25
	1996-97	449.59	1350.00	228.53	36.94	61.25
	1997-98	464.47	125.00	255.34	36.94	61.25

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	1994-95	478.00	800.00	483.68	39.24	53.50
	1995-96	477.57	312.50	496.31	39.24	110.00
	1996-97	477.57	612.50	267.40	39.24	110.00
	1997-98	493.36	75.00	298.77	39.24	110.00
मिजोरम	1994-95	201.00	2000.00	203.75	16.58	5.93
	1995-96	201.82	1500.00	208.04	16.58	17.00
	1996-97	201.82	1500.00	112.65	16.58	17.00
	1997-98	208.50	0.00	125.87	16.58	17.00
नागालैण्ड	1994-95	337.00	1400.00	518.46	27.58	13.83
	1995-96	335.69	2600.00	526.28	27.58	30.50
	1996-97	335.69	3482.50	286.64	27.58	30.50
	1997-98	346.81	0.00	320.27	27.58	30.50
उड़ीसा	1994-95	6769.00	9855.00	29128.18	555.72	65.36
	1995-96	6763.85	14325.00	30642.94	555.72	405.75
	1996-97	6763.85	20534.44	14093.11	555.72	405.75
	1997-98	6987.62	2612.50	15746.49	555.72	405.75
पंजाब	1994-95	523.00	—	1699.26	43.00	80.56
	1995-96	521.53	—	1969.93	43.00	165.76
	1996-97	521.53	1225.00	1089.39	43.00	165.76
	1997-98	538.77	2175.00	1217.19	43.00	165.76
राजस्थान	1994-95	4393.00	12375.00	18835.61	360.52	128.74
	1995-96	4388.01	17537.50	20825.10	360.52	309.50
	1996-97	4388.01	12987.50	9146.40	360.52	309.50
	1997-98	4533.18	825.00	10219.44	360.52	309.50
सिक्किम	1994-95	56.00	200.00	188.76	4.60	21.13
	1995-96	55.95	412.50	341.93	4.60	43.50
	1996-97	55.95	275.00	104.36	4.60	43.50
	1997-98	57.79	0.00	116.61	4.60	43.50
तमिलनाडु	1994-95	7543.00	4927.50	27752.94	619.24	109.59
	1995-96	7537.14	10512.50	32634.06	619.24	487.75
	1996-97	7537.14	18406.25	15704.96	619.24	487.75
	1997-98	7786.50	10662.50	17547.44	619.24	487.75
त्रिपुरा	1994-95	643.00	2272.50	536.90	52.68	5.93
	1995-96	641.42	1950.00	558.65	52.68	22.50
	1996-97	641.42	2700.00	296.83	52.68	22.50
	1997-98	662.64	0.00	331.65	52.68	22.50

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	1994-95	20335.00	13737.50	74376.76	1669.12	229.37
	1995-96	20316.50	19450.00	87188.55	1669.12	1017.00
	1996-97	20316.50	26630.94	42334.91	1669.12	1017.00
	1997-98	20988.66	8120.41	47301.56	1669.12	1017.00
पश्चिम बंगाल	1994-95	7478.00	9622.50	30410.53	613.84	67.90
	1995-96	7472.20	11550.00	33287.71	613.84	451.50
	1996-97	7472.20	12750.50	15569.34	613.84	451.50
	1997-98	7719.41	1775.00	17395.91	613.84	451.50
अंडमान और निकोबार	1994-95	71.00	40.00	152.70	11.74	1.98
द्वीपसमूह	1995-96	70.94	40.00	154.18	11.74	5.80
	1996-97	70.94	0.00	84.41	11.74	7.25
	1997-98	73.29	80.00	94.31	11.74	7.25
दादरा और नागर	1994-95	15.00	20.00	82.89	2.48	1.98
हवेली	1995-96	14.99	30.00	83.92	2.48	3.20
	1996-97	14.99	60.00	45.81	2.48	4.00
	1997-98	15.49	0.00	51.18	2.48	4.00
दमण और दीव	1994-95	28.00	0.00	48.83	4.62	1.67
	1995-96	27.97	20.00	49.28	4.62	2.80
	1996-97	27.97	40.00	26.99	4.62	3.50
	1997-98	28.90	0.00	30.16	4.62	3.50
लक्षद्वीव	1994-95	7.00	100.00	76.65	1.16	1.98
	1995-96	6.99	100.00	76.70	1.16	3.20
	1996-97	6.99	140.00	42.32	1.16	4.00
	1997-98	7.22	0.00	47.28	1.16	4.00
पांडिचेरी	1994-95	58.00	—	149.47	5.00	1.98
	1995-96	57.95	—	151.86	5.00	2.20
	1996-97	57.95	60.00	82.64	5.00	4.00
	1997-98	59.87	60.00	92.34	5.00	4.00
अखिल भारत	1994-95	109822.00	141025.00	457692.39	9025.00	2036.80
	1995-96	109721.16	213163.75	484869.77	9025.00	7495.45
	1996-97	109721.16	242399.34	223679.48	9025.00	7500.00
	1997-98	113351.23	45479.70	249921.18	9025.00	7500.00

* कुल आवंटन

** कुल केन्द्रीय निकासी और समान राज्य शेयर 1997-98 के लिए आंकड़े 30.6.97 की स्थिति के अनुसार हैं।

ट्राइसेम के अधीन 1997-98 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-III

विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन लाभान्वित हुए व्यक्तियों और अन्य प्रत्यक्ष निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण
(राज्यवार और वर्ष वार)

राज्य/के०शा० प्रदेश	वर्ष	आई०आर०डी०पी० सहायता प्राप्त परिवार			ई०ए०एस० *सृजित श्रम दिवस			जे०आर०वाई० *सृजित श्रम दिवस			ट्राइसेम प्रशिक्षित युवा		डी०डब्ल्यू० सी०आर०ए० लाभान्वित सदस्य
		कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०	कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०	कुल	अ०जा०/ अ०ज०जा०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	1994-95	159908	9528	16225	277.24	81.28	83.98	812.25			20300	5910	378460
	1995-96	122863	43594	12827	252.42	89.52	55.37	701.57			19846	8877	246923
	1996-97	203135	70861	20624	164.08	73.81	24.57	184.85	83.17	27.71	47086	16489	277319
अरुणाचल	1994-95	18764	—	18764	20.84	—	20.84	5.58			672	517	1171
प्रदेश	1995-96	14381	—	14381	50.67	—	50.67	8.24			1277	564	1760
	1996-97	10695	—	10695	16.17	—	16.17	1.15	0.00	1.15	410	410	1141
असम	1994-95	62584	9452	15297	95.50	19.56	34.93	263.29			9249	3477	12815
	1995-96	59030	8894	14201	181.82	52.64	61.00	197.08			10317	3528	12842
	1996-97	38087	5755	8958	48.18	9.06	14.04	54.58	9.91	15.34	201	36	11751
बिहार	1994-95	224736	73213	48713	193.72	50.61	82.31	986.88			24504	11445	13386
	1995-96	265525	82045	47113	254.44	79.10	86.38	1197.03			26287	12937	37570
	1996-97	244764	74967	38089	170.57	59.77	44.33	354.71	146.19	70.80	24147	11627	33661
गोवा	1994-95	2192	22	—				6.45			2591	680	390
	1995-96	1486	18	—				8.38			3896	26	540
	1996-97	1982	6	—				4.91	0.06	0.00	2815	18	961
गुजरात	1994-95	72418	11504	25306	35.26	6.11	16.75	258.48			11794	6227	4309
	1995-96	55686	9892	15188	92.45	14.22	41.33	209.42			10958	6738	14152
	1996-97	47545	7394	12047	90.33	15.35	30.77	67.47	8.93	28.18	4749	2103	12751
हरियाणा	1994-95	28285	13751	—	34.64	23.55	—	33.96			3733	1825	4998
	1995-96	29771	14560	—	52.11	35.81	—	33.50			3582	1742	8562
	1996-97	17202	8424	—	15.91	10.73	—	9.84	5.96	0.00	2122	1084	7707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हिमाचल	1994-95	7355	2848	931	3.20	0.96	2.24	28.87			1121	650	5041
प्रदेश	1995-96	6606	2705	585	6.86	2.37	2.95	21.45			894	511	3214
	1996-97	7990	2930	870	6.35	2.41	1.61	7.38	3.28	1.22	336	194	1331
जम्मू और	1994-95	13545	2056	1633	59.85			88.04			2647	508	8671
कश्मीर	1995-96	13189	1769	1961	129.96			48.23			4326	565	8011
	1996-97	11474	—	—	49.57			12.28	0.00	0.00	1931	324	7569
कर्नाटक	1994-95	125810	38973	9430	177.45	45.33	17.18	499.67			17542	6781	7555
	1995-96	119685	36157	9021	268.73	69.56	26.26	524.89			16602	6551	8342
	1996-97	116900	33115	9036	173.83	41.51	18.15	144.63	39.88	14.33	10400	1234	27311
केरल	1994-95	46924	19443	1493	27.64	7.23	4.33	101.01			5854	2476	8411
	1995-96	43357	17498	1262	32.39	8.79	4.50	127.75			4860	2187	8378
	1996-97	48690	18068	1225	15.53	4.46	3.10	32.71	9.61	1.73	4160	1757	9881
मध्य प्रदेश	1994-95	210629	47263	72236	363.78	58.35	195.29	1075.25			30415	17183	14956
	1995-96	210692	52025	69801	388.02	86.03	187.39	759.46			60107	29620	15505
	1996-97	168123	39095	51243	163.71	32.82	73.89	217.21	56.44	80.35	24052	11054	12790
महाराष्ट्र	1994-95	196677	49533	33751	233.89	52.45	59.28	1100.73			11405	5047	10360
	1995-96	181597	43786	28205	293.23	74.31	73.65	1014.73			5764	1132	27333
	1996-97	161018	36362	25124	149.53	38.19	34.88	251.20	65.35	49.81	10927	4349	30492
मणिपुर	1994-95	7658	122	5770	28.60			7.16			1397	1185	1511
	1995-96	6077	77	4222	31.21	—	31.21	9.34			117	000	3952
	1996-97	7256	122	5191	9.96	—	9.96	3.00	0.07	2.21	220	119	3567
मेघालय	1994-95	6020	98	5922	1.39	0.03	1.23	8.50			50	208	2527
	1995-96	4534	15	4519	8.30	0.02	8.27	4.86			292	292	2027
	1996-97	6822	7	6815	2.63	—	2.63	5.06	0.00	5.06	220	220	4775
मिजोरम	1994-95	3345	—	3345	41.71	—	41.71	5.72			847	847	1350
	1995-96	5085	—	5085	40.91	—	40.91	5.20			692	692	509
	1996-97	3059	—	3059	17.18	—	17.18	1.48	0.00	1.48	—	—	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नागालैण्ड	1994-95	2251	–	2251	28.81	–	28.81	8.47			977	977	4350
	1995-96	2531	–	2531	49.00	–	49.00	5.76			227	227	1302
	1996-97	2915	–	1997	0.11	0.11	–	4.46	0.00	4.46	–	–	728
उड़ीसा	1994-95	139837	36086	41591	281.24	61.22	143.89	604.51			15656	8149	10471
	1995-96	120669	30814	3543	311.06	74.11	157.45	678.31			16589	9527	29989
	1996-97	102741	23499	24474	235.86	67.75	92.87	224.89	67.57	82.05	8496	4356	28452
पंजाब	1994-95	22701	12002	–				24.36			3324	1730	6757
	1995-96	11786	6287	–				6.44			2670	1361	7734
	1996-97	7160	3702	–				–	0.00	–	1125	649	6401
राजस्थान	1994-95	107799	38088	21087	273.11	84.68	77.84	545.58			9830	5503	2049
	1995-96	92818	30326	18748	288.02	95.44	70.00	361.72			9269	4908	13060
	1996-97	70304	21862	14515	120.59	41.47	27.48	102.84	40.92	26.72	1965	1107	7939
सिक्किम	1994-95	1281	78	529	8.50	1.32	2.72	7.03			156	65	901
	1995-96	2843	153	1090	16.01	1.75	4.87	9.27			408	198	1644
	1996-97	2249	122	950	2.33	0.72	0.93	2.17	0.41	0.71	–	–	25
तमिलनाडु	1994-95	201221	91166	5763	141.29	53.32	21.86	102.66			20940	9290	259
	1995-96	183895	82792	3800	211.35	95.08	21.49	1069.75			11561	5132	4572
	1996-97	152597	68807	2098	119.72	53.40	8.19	256.78	129.75	8.75	4168	2068	19312
त्रिपुरा	1994-95	21818	5751	7555	60.35	12.41	26.46	29.02			2680	1513	22550
	1995-96	14657	2351	5327	43.20	7.72	21.58	18.43			3838	1098	1730
	1996-97	13725	2139	5047	41.31	12.19	20.96	4.85	3.46	7.66	921	459	1651
उत्तर प्रदेश	1994-95	369725	188576	2971	165.63	66.29	5.47	1395.94			62394	27102	1711
	1995-96	355916	183165	3300	318.23	151.91	5.30	1532.46			63721	34222	79864
	1996-97	364552	190328	3464	176.85	84.70	8.72	504.35	267.21	4.01	38629	31152	217029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिम बंगाल	1994-95	159722	54738	10828	184.79	69.21	43.31	580.82			20711	7223	5061
	1995-96	161724	55591	9804	143.08	52.04	29.03	414.75			22557	7070	11092
	1996-97	110280	36656	6287	100.21	38.87	19.68	125.83	48.75	17.41	10474	3247	22087
अंडमान और	1994-95	1126	323	323	0.57	—	0.51	2.59			448	215	169
निकोबार	1995-96	832	—	57	0.11	—	0.09	2.59			279	204	304
द्वीपसमूह	1996-97	591	—	36	0.22	0.00	0.17	0.45	0.00	0.36	39	—	662
दादरा और	1994-95	302	19	267	0.10	—	0.10	2.07			145	1	00
नागर हवेली	1995-96	274	5	265	0.23	0.00	0.23	0.64			00	00	225
	1996-97	168	7	161	0.19	0.00	0.19	0.51	0.00	0.20	75	13	196
दमण और	1994-95	97	10	44	0.12	0.01	0.10	0.55			95	95	8
दीव	1995-96	310	58	102	0.36	0.00	0.01	1.11			87	87	110
	1996-97	178	33	51	0.00	0.00	0.00	0.27	0.02	0.16	12	12	00
लक्षद्वीप	1994-95	100	—	100	0.34	—	0.34	1.91			11	11	00
	1995-96	18	—	18	1.02	0.00	02	1.05			3	29	7
	1996-97	30	—	30	1.20	0.00	1.20	0.57	0.00	0.57	12	12	90
पांडिचेरी	1994-95	1221	527	—				4.72			356	138	183
	1995-96	1563	555	40				3.10			625	142	9
	1996-97	1293	425	2				1.16	0.97	0.00	—	—	16
अखिल भारत	1994-95	2215421	753170	350125	2739.56	693.42	911.48	9517.07			281874	126978	592026
	1995-96	2089400	705132	308696	3465.27	970.42	1030.04	8958.25			301651	139867	697088
	1996-97	1923525	638686	252088	1892.02	587.31	464.87	2591.59	987.89	452.51	199668	94043	580434

सृजित श्रम दिवस के आंकड़े लाखों में हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सहायता के लिए मानदण्ड

*115. **श्री बृज भूषण तिवारी : क्या योजना और कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में निर्धारित मानदंडों में संशोधन करने अथवा उन्हें बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्तावित संशोधन मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संशोधित मानदंड कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है और विकास की दृष्टि से किन राज्यों को पिछड़ा घोषित किया गया है तथा इससे ये राज्य किस तरह से लाभान्वित होगें ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) राज्य योजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का आवंटन 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर राज्यों को किया जा रहा है। वार्षिक योजना 1997-98 को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य मंत्रियों के बीच चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने इस फार्मूले में आगे संशोधन का सुझाव दिया है। तद्नुसार, योजना आयोग ने इस मामले पर अपने सुविचारित दृष्टिकोण/टिप्पणियां भेजने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया हे। योजना आयोग राज्यों से यह टिप्पणियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। ये सभी टिप्पणियां प्राप्त होने पर मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने विचारार्थ रखा जाएगा।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों पर आयात-निर्यात संबंधी प्रतिबंध

*116. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रूस से दो लाइन वाटर रिएक्टर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा इस सौदे के बारे में व्यक्त किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र तथा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड पर आयात-निर्यात संबंधी रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका के साथ उठाया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में स्थापित किए जाने वाले 2x1000 मेगावाट वाले वी०वी०ई०आर० किस्म के हल्का पानी परमाणु रिएक्टर के बिजलीघरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को कमीशन करने के प्रस्ताव पर इस समय बातचीत चल रही है।

(ख) मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका रूसी परिसंघ को इस परियोजना के काम को आगे बढ़ाने से रोकने का प्रयास इस वजह से कर रहा है क्योंकि भारत ने परमाणु अ-प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई०ए०ई०ए०) के संपूर्ण सुरक्षोपायों को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में इस आशय की रिपोर्टें आई हैं कि संयुक्त अमरीका की सरकार के वाणिज्य विभाग ने संवर्धित प्रसार नियंत्रण उपक्रम (ई०पी०सी०आई०) के एक भाग के रूप में हाल ही में, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को ऐसे संगठनों में शामिल किया है जिनके मामले में अब निर्यात के बारे में नौंगरण की अनुमति देने से पहले जांच की जानी आवश्यक होगी।

(ङ) संवर्धित निर्यात नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए भारतीय संगठनों के मामले को संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकररियों के साथ उठाया गया है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति

*117. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को बीड़ी श्रमिकों के वेतन के साथ जोड़ दिए जाने के कारण बीड़ी निर्माता अन्य राज्यों में अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि वहां बीड़ी श्रमिकों का वेतन कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति लागू करने का है;

(ग) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में वेतन की क्या तुलनात्मक दरें निर्धारित की गयी हैं;

(घ) क्या आजकल छोटी सिगरेटों के उत्पादन के कारण बीड़ी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) बीड़ी विनिर्याताओं द्वारा उड़ीसा राज्य से व्यवसाय को हटाए जाने (शिफ्ट किए जाने) के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में बीड़ी कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के संबंध में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं विवरण से यह पता चलेगा कि उड़ीसा में अकुशल बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अन्य राज्यों की मजदूरी की तरह ही है।

सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि 60 मि०मी० से कम लम्बाई वाली छोटी सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क का निम्न स्तर होने के कारण बीड़ी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। छोटी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क कम किए जाने के बावजूद बीड़ी उत्पादन में कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ हैं तथापि, ऐसी सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क को वर्ष 1994-95 से 60/- रुपए प्रति हजार के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 1997-98 के लिए 90/- रुपए प्रति हजार कर दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीड़ी कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मजूदरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत यथा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें

24.7.1997 को संकलित

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	न्यूनतम मजूदरी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश*	16.70 रु० से 18.65 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (जोन और बीड़ी की किस्म के अनुसार) (19.8.96)
2.	असम*	38.20 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (1.12.95)
3.	बिहार	30.50 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (29.12.95)
4.	दादर नगर हवेली	50.00 रु० प्रतिदिन (18.5.95)
5.	गुजरात*	41.75 रु० और 42.10 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (जोन के अनुसार) (1.4.96)
6.	कर्नाटक*	43.32 रु० प्रतिदिन (31.3.96)
7.	केरल*	51.90 रु० से 56.10 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (1.1.97)
8.	मध्य प्रदेश*	32.42 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (1.4.97)
9.	महाराष्ट्र*	33.20 रु० प्रतिदिन और 20.20 प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (1.1.97)
10.	उड़ीसा*	30.00 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (15.8.96)
11.	राजस्थान	27.10 और 32.00 रु० प्रति एक हजार बीड़ी बीड़ियों के आकार के आधार पर (1.1.95)
12.	तमिलनाडु*	37.85 रु० और 38.05 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (आकार के अनुसार) (21.7.95)
13.	त्रिपुरा*	29.00 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (4.8.95)
14.	उत्तर प्रदेश	35.00 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (31.1.94)
15.	प० बंगाल*	55.31 रु० से 64.51 रु० प्रति एक हजार बीड़ी (जोन के अनुसार) (1.3.97)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े मजदूरी या मंहगाई भत्ते में संशोधन की पिछली तिथि दर्शाते हैं।

* दर्शाता है कि बीड़ी बनाने के रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के भाग के रूप में परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान विद्यमान हैं।

अस्पतालों के लिए विश्व बैंक/ यूनीसेफ से ऋण

***118. श्री गोरधनभाई जावीया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अस्पतालों की स्थिति में सुधार और उनके विकास के लिए विश्व बैंक तथा यूनीसेफ से कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त ऋण का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अन्तर्गत अस्पतालों के सुधार और विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा

सहायता प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के चरण-I के अंतर्गत शामिल किए जाने वाला प्रथम राज्य आन्ध्र प्रदेश था। (आन्ध्र प्रदेश प्रथम रेलफरल स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना) जिसका कार्यान्वय मई, 1995 से किया जा रहा है। परियोजना के चरण-II के अन्तर्गत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब को शामिल किया गया था और इस राज्य में इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन 27 जून, 1996 से किया जा रहा है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मामले में इन परियोजनाओं की अवधि 5 वर्ष और आन्ध्र प्रदेश के मामले में 6 वर्ष है।

इस परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में (i) मृत्यु-दर और रूग्णता-दर घटाकर परियोजना राज्यों के लोगों, विशेष तौर से निर्धनों और अल्पसेवितों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और (ii) तृतीयक सुविधाओं वाले केन्द्रों पर अत्याधिक भीड़-भाड़ कम करने की दृष्टि से उन्हें पर्याप्त रूप से सुदृढ़ और सामुदायिक स्तर से जिला स्तर तक चिकित्सा परिचर्या के लिए उपयुक्त सम्बद्धता की व्यवस्था करके द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सक्षमता और प्रभावकारिता में सुधार करना शामिल है।

4 राज्यों में प्रत्येक राज्य की परियोजना लागत इस प्रकार है :–

		(करोड़ रुपये में)
(i)	आन्ध्र प्रदेश	608.00
(ii)	कर्नाटक	546.00
(iii)	पश्चिम बंगाल	698.00
(iv)	पंजाब	425.00
	योग	2277.00

यह परियोजना मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने, उपकरण और फर्नीचर की व्यवस्था, वाहनों, चिकित्सीय और प्रयोगशाला आपूर्तियों, प्रबंध सूचना प्रणाली (एम०आई०एस०)/सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई० ई०सी०) संबंधी आपूर्तियों, व्यावसायिक सेवाओं, प्रशिक्षण और घटते आधार पर वेतनों की वृद्धि और लागतों के लिए वित्त पोषण करेगी यद्यपि निर्माण कार्य संघटक में किसी नये अस्पताल के निर्माण की व्यवस्था नहीं है, फिर भी इसमें जिला और सामुदायिक स्तर के अस्पतालों के मौजूदा भवनों के बड़े अथवा छोटे पैमाने पर मरम्मत (रेनीवेशन) और विस्तार कार्य शामिल हैं।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम के प्रारंभ से 4 परियोजना राज्यों में खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :–

		व्यय (करोड़ रुपये में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.99	(30.6.97 तक)
2.	कर्नाटक	34.25	(30.6.97 तक)
3.	पंजाब	1.75	(30.6.97 तक)
4.	पश्चिम बंगाल	21.92	(31.3.97 तक)

यूनिसेफ अपने सहायता कार्यक्रमों में किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पतालों के सुधार और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

साधन सम्पन्न ब्लड बैंक

*119. **श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स फैलने का एक प्रमुख कारण एच०आई० वी० संक्रमित रक्त का चढ़ाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अधिकांश ब्लड बैंकों के पास जमा किए गए रक्त के नमूने, दान में दिए गए रक्त तथा रोगी को चढ़ाये जाने वाले रक्त में मौजूद एच०आई०वी० का पता लगाने के पूरे साधान अभी भी नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में से ऐसे ब्लड बैंकों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार देश में कुल रोगियों में से केवल लगभग 6-8 प्रतिशत में रक्त और रक्त उत्पादों के आधान से ह्यूमन इम्यूनी डेफिसिएंसी वाइरस (एच०आई०वी०) संचरण है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में सभी रक्त बैंकों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना होता है। नियमों के अन्तर्गत रक्त में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वाइरस (एच०आई०वी०) की अनिवार्य रूप से जांच किए जाने की व्यवस्था हैं देश के सभी रक्त बैंकों में या तो अपनी एच०आई०वी० परीक्षण सुविधाएं हैं अथवा वे रक्त में एच०आई०वी० की जांच के लिए आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध हैं।

गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

*120. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अप्रैल, 1997 में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार, इसरायल के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर देने, फिलिस्तीन के संबंध में विशेष घोषणा पत्र स्वीकार करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिये गये थे,

(ख) यदि हां, तो गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में लिए गए कितने निर्णयों को अब तक लागू कर दिया गया है और इनमें से कितनों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन के प्रस्तावों को पूर्णतः लागू किया जाए;

(घ) क्या रूस ने गुट निरपेक्ष देशों के समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊपर बताए गए मसलों के अलावा नाम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने एक अन्तिम दस्तावेज पारित किया जिसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन का सिद्धान्त प्रतिपादन और अन्य मसलों के साथ-साथ शान्ति तथा सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विकास, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, मानवाधिकार दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर व्यापक सिफारिशों का उल्लेख शामिल है।

नाम की बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत अथवा सामुहिक तौर पर इस आन्दोलन के सदस्यों का है और यह एक सतत प्रक्रिया का अंग है। सरकार अन्य सदस्य राज्यों से सम्पर्क बनाए हुए है। सितम्बर, 1997 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52वें सत्र में नाम विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।

(घ) और (ङ) रूस ने नाम में शामिल होने के बारे में कोई रूचि नहीं दिखाई है।

नगरपालिकाओं के लिए चुनाव

1135. श्री राम नाईक : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के "अनुसूचित क्षेत्रों" में 10 नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हेतु एक उपयुक्त संकल्प पारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने बावत महाराष्ट्र ने इस मंत्रालय से एक संसदीय कानून बनाने का अनुरोध किया है।

(ग) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए एक संसदीय कानून बनाने बावत केन्द्र सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। एक मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया गया है तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार मांगे गए हैं

डी०डी०ए० फ्लैट

1136. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **शहरी कार्य रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० ने सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई "प्राथमिकता" आवंटन योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्त किए गये;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई फ्लैट आवंटित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त योजना के अंतर्गत फ्लैट आवंटित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (घ) जी, हां। जैसा कि डी०डी०ए० ने बताया है नई पद्धति पंजीकरण योजना 1979 और अम्बेडकर आवास योजना 1989 की मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत सेवा-निवृत्त/सेवा निवर्तमान सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता आवंटन देने के लिए 1.3.1997 से 31.3.1997 के दौरान एक योजना चलाई गई थी। 1.1.95 के बाद सेवा-निवृत्त हो चुके या 31.12.97 से पहले सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र थे।

(ग) सेवा-निवृत्त/सेवा-निवर्तमान सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता आवंटन योजना के अंतर्गत 240 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(घ) और (ङ) 8.7.1997 को निकाले गए ड्रा में 202 पात्र आवेदकों को फ्लैटों (मध्यम आय वर्ग के 152 और निम्न आय वर्ग के 50) का आवंटन किया गया है। शेष आवेदक अपात्र पाए गए।

नगरपालिकाओं का गठन

1137. श्री गिरिधर गमांग : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पांचवीं और छठी अनूसूची में उल्लिखित शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु कोई अलग और विशेष योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) राज्यों द्वारा पांचवीं और छठी अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों यदि कोई हो, की नगरपालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों के लिए

प्लान और योजनाएं तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों में कस्बों को स्वीकृति देते समय कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) अनुच्छेद 243 जेड सी के अनुसार, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनूसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। तथापि उक्त अधिनियम पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए एक विधेयक संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक छठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों का संबंध है, इन क्षेत्रों में छठीं अनुसूची के मौजूदा प्रावधानों के तहत पहले ही से स्थानीय शासन प्रणाली विद्यमान है।

प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा गुजरात के अनुसूचित क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। अन्य राज्यों के में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) अनूसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के लिए प्लान तथा योजनाएं तैयार करना राज्य का विषय है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई राज्य द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(घ) राज्य का विषय होने के कारण, इस संबंध में इस मंत्रालय ने कोई प्राथमिकता नहीं दी है।

विवरण

अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के ब्यौरे

राज्य का नाम	जिले का नाम	नगरपालिका का नाम
1	2	3
महाराष्ट्र	थाणे	दहनू
		जौहार
		शाहपुर
		वाड़ा
	नासिक	इगतपुरी
		त्रिम्बक
	धूले	नवापुर
		तलोडा
		नन्दरबार
	नादेड	किन्वट
	अमरावती	चिरखालदरा
	यवतमाल	पंडारकवाड़ा
उड़ीसा	मयूरभंज	बारीपाड़ा
		रैरंगपुर
		उदाला
		कारंजिया
	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़
		राजगंगापुर
		बीरामित्रपुर
		राउरकेला
		जेजोर
	कोरापट	कोरापट
		सुनाबेदा
		कोटपाड़
	संबलपुर	कुचिंदा
	किओंझार	किओंझार
		बारबिल
	गंजाम	सोरोदा
	बालासोर	नीलगिरी
	फूलबनी	जी० उदयगिरी
गुजरात	पंचमहल	दाहोड़
		हलोल
		देवगढ़बरिया
		जालोड़
		संतरामपुर
	सावरकाथा	खेदभरामा
	सूरत	बयारा
		बारडोली
		सोनगढ़
	बडोदरा	छोटा उदयपुर
	वलसाद	पारदी
		धरमपुर

हेपाटाइटिस-बी

1138. श्री के०पी० नायडू :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के 50 लाख व्यक्तियों सहित देश मे लगभग 4 करोड़ 50 लाख व्यक्ति हेपाटाइटिस-बी वाइरस के शिकार हैं; जो एड्स से सौ गुना अधिक संक्रामक है;

(ख) क्या यह बात हाल ही में हैदराबाद में हेपाटाइटिस-बी के प्रतिरक्षण के संबंध में आयोजित सम्मेलन में आम राय बनाकर उभरी है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय आंध्र प्रदेश में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए टीके के उपयोग पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिरक्षण के इस कार्यक्रम को कब तक आरंभ करने की संभावना है; और

(ङ) हेपाइटिस-बी वाइरस को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) हैपाटाइटिस-बी की व्याप्तता पर उपलब्ध सीमित आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि सामान्य जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत इस वायरस का वाहक है।

यद्यपि इस कथन का समर्थन करना मुश्किल है कि "हैपाटाइटिस-बी वायरस एड्स से 100 गुणा अधिक संक्रामक है", हैपाटाइटिस-बी वायरस एड्स वायरस की अपेक्षा अधिक संक्रमण क्षमता वाला समझा जाता है क्योंकि हैपाटाइटिस-वी वायरस काफी अधिक समय तक रहता है।

(ग) और (घ) यदि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय को अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो हैपाटाइटिस-बी के लिए प्रतिरक्षण टीकाकरण शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ङ) 1. रक्ताधान के पहले हैपाटाइटिस-बी वायरस के लिए सभी रक्तदानों की जांच करना अनिवार्य है।

2. राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को उपचारात्मक उपाए करना तथा अस्पताल कार्मिकों को प्रतिरक्षित करने की सलाह दी गई है।

3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। दोनों रोगों के संचरण का माध्यम एक जैसा है।

4. व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक टीके के लिए अलग सिरिंज और अलग सूई का प्रावधान।

5. केन्द्रीय सराकरी अस्पतालों के अस्पताली कार्यकर्ताओं को हैपाटाइटिस-बी से प्रतिरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

6. प्रत्येक इंजेक्शन के लिए विसंक्रमित एक अलग सिरिंज व सूई के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7. स्वास्थ्य शिक्षा।

पासपोर्ट कलैक्शन सैन्टर्स

1139. श्री बादल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में पासपोर्ट कलैक्शन सेन्टर्स खोलने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र की उन राज्य की राजधानियों का ब्यौरा क्या है जहां कलैक्शन केन्द्रों द्वारा कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) जी हां। छह पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में (असम को छोड़कर जहां पहले से ही पासपोर्ट कार्यालय है (पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा की सरकारें ने पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित कर दिया है तथा कार्मिक तैनात कर दिए हैं। संग्रहण केन्द्रों को खोलने से पहले उसमें तैनात किए गए कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी तथा पासपोर्ट कार्यालय कलकत्ता मे बुलाया गया है। मणिपुर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

बोफोर्स दलाली

1140. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो बोफोर्स दलाली मामले में कुछ नौकर शाहों को दंडित करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन नौकर शाहों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा विलम्ब करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई विधि के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी तथा इस स्तर पर रिपोर्ट के ब्यौरे प्रकट करने से, विधि के अन्तर्गत यथा-उपबन्धित आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

हुसैन सागर झील हेतु अनुदान

1141. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में बुरी तरह प्रदूषित हुसैन सागर झील की सफाई तथा संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस झील की सफाई के लिए केन्द्र से अनुदान देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस हेतु योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को कितना धन दिये जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) योजन आयोग ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शत-प्रतिशत केन्द्र रूप से प्रायोजित स्कीम "नेशनल लेक कन्सर्वेशन प्रोग्राम" शुरू करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन कर दिया है। हैदराबाद में हुसैन सागर झील के भी इस योजना के एक भाग के रूप में कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए मुहैया कराई जाने वाली राशि मंत्रालय द्वारा विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

यह सूचित करना संगत हो सकता है कि 257.06 करोड़ रुपये की लागत वाली चालू विश्व-बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना "हैदराबाद वाटर सप्लाई एण्ड सेनिटेशन परियोजना-I" के अंतर्गत 44.82 करोड़ रुपये की लागत का एक सफाई व्यवस्था घटक भी है सफाई व्यवस्था घटक के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की निम्नलिखित मद भी शामिल की गई हैं :

(I) हुसैन सागर झील में जाने वाले गन्दे पानी को झील से दूर खुले नाले के माध्यम से लेक के सीवर अनुप्रवाह में डालने के लिए दूसरी ओर से जाने के संबंध में दूसरा सीवर डाल कर हुसैन सागर झील का बचाव।

जम्मू कश्मीर के लिये आर्थिक पैकेज

1142. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू कश्मीर के लिये आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में कितने व्यक्तियों को ऋण भुगतान से छूट दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और इससे राजकोष पर कितना भार पड़ा है;

(ग) क्या कृषि ऋण भी माफ किये गये हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पहले 1989 में भी 10,000 रुपये तक की ऋण माफ कर दिये गये थे तथा यदि हां, तो इससे जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और इसमें शामिल कुल रकम कितनी थी;

(ङ) क्या 10,000 रुपये तक के ऋण की माफी की घोषणा हो जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और इसके फलस्वरूप कर्ज देने वाली एजेंसियों ने अदालत में अनेक मुकदमे दायर किये; और

(च) यदि हां, तो न्यायालय के अन्दर और इसके बाहर ऐसे कितने मुकदमें लम्बित पड़े हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 1996 को संसद के दोनों सदनों में की गई घोषणा के अनुसरण में आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में, जम्मू व कश्मीर के उन ऋण लेने वालों, जिनकी पर्यटन, परिवहन, लघु उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र में मूल ऋण राशि 50,000/-रु० तक या इससे कम थी, के लिए एक ऋण राहत योजना, दावों का विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए, सभी वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में परिचालित की गई हैं इन संस्थानों द्वारा दावों का, राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन करने हेतु, राज्य वित्त विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.1997 है। लाभार्थियों की ठीक-ठीक संख्या तथा इसकी वित्तीय जटिलताओं का पता, राज्य स्तरीय समिति द्वारा इन दावों का अनुमोदन कर देने के बाद ही चलेगा। इस ऋण राहत योजना के अधीन कृषि संबंधी ऋण नहीं जाते हैं क्योंकि इसे आर्थिक पैकेज में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(घ) से (च) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 जम्मू व कश्मीर राज्य सहित समूचे देश में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि ऋणों पर लागू थी। इस योजना के अधीन जम्मू व कश्मीर राज्य में 40.78 करोड़ रुपये की राशि 33,721 लाभार्थियों को राहत के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। कृषि संबंधी ऋणों को माफ करने संबंधी कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पुष्पविहार में जलापूर्ति

1143. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की पुष्प विहार कालोनी के सभी सेक्टरों में जल की आपूर्ति समान रूप से की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य क्वार्टरों की तुलना में केन्द्रीय लोक निर्माण के विभागीय पूल क्वार्टरों में अधिक समय तक जल की आपूर्ति की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या क्वार्टरों के देखरेख संबंधी अन्य कार्यों को करने में भी भेदभाव किया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। पुष्प विहार में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली इस ढंग से बनाई गई है ताकि कालोनी के विभिन्न सेक्टरों के क्वाटरों में समान जल आपूर्ति मुहैया कराई जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र

1144. डा० बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक पासपोर्ट जारी करने के लिए जितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनका पासपोर्ट कार्यालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया;

(ग) कितने आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से अस्वीकृति किए गए; और

(घ) कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए तथा बाकी बचे मामलों में कब तक पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) पासपोर्ट कार्यालय आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें अस्वीकार नहीं करता।

(घ) 01 जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक कुल 9,68,848 पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

पासपोर्ट जारी करने में औसतन 35 से 40 दिन लगते हैं। अधूरे भरे गए आवेदन-पत्रों, अस्पष्ट तथा अधूरी पुलिस रिपोर्ट, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में असंगतता जैसे कमियों के कारण लम्बित आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जाती है और कमियों के दूर होते ही पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	कार्यालय	30.6.97 के अनुसार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	30.6.97 के अनुसार निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या
1.	अहमदाबाद	73794	11264
2.	बंगलौर	47659	45587
3.	बरेली	23148	20941
4.	भोपाल	11705	11837
5.	भुवनेश्वर	4654	3909
6.	कलकत्ता	37704	33253
7.	चण्डीगढ़	49756	49563
8.	चेन्नई	75203	63097
9.	कोचीन	51607	49212
10.	दिल्ली	105580	84340
11.	गोवा	8833	7601
12.	गुवाहटी	5108	5324
13.	हैदराबाद	109902	107666
14.	जयपुर	27017	27613
15.	जालन्धर	52343	42176
16.	कोजीकोड	69205	68878
17.	लखनऊ	52384	57649
18.	मुम्बई	137650	122594
19.	नागपुर	6450	6248
20.	पटना	30167	23110
21.	त्रिची	101982	78088
22.	त्रिवेन्द्रम	45637	42873
23.	जम्मू	6553	6025
		1134041	968848

[अनुवाद]

फ्री होल्ड में बदलना

1145. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री फ्री होल्ड में बदलने के बारे में 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2661 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1993 तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डी०डी०ए० फ्लैटों के लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के उद्देश्य से डी०डी०ए० फ्लैट के आवंटियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से डी०डी०ए० द्वारा कितने आवेदन पत्र निपटाये गये है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मूत्राशय में संक्रमण

1146. डा० गिरिजा व्यास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में 50 प्रतिशत महिलाओं को मूत्राशय का संक्रमण हो जाता है जिसके निरंतर रहने पर गुर्दा कार्य करना बंद कर देता है;

(ख) क्या अविवेकपूर्ण तरीके से पीड़ाहारी दवाइयों के इस्तेमाल से उच्च रक्तचाप और मूत्राशय के संक्रमण के अतिरिक्त गुर्दा कार्य करना बंद कर देता है; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग को रोकने तथा इस संक्रमण के शीघ्र निदान के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) विभिन्न आयु समूहों को महिलाओं में मूत्राश्य संक्रमण की व्यापकता भिन्न-भिन्न होती है और बार-बार होने वाला मूत्राशय संक्रमण यदि निरंतर बना रहे तो इससे गुर्दा कार्य करना बंद कर देता है।

(ख) उपलब्ध सूचनानुसार, कुछेक पीड़ाहारी दवाइयों अथवा उनके मिश्रणों का लंबी अवधि तक अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने से गुर्दा कार्य करना बंद कर सकता है और उच्च रक्तचाप हो सकता है, परन्तु मूत्राशय संक्रमण नहीं होता।

(ग) प्रारंभिक स्वच्छता और शुरू में रोग के आरंभिक लक्षणों की रोकथाम करने संबंधी सलाह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए दी जाती है।

भूमि का आवंटन

1147. श्री शिबू सोरेन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी ब्लाक विकासपुरी में डी०डी०ए० शापिंग सेंटर के पास 400 वर्ग गज का एक भूखंड केवल कम्यूनिटी तथा पुस्तकालय बनाने के लिए सुरक्षित रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुस्तकालय एवं कम्यूनिटी सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां। जैसा कि डी०डी०ए० ने बताया है डी०डी०ए० सुधार विपणन केन्द्र, ब्लॉक बी, विकासपुरी में एक सामुदायिक हॉल/लाइब्रेरी के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(ख) सामुदायिक हॉल/लाइब्रेरी का परिधि क्षेत्र (एनवलप एरिया) 180 वर्गमीटर है तथा दोनों तलों का कुल आच्छादित क्षेत्र 360 वर्गमीटर होने का वास्तव है।

(ग) और (घ) डी०डी०ए० अब सामुदायिक केन्द्र सह लाइब्रेरी के निर्माण का काम नहीं लेता।

चिकित्सकों के रिक्त पद

1148. श्री ए०जी०एस० रामबाबू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से अस्पताल-वार रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए चिकित्सकों की भर्ती करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए गए अस्पताल-वार ब्यौरे के अनुसार दिल्ली के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों तथा जिपमेर, पांडिचेरी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के 714 पदों में से 124 पद (17.36 प्रतिशत) खाली पड़े हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन एवं अध्यापनेत्तर उप संवर्गों के पदों के भरने की मांग संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। जिसने अधिकांश सभी पदों को विज्ञापित कर दिया है और उनके द्वारा इस संबंध में जल्दी ही साक्षात्कार लिए जाने हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 1996 के नतीजों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किए उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं, जिन्हें शुरू कर दिया गया है, पूरा कर लेने के बाद नियुक्त कर दिया जाएगा।

विवरण

	विशेषता का नाम	खाली पदों की संख्या
	1	2
	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	शल्य चिकित्सक	2
2.	मनो विकार विज्ञानी	1
3.	चर्म रोग विशेषज्ञ	1
4.	सूक्ष्म जीवाणु विज्ञानी	1
5.	विकिरण निदान विशेषज्ञ	4
6.	तंत्रिका विज्ञानी	1
7.	हृदय रोग विज्ञानी	3
8.	अंतः स्राविकी विज्ञानी	2
9.	जठरांत्र रोग विज्ञानी	2
10.	प्लास्टिक शल्य चिकित्सक	16
11.	बाल शल्य चिकित्सक	1
12.	वृक्क विज्ञानी	2
13.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	16
14.	यूरोलॉजिस्ट	1
15.	कैंसर शल्य चिकित्सक	—
16.	कार्डियोथोरेसिक सर्जन	1
17.	चिकित्सक (न्यूक्लीयर चिकित्सा)	1
18.	रूधिर विज्ञानी	1
19.	विधि चिकित्सा विशेषज्ञ	1
20.	चिकित्सक (वक्ष एवं श्वसन रोग)	—
21.	सहायक निदेशक	1
22.	विकृति विज्ञानी	1
23.	विकिरण निदानी	1
	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	शल्य चिकित्सक	1
2.	विकृति विज्ञानी	1
3.	संवेदनाहरक	1
4.	आर्थो सर्जन	1
5.	सूक्ष्म जीवाणु विज्ञानी	2
	1	2
6.	विकिरण निदान विशेषज्ञ	2
7.	तंत्रिका विज्ञानी	1
8.	हृदय रोग विज्ञानी	4
9.	अन्तः स्राविकी विज्ञानी	1
10.	जठरांत्र रोग विज्ञानी	2
11.	प्लास्टिक शल्य चिकित्सक	4
12.	बाल शल्य चिकित्सक	1
13.	वृक्क विज्ञानी	2
14.	यूरोलॉजिस्ट	2
15.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	16
	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	शारीर रचना विज्ञान	1
2.	मेडिसिन	1
3.	बाल शल्य चिकित्सा	2
4.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	1
	जिपमेर, पांडिचेरी	
1.	तंत्रिका विज्ञान	1
2.	आर्थो सर्जन	2
3.	प्लास्टिक सर्जरी	1
4.	नेत्र विज्ञान	2
5.	विकिरण निदान	2
6.	यूरोलॉजी	1
7.	अन्तः स्राविक विज्ञान	2
8.	हृदय रोग विज्ञान	2
9.	टी०बी० व सी०टी०	2
10.	थोरेसिक सर्जरी	2
	कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	
1.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	1
	कुल	124

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्ति

1149. श्री भक्त चरण दास : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से 31,000 पंजीकृत व्यक्ति अभी भी मात्र एक फ्लैट आवंटन के लिए इंतजार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न श्रेणियों के लगभग 14,539 फ्लैट बुनियादी सुविधाओं में कमी के कारण आवंटित नहीं किये जा सके;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) डी०डी०ए० ने बताया है कि नई पद्धति पंजीकरण योजना-1979, अम्बेडकर आवास योजना-1989 और जनता आवास पंजीकरण योजना-1996 के अंतर्गत अभी तक 53,645 पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए जाने हैं।

(ख) बकाया मांग को पूरा न किये जा सकने के मुख्य कारण इस प्रकार है :–

(i) नई पद्धति पंजीकरण योजना (एन०पी०आर०एस०)-1979 के अंतर्गत पंजीकृत व्यकितयों की संख्या बहुत अधिक अर्थात् 1,71,272 थी।

(ii) दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा बाहरी विद्युतीकरण के कार्य में विलंब।

(iii) स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति एवं मल-जल निकास सुविधाएं देने में विलंब।

(iv) भूमि की उपलब्धता में अड़चने आना।

(v) भवन-निर्माण सामग्रियों में यदाकदा कमी आना।

(ग) विभिन्न श्रेणियों के 16,952 फ्लैटों का निर्माण किया गया है किंतु बिजली के अभाव में ये फ्लैट खाली पड़े है। इसमें से आधे से अधिक फ्लैट डी०डी०ए० ने, दिल्ली विद्युत बोर्ड से बिजली जैसी आधारिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की लक्ष्य तारीख प्राप्त करने के बाद आवंटित किए हैं।

(घ) फ्लैट का मूल्य, लागत को अद्यतन करने के बाद मांग-एवं-आवंटन पत्र जारी होने की तारीख को आधार मानकर लिया जाता है। प्राधिकरण को सामान्यतः कोई वित्तीय हानि नहीं है। डी०डी०ए० ने अब निर्णय लिया है कि भविष्य में फ्लैटों में सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद ही मांग-एवं-आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।

(ङ) इन फ्लैटों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए डी०डी०ए० सभी संबंधित एजेंसियों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करता है। डी०डी०ए० के पूरी तरह निर्मित फ्लैटों/कालोनियों के बुनियादी सुख-सुविधाएं और अवस्थापना की सुविधाएं देने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 21.4.97 को सभी संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

विदेशों में विद्यार्थी

1150. श्री सुशील चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय विद्यार्थी मेडिकल अध्ययन के लिए विदेश गए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात् भारत लौट आये हैं तथा रूस, यूक्रेन और अन्य देशों के मेडिकल महाविद्यालयों में अभी तक कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं; और

(ग) इन देशों में अध्ययनरत विद्यार्थियों अथवा चिकित्सा-डिग्री धारकों की नियती उस स्थिति में क्या होगी यदि यहां से ली गई डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रूस में लगभग 2550 से 3000 भारतीय छात्र हैं।

(ग) रूस और अन्य सी०आई०एस० देशों में 29 संस्थाओं की चिकित्सीय अर्हताएं मान्यताप्राप्त अर्हताएं हैं। 29 संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल किया गया है, विवरण में दी गई हैं। जिन छात्रों ने इस प्रकार की अर्हताएं प्राप्त की हैं, वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकरण करवाने के पात्र हैं।

विवरण

पूर्ववर्ती यू०एस०एस०आर० में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं की सूची

1. पैट्रिस ल्यूमंबा फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को, यू०एस०एस०आर०
2. फर्स्ट मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
3. फर्स्ट लेनिनगड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
4. क्रिम्सा मेडिकल इंस्टीट्यूट इन सिम्फरोपोल, यू०एस०एस०आर०
5. वाइटबैक मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
6. वोल्गोग्राद मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
7. रोस्तोव मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
8. स्टेवरोपोल मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०

9. केलिनिन मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
10. कुबान मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
11. इर्कुत्स्क मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
12. वोरिशी लोवर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
13. दोनेत्स्क मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
14. जापोरेझाय मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
15. ल-वोव मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
16. विनित्सा मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
17. मिन्क्स मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
18. ओडेसा मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
19. ताशकंत मेडिकल इंर्स्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
20. तेदजिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
21. अल्मा-आटा मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
22. वीवान मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
23. खरकोव मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
24. आज़ारबजन मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
25. स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कीव
26. सेकंड मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
27. मास्को मेडिकल स्टोमेटोलॉजीकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
28. लेनिनग्राद सेनिटरी हाइजीनिक इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०
29. देजेस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट, यू०एस०एस०आर०

[हिन्दी]

गुजरात के लिए अतिरिक्त धन

1151. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीप वर्षों के दौरान गुजरात द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गयी;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वास्तव में कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में पूरी सहायता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मांगी गयी अतिरिक्त सहायता प्रदान कर दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) (i) गुजरात की योजना के लिए राज्य सरकार से वर्ष 1994.95 के लिए 82.77 लाख रुपये की कुल राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यह स्कीमें पिगट (पी०आई०जी०यू०टी०) सिंचाई स्कीम (8.74 लाख रुपये) और बलदेव सिंचाई स्कीम (74.03 लाख रुपये) थीं। यह धनराशि पूरी तरह से आवंटित कर दी गयी थी।

(ii) मद्य निषेध नीति के कारण राजस्व की क्षति पूर्ति के लिए 640 करोड़ रुपये के लिए वर्ष 1995-96 में अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर स्वीकृति नहीं दी गयी क्योंकि भारत सरकार के पास उन राज्यों को विशेष सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है जिन्होंने मद्य निषेध अपनाया है। इस संबंध में टी०एफ०सी० द्वारा अपनायी गयी प्रणाली के विषय में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था।

(iii) राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 440 करोड़ रुपये की मांग की थी ताकि सरदार सरोवर परियोजना के प्राधिकारी टर्बो जेनेरेटर सेट प्राप्त कर सकें। भारत सरकार ने इस संबंध में परियोजना को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं देने का निर्णय लिया था।

(घ) से (च) चालू वर्ष के दौरान योजना स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु कोई अनुरोध नहीं था। परन्तु बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए 664.33 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया है। राहत और पुनर्वास के लिए अपेक्षित क्षतिपूर्ति और सहायता की राशि का आंकलन करने से संबंधित केन्द्रीय जल की रिपोर्ट मिलने तक 27.62 करोड़ रुपये के केन्द्रीय राहत नीधि के केन्द्रीय हिससे की तीसरी तिमाही किस्त भी राज्य सरकार को दी गयी थी।

[अनुवाद]

डिग्रियों की बिक्री

1152. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा डिग्रियों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में खुले आम बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या इन डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के जारी रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अधिरक्तस्राव

1153. श्री जयसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष अधिरक्तस्राव से अनुमानतः कितने लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) देश में स्थानवार उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जहां इस बीमारी को रोकने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस बीमारी से पीड़ित अब तक कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस बीमारी को रोकने में लगे स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस बीमारी के उन्मूलन के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) हीमोफीलिया आमतौर पर घातक रोग नहीं है। फिर भी इस रोग के लिए कोई केन्द्रीयकृत राज्यवार रजिस्ट्री नहीं है।

(ख) हीमोफीलिया के उपचार के लिए कोई विशिष्ट केन्द्र नहीं है। इस रोग से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए मुख्यतः रक्त और रक्त घटकों के आधान का सहारा लिया जाता है। इस समय रक्त बैंक रक्ताधान के लिए रक्त प्रदान कर सकते हैं। कुछेक केन्द्र जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली), क्रिश्चियन मेडिकल कालेज (वेल्लूर), के०ई०एम० अस्पताल (मुंबई) आदि क्रियोप्रेसिपिटेट्स प्रदान कर रहे हैं।

(ग) हीमोफीलिया के लिए अलग से कोई निधियां प्रदान नहीं की जातीं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) द् हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने, रोगियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान करने, उपचार कार्य आदि में लगे कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्यशालाओं के आयोजन में सहयोग दिया जा रहा है।

(छ) चूंकि यह एक्स संबद्ध वंशागति वाला एक आनुवांशिक रोग है इसलिए हीमोफीलिक बच्चों के जन्म पर नियंत्रण रखने हेतु आनुवांशिक परामर्श/प्रसवपूर्व निदान ही प्रमुख तरीके हैं।

[अनुवाद]

संस्थानों की मान्यता रद्द करना

1154. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०ओ०ई० की ग्रुप 'ए' व 'बी' की कतिपय मान्य प्राप्त संस्थाओं की मान्यता रद्द करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता (डी०ओ०ई०ए०सी०सी०) योजना के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों को आरम्भतः एक निश्चित अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता दी जाती है जो डी०ओ०ई०ए०सी०सी० योजना में निर्धारित शिक्षक-वर्ग, स्थान, पुस्तकालय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित नियमों एवं मानदण्डों के अनुपालन पर निर्भर करती हैं चार स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता दी जाती है, अर्थात्

"ओ" स्तर – आधारभूत स्तर

"ए" स्तर – उन्नत डिप्लोमा स्तर

"बी" स्तर – एम०सी०ए० स्तर

"सी" स्तर – एम० टेक स्तर

2. अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान किए गये संस्थानों को योजना में निर्धारित कुछ निश्चित निष्पादन स्तरों को प्राप्त करना होता हैं अनन्तिम मान्यता को पूर्ण मान्यता में परिवर्तित करना, या अनन्तिम मान्यता की अवधि को बढ़ाना या उसे वापस लेना एक निरन्तर प्रक्रिया है; जो संस्था के कार्यनिष्पादन से संबंधित हैं, जिसकी जांच संस्था से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के परिणाम से की जाती है।

3. जहां तक "ए" स्तर का संबंध है, कार्यनिष्पादन के मानदण्डों को पूरा नहीं कर पाने के कारण 20 संस्थानों की मान्यता वापस ले ली गई है।

4. "बी" स्तर के किसी भी संस्थान की अनन्तिम मान्यता अभी तक वापस नहीं ली गयी है।

आगरा में विदेशियों का अस्वस्थ होना

1155. श्री सौम्य रंजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8-14 जून, 1997 के "सडे आब्जर्वर" में "व्हाई फोरेन्र्स लव टू फाल सिक इन आगरा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कारोबार में लगे चिकित्सकों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाले इस शहर की बदनामी हो रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यदि कोई विदेशी पर्यटक भारत में बीमार हो जाता है तो वह अपनी पसन्द के अनुसार चिकित्सा उपचार ले सकता है। केन्द्रीय सरकार विदेशी मरीजों के उपचार को विनियमित नहीं करती। जाली चिकित्सा प्रामण पत्र जारी करने वाले डाक्टरों के खिलाफ कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार/राज्य विधायी अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य चिकित्सा परिषद्, जहां पर डाक्टर पंजीकृत होता है, द्वारा की जानी अपेक्षित है। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस समाचार रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अमरीकी प्रशासन द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध

1156. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :**
श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :
श्री विजय गोयल :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री मोहन रावले :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्री अजमीरा चन्दूलाल :
लेफ्ट० जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री नामदेव दिवाथे :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने भारत के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कम्पनियों के निर्यात पर इस संदेह के कारण प्रतिबंध लगाया है कि वे भारी विनाश के हथियार अथवा इन हथियारों को ले जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के उत्पादन में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस मामले पर अमरीकी सरकार से बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अमरीकी प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) अमरीका के वाणिज्य विभाग ने अमरीकी नाभिकीय अप्रसार मामलों से संबंधित अमरीकी स्थानीय कानून के अंतर्गत भारत इलैक्ट्रानिक लि० (बी०ई०एल०), भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र (बी०ए०आर०सी०), इन्दिरा गांधी आणविक अनुसंधान केन्द्र और इण्डियन एअर अर्थ्स लि० को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद इन संगठनों द्वारा अमरीका से किया जाने वाला सम्पूर्ण आयात इस लाइसेन्स प्रक्रिया के अधीन होगा।

(ग) और (घ) सरकार ने यह मामला अमरीका के अधिकारियों के साथ उठाया हैं इस प्रकार की तदर्थ भेदभावपूर्ण निर्यात नियन्त्रण पद्धति के प्रति भारत का विरोध अमरीकी सरकार को दोहराया गया है। इन मदों/प्रौद्योगिकियों का निर्यात करने की अनुमति न देने के भारत के अनुकरणीय रिकार्ड की जानकारी अन्य देशों को भी दी गई है।

(ङ) इस मामले को निपटाने के लिए अमरीका की सरकार ने भारत से एक शिष्टमण्डल बुलाया है। इन मसलों पर अमरीका की सरकार के साथ बातचीत जारी रहने की संभावना है।

रासायनिक हथियारों का नष्ट किया जाना

1157. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने स्वयं यह वचन दिया है कि वह अपने सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत की एक पक्षीय कार्यवाही से देश की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी; और

(ङ) यदि हां, तो भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत 29 अप्रैल, 1997 को प्रभावी हुए रासायनिक शस्त्र अभिसमय का मूल पक्षकार राज्य है, इस अभिसमय में पक्षकार राज्यों से निर्धारित समय सीमा के भीतर कतिपय घोषणाएं करने की अपेक्षा की गई है। तद्नुसार भारत ने ये घोषाणाएं की थी जिनमें अभिसमय के अधिदेश के अनुसार भारत के रासायनिक शस्त्रों के भंडारण और उत्पादन सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) पाकिस्तान ने रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर हस्ताक्षर तो

किए हैं परन्तु उसे अभी अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी करनी है।

(घ) और (ङ) भारत रासायनिक शस्त्र अभिसयम को भेदभाव सहित निरस्त्रीकरण करार मानता है तथा इसके लक्ष्यों के प्रति निरन्तर वचनबद्ध है। रासायनिक शस्त्र अभिसमय को वास्तविक तौर पर सार्वभौमिक और व्यापक निरस्त्रीकरण करार बनाने के लिए भारत ने उन सभी देशों से अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है जिन देशों ने यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की हैं सरकार ने यह निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रकार की संभावित घटनाओं के विरुद्ध भारत की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा सकें।

[हिन्दी]

पेयजल योजना

1158. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी बिहार के शहरी क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से पेयजल योजना आरंभ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कौन-कौन से शहरों तथा कस्बों के लाभान्वित होने की संभावना हे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का दुरूपयोग

1159. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए मंजूर राशि को बैंक में जमा करके उस पर वास्तव में कार्य आरंभ होने से पूर्व अर्जित ब्याज को विकास कार्यों पर खर्च करने के संबंध में कोई स्पष्ट हिदायतें नहीं हैं;

(ख) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश पर कुछ स्थानों पर ब्याज की राशि व्यय की जाती है किंतु इस संबंध में स्पष्ट हिदायतों के अभाव में उपायुक्त/जिलाधिकारी कुछ स्थानों पर इस राशि को व्यय नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्पष्ट हिदायतें जारी करने का है ताकि संसद सदस्यों की सिफारिश पर इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिय' किया जा सके ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) सभी जिला कलेक्टरों को निदेश दिया गया है कि चाहे कोई प्रयोजन हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें। तथापि, ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया है। संबद्ध जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें। ब्याज की राशि के उपयोग से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

खाद्यान कानूनों संबंधी कृतक बल

1160. डा० बल्लभभाई कथीरिया :
श्री गोरधनभाई जावीया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न कानूनों संबंधी कृतक बल द्वारा वर्ष 1996 में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन्हें किन-किन क्षेत्रों में लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कृतक बल की सिफारिशों का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) खाद्यन्न कानून संबंधी टास्क फोर्स की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। सिफारिशों द्वारा कवर मुख्य क्षेत्र खाद्यान्न कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे और प्रयोगशाला मानकों का उन्नयन करने, विश्लेषणात्मक तकनीकों का मानकीकरण करने, विक्रेताओं को लाइसेंस देने, उपयुक्त औद्योगिक प्रैक्टिस विकसित करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित हैं। सिफारिशों में अधिनियम के नाम में परिवर्तन, खाद्यान्न की परिभाषा, विक्रेता को प्रतिरूप नमूना प्रदान करना और दांडिक धाराओं का वर्गीकरण जैसे मौजूदा कानून में संशोधन करना भी शामिल है। टास्क फोर्स द्वारा संस्तुत अनेक उपायों को खाद्य अपमिश्रण निवारण संबंधी संगठन की क्षमता निर्माण परियोजना, जिसे इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है, में पहले ही शामिल कर लिया गया है। अन्य कानूनी प्रावधानों को विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा सरकार के विचारार्थ प्रोसेस कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में जरूरी संशोधन करने का प्रस्ताव था ताकि इसे आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके और सामान्यतया इस की विषय-वस्तु को यौक्तिक बनाया जा सके।

कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में प्रशिक्षण शिविर

1161. **डा० एम० जगन्नाथ :**
श्री सुरेश प्रभु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी उग्रवादियों ने हाल ही में भारतीय सीमा के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में एक प्रशिक्षण शिविर स्थापित किया था जिसके कारण राजौरी और पुंछ के सीमांत जिलों में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार को, जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रयासों तथा खबरों की जानकारी है। ऐसी गतिविधियों और मंसूबों पर प्रभावपूर्ण ढंग से काबू पाने के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं। उठाये गए कदमों में, सीमा/सीमा रेखा पर निगरानी बढ़ाना, ग्राम रक्षा समिति इत्यादि के माध्यम से स्थानीय पुलिस तथा इस क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई एवं गहन भागीदारी सहित इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करना, शामिल है। गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखी जा रही है, जिसका गहराई से प्रबोधन किया जा रहा है।

पूंजी निवेश

1162. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रावधान इसकी आवश्यकता की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पूंजी की कुल अनुमानित आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस क्षेत्र की आवश्यकता की तुलना में उपर्युक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी पूंजी उपलब्ध करायी गयी;

(ङ) इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में कमी के क्या कारण हैं;

(च) इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(छ) वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि के लिये पूंजी की कुल अनुमानित आवश्यकता क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) आठवीं योजना हेतु योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं योजना के दौरान कृषि के लिये, निम्न स्तर की साख के अनुमान लगाये हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(करोड़ रु०)

वर्ष	लघु आवधिक	लम्बी अवधि के	कुल
1993-94	8,898	8,650	17548
1994-95	10,534	10,143	20,677
1995-96	12,457	11,665	24,122

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान; कृषि क्षेत्रक हेतु साख के निम्न स्तर के प्रवाह के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

कृषि साख का संवितरण

वर्ष	रुपये करोड़
1993-94	16494
1994-95	21424
1995-96	24849

1993-94 में कृषि साख का संवितरण लक्ष्य से कम था, परन्तु वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान यह लक्ष्य से अधिक हो गया।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान, पूंजी की कुल अनुमानित आवश्यकता तथा वास्तविक रूप में उपलब्ध करायी गयी पूंजी के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

(करोड़ रु०)

वर्ष	पूंजी की आवश्यकता	उपलब्धि
1993-94	8650	5223
1994-95	10143	7215
1995-96	11665	7963

(ङ) और (च) वर्ष 1991 से, यद्यपि कृषि क्षेत्रक में कुल निवेश (सकल पूंजी निर्माण) में कुछ चढ़ाव है, कृषि में, जनसाधारण के निवेश में कमी आयी है। आर्थिक-सर्वेक्षण, 1996-97 के अनुसार, कृषि में जन-साधारण के निवेश में कमी का कारण, उर्वरकों, विद्युत आदि के लिये बढ़ी हुयी सब्सिडियों के रूप में संसाधनों का सम्पत्ति सृजन की बजाय निवेश से चालू व्यय की ओर परिवर्तन है। इसके अलावा, मौजूदा परियोजनाओं के रखरखाव पर बहुत अधिक व्यय, सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम आवंटन, कारगर साख आधार एवं साख अवसंरचना की कमी भी कृषि में निवेश की धीमी वृद्धि का कारण है।

कृषि उत्पादन एव उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किसानों को समयोचित एवं पर्याप्त साख प्रदान कराना ही कृषि साख नीति हैं व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने निबल बैंक साख का कम से कम 18% कृषि को प्रदान करने की जरूरत है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अनुबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करें। बैंकों से यह आग्रह किया गया है कि वे कृषि की ओर साख प्रवाह में निश्चित एवं विशेष सुधार लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये विशेष साख योजनाएं तैयार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों से हाईटेक गतिविधियों जैसे कृषि, पुष्पोत्पादन, टिश्यू-कल्चर, जैव-प्रौद्योगिकी आदि का वित्तपोषण करने का कहा है। नाबार्ड ने कृषि के लिये उधारों को बढ़ाने के लिये विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की दिशा में, कई कदम उठाये हैं। मध्यम एवं लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण परियोजनाओं हेतु साख प्रदान कराने के लिवे नाबार्ड में एक नयी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि स्थापित की गयी है। चुनिंदा बड़ी एवं बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाओं की पूरा करने के लिये, राज्यों को ऋण से सहायता प्रदान करने हेतु 1996-97 के दौरान तीव्रीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) की एक स्कीम, प्रारंभ की गयी। कृषि में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिये, छोटे किसानों के कृषि कारबार सहाय्यता संघ (एस०एफ०सी०) का भी गठन किया गया हैं नौवीं योजना के दौरान कृषि की ओर साख प्रवाह को दुगना करने का विचार है जिससे कृषक समुदाय की उत्पादन एवं निवेश जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(छ) 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्रक हेतु कुल अनुमानित पूंजी आवश्यकता 13414 करोड़ रु० की है।

कश्मीर संबंधी नीति

1163. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में नई लेबर सरकार ने अपनी कश्मीर नीति में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर सीमा पर बाड़ लगाने संबंधी कार्य

1164. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की इंटर-सर्विस इंटेलीजेंस (आई०एस०आई०) अघोषित युद्ध को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर की सीमा-रेखा के जरिये उपद्रवकारियों को हथियार भेजने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो बाड़ लगाने संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) जम्मू क्षेत्र में बाड़ लगाने संबंधी कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आई०एस०आई०, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने, भड़काने, मदद देने, तथा उकसाने में लगातार लगी हुई है। ऐसा उन्हें शरण स्थल तथा संभारिकी सहायता आदि उपलब्ध करवा कर तथा इस प्रकार के तत्वों को पाकिस्तान के क्षेत्र में शिक्षा तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करके तथा सशस्त्र उग्रवादियों की देश में घुसपैठ इत्यादि करवाकर किया जा रहा है। उग्रवादियों से सीमा और भीतरी क्षेत्र में बरामद किए गए हथियारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर 180 कि०मीटर/195.8 कि०मी० में बाड़/फ्लड लाईट लगाने का कार्य शुरू किया गया था परन्तु पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस कार्य को फिर से शुरू करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है परन्तु इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

उग्रवादियों से बरामद किए गए हथियार

हथियार/विस्फोटक	1988-90	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रॉकेट लांचर	141	140	174	95	31	36	43	48
मशीन गनें	124	176	174	166	141	81	96	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए०के० श्रेणी की राईफलें	1474	2602	3775	2424	2196	2055	2150	864
स्निपर राईफलें	11	3	13	60	41	38	49	24
पिस्तौल/रिवाल्वर	858	946	808	801	940	965	1052	468
गोली बारूद (लाखों में/ एसार्टड)	2.42	3.19	3.44	4.85	4.46	3.42	3.43	1.10
हथगोले	2994	2236	2818	4798	2603	2870	3949	2833
राकेट	370	329	267	174	395	170	378	222
राकेट बूस्टर्स	156	203	144	99	66	24	119	27
सुरंगे	1101	217	307	766	1049	634	552	276
बन्दूकें	30	79	81	95	223	370	303	101
विस्फोटक (कि०ग्रा०)	1966	588	436	3275	1342	1484	2382	1778
बम	708	72	228	376	56	126	31	131
ग्रेनेट लांचर	—	—	1	10	56	27	21	31
मोर्टार	—	—	—	12	7	12	3	2
डब्ल्यू०टी० सैट्स	22	37	68	171	211	246	413	179

विदेशी नागरिकों का अपहरण

1165. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में कश्मीरी आतंकवादी संगठन द्वारा अपहृत विदेशी नागरिकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इनका पता लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर में विदेशी राष्ट्रिकों के अपहरण से संबंधित स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन, सरकार सतत आधार पर करती रही है। विदेशी बंधकों का पता लगाने के प्रयसों के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार ने एक विशेष जांच टीम का गठन, जांच कार्य में तथा पूछताछ में गति लाने के लिए और प्रयास करने के बावजूद लापता बने रहे। 4 विदेशी राष्ट्रिकों के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से भी किया है। बंधकों के पते ठिकाने के संबंध में विशिष्ट सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाने की एक योजना भी उसने घोषित की है। इस मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमित एवं सतत सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद में काउंटर मेगनेट सिटी परियोजना

1166. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशी राम राणा :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को काउंटर मैगनेट सिटी परियोजना के अंतर्गत अहमदाबाद के विकास के लिए 1990-96 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत कितने गांवों को और कितनी एकड़ भूमि का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस परियोजना में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को भी शामिल किए जाने का विचार है; और

(घ) इस परियोजना की एक समय क्या स्थिति है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित काउण्टर मैग्नेट सिटी परियोजना नामक ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसके तहत भारत सरकार ने अहमदाबाद के विकास के लिए गुजरात सरकार को धनराशि मुहैया करायी हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

औषधालयों का दर्जा बढ़ाना

1167. श्री केशव महन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत असम के वर्तमान पांच राज्य औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर प्रथम रैफरल इकाइं बनाने संबंधी कार्य किस चरण में है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : असम में विश्व बैंक सहायता प्राप्त नौवीं भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान भवनों का विस्तार करके मौजूदा 100 राज्य औषधालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक रैफरल यूनिटों में बदलने की व्यवस्था है। 100 राज्य औषधालयों में से 13 का कार्य पूरा हो चुका है, 62 पर कार्य जारी है और शेष 25 का कार्य बाद में किया जाएगा। प्राथमिक रैफरल यूनिटों के रूप में उन्नयन किए जाने वाले 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 6 का कार्य पूरा हो चुका है और चार पर कार्य चल रहा है।

लंगर पर प्रतिबंध

1168. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
कुमारी उमा भारती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लंगर का आयोजन करने वाले धार्मिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों की असुविधा दूर करने के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

अतिक्रमण

1169. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** अवैध कब्जों के बारे में 12 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व बैंक की सहायता

1170. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कर्नाटक में नए अस्पताल स्थापित करने के लिए 130 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में उक्त ऋण से स्थानवार कितने नए अस्पताल खोले जाएंगे; और

(ग) बेल्लारी जिले में इन नए अस्पतालों के लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने कर्नाटक में नए अस्पताल स्थापित करने हेतु कोई ऋण मंजूर नहीं किया है फिर भी, विश्व बैंक 546.00 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है। इस राशि में से 130.00 करोड़ रुपये की रकम मौजूदा अस्पतालों के नवीकरण और विस्तार के लिए नियत कर दी गई है। परियोजना में बेंगलूर, बेलगाम और मैसूर के तीन राजस्व मंडलों में 201 अस्पतालों के उन्नयन और संवर्धन का उल्लेख है। के०एम०डब्ल्यु०(जर्मन) सहायता प्राप्त परियोजना में बेलारी जिले सहित गुलवर्गी मंडल में 47 अस्पतालों के नवीकरण की बात सोची गई है। इस परियोजना के तहत केवल सिविल कार्य के लिए धन दिया जा रहा है। जबकि अन्य निवेश राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) के०एफ०डब्ल्यू० सहायता प्राप्त परियोजना के तहत बेलारी जिले में नवीकरण/विस्तार कार्य केवल 10 अस्पतालों में ही किया जाएगा। बेलारी में अस्पतालों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित रकम के बारे में इस अवस्था में बताना जल्दबाजी होगी क्योंकि परियोजना के सितम्बर 1997 में प्रारंभ किए जाने की आशा है।

एड्स के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता

1171. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान एड्स नियंत्रण हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) इस सहायता का किस प्रकार से राज्य-वार उपयोग किया गया है; और

(ग) इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए अभी तक राज्य-वार क्या उपलब्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परामर्शदाताओं और अन्य तकनीकी कार्मिको की सेवाओं तथा केन्द्र स्तर पर अनुसंधान सुविधाओं के रूप में तकनीकी निवेश प्रदान करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की सहायता की। विश्व स्वास्थ्य संगठन कन्ट्री बजट से उपलब्ध वर्षवार सहायता इस प्रकार है :–

1994-1995	**द्विवार्षिक**
3,23,900	अमेरिकी डालर
1996-1997	**द्विवार्षिक**
5,22,500	अमेरिकी डालर

यौन संचारित रोग/वित्त/सूचना शिक्षा और संचार (प्रचार माध्यम)/सूचना शिक्षा और संचार (हिमायत और परामर्श)/निगरानी/रक्त निरापदता/नैदानिक प्रबंधन तथा एड्स में प्रशिक्षण कार्य में क्षेत्र में 7 परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए हैं। 13 प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायक कर्मी स्टाफ की सेवाएं भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को प्रदान की जा रही हैं। उपर्युक्त के अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज नागपुर, एस०एस०एस० मेडिकल कालेज, जयपुर; एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा; के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ; एस०वी०आर० मेडिकल कालेज, तिरूपति; स्टेट इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर, लखनऊ; संघ राज्य क्षेत्र मेडिकल काजेज, चंडीगढ़; और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज दिल्ली में नवीकृत उपचार विधान के कार्यकलापों तथा आपरेशनल अनुसंधान कार्यों को संपन्न करने के लिए भी प्रदान की जाती है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता ऊपर सूचीबद्ध विशेष प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है न कि राज्यवार वितरण के लिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हडको द्वारा ऋण

1172. श्री भगवान शंकर रावत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको द्वारा उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति-परियोजनाओं को चलाने के लिए उस राज्य को कोई सहायता राशि/ऋण उपलब्ध कराए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में आगरा की जलापूर्ति परियोजना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, नहीं। हुडको ने बताया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में जल आपूर्ति की कोई परियोजना वित्तीय सहायता हेतु नहीं मिली है अतः इस राज्य में जल आपूर्ति की कोई परियोजना मंजूर नहीं की है।

(ख) उपुर्यक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हुडको ने बताया है कि उन्होंने आगरा के लिए जल आपूर्ति परियोजना मंजूर नहीं की है क्योंकि ऐसी कोई परियोजना वित्तीय सहायता के लिए नहीं मिली है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

उद्यानों का विकास

1173. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नागरपलिका परिषद के अधीन सार्वजनिक उद्यानों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली में अनेक सार्वजनिक उद्यान अविकसित तथा खराब स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त उद्यानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी) वेंकटेश्वरलु) : (क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डी०डी०ए० और नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण वाले सार्वजनिक उद्यानों की संख्या क्रमशः 33,259 और 100 है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण वाले सभी उद्यान पूरी तरह विकसित एवं अनुरक्षित है। डी०डी०ए० के उद्यानों के संबंध में बताया गया है कि 3259 उद्यानों में से 1970 उद्यान विकसित है, 893 उद्यान विकास के विभिन्न चरणों में हैं और शेष 390 उद्यानों का विकास 1997-98 के दौरान प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) उद्यानों का विकास एक लंबी और सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भूमि का पता लगाना एवं निर्धारण करना, व्यापक भूदृश्य योजना, वृक्षों एवं झाड़ियों पर अंतिम निर्णय लेना, आवश्यक बजट प्रावधान और चालू परियोजनाओं से जनशक्ति को इस कार्य में लगाना

आदि शामिल है। कई बार, अतिक्रमण/न्यायालयगत मामलों के कारण उद्यानों का विकास रूक जाता हैं इसके अतिरिक्त, स्थल पर पर्याप्त पानी एवं बिजली का अभाव, उद्यानों के विकास में विलम्ब का कारण होते हैं।

(घ) उद्यानों का विकास, क्षेत्र में विकास स्तर एवं आवासन के आधार पर चरणवद्ध रूप में किया जाता है।

सामाजिक विकास समिति

1174. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामाजिक विकास हेतु नीतियां बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक विकास समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की भूमिका और इसकी सदस्य संरचना क्या है; और

(ग) समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) सामाजिक विकास पर समिति गठित करने का एक प्रस्ताव है। इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"सब के लिए स्वास्थ्य" परियोजना का विस्तार

1175. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000ई० तक "सब के लिए स्वास्थ्य" परियोजना केरल में शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी परियोजनाओं को अन्य राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र में भी लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) "सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य" नामक ऐसी कोई परियोजना नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र लक्ष्य है और विशेषकर निर्धन तथा सेवाओं से वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार करने के कार्य को स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था से उन सभी व्यक्तियों के लिए एक सामान्य उद्देश्य के रूप में जारी रखा जा रहा है। प्रत्येक राज्य सरकार अनेक उपायों से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयास करती है जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे का नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा कर्मचारियों में वृद्धि करना शामिल है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा घुसपैठ

1176. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 से 31 मई, 1997 के संडे आब्जर्वर" में "6000 अल्ट्राज वेटिंग टु स्नीक इन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अफगानिस्तान सहित बड़ी संख्या में भाड़े के खूंखार विदेशी सैनिक कश्मीर की घाटी में घुसने के लिए पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं;

(ग) क्या श्रीनगर स्थित सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा की भौगोलिक स्थिति के कारण इसे सील करने में अपनी असमर्थता जतायी है;

(घ) क्या लगभग 1000 भाड़े के सैनिकों ने आठ वर्ष से चले आ रहे और अनवरत चलने वाले अलगाववादी आंदोलन में फिर से प्राण फूंकने का काम किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादियों के संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) सरकार ने यह समाचार देखा है। यह सही है कि प्रशिक्षित उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों के बैच जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ कराए जाने के लिए विभिन्न स्थानों पर तैयार रखे जाने की रिपोर्टें उपलब्ध हैं फिर भी उनकी ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है। कश्मीर में उग्रवाद में तेजी लाने के लिए पाकिस्तानी आई०एस०आई० द्वारा भाड़े के विदेशी सैनिकों के उपयोग में वृद्धि की जा रही है। यद्यपि जम्मू एवं कश्मीर में स्वरूपाकृति संबंधी स्थितियों की कठिन प्रकृति के कारण सीमा को पक्के ढंग पर सील करना व्यवहार्य नहीं है, तथापि हमारे सुरक्षा बल चौकस हैं और पाकिस्तानी आई०एस०आई० के नापाक इरादों को विफल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं।

(ङ) सुरक्षा बलों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा पर और भीतरी इलाकों में कड़ी चौकसी रखी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए सघन गश्त लगाने, नाइट विजन डिवाइस आदि सहित निगरानी के उपकरण

उपलब्ध करने और इनका प्रयोग करने, नियंत्रण रेखा/सीमा दोनों पर तथा भीतरी प्रदेश में स्थित सुभेद्य इलाकों में बलों की तैनाती, सीमा के निकट स्थिति कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा समितियां गठित करने और समस्त संबंधित सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों के बीच निकट एवं सतत समन्वय आदि सहित विभिन्न प्रबन्ध किए गए हैं। प्रबन्धों की लगातार समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर इन्हें सुदृढ़/सुचारू बनाया जाता है।

ई०एस०आई० अस्पताल में होम्योपैथी इकाइयां

1177. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई०एस०आई० के प्रत्येक अस्पताल में होम्योपैथी इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कितने ई०एस०आई० अस्पतालों में होम्योपैथी की इकाइयां शुरू की गयी है;

(ग) क्या केरल में किन्हीं ई०एस०आई० अस्पतालों में होम्योपैथी की गई इकाइयां शुरू करने संबधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, दिल्ली और नौएडा को छोड़कर जहां इसे क०रा० बीमा निगम द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है, चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। राज्य सरकारों द्वारा जब कभी भी इस संबंध में अनुरोध किया जाता है, अस्पतालों/औषधालयों में होम्योपैथी इकाइयों की स्थापना की जाती है। फिलहाल क०रा०बी० अस्पताल जयपुर (राजस्थान) और क०रा०बी० अस्पताल, आश्रामन (केरल) में होम्योपैथी इकाइयां कार्य कर रही है। केरल में 12, उत्तर प्रदेश में 11 और बिहार तथा राजस्थान प्रत्येक में एक-एक होम्योपैथी इकाइयां/औषधालय है।

(ग) और (घ) क०रा०बी० अस्पतालों में होम्योपैथी इकाइयां खोले जाने के बारे में क०रा०बी० निगम की केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी अस्पताल/केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय खोलना

1178. **श्री नन्द कुमार राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मरीजों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए देश में और अधिक सरकारी अस्पताल और सी०जी० एच०एस० के औषधालय खोलने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर सरकारी अस्पताल और सी०जी०एच०एस० के औषधालय खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है; इसिलए राज्य सरकारें क्षेत्र के लोगों को जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अस्पताल खोलने के लिए अपने कार्यक्रम तैयार करती हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मौजूदा सुविधाओं में बढ़ोतरी करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में विशेष और सामान्य दोनों प्रकार की उपचार प्रक्रियाओं और नैदानिक सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केंद्रों को हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। इससे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रोगी अपने निवासों के निकट इन संस्थाओं से लाभ उठा सकेंगे और सरकारी अस्पतालों में लम्बी पंक्तियों में खड़े होने से बच सकेंगे और अधिक अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए अभियान में पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलूर, जयपुर, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और चेन्नई यहां निम्नलिखित और अधिक संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है, मैं मान्यता प्रदानगी की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है :–

1.	पुणे	36
2.	कलकत्ता	15
3.	हैदराबाद	23
4.	दिल्ली	24
5.	बेंगलूर	16
6.	जयपुर	10
7.	इलाहाबाद	5
8.	लखनऊ	8
9.	कानपुर	17
10.	मेरठ	9
11.	चेन्नई	20

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शेष शहरों में ऐसे प्रसिद्ध संस्थानों को मान्यता प्रदानगी के लिए सक्रियता से कार्रवाई चल रही है।

इसके अतिरिक्त, कुछेक और बड़े शहरों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० द्वारा अधिग्रहीत भूमि

1179. **श्री पवन दीवान** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि में से कुल कितनी भूमि का उपयोग किया गया है;

(ग) कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है; और

(घ) इस भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु): (क) 59542.78 एकड़

(ख) 47670.00 एकड़

(ग) 1790.53 एकड़

(घ) न्यायालयों के स्थगन आदेशों वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अवैध अतिक्रमणों को हटाने और अनधिकृत निर्माण को गिराने के नियमित कार्यक्रम स्थानीय पुलिस की मदद से चलाये जाते हैं।

"सिरिंज" का इस्तेमाल

1180. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 1997 के "बिजिनेस स्टैण्डर्ड" में अहमदाबाद में स्थित "कोर हेल्थ कार्ड लिमिटेड" द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) क्या भारत में "इंजेक्शन" के लिए प्रयुक्त 78 प्रतिशत "सिरिंजों" का पुनः इस्तेमाल किया जाता है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी तरह से "डिस्पोजिबलसिरिज" का इस्तेमाल किए जाने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश सिरिंजे कांच की होती हैं जिनका इस्तेमाल उबालने और आटोक्लेव जैसे उपयुक्त तरीकों से विसंक्रमित करने के बाद किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एकबारगी इस्तेमाल होने वाली सिरिंजों को इस्तोमाल के पश्चात विनष्ट करने और कांच की सिरिंजों को आटोक्लेविंग और उबालने जैसे उपयुक्त प्रक्रियाओं से विसंक्रमित करने का सुझाव देता है।

(घ) सरकार ने कांच की सिरिंजों व सुइयों के उपयुक्त विसंक्रमण तथा एकबारगी इस्तेमाल होने वाली सुइयों को इस्तेमाल के पश्चात् उन्हें कूड़े में फेंकने के बजाय विनष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति

1181. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की बैठक किस तिथि को होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में राजभाषा का प्रयोग करने का है;

(घ) क्या अन्य देशों में स्थित कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी अथवा संबंधित देश की राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) विदेशी मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है। पुनर्गठन का कार्य शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है। जैसे ही राजभाषा विभाग के परामर्श से समिति का पुनर्गठन हो जाएगा इसकी बैठक यथा शीघ्र बुलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशन भारत सरकार के कार्यालय हैं, और तदनुसार भारत सरकार के इन कार्यालयों में लागू होने वाले राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुपालन के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाती है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार की इस संदर्भ में नीति को ध्यान में रखते हुए विदेश स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित देशों की राष्ट्रीय भाषाएं भी प्रयोग में लाई जाती हैं तथापि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या संबंधित देशों की राष्ट्रीय भाषाओं का पूर्णतः प्रयोग व्यवहार्य नहीं होगा।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोगियों को सुविधाएं

1182. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोगियों की कुष्ठ रोग गृहों में उचित देखभाल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कुष्ठ रोगियों को उपलब्ध कराई जा

रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जाकर उपचार करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है और गौण प्रभाव, अल्सर और जटिलताओं वाले रोगियों को ही अस्थायी हॉस्पीटलाइजेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है।

(ख) और (ग) कल्याण मंत्रालय में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निम्नांकित प्रयोजनों हेतु 90% तक धन दिया जाता है :–

(i) जागृति पैदा करना

(ii) शीघ्र उपचार की व्यवस्था करना।

(iii) शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(iv) आर्थिक पुनर्वास।

(v) सामाजिक एकीकरण।

(vi) समुदाय आधारित पुनर्वास करना।

एड्स ग्रस्त विदेशी रोगी

1183. श्री सोना राम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विदेशी पर्यटक पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जिला जैसलमेर के आकर्षक स्थलों की यात्रा करते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन विदेशी पर्यटकों में से अधिकांश पर्यटक एड्स के रोगी होते हैं,

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जैसलमेर, बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिलों में सरकार द्वारा ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने रोगियों की मृत्यु हुई हैं; और

(ङ) इस भयानक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : जी, हां।

(ख) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिलों से एड्स के किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत में एच०आई०वी०/एड्स को रोकने तथा उसरपर नियंत्रण करने के उद्देश्य से देशभर में इस समय शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीति में रोग के अत्यधिक खतरे वाले लोगों तथा आम जनता में एच०आई०वी०/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण रक्त निरापदता तथा रक्त का युक्तिसंगत उपयोग, निगरानी एच०आई०वी०/एड्स रोगियों का निदान तथा नैदानिक प्रबन्ध शामिल है।

सुपर बाजार के मेडिकल स्टोर

1184. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख अस्पतालों में सुपर बाजार द्वारा खोले गये मेडिकल स्टोर रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो या इन मेडिकल स्टोरों में डाक्टरों के नुस्खों के अनुसार पर्याप्त दवाइयां होती हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न अस्पतालों में सुपर बाजार के अंतर्गत कार्यरत मेडिकल स्टोरों की वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(घ) जीवन रक्षक दवाओं की मांग पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रमिकों का पुनर्वास

1185. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
श्री थावर चन्द्र गेहलोत :
डा० सत्य नारायण जटिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान एन०टी०सी० सहित उद्योगों के रुग्ण/बंद होने के कारण राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) क्या सरकार उनके पुनर्वास तथा वेतन और अन्य देनदारियों की तत्काल अदायगी के लिए किसी कार्य-योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक उद्योगवार कुल कितने श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पिछड़े राज्यों की घोषणा

1186. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किन-किन राज्यों का पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है; और

(ख) उनके उपयुक्त विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) योजना आयोग ने स्वयं किसी भी राज्य की पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की है। यद्यपि, राज्य सरकार की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन में विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में वर्गीकृत- जिनका कमजोर संसाधन आधार है– कतिपय राज्यों जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर-पूर्व में अवस्थित राज्यों की आवश्यकताओं को विशेष ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त 1991 में एन०डी०सी० द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता के लिए संशोधित फार्मूला तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्यों के पक्ष में उपयुक्त रूप से भारित है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य के प्रयासों को सहायता देने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भी निधियां जारी की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गैर-योजना निधियां जारी की जाती है, जो राज्य के तुलनात्मक विकास को भी ध्यान में रखता है।

यद्यपि, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की योजना और विकास और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन कर रियायत देने के सीमित प्रयोजन हेतु कतिपय राज्यों को आय कर अधिनियम की आठवीं अनूसूची के अंतर्गत औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है। ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अरुणाचल प्रदेश, असम, गोआ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और अण्डेमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पाण्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन है।

उत्तर प्रदेश की लम्बित योजना

1187. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए लम्बित पड़ी है तथा ये योजनाएं किन-किन तिथियों से लम्बित हैं;

(ख) इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी परियोजना योजना आयोग के अनुमोदनार्थ विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आंख के लैंसों का प्रावधान

1188. श्री भेरू लाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जनजातीय इलाकों में मोतियाबिंद के आपरेशन के बाद चश्मों के बजाय आंखों के लैंस निःशुल्क प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का ऐसी योजना बनाने का विचार है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब और असहाय व्यक्तियों को उपर्युक्त सुविधा का अधिकतम लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां। राजस्थान में मोतियाबिंद आपरेशन के पश्चात् निर्धनों को और जिन रोगियों के लिए लैंस प्रतिरोपण चिकित्सीय दृष्टि से जरूरी है, निःशुल्क इन्ट्रा आक्युलर लैंस लगाने की एक स्कीम है।

(ख) प्रत्येक लैंस प्रतिरोपण पर लगभग 200 रुपये खर्च किए जाते हैं।

(ग) यह स्कीम देश के निर्धन व जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्धन व बेसहारा लोगों को इस स्कीम का अधिकतम लाभ मिलेगा।

(घ) और (ङ) इस समय यह स्कीम राजस्थान के मेडिकल कालेजों में चल रही है जिसका जिला अस्पतालों तक विस्तार किया जा रहा है।

होम्योपैथी को बढ़ावा देना

1189. प्रो० ओमपाल सिंह निडर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होम्यापैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) सरकार ने होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास के लिए होमियोपैथी संस्थाओं में शिक्षा के मानकों का प्रवर्तन तथ अर्हता प्राप्त व्यवसायियों का पंजीकरण करने के लिए केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद अनुसंधान कार्य करने के लिए केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद तथा कलकत्ता में अग्रणी होमियोपैथी शिक्षा संस्थान के रूप में राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान पहले से ही स्थापित किए हैं। सरकार ने होमियोपैथी का औषधों के लिए विभिन्न मानक निर्धारित करने हेतु होमियोपैथी भेषज संहिता समिति और कच्ची सामग्री तथा तैयार शुदा उत्पादों के मानक बनाने हेतु गाजियावाद में होमियोपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला भी स्थापित की है। इसके अलावा सरकार स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर होमियोपैथी कालेजों के बुनियादी ढांचों आदि के उन्नयन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। होमियोपैथिक दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त औषधीय पादपों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

निर्धारित लागत से अधिक लागत

1190. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री 20 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4309 के उत्तर के संबंध में 30 सितंबर, 1996 की तिथि के अनुसार 100 प्रतिशत तक लागत से अधिक लागत वाली 75 परियोजनाओं तथा 100 प्रतिशत से ऊपर वाली लागत वाली 20 परियोजनाओं के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "वित्तीय शक्ति प्रत्योजन नियमावली, 1978" के अंतर्गत उन नियमों का पालन किया है जिनके लिए यह शर्त है कि वित्त मंत्रालय का अनुमोदन स्वीकृत की गई योजना के दस प्रतिशत अथवा पांच करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के मूल प्राक्कलनों से अधिक व्यय की स्वीकृति लेना अपेक्षित होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) जी हां, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी 81 मेगा/बड़ी परियोजनाएं थीं जिनके मामले में लागत वृद्धि 100 प्रतिशत हुई थी तथा ऐसी 22 परियोजनाएं थीं जिनके मामले में लागत वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक हुई थी। संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकृति समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।

यूरेनियम अयस्क का निष्कर्षण

1191. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरेनियम अयस्क के निष्कर्षण व मिल विस्तार परियोजना में क्या प्रगति हुई हैं;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड द्वारा सुझाये गये सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) बिहार के सिंहभूम जिले में यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की नरवापहाड़ स्थिति यूरेनियम अयस्क की खान को चालू कर दिया गया है और ढलवां-खनन द्वारा उत्पादन 1 अप्रैल, 1995 से शुरू कर दिया गया है। इस खान को वर्ष 1998 के अंत तक पूरी तरह से चालू कर दिए जाने की संभावना है। इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 216.04 करोड़ रुपए है।

जादुगुडा स्थित मिल का 90.70 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से किया जाने वाला विस्तार मार्च, 1998 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) जादुगुडा, भाटिन और नरवापहाड़ स्थित खानों में से यूरेनियम अयस्क के खनन/निष्कर्षण की अवस्था में तथा जादुगुडा स्थित यूरेनियम मिल में अयस्क के संसाधन की अवस्था में सुरक्षा संबंधी स्थिति को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी यूनिटों द्वारा बारीकी से मानीटर किया जाता है। स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट संयंत्र-स्थल पर स्थयी रूप से स्थापित होते हैं और खान तथा मिल के कार्मिकों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए०ई०आर०बी०) द्वारा विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सीमाओं के भीतर ही विनियमित करते हैं। सुरक्षा संबंधी स्थिति की सूचना स्वास्थ्य भौतिक यूनिटों द्वारा जारी की जाने वाली आवधिक रिपोर्टों में दी जाती है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को भेजी जाती है।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड सुरक्षा पुनरीक्षा समिति आवधिक रूप से स्थल पर बैठकें आयोजित करती है और सुरक्षा संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा करती है। सुरक्षा संबंधी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समिति द्वारा की गई सिफारिशों को यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और इसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड सुरक्षा पुनरीक्षा समिति ने यूरेनियम मिल विस्तार कार्यक्रम की भी पुनरीक्षा की है। समिति अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन को क्षेत्र के दौरों और निरीक्षणों द्वारा मानीटर करती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

1192. श्री एन०जे० राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक इस मंत्रालय के अधीन विभागों/उपक्रमों में श्रेणी-ववार कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार हैं;

(ग) क्या उक्त विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-ववार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जा रहे है; और

(च) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि

1193. श्री सनत मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकसभा के सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से अब तक किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से वर्ष-वार कुल कितना आवंटन और व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का कोई मूल्यांकन किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो मूल्याकंन के क्या निष्कर्ष निकले

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नामाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ख) वर्ष 1993-94 से वर्ष 1996-97 की अवधि के लिए स्वीकृत राशियों का वर्षवार ब्यौरा दर्शाया गया है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1993-94	57.8
1994-95	771.0
1995-96	763.0
1995-97	781.4

उपर्युक्त स्वीकृत राशि में से अभी तक 1222.17 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत जारी निधियां अव्यपगत हैं। किसी एक वर्ष के उपयोग में नहीं लाई गई निधियां बाद के वर्षों में उपयोग में लाई जा सकती हैं इसलिए निमोचन राशि की तुलना में व्यय का वर्षवार ब्यौरा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1997-98 के लिए अभी तक 102.5 करोड़ की राशि की स्वीकृति की जा चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वीसा रियायतें

1194. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने वीसा मांगने वाले भारतीय नागरिकों को नयी रियायतों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) जबकि पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भारतीय राष्ट्रिकों के लिए अपनी वीजा प्रणाली को सरल बना रहा है; सरकार को इस बारे में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं है।

असंतुलन को दूर करना

1195. श्री नीतीश कुमार :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू करने के बाद भी देश के विकास संबंधी असंतुलन को दूर नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना को लागू करने से पूर्व इस बात पर गंभीरता से विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो किए जाने वाले नए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नामाला डी० सवान्नूर) : (क) आठवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद

में 5.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इसे कृषि में 3.1 प्रतिशत, उद्योग में 7.6 प्रतिशत और सेवाओं में 6.1 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि के जरिए उपलब्ध किया जाना था। इसकी तुलना में, नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक संवृद्धि 6.5 प्रतिशत और कृषि, उद्योग और सेवाओं में क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत होने की आशा है। लक्ष्य से बेहतर इस वृद्धि निष्पादन के साथ-साथ अन्तर क्षेत्रीय असमानता की स्थिति खराब होने के प्रमाण भी मिले है। कुछ अधिक आबादी वाले और कम विकसित राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से कम वृद्धि/दरों को अनुभव किया है।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए चुने गए उद्देश्यों में विशेष तौर पर औसत जीवन स्तर के मामले में तथा क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाने के लिए दृष्टिकोण पत्र में पर्याप्त उत्पादक रोजागर के सृजन और गरीबी हटाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम बार, योजना अवधि के लिए कृषि संवृद्धि का 4.5 प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जड़ी बूटियों का महत्व

1196. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उगाई जाने वाली जड़ी बूटियों से कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस समुचित जानकारी के अभाव में देश में उगाई जाने वाली इन जड़ी-बूटियों का अधिकाधिक लाभ नही उठाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उपयोगी जड़ी बूटियों को एकत्रित करने और इनसे औषधि बनाने के लिए कई योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभिन्न रोगों के उपचार में देश में पैदा होने वाली औषधीय पादपों तथा उनके अंशों का सफल ढंग से उपयोग करती है। इन चिकित्सा पद्धतियों के अधिकारिक ग्रन्थों में विभिन्न जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को पेटेंट तथा स्वामित्व वाली औषाधों के निर्माण के लिए लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं।

औषधीय पादपों की खेती तथा एकत्रीकरण और इनसे दवाइयों का निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्र में किया जाता है। राज्य सरकार फार्मेसियों तथा इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आई०एम०पी० सी०एल० में भी दवाइयों/औषधों का निर्माण किया जाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होमियोपैथी विभाग के पास औषधीय पादपों के विकास की एक योजना है जिसके अंतर्गत इन पादपों/जड़ी-बूटियों के विकास के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी तथा कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो पादप/जड़ी-बूटियां संकटापन्न अथवा लुप्त होने की स्थिति में हों।

[अनुवाद]

रक्त-बैंक

1197. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रक्त बैंकों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन रक्त बैंकों के कार्य के संबंध में कोई दिशा निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ रक्त बैंक शिखर अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) देश में 1008 लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंक हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने 4.1.1996 के निदेशों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे देश में रक्त बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए 11 महत्वपूर्ण निर्देशकों को लागू करें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को सख्ती से लागू कर रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान कमियों/अपर्याप्त सुविधाओं के कारण III रक्त बैंकों को लाइसेंस नहीं दिए गए।

विवरण-I

प्रत्येक राज्य में लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	सी०एन०ए०ए० द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों (लाइसेंसों) की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	76

1	2	3
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	16
5.	बिहार	21
6.	चण्डीगढ़	2
7.	दिल्ली	34
8.	गोवा	6
9.	गुजरात	46
10.	हरियाणा	22
11.	हिमाचल प्रदेश	11
12.	जम्मू व कश्मीर	6
13.	कर्नाटक	69
14.	केरल	80
15.	मध्य प्रदेश	57
16.	महाराष्ट्र	173
17.	मेघालय	3
18.	मणिपुर	3
19.	मिजोरम	5
20.	नागालैण्ड	1
21.	उड़ीसा	45
22.	पांडिचेरी	5
23.	पंजाब	26
24.	राजस्थान	42
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	132
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	71
29.	पश्चिम बंगाल	68
30.	लक्षद्वीप	—
31.	दादरा व नगर हवेली	—
32.	दमण व दीव	—
	कुल योग	1008

विवरण-II

1. भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः रक्ताधान का राष्ट्रीय परिषद तथा रक्ताधान की राज्य परिषदें स्थागित करने के लिए कदम उठाएंगे।

2. देश में रक्त बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य परिषदों को, व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा लोगों से अंशदान के रूप में धन प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। इस प्रकार एकत्र किए गए धन पर दाता को आयकर से छूट होगी।

3. स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य परिषदें एक कारगर प्रेरणात्मक अभियान कार्यक्रम चलाएंगी। ये परिषदें रक्त बैंकों के संचालन तथा उनकी आवश्यकता संबंधी सभी योजनाओं का आयोजन करेंगी।

4. राष्ट्रीय परिषद रक्त बैंकों के संचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी।

5. राष्ट्रीय परिषद एक ऐसी संस्था की स्थापना करेगी जो सम्पूर्ण मानव रक्त तथा उसके घटकों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भण्डारण, वितरण तथा रक्ताधान पर अनुसंधान करेगी।

6. राष्ट्रीय परिषद देश के चिकित्सा कालेजों तथा संस्थाओं में रक्त के एकत्रीकरण प्रसंस्करण, भण्डारण, तथा रक्ताधान विषय पर एक विशेष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने में कदम उठाएगी।

7. केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर देश के सभी रक्त बैंकों को लाइसेंस दे दिए जाएं।

8. भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र व्यावसायिक रक्त दाताओं की विषमानता को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाएंगे। ताकि दो वर्षों की अवधि के अन्दर-अन्दर व्यावसायिक रक्त दाता प्रणाली का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सके।

9. केन्द्रीय तथा राज्यों के औषध मानकीकरण नियंत्रण संगठन संबंधी मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं कि रक्त बैंकों के उचित प्रवर्तन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित औषध निरीक्षक तैनात हों।

11. केन्द्रीय सरकार देश में रक्त तथा इसके घटकों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण तथा इनके लाने ले जाने के विषय में एक अलग विधान बनाने के औचित्य पर विचार करें।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

1198. श्री सुरेश आर० जादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) के अंतर्गत कस्बों की जनसंख्या सीमा 20,000 से बढ़ाकर 1,00,008 करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कितनी परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित है;

(घ) इन परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं पर 4-5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम को एक लाख तक की आबादी वाले कस्बों (1991) की जनगणना के अनुसार तक विस्तृत कर दिया जाए। तदनुसार, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कस्बों की आबादी सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव योजना आयोग के विचारार्थ भेजा गया है।

(ग) से (ङ) 20,000 (बीस हजार) तक की आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए विद्यमान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 29 (उनतीस) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं, जिनमें से अब तक 10 कस्बों के लिए 13.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत राशि की जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष 19 स्कीमों में से, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, तथा चालू परियोजनाओं को पहले पूरा करने की प्राथमिकता के आलोक में इस वित्त वर्ष में केवल एक (1) स्कीम पर ही विचार करना सम्भव होगा।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

1199. श्री प्रमोद महाजन :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयनाधीन उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक राशि का निवेश अंतर्ग्रस्त हैं;

(ख) उपरोक्त में से उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो दो वर्षों से भी अधिक समय से अपनी निर्धारित अवधि से पीछे चल रही हैं;

(ग) इस विलंब के परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में कितनी लागत वृद्धि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) भविष्य में ऐसे विलंब को रोकने और सभी परियोजनाओं के समय से पूरा होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) दिनांक 31.12.96 तक 20 करोड़ रुपए की और उससे अधिक लागत वाली 410 परियोजनाएं थीं (कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग केवल 20 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का ही प्रबोधन करता है)। उन 410 परियोजनाओं में से 98 परियोजनाएं अपनी अद्यतन अनुमोदित समय-सीमा से 2 वर्ष से भी अधिक पीछे चल रही थीं। उनके संबंध में दिसंबर, 1996 को समाप्त तिमाही के लिए लागत वृद्धि और समय वृद्धि का परियोजनावार ब्यौरा परियोजना कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) सरकार द्वारा की जा रही/करने को प्रस्तावित कार्रवाई परियोजना-दर-परियोजना तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। तथापि सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए आम तौर पर किये जाने वाले उपायों का स्वरूप संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है :–

(1) तत्पर प्रबोधन प्रणाली

(2) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण करना।

(3) धीमी गति वाली परियोजनाओं की छंटनी करना/निजीकरण करना।

(4) सरकार और परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के मुख्य अधिकारियों के बीच करार नामा प्रणाली के जरिए परियोजना के कार्यान्वयन में जबावदेही पर अधिक बल देना।

नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव-पत्र जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित है, में उपर्युक्त नीतियां पृष्ठांकित की गई हैं।

विवरण

वास्तविक लागत का अनुमान तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागत एवं समयावृद्धि कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।
2. तत्पर कम्प्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली लागू की जा रही है।
3. कठिनाइयों का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन।
4. पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

5. अवरोधग्रसित विशिष्ट परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।

6. परियोजना प्रबोधन दल का सृजन जिसका कार्यकाल परियोजना की निर्माण अवधि के समानातंर हो।

7. अनुबंध प्रबंध प्रणाली को सुधारना।

8. क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को और अधिक शक्ति प्रदान करना।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को सहायता

1200. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन संस्थानों को प्रदान की गई सहायता राशि का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कैंसर संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और उनकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि के लिए अतिरिक्त निधि

1201. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को गत दो वर्ष के दौरान सिंचाई के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) उत्तर प्रदेश को 1995-96 के दौरान कृषि विकास हेतु 306.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जबकि 1996-97 में राज्य को आवंटित धनराशि 504.10 करोड़ रुपए के क्रम में थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-विरोधी नारे

1202. कुमारी उमा भारती :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजा रणजीत की वर्षगांठ के अवसर पर लाहौर के दौरे पर गये सिक्खों के एक जत्थे के समक्ष भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार से कोई विरोध दर्ज किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर पाकिस्तानी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर 20-29 जून 1997 तक सिक्ख/सहजधारी जत्थे के पाकिस्तान दौरे के समय भारत विरोधी बैनर दिखाए गए तथा डेरा साहिब गुरूद्वारा लाहौर में भारत विरोधी साहित्य वितरित किया गया।

(ख) और (ग) भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद के सम्पर्क दल ने तत्काल अपना विरोध जताया था। इसके पश्चात् इस्लामाबाद तथा नई दिल्ली दोनों जगह रायनयिक माध्यमों से भी विरोधी दर्ज किया गया। पाकिस्तान की सरकार ने इन गतिविधियों में किसी सरकारी व्यक्ति के शामिल होने से इनकार किया है।

आत्म निर्णय के लिए जनमत संग्रह

1203. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल पार्टी हुरियत कांफ्रेंस ने हाल में कश्मीरियों के आत्म निर्णय के मामले पर जनमत संग्रह की अपनी मांग को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ग्रेट-ब्रिटेन की लेबर सरकार ने आत्म निर्णय की मांग का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को भारत पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा माना जाये सरकार के विचाराधीन है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) सरकार को रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) सरकार का रूख यह है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र तथा पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के अवैध रूप से सत्तान्तरित हिस्सों सहित संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1204. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह राशि कितनी अधिक है; और

(घ) इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था को किस हद, तक सहायता मिलने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) जी, हां। नौंवी योजना के दौरान, राज्यों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के संदर्भ में, ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

सरकारी सेवा हेतु आयु की अधिकतम सीमा

1205. श्री विजय गोयल :

श्री शरत पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूह "क" से "घ" वर्गों के पदों के ग्रुप-वार और श्रेणी-वार सरकारी सेवा में प्रदेश के लिए सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इत्यादि वर्ग के लोगों के लिए आयु की अधिकतम सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को सामान्य वर्ग के आवेदकों से सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के अनुरूप बनाए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा कार्य के स्वरूप, शैक्षिक अर्हता और अनुभव संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियत की गई है आयु सीमा को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, ऊपरी आयु-सीमा बढ़ाए जाने से ही बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ नहीं जाएंगे क्योंकि आयु-सीमा से रिक्ति-स्थिति प्रभावित नहीं होगी। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी सरकार के अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा बढ़ाए जाने की सिफारिश नहीं की है।

एड्सरोधी योजनाएं

1206. श्री बी०एल० शंकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एड्सरोधी योजनाओं की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एड्सरोधी योजनाओं की समीक्षा करने से देश में एड्स फैलने की रोकथाम में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करता है। विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने हेतु राज्य एड्स कार्यक्रम अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इन समीक्षाओं से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो विश्व बैंक सहायता से 1992 में प्रारम्भ किया गया था, के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के बारे में उपयुक्त फीडबैक प्राप्त होने में मदद मिलती है।

(ग) एड्स रोधी स्कीमों की समीक्ष से निम्नलिखित कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का पता चलने में मदद मिली :–

(I) राज्य सरकार द्वारा राज्य एड्स सैल को विलम्ब से अपर्याप्त निधियां जारी करना।

(II) राज्य एड्स सैलों में मंजूर सभी पदों को भरने में विलम्ब होना,

(II) जनसंख्या के लिखित वर्गों में एड्स के बारे में जानकारी का अपर्याप्त प्रचार करना।

निरन्तर समीक्षा तथा अनुवीक्षण के जरिए इन क्षेत्रों में कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अनधिकृत निर्माण

1287. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री अनधिकृत निर्माण के बारे में 5 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या-1761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि नई दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन तथा डिफेंस कालोनी से लगते सुखदेव मार्किट के०एम० पुर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्वरोजगार योजना

1208. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गयी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार, वर्ष-वार कितना धन प्रदान किया गया; और

(ग) इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) यह मंत्रालय शहरी बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक दो केन्द्र प्रवर्तित शहरी रोजगार कार्यक्रम चला रहा है।

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) गरीबी रेखा से नीचे के अल्परोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार शहरी गरीबों को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1989 में शुरू की गयी थी। शहरी गरीबों को लघु उद्यम लगाने में सामान्य उम्मीदवारों को 4000/- रु० तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिला लाभार्थियों को 5000/-रु० की अनुदान राशि (सब्सिडी) दी जाती है। सब्सिडी की तीन गुणा राशि बैंको द्वारा ऋण के रूप में मुहैया कराई जाती है।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम नवम्बर, 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 50,000 से 1,00,000 (एक लाख) तक की आबादी वाले श्रेणी-II शहरो/कस्बों तथा पर्वतीय जिलों व उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनिंदा शहरों में गरीबी रेखा से नीचे के शहरी गरीबों के लाभ के लिए स्वरोजगार घंटक का समावेश है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत की 15% अथवा 7500/- रु० (अधिकतम), जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जाती है।

(ख) उक्त योजनाओं के तहत गत 3 वर्षों के दौरान प्रदत्त राशि के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I, II, III और IV के रूप में संलग्न है।

(ग) **नेहरू रोजगार योजना** : शहरी लघु उद्यम स्कीम के बैंकों की मार्फत स्थानीय वित्त से कार्यान्वयन में व्याप्त विभिन्न कठिनाईयों पर विचार के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई है। कस्बा स्तर पर कार्यदल गठित किया गया है। जिसमें लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में बैंकों को शामिल किया गया है। शहरी लघु उद्यम स्कीम के कार्यान्वयन में की कठिनाईयों को दूर करने तथा बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए, इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत की गई है। समय-समय पर सचिवों, मंत्रियों, राज्यों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। कार्यक्रम की निगरानी के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य शहरी विकास एजेन्सी (सूडा) तथा जिला शहरी विकास एजेंसी (डूडा) बनाई गयी हैं। घटिया कार्य निष्पादन वाले राज्यों की धनराशि अन्यत्र अन्तरित की गयी है।

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है, इसकी निगरानी क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, अन्तर मंत्रालय संयोजन मंच आदि विभिन्न स्तरों पर की जाती है। राज्यों से इन योजनाओं को जोर-शोर से लागू करने को कहा गया है।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना
शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) जारी धन

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	38.50	43.60	197.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	7.70	—
3.	असम	16.10	16.10	23.00
4.	बिहार	17.10	36.95	167.10
5.	गोवा	0.70	1.40	—
6.	गुजरात	9.40	17.50	—
7.	हरियाणा	13.76	13.44	21.80
8.	हिमाचल प्रदेश	4.20	8.40	12.00
9.	जम्मू व कश्मीर	4.90	9.80	14.00

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	16.45	17.25	—
11.	केरल	18.19	11.85	53.65
12.	मध्य प्रदेश	42.89	57.91	143.00
13.	महाराष्ट्र	20.90	55.50	247.25
14.	मणीपुर	6.88	6.72	8.00
15.	मेघालय	—	3.50	5.00
16.	मिजोरम	2.58	2.52	3.00
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	9.90	11.15	—
19.	पंजाब	12.41	4.40	19.90
20.	राजस्थान	20.10	19.45	88.00
21.	सिक्किम	3.44	3.36	4.00
22.	तमिलनाडु	47.40	46.80	206.95
23.	त्रिपुरा	2.50	2.10	3.00
24.	उत्तर प्रदेश	105.43	92.65	347.90
25.	पश्चिम बंगाल	18.95	44.40	—
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.95	2.35	3.35
27.	चंडीगढ़	0.60	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	0.60	1.15	—
29.	दमण व द्वीव	—	2.35	—
30.	दिल्ली	3.60	3.60	—
31.	पाण्डिचेरी	1.40	1.40	—
	योग	441.96	525.11	1568.15

विवरण-II

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	16.7.97 तक जारी केन्द्रीय अंश
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	360.54
2.	गुजरात	221.803
3.	आन्ध्र प्रदेश	572.895
4.	राजस्थान	192.420
5.	गोवा	38.730
6.	जम्मू व कश्मीर	90.365
7.	हिमाचल प्रदेश	58.090
8.	मध्य प्रदेश	293.755
9.	केरल	100.090
10.	हरियाणा	69.565
11.	कर्नाटक	241.190
12.	उत्तर प्रदेश	621.615
13.	पंजाब	116.420
14.	तमिलनाडु	397.700
15.	अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	14.85
	योग	3189.768

विवरण-III

प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (1996-97)

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	राज्य	अन्तिम रूप से जारी धन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	866.13
2.	पंजाब	270.55
3.	राजस्थान	447.18
4.	केरल	186.24
5.	तमिलनाडु	647.00
6.	पश्चिम बंगाल	390.4892
7.	मध्य प्रदेश	457.7788
8.	गोवा	58.5615
9.	हरियाणा	103.6784
10.	बिहार	443.0348
11.	उड़ीसा	145.5448
12.	सिक्किम	36.7290

1	2	3
13.	कर्नाटक	343.1226
14.	गुजरात	315.5450
15.	महाराष्ट्र	512.9095
16.	उत्तर प्रदेश	884.3184
17.	हिमाचल प्रदेश	82.6388
18.	जम्मू व कश्मीर	128.5492
19.	मेघालय	42.6336
20.	अरुणाचल प्रदेश	95.8045
21.	असम	314.7863
22.	मणीपुर	68.4318
23.	मिजोरम	27.7938
24.	नागालैंड	123.1772
25.	त्रिपुरा	27.37280
	योग :	7080.00
संघ प्रदेश		
1.	पाण्डिचेरी	30.00
2.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	30.00
	योग :	60.00
	सकल योग	7060.00

विवरण-IV

वर्ष 1995-96 के लिए प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धन

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	जारी केन्द्रीय अंश राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	980.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.11
3.	असम	145.94
4.	बिहार	819.57
5.	गोवा	90.00
6.	गुजरात	583.59
7.	हरियाणा	183.03
8.	हिमाचल प्रदेश	81.57
9.	जम्मू व कश्मीर	136.22
10.	कर्नाटक	634.59
11.	केरल	263.20
12.	मध्य प्रदेश	772.87
13.	महाराष्ट्र	948.60
14.	मणीपुर	48.65
15.	मेघालय	38.92
16.	मिजोरम	19.46
17.	नागालैंड	108.65
18.	उड़ीसा	269.17
19.	पंजाब	306.30
20.	राजस्थान	506.27
21.	सिक्किम	38.92
22.	तमिलनाडु	1046.37
23.	त्रिपुरा	19.45
24.	उत्तर प्रदेश	1584.74
25.	पश्चिम बंगाल	679.43
26.	अंडमान व निकोवार द्वीप समूह	50.00
27.	पाण्डिचेरी	30.00
	योग	10580.00

तम्बाकू का सेवन

1209. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्चन्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को "पान मसाले" तथा गुटका" में तम्बाकू के उपयोग तथा उपभोक्ताओं पर उन उत्पादों के प्रभाव की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार को समिति रिपोर्ट कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27.4.1994 के एक निर्णय में केन्द्रीय सरकार को विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में सरकार ने पान मसाला और गुटका के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में 17.8.1994 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के समक्ष विचारार्थ विषय पान मसाला और गुटका आदि में तम्बाकू के इस्तेमाल की जांच करना, जनस्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का पता लगाना और तद्नुसार समुचित उपाय सुझाना है। समिति ने सिफारिश की है कि गुटका के सेवन और इसके प्रतिकूल प्रभाव के बीच सहसम्बन्ध का पता लगाने के लिए प्रणालीबद्ध नैदानिक/जानपदिक रोगविज्ञानी अध्ययन किए जाने चाहिए। इस प्रकार के जानपदिरोग विज्ञानी और जन्तु आधारित अध्ययन, जिनमें दो से तीन वर्ष का समय लगेगा, चलाने के लिए दो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

रक्त का संरक्षण

1210. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 जून, 1997 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में जून, के माह में जीवन रक्षक रक्त की कई इकाई बर्बाद हो गई;

(ख) क्या अस्पताल के अधिकारियों के पास विद्युत पूर्ति बन्द हो जाने की स्थिति में रक्त संरक्षण के लिए कोई वैल्पिक व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का अस्पताल को पर्याप्त विद्युत पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में जून माह के दौरान जीवन रक्षक रक्त की केवल 14 यूनिटें विनष्ट की गई थीं।

(ख) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल का रक्त बैंक बिजली न होने के समय आपातकालीन जनरेटर पर रहता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी अस्पतालों के लिए पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनश्चित करें।

गोआ की नौकरानियों के साथ अत्याचार

1211. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1997 के "एशियन एज" में "गोअन मेड सर्वेन्ट्स फेस इरामेंट इन गल्फ" शीर्षक से प्रकाशित समचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) खाड़ी स्थित मिशनों/केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि संपरिवर्तन

1212. श्री कुवंर सर्वराज सिंह : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि के उपयोग में संपरिवर्तन की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले है जिनमें अनुमति दी गई है तथा इस प्रयोजनार्थ कितना संपरिवर्तन प्रभार लिया जाता है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां।

(ख) आयोजना एक सतत प्रक्रिया है। समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित सुविधाओं के लिए भू-उपयोग योजना में परिवर्तन, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन/संशोधन के माध्यम से किए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीए में भू-उपयोग परिवर्तन के 43 मामले प्राप्त हुए।

(घ) सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 30 मामलों में अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित उपर्युक्त मामलों के लिए डी०डी०ए० ने कोई अंतरण शुल्क वसूल नहीं किया है।

(ङ) शून्य।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1213. डा० राम विलास वेदान्ती :
श्री सोहन वीर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक देश में राज्य-वार कितने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं हुए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 30000 की जनसंख्या और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक 20000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार गांव-वार ब्यौरे नहीं रखती है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना और रख-रखाव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन भी सरकार द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त धन को निवेशित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आधारभूत ढांचे में अन्तरों को पूरा करने से संबंधित कार्य को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में माना गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता सेवा कार्यक्रम के अधीन आवंटित धन का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97xx
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	750.0	500.0	600.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	339.0	448.0	881.0
3.	असम	1890.0	2048.0	2673.0
4.	बिहार	996.0	2400.0	अनुपलब्ध
5.	गोवा	189.0	170.0	157.0
6.	गुजरात	1718.0	2280.0	1000.0
7.	हरियाणा	900.0	1069.0	1761.12
8.	हिमाचल प्रदेश	1344.0	1400.0	1713.25
9.	जम्मू व कश्मीर	1662.0	1946.0	3105.0
10.	कर्नाटक	3438.0	3169.0	अनुपलब्ध
11.	केरल	—	0.0	426.0
12.	मध्य प्रदेश	3921.1	2919.0	5498.62
13.	महाराष्ट्र	4884.0	7034.0	9480.0
14.	मणिपुर	225.0	231.5	269.0
15.	मेघालय	535.0	946.0	1346.0
16.	मिजोरम	273.8	400.0	780.0
17.	नागालैण्ड	95.0	311.0	1003.0
18.	उड़ीसा	909.6	1293.0	1961.2
19.	पंजाब	854.1	819.0	1575.0
20.	राजस्थान	3296.0	7504.0	9585.0
21.	सिक्किम	101.0	184.8	206.3
22.	तमिलनाडु	2679.0	2831.0	3163.37
23.	त्रिपुरा	450.0	345.0	549.0
24.	उत्तर प्रदेश	3976.0	5098.0	10066.0
25.	पश्चिम बंगाल	600.0	500.0	1725.0
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	372.0	330.0	455.0x
27.	चण्डीगढ़	90.0	199.6	268.4x
28.	दादरा व नगर हवेली	98.0	45.0	77.65x
29.	दमण व द्वीव	45.0	50.0	68.7x
30.	दिल्ली	—	0.0	100.0x
31.	लक्षद्वीप	48.3	39.3	87.15x
32.	पांडिचेरी	175.0	214.0	181.67x
	कुल योग :	36793.9	46644.2	60762.43

अनुपलब्ध

x संशोधित अनुमान

xx न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/बी०एम०एस० के अधीन आवंटन

— शून्य

(आकड़े अनंतिम है)

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1214. श्री पी० उपेन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में तथा विशेषरूप से विजयवाड़ा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोले जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) विजयवाड़ा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रस्ताव (नेटवर्क) के अंतर्गत लाने के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में नगर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

टेनियर व्हीकल पोलर बियर II

1215. लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री विकास विभाग ने टेनियर व्हीकल पोलर बियर-II जो क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुआ था, पर 112.30 लाख से भी अधिक धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या उक्त व्हीकल की आपूर्ति करने वाली अमरीकी कम्पनी ने उक्त व्हीकल की मरम्मत संबंधी विभाग के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) महासागर विकास विभाग ने अंटार्कटिक में प्रचालन हेतु पोलर बीयर-II वाहन की खरीद के लिए 112.30 लाख रुपये खर्च किए। महासागर विकास विभाग की ओर से भूतल परिवहन मंत्रालय के प्राधिकृत पोत परिवहन (शिपिंग) एजेंट द्वारा इस वाहन को अच्छी दशा में निर्माणास्थल (अमरीका) से प्राप्त किया गया। अमरीका से दक्षिण अफ्रीका तक और वहां से आगे अंटार्कटिक तक जलयान में लदान के दौरान इस वहान को छोटा मोटा नुकसान हुआ, जैसे कि आगे के बाएं शीशे में चटक, पार्श्व दर्पण की ब्रेकट के पीछे की ओर घूमने सहित बाईं केबिन के दरवाजे में दरारें, बाएं दरवाजे के सीधे और ऊपर के आड़े कटघरों पर रगड़, बाईं ओर के दरवाजे तक पहुंचने की सीढ़ी अंदर को ओर झुकना, बाईं ओर का ईंजन कंपार्टमेंट अंदर की झुकना, और ईंजिन के दरवाजे में तोडमरोड़, अग्र ईंजिनछाज पर रगड, बाईं ओर के नियंत्रक पैनल में उभार। दक्षिण अफ्रीका में इसे (क) स्वतंत्र समुद्री सर्वेक्षक (ख) रूसी जलयान "मिखाईल सोमोव" के मास्टर और (ग) मैसर्ज कबाईन ओशन, केप टाउन के संचालन एजेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये नुकसान उपरी किस्म के थे, जिनका इस वाहन की वास्तविक कार्यप्रणाली पर कुप्रभाव नहीं पड़ा था। वास्तव में, अंटार्कटिक पहुंचने पर इस वाहन को स्टेशन कंमाडर द्वारा उपयोग प्रमाणित किया गया था और उसके बाद शेल्फ से भारतीय केन्द्र तक प्रथम रक्षदल यात्रा में एक ट्रेलर के साथ इसे 20 किकलोमीटर ईंधन टैंक के आयभार के साथ लगाया गया था। लगभग 70 कि०मी० का मार्ग तय करने के बाद प्रमुख एक्सल फेल हो जाने के कारण वह वाहन खराब हो गया, जिसे अचानक वाहन को अधिक लादना/गिरना माना गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अमरीकी फर्म, यह मरम्मत भुगतान के आधार पर करने के लिए सहमत है, क्योंकि यह नुकसान यांत्रिक खराबी होने के बाद गतिक अतिभार के कारण हुआ था, जो कि वारण्टी के अंतर्गत नहीं आता।

(घ) वाहन को, संयुक्त राज्य अमेरिका के आपूर्तिकारों की वर्कशाप में ले जाया गया। वाहन की मरम्मत के लिए विभाग को उनका प्रस्ताव मिला था। शर्तों व निबंधनों पर बातचीत जारी है।

डेवपिंग-8 की बैठक

1216. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान और बंग्लादेश सहित इस्लामी देशों के ट्रांसरिजनल ग्रुप आफ 'डेवलिपिंग एट (डी-8)" की तुर्की में हाल ही में हुई बैठक पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र विशेषकर भारत के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा परिवेश पर इसके प्रभावों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि तुर्की की पहल पर 8 राष्ट्रों अर्थात् बंगलादेश, मिश्र, इन्डोनेशिया, ईरान, मलेशिया नाईजीरिया, पाकिस्तान तथा तुर्की की एक बैठक "विकासशील आठ' जिसे संक्षेप में "डी-8" कहा गया, समूह का सूत्रपात करने के लिए राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर पर 15 जून, 1997 को इस्तांबुल में सम्पन्न

हुई थी। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है और जैसाकि शिखर सम्मेलन की बैठक के अंत में जारी की गई घोषणा में कहा गया है, डी-8 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। हालांकि इस सहयोग में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक परामर्श और सहयोग को भी शामिल किया जा सकता है। इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के लिए बाजार विकास, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिक डाटा बैंक, कृषि, बीमा और अन्तर्देशीय तथा तटीय मछली पालन के क्षेत्रों में छह प्राथमिकता परियोजनाओं का पता लगाया गया।

(ग) और (घ) भारत सरकार "विकासशील आठ" (डी-8) समूह से संबद्ध आगे की घटनाओं पर निकटता से निगाह रखे हुए है तथा उनकी संभावित कठिनाइयों का सतत रूप से मूल्यांकन कर रही है।

मुख्य शहरों के संबंध में सम्मेलन

1217. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मास्को में हाल ही में आयोजित मुख्य शहरों से संबंधित सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया तथा इस सम्मेलन में भाग लेने गए भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ग) क्या सम्मेलन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नागरिक सुविधाओं प्रदूषण नियंत्रण तथा अन्य विकास कार्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही में मास्को में हुई विश्व के बड़े शहरों के पांचवे सम्मेलन में दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भाग लिया।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सम्मेलन में पेय जल, मल जल शोधन, सड़कों और पुलों से सम्बन्धित अवस्थापना आदि सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

विवरण

चूंकि सम्मेलन विश्व के बड़े शहरों के लिए था इसलिए सम्मेलन में निम्नलिखित शहरों ने भाग लिया :-

आदिदजों, एथेन्स, बैंकाक, बीजिंग, बर्लिन, ब्रुसेल्स, बुचारेस्ट, ब्यूनस-आयर्स, कायरो, दिल्ली, इस्तांबूल, जकार्ता, क्वालालम्पुर, लीमा, लिस्बन, मैड्रिड, मैक्सिको, मास्को, मॉन्ट्रियल, नैरोबी, पेरिस, रोम, सैम पुरेलो, स्टॉकहोम, सियोल, टोक्यो, वियाना और न्यू साऊथ वेल्स।

भारतीय प्रतिनिधि मंण्डल के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1. श्रीमती शकुन्तला आर्य, मेयर दिल्ली प्रतिनिधि मण्डल की नेता।
2. श्री शान्ति देसाई, सदन के नेता और स्थायी समिति के अध्यक्ष (दिल्ली विधान सभा)
3. डा० नरेन्द्र नाथ, विपक्ष के नेता (दिल्ली विधान सभा)
4. श्री वी०के० दुग्गल, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम।

फाइलेरिया के मामले

1218. श्री एन० डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से संख्या विभिन्न राज्यों मे फाइलेरिया रोग के रोगियों की बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रोग के नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी नहीं। राज्यों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान नियंत्रण एककों और फाइलेरिया क्लीनिकों द्वारा दर्ज किए गए फाइलेरिया के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	रोगियों की संख्या
1994	35219
1995	34454
1996	21742

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ फाइलेरिया रोग को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

- वैकटर मच्छरों की रोकथाम करने के लिए लार्वानाशकों सहित लार्वारोधी उपायों को पुनः चलाना।
- खाईयों, गड्ढों, निचले क्षेत्रों को भरकर नालों की सफाई करके मच्छर पैदा होने के स्रोतों में कमी करने समेत मच्छर पलने के स्थानों की रोकथाम करने के पर्यावरणिक उपाय।
- जैविक कारकों, विशेषतौर से लार्वाभक्षी मछली के जरिए मच्छर

पलने के उत्तरदायी कारणों को समाप्त करने के लिए जैविक नियंत्रण।

– माइक्रोफाइलेरिया वाहकों का "पता लगाने और उपचार करने" के माध्यम से परजीवी-रोधी उपाय और फाइलेरिया क्लीनिकों के माध्यम से "डेक" गोलियां देना।

रोगियों को दवाओं की आपूर्ति

1219. श्री टी० गोविन्दन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों कोइन्डेंटेड दवाईयों के लिए उसे 5 दिन तक इंतजार कराने के बजाए आपात जरूरत की आवस्था में तथा अन्यथा निकटस्थ केमिस्ट की दुकान से दवाईयां खरीदने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में जरूरतमंद रोगियों को समय पर दवाई की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ताजा दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि आपाती स्थितियों में एक "प्राधिकार पर्ची" जारी की जा रही है जिसमें लाभार्थियों को औषधि स्थानीय केमिस्ट से बिना कोई भुगतान किए सीधे ही खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण हेतु धनराशि

1220. श्री सोहनवीर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या उक्त धनराशि पर्याप्त थी; और

(ग) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्रक में स्वास्थ्य (औषधि की भारतीय पद्धति तथा होम्योपैथी (आई०एस०एम० तथा एच० सहित) तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं आठवीं योजना अवधि के दौरान वार्षिक योजनाओं में प्रदान किए गए परिव्ययों की वास्तविक राशि नीचे तालिका में दी गई है। एक संभव सीमा तक पर्याप्त निधियां प्रदान करने की चेष्टा की गई।

आठवीं योजना परिव्यय

	स्वास्थ्य (आई०एस०एम० व एच सहित)		परिवार कल्याण	
	8वीं योजना अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक आवंटन (1992-97)	8वीं योजना अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक आवंटर (1992-97)
			(करोड़ रुपये)	
केन्द्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय	1800.00	2848.30	6500.00	6816.00

(ग) नौवीं योजना हेतु क्षेत्रकवार परिव्यय योजना आयोग में अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

मंत्रालयों में अनुसूचित जाति की रिक्तियां

1221. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत देश में अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्य-वार कितने आरक्षित पद रिक्त हैं;

(ख) क्या अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार इन पदों पर कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैक लॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) भारत के पासपोर्ट कार्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए रिक्तियों का आरक्षण केन्द्रीय, पासपोर्ट संगठन की कुल कर्मचारी संख्या के आधार पर किया जाता है न कि पासपोर्ट कार्यालय के आधार पर केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में श्रेणीवार अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है :–

क्रं०सं०	पदनाम	रिक्तियाँ
1.	पासपोर्ट अधिकारी	2
2.	सहायक पासपोर्ट अधिकारी	3
3.	जन सम्पर्क अधिकारी	3
4.	अधीक्षक	1

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फीडर पदों पर उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण ये रिक्तियां नही भरी जा सकीं। जैसे ही पदोन्नति के लिए ऐसे अधिकारी उपलब्ध होंगे, ये रिक्तियाँ भर ली जएंगी।

[अनुवाद]

राजस्थान में मल जल व्ययन और जलापूर्ति

1222. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार से पांच बड़े कस्बों के लिए जलापूर्ति और मलजल व्ययन व्यवस्था हेतु कितनी परियोजनाएं मंजूरी के लिए प्राप्त हुई है; और

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और शेष परियोजनाओं के बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने विदेशी सहायता के लिए राजस्थान के निम्नलिखित पांच बड़े कस्बों के लिए संयुक्त जल आपूर्ति और मलजल परियोजनाएं भेजी हैं :–

परियोजना कस्बे	लागत (करोड़ रुपये में)
अजमेर	505.50
बीकानेर	90.17
जोधपुर	287.93
कोटा	256.39
उदयपुर	982.18
	2022.17

इस मंत्रालय ने परियोजना को विश्व बैंक/विदेशी आर्थिक सहयोग कोई (ओई०सी०एफ०) जापान, से विदेशी सहायता के लिए अनुशासित किया है जिस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है।

आणविक हथियार

1223. **श्री शरत पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आणविक हथियारों के विकास में चीन द्वारा पाकिस्तान की बार-बार सहायता की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की कृपा प्रतिक्रिया है और क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम में दी जा रही चीन की सहायता के बारे में अपनी चिन्ता से चीन को अवगत करा दिया है। इस संदर्भ में भारत ने एक-दूसरे की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मसलों पर एक-दूसरे की चिन्ताओं के प्रति पर्याप्त ध्यान दिए जाने की महत्ता का भी उल्लेख किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक संबंध

1224. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रबंध के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से 120 करोड़ रुपए का कोई पायलट प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं तथा नयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा 30 जून, 1997 के अनुसार इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक प्रबन्ध के कोटि उन्नयन एवं इसकी स्थापना के लिए चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि देने का वायदा किया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। ये प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन के उभरते हुए प्रतिमान हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सामने आ रहे हैं तथा इनमें प्रौद्योगिक परियोजनाएँ, इंटरनेट अनुप्रयोग तथा अन्य सूचना प्राद्योगिकी अनुप्रयोग जैसे कुछ क्षेत्रों को आरम्भ करने का सुझाव दिया गया है। जिससे सरकार के साथ सम्पर्क को और अधिक आसान तथा नागरिक उपयोगी बनाने में सहायता मिलेगी। इन पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया ?

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में केन्द्रीय परिव्यय का कोई राज्यवार निश्चित आवंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग केन्द्रीय परिव्यय में से अपने संसाधनों को अनुसंधान, अवधारणा निर्माण, प्रौद्योगिकी/उत्पाद विकास तथा जनशक्ति विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित करता है। देश में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग परियोजनाएं/कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम :

1. प्राद्योगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरण एवं अनुसंधान संस्था (समीर)।
2. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी-संवर्धन कार्यक्रम।
3. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी विकास कार्यक्रम–एन०एम०सी०।

4. प्रौद्योगिक विकास परिषद्।
5. सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी उपस्कर विकास।
6. इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास परिषद (ई०एम०डी०सी०)।
7. सी-मेट।
8. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)।
9. फोटॉनिकी/प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी।
10. भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (ई०आर०एण्ड० डी०सी०आई०)
11. स्वास्थ्य एवं जैव-प्रौद्योगिक में इलेक्ट्रॉनिकी।
12. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास।
13. राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्षधारा कार्यक्रम।
14. बुद्धिपरक विनिर्माण प्रणाली का विकास।
15. पूंजीगत वस्तु उद्योग का विकास।
16. परिवहन एवं विद्युत वितरण प्रणाली कार्यक्रम तथा प्रदूषण नियंत्रण।
17. तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र।
18. विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी।
19. बौद्धिक संपदा अधिकार सवंर्धन कार्यक्रम।
20. इलेक्ट्रॉनिकी में पर्यावरण प्रबंध।
21. ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिकी।

II. मूलसंरचनात्मक सुविधा विकास :

1. शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट)
2. मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)।
3. एसटीपीआई तथा सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर निर्यात संवर्धन।
4. राष्ट्रीय सूचना मूलसंरचना।
5. उच्च प्रौद्योगिकी—पूंजीनिवेश पार्क।

III. मानव संसाधन विकास

1. भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी०ई०टी०आई०)।
2. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन०सी०एस०टी०)।
3. इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास परियोजना।
4. सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास।
5. एसिक डिजाइन के लिए विशिष्ट जनशक्ति।
6. रोजगार सृजन योजनाएं तथा गैर-अंग्रेजी भाषा कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्वोत्तर के पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार सृजन।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दवाखानों में चिकित्सक

1225. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी चिकित्सक एक साथ उपस्थित नहीं रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दवाखानों में रोगियों की उचित रूप से तथा गंभीरतापूर्वक चिकित्सा नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के डाक्टरों को अपनी ड्यूटियां पारियों में करना अपेक्षित होता है। अतः डाक्टर अपने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपनी ड्यूटियां करते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के माध्यम से चिकित्सीय सेवाओं में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर औषधालयों के स्टाफ पर जोर दिया जाता है कि वे लाभार्थियों को पूरा सहयोग दें और उनके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करें।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

1226. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के कतिपय गांवों तथा शहरी क्षेत्रों को दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 के अंतर्गत इन सभी क्षेत्रों को लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) दिल्ली किराया (नियंत्रण) अधिनियम, 1958

की धारा 1(2) में प्रावधान है कि यह अधिनियम नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं में शामिल क्षेत्रों और अधिनियम की प्रथम अनूसूची संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों में लागू होगा।

(ग) और (घ) दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 नई दिल्ली नगर परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों और कुछ समय तक दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में शामिल क्षेत्रों मे लागू होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की प्रथम अनुसूची

प्रथम अनुसूची
(देखें धारा 1 (2))

दिल्ली नगर निगम की सीमाओं में आने वाले ये शहरी क्षेत्र, जिनमें यह अधिनियम लागू होगा

वे क्षेत्र जिन्हें 7 अप्रैल, 1953 से तत्काल पहले शामिल किया गया था :–

1. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर नई दिल्ली नगर पालिका।
2. म्यूनिसिपल कमेटी, दिल्ली।
3. अधिसूचित क्षेत्र समिति, सिविल स्टेशन, दिल्ली।
4. म्यूनिसिपल कमेटी, दिल्ली-शाहदरा।
5. अधिसूचित क्षेत्र समिति, लाल किला।
6. म्यूनिसिपल कमेटी, पश्चिम दिल्ली।
7. दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी।
8. अधिसूचित क्षेत्र समिति, महरोली।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अभियन्ताओं की पदोन्नति

1227. डा० ए०के० पटेल : क्या शहरी कार्य रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए भर्ती नियम, 1996 के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति डिग्री धारक सहायक अभियन्ताओं से पहले की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार किए जा रहे अधिलंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को विचार नए भर्ती नियम, 1996 में संशोधन किए जाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, नहीं। नये निर्मित भर्ती नियमावली वर्ष 1996 के अनुसार कार्यपालक इंजीनियरों (सिविल) और (विद्युत) ग्रेड में अब तक पदोन्नति नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी कालेजों को सहायता

1228. श्री आर० देवदास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देशभर में यूनानी कालेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाएं जा रहे हैं;

(ग) क्या फर्जी अथवा निजी कालेजों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कालेज-वार यूनानी कालेजों को कितना अनुदान दिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) इस समय चल रही स्कीमों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के देश भर के स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह यूनानी कालेजों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के मानदंड विवरण-I में दिए गए हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर प्राइवेट यूनानी कालेज भी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) ब्यौरा विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रमुख पात्रता मानदण्डों का विवरण

I. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के स्नातक कालेजों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतानुदान देने की योजना।

1. कालेज भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद

से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

2. कालेज को कार्य करते हुए 5 वर्ष पूरे हो गए हों।

3. सज्य सरकार से अनापत्ति/संस्तुति प्रमाणपत्र।

4. पहले प्राप्त किए गए अनुदानों के समुपयोजन प्रमाण-पत्र और सम्बद्ध कागजात।

5. इस आशय का वचन पत्र कि कालेज केपीटेशन फीस नहीं ले रहा है और शुल्क ढांचा स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप है।

6. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होमिपैथी परिषद द्वारा कालेज के निरीक्षण की नवीनतम रिपोर्ट तथा इस संबंध में कालेज के उत्तर की प्रति।

7. इस बात के दस्तावेजी प्रमाण कि भवन के लिए प्रस्तावित भूमि कालेज की है।

8. निर्माण कार्य की अनुमति के लिए नगर निगम/स्थानीय प्राधिकारी का अनुमति पत्र।

II. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी कार्मिकों के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायतानुदान की योजना

1. इस आशय का वचन पत्र की संस्था कार्यक्रम के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान कर सकेगी।

2. संस्था को राज्य सरकार के नियंत्रण में मान्यता प्राप्त और सक्षम होना चाहिए।

3. इस आशय का वचन पत्र कि संस्था की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है।

4. जिन विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है, उन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए।

III. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर कालेजों के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान

1. कालेज मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना चाहिए।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की अपेक्षा के अनुसार स्नातक स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचा हो।

3. पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या के अनुसार हो।

4. विभाग का उन्नयन अखिल भारतीय स्वरूप के अनुसार हो।

5. नए विभाग में शिक्षण पद प्रतियोगी चयन के माध्यम से भरे जाएंगे।

विवरण-II

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान यूनानी कालेजों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा

क्र० सं०	स्कीम का नाम	यूनानी कालेजों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान	
		1995-96	1996-97 (रुपए लाख में)
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के स्नातक कालेजों में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान योजना	53.25	15.00
2.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी कार्मिकों के अभि-विन्यास प्रशिक्षण के लिए सहायता अनुदान योजना	2.03	7.77
3.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर कालेजों के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान की योजना	11.90	5.00

इलेक्ट्रॉनिक पार्क

1229. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सॉफ्टवेयर के विकास के लिए मंगलौर में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति की है;

(घ) क्या देश में सॉफ्टवेयर के और अधिक विकास के लिए विदेशों से किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) मंगलौर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में काफी प्रगति हुई है। ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्यात वर्ष 1992-93 में 675 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1996-97 में लगभग 3700 करोड़ रुपये हो गया है।

(घ) और (ङ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रिक्शा चालक

1230. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या श्रम मंत्री देश में विशेषकर दिल्ली में रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में 27 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 964 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी जानकारी एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जानकारी सभापटल पर कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रिक्शा व्यवसाय में लगे हुए श्रमिकों के उत्थान के लिए एक कल्याण योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा वर्ग योजना के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु की दशा में 5000/- रुपये और दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में 25000/- रुपये की बीमा कवर की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में अभी तक किसी लाभानुभोगी को शामिल नहीं किया गया है, पूरे देश में मार्च, 1997 तक 22815 व्यक्तियों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है।

सरकार अक्तूबर, 1989 से नेहरू रोजागर योजना के अधीन शहरी सक्षम उद्यमों की एक योजना भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य रिक्शा चालकों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों के लिए स्वःरोजगार मुहैया कराना है। यह योजना दिल्ली सहित देश के सभी शहरी बस्तियों पर लागू होती है। इस योजना के अधीन, अल्प रोजगार/बेरोजगार शहरी युवाओं की सेवा, छोटे-मोटे कारबार और विनिर्माण से संबंधित छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य लाभानुभोगियों के लिए प्रति इकाई की लागत के 25% तक की, जिसकी अधिकतम सीमा 4000/-रु० है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और बैंकों द्वारा इकाई लागत के 75% तक, की जिसकी अधिकतम सीमा 5000/-रु० है, ऋण प्रदान किया जाता है।

इनके अन्तर्गत प्रशिक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चरल सहायोग के घटक की भी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत लाभानुभोगियों को कौशल की अपेक्षा रखने वाले सेवाओं, विनिर्माण व्यवसायों के क्षेत्रों में 1200/-रु० प्रति व्यक्ति की लागत से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रति व्यक्ति व्यय

1231. श्री चमन लाल गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित किए गए 1992-93 से 1995-96 वर्षों हेतु वास्तविक व्यय आंकड़ों के आधार पर निकाले गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हेतु प्रति व्यक्ति पूर्वानुमानित व्यय के ब्यौरे और राज्य योजनाओं के संबंध में वर्ष 1995-96 हेतु संशोधित परिव्यय के आंकड़े विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों की योजनाएं राज्य के अपने संसाधनों से, निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि के द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं। आठवीं योजना के दौरान राज्यों को जारी किए गए प्रति व्यक्ति निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता के ब्यौरा विवरण-II मे दिए गए हैं।

विवरण-I

आठवीं योजना 1992-97 प्रति व्यक्ति व्यय

(रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	प्रति व्यक्ति प्रत्याशित व्यय
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1970
2.	अरुणाचल प्रदेश	20180
3.	असम	2222
4.	बिहार	636
5.	गोवा	7185
6.	गुजरात	2866
7.	हरियाणा	3052
8.	हिमाचल प्रदेश	6728
9.	जम्मू और कश्मीर	5735

1	2	3
10.	कर्नाटक	3305
11.	केरल	2483
12.	मध्य प्रदेश	1865
13.	महाराष्ट्र	3310
14.	मणिपुर	6569
15.	मेघालय	6126
16.	मिजोरम	15233
17.	नागालैण्ड	6588
18.	उड़ीसा	2257
19.	पंजाब	3100
20.	राजस्थान	2736
21.	सिक्किम	18577
22.	तमिलनाडु	2509
23.	त्रिपुरा	4910
24.	उत्तर प्रदेश	1456
25.	पश्चिम बंगाल	1202
संघ क्षेत्र		
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	31933
27.	चण्डीगढ़	6820
28.	दादर और नगर हवेली	9283
29.	दमन और द्वीव	9637
30.	दिल्ली	6645
31.	लक्ष्य द्वीप	29398
32.	पांडिचेरी	8714

टिप्पणी : (1) वर्ष 1995-96 के लिये संशोधित परिव्यय आंकड़े अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, प० बंगाल, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली एवं लक्षद्वीप के लिये प्रयुक्त किये गये हैं।

(2) 1996-97 के लिये संशोधित परिव्ययों को सभी राज्यों के लिये प्रत्याशित व्यय के रूप में लिया गया है।

(3) जनसंख्या के लिए 1991 के जनगणना आंकड़े प्रयुक्त किये गये हैं।

विवरण-II

आठवीं योजना 1992-97 राज्य योजनाओं के लिये प्रतिव्याक्त निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता (वर्तमान कीमतों पर)

क्र०सं०	राज्य	(रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	529
2.	अरुणाचल प्रदेश	18918
3.	असम	1965
4.	बिहार	548
5.	गोवा	2125
6.	गुजरात	334
7.	हरियाणा	522
8.	हिमाचल प्रदेश	3567
9.	जम्मू और कश्मीर	5779
10.	कर्नाटक	361
11.	केरल	672
12.	मध्य प्रदेश	448
13.	महाराष्ट्र	314
14.	मणिपुर	6405
15.	मेघालय	5821
16.	मिजोरम	15271
17.	नागालैण्ड	9395
18.	उड़ीसा	610
19.	पंजाब	450
20.	राजस्थान	496
21.	सिक्किम	17691
22.	तमिलनाडु	551
23.	त्रिपुरा	4679
24.	उत्तर प्रदेश	490
25.	पश्चिम बंगाल	406

टिप्पणी : 1. 1996-97 हेतु निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता के आवंटन के जारी केन्द्रीय सहायता के रूप में लिया गया है।

2. 1991 की जनगणना पर आधारित।

स्व-वित्त पोषण योजना

1232. **श्री शिबु सोरेन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकारण ने वर्ष, 1983 में जनकपुरी, जिला केन्द्र, नई दिल्ली में स्ववित्त पोषण योजना के आधार पर कार्यालय एवं विक्रय केन्द्र के लिए स्थान आवंटन हेतु विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो स्थान के आवंटन के लिए आवेदकों की संख्या कितनी है और योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए जमा कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि आवेदकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए पूरी धनराशि जमा करा दी गई है कुछ आवंटन अभी तक लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गुजराल सिद्धांत

1233. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गुजराल सिद्धांत" में प्रतिपादित की गई भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) "गुजराल सिद्धांत" के रूप में इस नामावली के चयन का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेवार है;

(ग) क्या यह नई नामावली स्वतंत्रता से चली आ रही भारत की विदेशी नीति से इसके अंतर को रेखांकित करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस अंतर का क्या ब्यौरा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जबकि प्रधान मंत्री ने किसी सिद्धांत को प्रक्षेपित नहीं किया है, फिर भी अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रतिरूप संबंधी उनके विचार उनके नाम से जोड़े जाते हैं। यह प्रतिरूप दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका और नीति को नई प्रेरणा प्रदान करता है। इस पहलकदमी से और अधिक मैत्री तथा सहयोग की भावना से दक्षिण एशिया के संबंधों का पुनर्निमाण करने की चेष्टा की गई है। "गुजराल सिद्धांत" पांच तत्वों पर जोर देता है :– पहला : भारत अपने पड़ोसी देशों से बदले में कुछ अपेक्षा नहीं करता अपितु उन्हें सद्भावना और विश्वास प्रदान करता है, दूसरा : कोई भी दक्षिण एशियाई देश इस क्षेत्र के अन्य देशों के विरुद्ध अपने क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देगा, तीसरा : कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चौथा : सभी दक्षिण एशियाई देश अन्य देशों की क्षेत्रीय अखण्डता तथा सम्प्रभुता का सम्मान करेंगे, और अन्त में सभी देश अपने सभी मसले शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करेंगे।

गुजराल के सिद्धांतों में संघर्षों के प्रति सहयोग पर आधारित वैकल्पिक दृष्टिकोण रखने तथा अन्ततः उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रावधान है। इस सिद्धांत की मौलिक बातें इस प्रकार हैं : (क) विषमता होने पर भारत के सम्बन्ध एक सहयोगात्मक भावना रखकर बनाए जाने चाहिए। भारत चूंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है अतः इसे अपने पड़ोसी देशों से अपने लिए अपेक्षा रखने के बजाए उनके लिए और अधिक कार्य करना चाहिए क्यों भारत इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में कई गुणे आकार और संसाधनों से सम्पन्न है। (ख) सभी देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, प्रादेशिक अखंडता और सम्प्रभुता के नियम का पालन करना चाहिए। (ग) भारत किसी दूसरे देश में फौजी दखलंदाजी न करे जब तक वह देश ऐसा करने के लिए न कहे अथवा जब तक इसकी सुरक्षा को खतरा न हो।"

सितम्बर, 1996 में जब वे विदेश मंत्री थे, काथम हाऊस (यू०के०) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के शाही संस्थान में श्री गुजराल ने अपने भाषण के दौरान, "भारतीय विदेश नीति का बोध और चुनौतियां" विषय पर भाषण दिया था। बाद में मीडिया और बुद्धि-जीवियों ने इन्हीं विचारों की व्याख्या "गुजरात सिद्धांत" के रूप में की। तभी से उनके विचारों को पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को "गुजराल सिद्धांत" के रूप में जाना जाता रहा है।

भारत की विदेश नीति आजादी के काल से ही बुनियादी तौर पर अपरिवर्तनीय रही है। हमारे आकार और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए "गुजरात सिद्धांतों के तहत हाल की पहलकदमी, हमारे पड़ोसियों के लिए अधिक अनुकूल होगीं श्री गुजराल ने कहा है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हित को संवर्द्धित करने की होनी चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए।

पेंशनभोगियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना

1234. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ समुचित व्यवस्था कर केन्द्रीय/राज्य सरकार के अस्पतालों और सम्बद्ध औषधालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत न आने वाले पेंशनरों को

केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत लाने की संस्तुति की है। ताकि किसी सरकारी अस्पताल/के०सा०स्वा०यो० के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में हुए खर्च अथवा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत उन्हें अस्पताल खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का निलम्बन

1235. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निलम्बित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर-प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी एसोशिएशन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने संबंधी अधिकार को राज्य सरकारों से वापस लेने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार वापस लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वर्ष 1994, 1995, 1996 और 1997 (आज तक) के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबनाधीन अधिकारियों की संख्या

राज्य का नाम	प्रत्येक वर्ष में मामलों की सं०				
	1994	1995	1996	1997	कुल
1	2	3		4	5
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	1 (एक)	शून्य	1 (एक)	2 (दो)
असम	•	•	•	•	•
बिहार	शून्य	2 (दो)	शून्य	3 (तीन)	5 (पांच)
गुजरात	शून्य	3 (तीन)	शून्य	शून्य	3 (तीन)
हरियाणा	शून्य	शून्य	3 (तीन)	1 (एक)	4 (चार)
हिमाचल पदेश	•	•	•	•	•
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	1 (एक)	1 (एक)
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	2 (दो)	2 (दो)
कर्नाटक	शून्य	2 (दो)	1 (एक)	1 (एक)	4 (चार)
मध्य प्रदेश	शून्य	1 (एक)	शून्य	शून्य	1 (एक)
महाराष्ट्र	2 (दो)	शून्य	शून्य	शून्य	2 (दो)
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	•	•	•	•	•
उड़ीसा	शून्य	शून्य	2 (दो)	शून्य	2 (दो)
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्थान	•	•	•	•	•
सिक्किम	•	•	•	•	•

1	2	3		4	5
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	7 (सात)	–	7 (सात)
त्रिपुरा	•	•	•	•	•
उत्तर प्रदेश	1 (एक)	3 (तीन)	शून्य	शून्य	4 (चार)
पश्चिम बंगाल	2 (दो)	शून्य	शून्य	शून्य	2 (दो)
ए०जी०एम०यू०टी० (एम०एच०ए०)	शून्य	शून्य	1 (एक)	शून्य	1 (एक)
केन्द्रीय सरकार	शून्य	शून्य	3 (तीन)	1 (एक)	4 (चार)

सूचना प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

बुद्ध की मूर्ति का विक्रय किया जाना

1236. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अफगानिस्तान स्थित भूतपूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय में बुद्ध की मूर्ति को विक्रय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसकी सुरक्षा के लिये वर्तमान अफगानिस्तान सरकार से अनुरोध करने के लिये क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अफगानिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1997 में, तालीबां के एक कमाण्डर ने यह धमकी दी थी कि यदि यह क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया तो वह बामियां स्थित बौध अवशेषों को नष्ट कर देगा।

(ग) और (घ) सरकार ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है जिसे 24 अप्रैल और 9 मई, 1997 को जारी किए गए सार्वजनिक वक्तव्यों में परिलक्षित किया गया, तथा जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बामियां स्थित बोध अवशेष समस्त मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं तथा जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने राजनयिक माध्यमों के जरिए उन देशों की सरकारों को भी अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है जिनमें बौध परम्पराओं का यथेष्ठ आदर किया जाता है। सरकार ने इस धमकी पर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में वक्तव्य देकर भी चिन्ता व्यक्त की थी। इन कार्यवाइयों ने तालीबां पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव डालने के प्रयास में योगदान दिया है जिसमें यह कहा गया है कि बोध अवशेषों के विरुद्ध इस धमकी का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पुरजोर विरोध करता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति

1237. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :
श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1997 के "टेलीग्राफ" में "चाईनीज मिसाइल इन पाक क्लोदिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो इसकी मारक दूरी कितनी है और इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में कितनी असमानता आने की संभावना है; और

(ङ) चीन द्वारा पाकिस्तान को विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपात्रों की आपूर्ति किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) भारत को यह जानकारी है कि संयम बरतने की एक पक्षीय घोषणा और उत्पादक देशों में आपूर्ति प्रतिबन्धों के बावजूद पाकिस्तान को उसके प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों को निरन्तर विदेशी सहायता मिल रही है।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाने का परीक्षण किया है।

(घ) और (ङ) भारत इन गतिविधियों का कोई उपयुक्त निष्कर्ष निकालेगा और सभी संभाव्यताओं के प्रति देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।

[अनुवाद]

"श्रम रत्न" पुरस्कार

1238. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रधान मंत्री के चार श्रम पुरस्कारों के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय द्वारा "श्रम रत्न" पुरस्कार शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुरस्कारों को शुरू किए जाने के बाद से अब तक कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं तथा उनके नाम क्या हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों एवं केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 से श्रम मंत्रालय में की गई थी। इन पुरस्कारों की घोषणा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर की जाती है।

शुरू में कुल पुरस्कारों की संख्या 10 थी (श्रम रत्न-1, श्रम भूषण-2, श्रम वीर-3 और श्रम श्री/देवी-4)। वर्ष 1992 से इन पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है (श्रम रत्न-1, श्रम भूषण-2, रम वीर-6 और श्रम श्री/देवी-8)। पुरस्कारों की योजना, जैसा कि अपने वर्तमान स्वरूप में है निम्नानुसार है :

प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कार-योजना

सीमा क्षेत्र :–

ये पुरस्कार उन कर्मकारों को (जिनकी परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गई है (दिए जाएंगे, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारी के विभागीय उपक्रमों तथा केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित हैं और जो विनिर्माण तथा उत्पादक प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं और जिनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है। पूर्णतः नेमी स्वरूप की सेवाओं में नियोजित कर्मकार इसके पात्र नहीं होंगे।

पुरस्कारों के ब्यौरे :–

ये पुरस्कार श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर और श्रम श्री/श्रम देवी के अग्रताक्रम में हैं। नगद पुरस्कार और वर्ष में ऐसे पुरस्कारों की संख्या निम्नानुसार होगी :

पुरस्कार का नाम	पुरस्कारों की संख्या	नकद पुरस्कार की राशि
श्रम रत्न	1	1,00,000.00 रु०
श्रम भूषण	2	50,000.00 रु०
श्रम वीर	6	30,000.00 रु०
श्रम श्री/श्रम देवी	8	20,000.00 रु०
कुल	17	

हालांकि एक वर्ष में कुल पुरस्कार सत्रह होंगे, लेकिन यदि किसी एक श्रेणी या अधिक श्रेणियों के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणियों के बीच में बांटा जा सकता है। नकद पुरस्कार के अलावा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रधान मंत्री से "सनद" भी मिलेगी।

पुरस्कारों के लिए पात्रता :–

श्रम रत्न : उच्चतम पुरस्कार होने के कारण वास्तव में उत्कृष्ट योग्यता वाले कर्मकार को दिया जाएगा।

श्रम भूषण : उन कर्मकारों को दिया जाएगा जिन्होंने उत्पादकता/उत्पादन में असाधारण योगदान किया हो और साथ ही उच्च स्तर की अभिनव योग्यता भी दर्शाई हो।

श्रम वीर : उन कर्मकारों को दिया जाएगा जिन्होंने हमेशा निष्ठापूर्वक सेवा की हो तथा जिनका उत्पादकता का रिकार्ड उच्च स्तर का रहा हो।

श्रम श्री/श्रम देवी : उन कर्मकारों को दिया जाएगा जिन्होंने कार्य के प्रति असाधारण उत्साह और उमंग दिखाई हो और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

ये पुरस्कार, उन कर्मकारों को दिए जाएंगे जिनका कार्य निष्पादन में रिकार्ड उल्लेखनीय हो, जो उच्च स्तर की कार्य निष्ठा रखते हों, जिन्होंने उत्पादकता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान किया हो, जिनकी प्रभाषित अभिनव योग्यताएं सिद्ध हो चुकी हों तथा जो कुशाग्र बुद्धि, असाधारण साहस रखते हों ये पुरस्कार उन कर्मकारों को भी दिए जा सकते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य से निष्ठापूर्वक निष्पादन में अपने जीवन तक का बलिदान देकर उच्चतम त्याग किया है।

इन पुरस्कारों को प्रदान करते समय ऐसी महिलाओं तथा उन विकलांग कर्मकारों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिन्होंने ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

अवधि

इन पुरस्कारों की घोषणा प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिव की पूर्वसन्ध्या पर की जाएगी।

पुरस्कारों के लिए सिफारिश :

श्रम मंत्रालय प्रत्येक वर्ष के शुरू में किसी भी समय पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु सिफारिशें मांगता है। नामांकनों को प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य सरकार के माध्यम से उनकी सिफारिशों सहित भेजना होता है और ये श्रम मंत्रालय में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक अवश्यक पहुंच जाने चाहिए। इसके साथ ही पूरा प्रशंसात्मक उल्लेख हो जिसमें सिफारिश किए गए व्यक्तियों के वैयक्तिक विवरण दिए गए हों और कर्मकार की उन उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो, जिनकी वजह से वह पुरस्कार का हकदार है जो प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कारों के अनुरूप प्रतिष्ठा के हैं।

सचिव (श्रम) और अन्य संसद सदस्यों की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति नामांकनों की संवीक्षा करती है और विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए कर्मकारों के नामों की संस्तुति करती है। तत्पश्चात् इसे प्रधान मंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, जिनके अनुमोदन के पश्चात् पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नामों की घोषणा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है।

चिकित्सा संबंधी सुविधायें

1239. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/विधवाओं को सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों में चिकित्सा कराने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/विधवाओं को उनके इच्छानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त सुविधा को और उदारीकृत किए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने अब लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा संस्तुति करने के पश्चात् अपनी पसन्द के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में विशिष्ट उपचार का लाभ उठाने का विकल्प दे दिया है। ये सुविधाएं सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध हैं, चाहे वे सेवारत कर्मचारी/पेंशन भोगी/आश्रित हो।

किसी विशेषज्ञ की प्रारंभिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात् सेवारत कर्मचारी के मामले में संबंधित विभाग द्वारा और पेंशनभोगी के मामले में संबंधित औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा ऐसे उपचार के लिए एक "अनुमति-पत्र" दिया जाता है।

आपात स्थिति में केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना औषधालय के मुख्य चिकित्सा प्रभारी अधिकारी लाभार्थी को आगे उपचार के लिए सीधे किसी निजी मान्यता-प्राप्त अस्पताल को भेज सकता है।

तथापि, प्रतिपूर्ति किए जाने वाले व्यय को अनुमोदित दरों तक सीमित कर दिया जाता है। शेष व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण

1240. **श्री सत्य देव सिंह :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका ने एक लम्बे अंतराल के बाद सब-क्रिटिकल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस परमाणु परीक्षण के विरुद्ध जनमत जुटाने के प्रयोजन से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां। 2 जुलाई, 1997 को संयुक्त राज्य अमरीका ने "रिबाउण्ड" कोडनाम से एक "सब'-क्रिटीकल" परीक्षण किया था। नेवेदा परीक्षण स्थल पर योजनाबद्ध परीक्षण श्रृंखला का यह पहला परीक्षण है।

(ग) और (घ) अमरीका द्वारा किए गए इस "सब-क्रिटीकल" नाभिकीय परीक्षण पर सरकार ने गौर किया है। सरकार को इस बात से चिन्ता है कि यह परीक्षण "व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के अन्तर्गत स्वीकृत एक क्रिया-कलाप के रूप में" न्यायसंगत ठहराया गया हैं ये घटनाएं व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर हो रही बातचीत के दौरान भारत द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता तथा साथ ही पिछले वर्ष लिए गए हमारे निर्णय की वैधता की पुष्टि करती है कि भारत इस तरह की किसी सन्धि का पक्षकार नहीं बनेगा। तथापि, भारत एक व्यापक तथा भेदभावरहित

तरीके से सही अर्थ में नाभिकीय निरस्त्रीकरण का लक्ष्य पाने के लिए वचनबद्ध है।

निजी धर्मार्थ अस्पतालों को अनुदान

1241. श्री एन०एस०वी० चित्यन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चल रहे निजी धर्मार्थ अस्पतालों को अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन निजी धर्मार्थ अस्पतालों को अनुदान मंजूर किए जाने के संबंध में क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(ग) निजी धर्मार्थ अस्पतालों को अनुदान मंजूर किए जाने संबंधी राज्यवार विशेषरूप से तमिलनाडु से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(घ) इन अस्पतालों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि की मांग की गयी है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें देश में धर्मार्थ निजी अस्पताल चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। तथापि, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान उपलब्ध होते हैं जो "चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल चला रहे हैं अथवा शहरी गंदी बस्तियों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

(ख) स्वीकृत किए जा रहे मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिए गए है।

(ङ) जब भी संस्थान/संगठन वांछित सूचना/दस्तावेज भेजता है, जैसा कि अपेक्षा की गई है, तो ये मामले अनुदान समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण-I

स्वैच्छिक संगठन/संस्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं; योजना के अंतर्गत अनुदान के पात्र हैं।

1. यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य सांविधि के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
2. इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के फायदे के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।
3. यह गैर-सरकारी होना चाहिए और गैर-मालिकाना प्रबंधन के अन्तर्गत होना चाहिए।
4. इन्हें समान्य जनता को किसी धर्म, जाति नस्ल अथवा रंग के भेदभाव के बिना सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
5. इसमें उस उद्देश्य, जिसके लिए वित्तीय सहायता का अनुदान मांगा गया है, को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत स्रोतों, अनुभवों तथा प्रबंधकीय क्षमता होनी चाहिए।
6. इसके कार्य तथा वित्तीय स्थिति सन्तोजनक होनी चाहिए तथा अनुदान के भुगतान की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।
7. इसे सामान्यता क्षयरोग, कुष्ठ, कैंसर, नेत्र तथा अन्य रोग के उपचार में लगाया जाना चाहिए।
8. आवेदन-पत्र के एक भाग के रूप में निःशुल्क पलंग/निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा के अनुसार निःशुल्क पलंगों के रूप में इसे न्यूनतम पलंगों का पांचवां हिस्सा आरक्षित करने के लिए सहमत होना चाहिए।
9. इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए और अनवर्ती व्यय जहां भी लागू हो, के अपने हिस्सेदारी को सहमत होना चाहिए।
10. पूर्व अनुदानों, देय हो चुके हैं, के संबंध में इसे भारत सरकार को उपयोग प्रलेख भेजने चाहिए।
11. सामान्य रूप से किसी संस्थान को तीन वर्ष में एक बार सहायता दी जाएगी।

विवरण-II

	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	सुझाए गए अनुदान की कुल राशि
1.	महाराष्ट्र	19	रु० 55,77,011/-
2.	पश्चिम बंगाल	1	रु० 2,00,000/-
3.	केरल	1	रु० 4,00,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	2	रु० 8,00,000/-
5.	गुजरात	6	रु० 17,85,300/-
6.	हिमाचल प्रदेश	1	रु० 4,00,000/-

[अनुवाद]

गुवाहाटी के लिए जलापूर्ति योजना

1242. श्री केशव महन्त : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी नगर निगम और ग्रेटर गुवाहाटी शहर में जलापूर्ति योजना के लिए संशोधित परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी हां।

(ख) गुवाहाटी नगर निगम और असम शहरी जल आपूर्ति तथा मल जल व्ययन संस्थान ने ओवरसीज इकोनॉमिक कार्पोरेशन फण्ड (ओई०सी० एफ०), जापान को विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित स्कीम प्रस्तुत की हैं :–

(I) गुवाहाटी नगर निगम के लिए 425.04 करोड़ रु० की लागत पर गुवाहाटी जल आपूर्ति योजना जो दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी।

(II) गुवाहाटी नगर निगम सहित वृहद् गुवाहाटी क्षेत्र में 223 करोड़ रु० की लागत पर जल आपूर्ति योजना जो तीन चरणों में कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) और (घ) चूंकि राज्य सरकार की दो अलग-अलग प्रस्तावित एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के तहत लाभान्वयन का दायरा परस्पर समान है, इसलिए अनुरोध किया गया है कि संभावित सहायता हेतु उपर्युक्त दो स्कीमों में से केवल एक स्कीम की पुनः जांच करके सिफारिश की जाए।

हुडको द्वारा केरल को ऋण

1243. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने केरल में निजी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किसी अस्पताल को कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में पैरियारम चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल को कोई ऋण/सहायता अनुदान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) जी, हां। हुडको ने केरल में अस्पतालों के निर्माण के लिए पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) हुडको ने पैरियारम, कन्नूर जिले (केरल) में को-ओपरेटिव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए केरल स्टेट को-आपरेटिव अस्पताल कॉम्प्लेक्स एंड सेंटर को 50 करोड़ रु० की हुडको ऋण सहायता सहित कुल 73.04 करोड़ रु० की परियोजना लागत पर एक परियोजना मंजूर की है। प्रलेखन संबंधी कार्यों के पूरा करने में विलंब के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में हुडको को सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार ने को-आपरेटिव सोसायटी का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। अतः स्वीकृत ऋण की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	एजेंसी का नाम	परियोजना लागत (लाख रु०)	संस्वीकृत ऋण राशि	जारी किए गए ऋण की राशि)	टिप्पणी
1.	तेल्लीचेरी में सहकारी अस्पताल भवन का निमार्ण	तेल्लीचेरी सहकारी अस्पताल सोसायटी	853.85	560.00	450.00	–
2.	कन्नूर में को-ऑपरेटिव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कॉम्प्लेक्स (चरण-I) का निर्माण	केरल स्टेट को-ऑपरेटिव अस्पताल कॉम्प्लेक्स एवं केन्द्र	7303.94	5000.00	–	प्रलेखन संबंधी कार्यों को पूरा करने में विलंब के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गई।
3.	तेल्लीचेरी में इंदिरा गांधी सहकारी अस्पताल भवन का निर्माण	मम्बरम कोऑपरेटिव अस्पताल सोसायटी लिमिटेड	403.94	250.00	58.00	–
4.	इरिंजालाकुडा में को-ऑपरेटिव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	इरिंजालाकुडा को-ऑपरेटिव अस्पताल	993.99	513.50	–	प्रलेखन कार्य पूरा नहीं किया गया
5.	कालीकट में वावी स्मारक अस्पताल का विस्तार	मैसर्स बाबी स्मारक अस्पातल, कालीकट	1313.50	550.00	–	एजेंसी को प्रलेखन कार्य पूरा करना है।

कर्नाटक में ई०एस०आई० के अस्पताल

1244. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 200 करोड़ रुपए की योजना के अन्तर्गत कितने ई०एस०आई० अस्पतालों का निर्माण किए जाने तथा इन अस्पतालों में किस तरह के उपकरण उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) कर्नाटक रैफरल अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(ग) कर्नाटक में वर्ष 1997-98 में ई०एस०आई० के अस्पतालों के निर्माण और उन्नयन पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय की जाएगी?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) (क) शाहबाद में एक 50 विस्तारों वाले क०रा०बी० अस्पताल का निर्माण किया गया है और उसे चालू किए जाने के लिए राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है। वेलगांव में एक और 50 विस्तारों वाले क०रा०बी० अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। क०रा०बी० निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, किसी 50 विस्तरों वाले क०रा०बी० अस्पताल को चालू करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए 40 लाख रुपये नियत किए गए हैं। अस्पताल में विशिष्ट सेवा उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ करने के लिए मानकों से अधिक किसी अतिरिक्त व्यय की भी मंजूरी प्रदान की जाती है।

(ख) कर्नाटक में बीमित व्यक्तियों को सामान्यतः चिकित्सा देख-रेख और इलाज के लिए राज्य के भिन्न-भिन्न हिस्सों में स्थित क०रा०बी० अस्पतालों को संदर्भित कर दिया जाता है। तथापि, उच्च विशष्टितापूर्ण इलाज के लिए मामलों को 33 अस्पतालों को संदर्भित किए जाने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान क०रा०बी० अस्पतालों का निर्माण करने और अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए 2.63 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

[हिन्दी]

बिना-बारी के आवंटन

1245. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा संस्तुति के आधार पर बिना बारी के सरकारी क्वार्टरों के आवंटन हेतु 30 जून, 1997 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या थी; और

(ख) इन आवेदनों पर क्या निर्णय लिया जा रहा है/लिया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ख) बिना बारी सरकारी क्वार्टरों के आवंटन हेतु अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिश वाले 41 आवेदनपत्र सम्पदा निदेशालय में विचाराधीन हैं। किन्तु उन आवेदनों पर कोई आवंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दुकानों का आवंटन

1246. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित किए जाने हेतु क्षेत्रवार खाली पड़ी दुकानों का ब्यौरा क्या है और ये कब से खाली पड़ी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षित न्यूनतम मूल्य अथवा न्यूनतम किराए पर दुकानें आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गई है अथवा अपनाई जाएगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) और (ख) डी०डी०ए० ने बताया है कि आवंटन के लिए उपलब्ध कुल दुकानों में से 25% दुकाने, सरकार की नीति के अनुसार प्रति वर्ष आरक्षित मूल्य पर अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के व्यक्तियों को दी जाती हैं। अनुसूचित जाति/अन०जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन के लिए कोई दुकान खाली नहीं पड़ी है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति के आवेदकों से आवेदन पत्र, समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं और इा प्रति वर्ष कम्प्यूटर द्वारा निकाला जाता है।

हज त्रासदी

1247. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब में हुई हज त्रासदी के तथ्यों का पता लगाने के लिए गठित दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) 15 अप्रैल, 1997 को मीना में हुए अग्निकांड के शिकार भारतीयों से मिलने के लिए तथा राहत उपाय सुझाने के लिए सरकार ने एक दल सऊदी अरब

भेजा था जिसमें तीन संसद सदस्य और एक भूतपूर्व संसद सदस्य शामिल थें इस दल की रिपोर्ट सरकार को 3 मई 1997 को मिल गई थी। दल ने सिफारिश की थी कि जो लोग आग से स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं उन्हें अनुग्रह राशि दी जाए, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके निकट संबंधी को राहत सहायता दी जाए। सऊदी अरब में उपचार करवा रहे घायलों को तुरंत नकद राहत सहायता दी जाए, सभी घायलों का भारत में निःशुल्क उपचार किया जाए, हज यात्राा के निजी यात्रा संचालाकों के क्रिया-कलापों को नियमित किया जाए, हज यात्रियों और सरकार के योगदान से एक हज राहत निधि की स्थापना की जाए, आग के कारण हज यात्रियों के साज-समान की जो क्षति हुई उसके लिए मुआवजा दिया जाए, भावी हज यात्रियों को हज संबंधी ब्यौरा दिया जाए, जद्दाह स्थित प्रधान कोंसलावास को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपट सके, हज कैंपों में भोजन पकाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, कैम्पों के लिए अग्निरोधी टैंटों का इस्तेमाल किया जाए, और राहत कार्यों में प्रवासी भारतीय संगठनों की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए।

2. कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार सहमत हो गई है जैसे स्थायी रूप से विकलांग हो गए लोगों को अनुग्रह राशि देना, जो घायल सऊदी अरब में उपचार करवा रहे हैं उन्हें तुरंत नकद राहत सहायता देना, सभी घायलों का मुफ्त चिकित्सा उपचार करना और भावी हज यात्रियों को विस्तार से हज यात्रा के बारे में बताना। अन्य सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

चिकित्सा सुविधाएं

1248. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही है जो न तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभभोगी है और न ही किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कतिपय उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को उपचार के लिए विदेश भेजा है;

(घ) यदि हां, तो उपचार के लिए उन्हें विदेश भेजने के क्या कारण हैं जबकि उक्त उपचार देश में ही उपलब्ध हो रहा है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी गरीबी अथवा मध्यम अथवा निम्न आय ग्रुप वाले व्यक्ति को भी उपचार के लिए विदेश भेजा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विदेश में उनके उपचार पर कितनी राशि खर्च हुई;

(छ) क्या सदस्यों/पूर्व संसद (सदस्यों जो अब मर चुके है) के प्रतिपूर्ति के अधिकांश दावे गत तीन वर्षों से सरकार के पास लम्बित है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में सभी वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, जिपमेर, पांडिचेरी जैसे संस्थान स्थापित किए हैं, जहां पर उन्नत तृतीयक परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध है।

(ग) से (च) सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) के नियम II के अंतर्गत विदेशों में उपचार के लिए भेजती हैं जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत स्थापित चिकित्सा विशेषज्ञों की स्थाई समिति द्वारा पात्र समझा जाता है। पात्रता पर विचार संबंधित व्यक्तियों की आय/स्तर को ध्यान में रखे बिना किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में स्थाई समिति द्वारा विदेशों में उपचार के लिए 45 व्यक्तियों को पात्र पाया गया है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 2.37 करोड़ रुपए, 333803.73 अमरीकी डालर और 85563.91 पौंड खर्च हुए हैं।

(छ) से (ज) संसद सदस्यों/भूतपूर्व सांसदो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में नियमानुसार पूरे विवरण न देने और दावों को स्वीकार करने/उन पर कार्रवाई करने के लिए लाभार्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक होने जैसे मामलों को छोड़कर प्रायः लम्बे समय से कोई मामले लंम्बित नहीं है।

उड़ीसा में एड्स की जांच सुविधायुक्त अस्पताल

1249. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में एड्स की जांच की सुविधा वाले अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी सहायता और केन्द्रीय सहायता की मदद से राज्य में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) उड़ीसा राज्य में निगरानी प्रयोजनों के लिए

एच०आई०वी०/एड्स परीक्षण सुविधाए निम्नलिखित संस्थाओं में उपलब्ध हैं–

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
एस०सी०पी० मेडिकल कालेज, कटक

2. निगरानी केन्द्र
क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

इनके अतिरिक्त रक्ताधान प्रयोजनों के लिए एकत्र रक्त की सभी इकाइयों के लिए परीक्षण सुविधाएं विवरण के रूप में संलग्न सूची में दिए गए रक्त बैंकों में उपलब्ध हैं।

(ख) जी हां। उड़ीसा सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 84 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता से 1992 से एच०आई०वी०/एड्स रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पांच वर्षीय गहन कार्यनीति अपनाई गई है। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

(ग) जी हां। कार्यक्रम की राज्य एड्स कार्यक्रम अधिकारियों की बैठकों में तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा राज्य के दौरे के समय समीक्षा की जाती है।

(घ) यद्यपि राज्य एड्स सेल खोले गए हैं और कार्य कर रहे हैं, फिर भी राज्य एड्स सेल में सभी स्वीकृत पद भरे नहीं गए हैं। भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई निधियों का कार्यक्रम में पूरा उपयोग नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार ने 118.67 लाख रुपए अभी तक खर्च नहीं किए हैं।

विवरण-I

उड़ीसा (कुल 45)

(क) प्रमुख रक्त बैंक

I. वर्ष 1989-92 के दौरान आधुनिकीकृत (नकद अनुदान)

1. केन्द्रीय रेड क्रास रक्त बैंक कटक

II. वर्ष 1992-93 के दौरान आधुनिकीकृत :

2. केन्द्रीय रेड क्रास रक्त बैंक, भुवनेश्वर
3. एम०के०सी०जी० मेडिकल कालेज, ब्रह्मपुर
4. वी०एस०एस० मेडिकल कालेज, रक्त बैंक, बुरला, सम्बलपुर
5. एस०सी०वी० मेडिकल कालेज, रक्त बैंक, कटक
6. जिला मुख्यालय अस्पताल, पुरी

(ख) जिला स्तरीय रक्त बैंक

I. वर्ष 1992-93 के दौरान आधुनिकीकृत (राष्ट्रीय बजट)

7. रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, बालासोर
8. रक्त बैंक, जिला मुख्यालय, गंजम

II. वर्ष 1993-94 के दौरान आधुनिकीकृत

9. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल सम्बलपुर
10. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, धेनकनाल
11. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, बारीपाड़ा मयूरभंज

III. वर्ष 1994-95 के दौरान आधुनिकीकृत :

12. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, क्योंझर
13. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, भवानीपटना, कालाहांडी
14. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला मुख्यालय अस्पताल, फूलबनी

IV. वर्ष 1995-96 के दौरान आधुनिकीकृत रक्त बैंक :

15. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, अंगुल
16. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, कोरापुट
17. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, भाडरक
18. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, जैपुर
19. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, केन्द्रपाड़ा
20. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, रायगढ़
21. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, नम्यारह
22. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, खुर्द
23. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, बारागढ़
24. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, नवापड़ा
25. रक्त बैंक जिला मुख्यालय अस्पताल, परलखमण्डी, गजपति
26. रेड क्रास रक्त बैंक, जिला अस्पताल, कालामगीर

V. वर्ष 1996-97 के दौरान आधुनिकीकृत रक्त बैंक :

27. जिला मुख्यालय अस्पताल रक्त बैंक, सुन्दरगढ़
28. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जैयपुर रोंड, जैपुर
29. रक्त बैंक, एस०डी०जी० कमख्यानगर, धेनकनाल
30. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, चतरपुर, गंजम
31. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, आनंदपुर, क्योंझर
32. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, उदाला, मयूरभंज
33. रक्त बैंक, म्यूनिसिपल अस्पताल, भुवनेश्वर
34. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, कोघ फूलबनी
35. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, राउरकेला, सुन्दरगढ़
36. रक्त बैंक, एस०डी०एच० कुचिन्दा
37. रक्त बैंक, एस०डी०एच० जरसगुदा

38. रक्त बैंक, अपग्रेडेड पी०एच०सी० बस्ता, बालासोर

39. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, अथागढ़, कटक

40. रक्त बैंक, हीराकुड अस्पताल, हीरागुड सम्बलपुर

41. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, तलचर, अंगुल

42. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, जयपुर, कोरापुर

43. रक्त बैंक, एस०डी०एच०, रेरंगपुर, मयूरभंज

44. रक्त बैंक, जगन्नाथ रक्ताधान केन्द्र इकाई, भुवनेश्वर

45. रक्त बैंक, एस०डी०एच० करंजिया, मयूरभंज

गगनचुम्बी इमारतें

1250. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक राजधानी में कुल कितनी गगनचुम्बी इमारतें हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश में ऐसी कितनी इमारतों का निर्माण किया गया तथा कितनी इमारतें उपयोग में लाई गई;

(ग) गत इनमें बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग बुझाने के उपकरणों का अभाव है तथा जिनके पास अब तक वैध विद्युत कनेक्शन तथा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र"। नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली दमकल सेवा ने इस इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी करना छोड़ दिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राजधानी में लगभग 1200 ऊंची इमारते हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्रमशः 25 और 27 भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ० सी०) जारी किये गये थे।

(ग) जी, नहीं। कुछ ऐसे भवन जो वर्ष 1983 के पहले बनाये गये थे उनमें आवश्यक अग्नि शमन सुरक्षा की कमी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) वैधानिक अधिकरणों द्वारा कुछ तकनीकी कमियों पर प्रकाश डाला गया था। इस पहलू पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली अग्नि शमन सुरक्षा और अग्नि नियंत्रण अधिनियम की व्यापक पुनरीक्षा पहले ही आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

डेंग्यू ज्वर

1251. श्री पवन दीवान :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में डाक्टरों व मरीजों का अनुपात क्या है;

(ख) दिल्ली इसके आस-पास के क्षेत्रों में गत वर्ष के दौरान कितने लोग डेग्यू ज्वर से संक्रमित हुए थे और उनमें से कितने लोग ठीक हो गये;

(ग) क्या इस वर्ष भी डेग्यू ज्वर फैलने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में डेंग्यू ज्वर को फैलने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जनगणना निदेशालय, दिल्ली के अनुसार इस समय अनुमानित जनसंख्या 9,49,878 हजार है। एलोपैथिक डाक्टरों के लिए डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:2250 है। तथापि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अर्हताप्राप्त चिकित्सों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुपात 1:950 होगा। केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में डाक्टर-रोगी अनुपात के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली ने सूचित किया है कि राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से डेंग्यू के संचारित रोगी की सूचना दी गई है। डेंग्यू के 16515 संभावित रोगियों में से 15970 रोगियों में यह रोग पाया गया।

(ग) सभी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली तथा आस पास के क्षेत्रों से 30.6.1997 तक डेंग्यू ज्वर के किसी रोगी की सूचना नहीं मिली है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने डेंग्यू के निवारण तथा नियंत्रण के लिए एक कार्य, योजना तैयार की है तथा इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली के माध्यम से निवारक उपायों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त वैक्टर निगरानी तथा नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने हेतु उपाय शुरू करने का भी सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम के अधिनियम के अंतर्गत डेंग्गू एक खतरनाक रोग घोषित किया गया है। रोगियों के उपयुक्त प्रबंधन के लिए बिम्बाणु निष्कर्षण तथा आपूर्तियों के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। वैक्टर निगरानी तथा नियंत्रण के लिए सुझाए गए उपाय भी शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा

1252. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगालादेश-भारत श्रीलंका-थाइलैंड, इन चार देशों ने अपने संसाधनों को सहक्रियात्मक बनाने और तकनीकी सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए बंगलादेश-भारत, श्रीलंका-थाइलैंड आर्थिक समन्वय (बी०आई० एस०टी०ई०सी०) समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते में भाग लेने वाले इन चार देशों के बीच धार्मिक पर्यटन सर्किट संबंधी प्रस्ताव को अमल में लाने हेतु संयुक्त विमान सेवा सहित अनेक संयुक्त उद्यमों का प्रस्ताव समझौते में किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते के अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (घ) जी हां। 06 जून, 1997 को बैंकाक में सम्पन्न मंत्रिस्तरीय बैठक में औपचारिक रूप से शुरू किए गए बंगलादेश-भारत-श्रीलांक-थाईलैंड से इस उप-क्षेत्रीय समूहीकरण का मुख्य प्रयोजन व्यापार, निवेश, उद्योग प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, पर्यटन, कृषि, उर्जा आधारभूत संरचना तथा यातायात जैसे क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाना तथा सहक्रिया करना है। एशिया और प्रशासन से सम्बद्ध आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा संचालित किए जाने वाले अध्ययनों और सदस्य राज्यों द्वारा स्वयं विकसित अवधारणाओं के आधार पर सहयोग के अभिज्ञात क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। एस्केप से प्रस्तावित अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों की परिभ्रमण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थाइलैंड ने संयुक्त एअरलाइन्स का विचार पेश किया तथा थाइलैंड के अवधारणा दस्तावेज प्राप्त हो जाने के वाद विशेषज्ञ स्तर पर इसका आगे अध्ययन किया जाना है।

चालू परियोजना की लागत में वृद्धि

1253. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :
श्री वी०वी० राघवन :
श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कोयला, विद्युत, जल-भूतल परिवहन आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के समय से पीछे चलने और लागत में वृद्धि के कारण 14,864 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजनावार लागत में कितनी वृद्धि हुई हैं तथा इनके समय से पीछे चलने, लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई तंत्र है और यदि हां, तो परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को रोकने में विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कोई नीति तैयार की गई है कि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में उपलब्ध विवरण के अनुसार 31.12.1996 तक 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली 132 परियोजनाएं थीं जो समय और लागत में वृद्धि से गुजर रही थीं। लागत में वृद्धि अनुमानतः लगभग 17,874 करोड़ (सत्रह हजार आठ सो चौहत्तर करोड़) रुपए थी।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा तथा उनमें हुई समय और लागत वृद्धि का उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है। परियोजनावार समयवृद्धि और लागत वृद्धि का उल्लेख दिसंबर, 1996 की तिमाही परियोजना स्थिति कार्यान्वयन रिपोर्ट में किया गया है। उक्त रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। समय और लागत में वृद्धि के मुख्य-मुख्य कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे परियोजना प्रबोधन के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं जिनकी लागत 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, का नियमित प्रबोधन एक सलाहकार संस्था के रूप में करता रहा है। परियाजनाओं में लागत वृद्धि कुछ हद तक अपरिहार्य हैं क्योंकि परियोजनाएं निश्चित लागत पर परियोजना की निर्माण अवधि और उसमें विलंब, यदि कोई होता है, के दौरान वृद्धि के लिए बिना कोई प्रावधान किए ही स्वीकृति

की जाती है। फरवरी, 1996 में हुई बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब कम करने के लिए सरकार ने सिद्धांत रूप में कई विशिष्ट उपाय स्वीकार किए।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा की जा रही/करने को प्रस्तावित कार्रवाई परियोजना-दर-परियोजना तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। तथापि सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर किये जाने वाले उपायों का संलग्न विवरण-III में दिया गया है। सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(1) तत्पर प्रबोधन प्रणाली।

(2) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण।

(3) धीमी गति वाली परियोजनाओं की छंटनी/निजीकरण करना।

(4) सरकार और परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के मुख्य अधिकारियों के बीच करारनामा प्रणाली के जरिए परियोजना के कार्यान्वयन में जवाबदेही पर अधिक बल।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव-पत्र जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं, में उपर्युक्त नीतियां पृष्ठांकित की गई हैं।

विवरण-I

अद्यतन अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं की समय सीमा एवं लागत वृद्धि

क्रम सं०	क्षेत्र	कुल लागत (करोड़ रु० में)				समय एवं लागत वृद्धि वाली परि०			
		परि० की सं०	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित	लागत वृद्धि (प्रतिशत)	सं०	अद्यतन अनुमोदित	प्रत्याशित लागत	समय-सीमा (महीनों में)
1.	परमाणु ऊर्जा	6	4052.0	5156.5	27.3	1	711.6	2107.0	36-36
2.	नगर विमानन	13	1998.8	2190.6	9.6	4	525.3	717.1	14-31
3.	कोयला	72	12157.5	13621.5	12.0	4	396.2	515.6	11-48
4.	वित्त	1	348.8	348.8	0.0	0	0.0	0.0	—
5.	उर्वरक	7	4948.4	5066.6	2.4	2	1474.8	1553.0	2-7
6.	सूचना और प्रसारण	7	282.4	309.4	9.6	2	42.3	69.3	1-48
7.	ईस्पात एवं लौह अयस्क	12	10316.0	12997.4	26.0	2	6621.6	9136.5	16-47
8.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	4	3864.4	3885.0	0.5	1	3484.4	3505.0	4-4
9.	रसायन एवं पैट्रो रसायन	42	25366.2	27028.5	6.6	4	2858.0	5383.3	8-33
10.	विद्युत	39	30612.5	46399.7	51.4	22	10401.3	17764.6	3-182
11.	भारी उद्योग	1	191.2	307.0	60.5	0	0.0	0.0	—
12.	रेलवे	123	21334.9	24881.0	16.6	46	8642.0	11482.8	3-93
13.	भूतल परिवहन	38	4701.2	5738.7	22.1	17	1679.4	2451.0	2-94
14.	दूर-संचार	39	1815.8	1815.8	0.0	0	0.0	0.0	—
15.	अन्य	6	235.3	310.3	31.9	2	46.5	51.8	16-24
	कुल	410	122225.4	149996.8	22.7	107	36863.4	54737.1	

विवरण-II

परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा अभिज्ञापित विभिन्न कारणों को, जो परियोजनाओं से जुड़े हुए अधिकारियों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा और विश्लेषण से पता चले हैं,

संक्षेप में निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. भूमि अधिग्रहण में विलंब।
2. वन/पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति मिलने में देरी तथा आधार ढांचा के विकास के लिए अग्रिम कार्रवाई का न होना।
3. पर्याप्त धनराशि और धनराशि के श्रोतों (बजटीय आंतरिक संसाधन, अतिरिक्त बजटीय और बाहरी सहायता) के ऊपर रोक के कारण विलंब।
4. विस्तृत अभियंत्रण के बारे में अग्रिम निर्णय लेने और रेखा-चित्र प्राप्त होने में विलंब तथा अग्रभाग के उपलब्ध होने में विलंब।
5. कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में बार-बार परिवर्तन।
6. निविदा देने तथा आदेश देने एवं उपस्कारों की पूर्ति में विलंब।
7. निर्माण कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब और अनिश्चितता।
8. औद्योगिकीय संबंध एवं कानून तथा व्यवस्था की समस्या।
9. आरंभिक कठिनाइयां।
10. तकनीकी समस्याएं।
11. भूस्थलीय कठिनाईयां।

लागत में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :–

1. विदेशी मुद्रा विनिमय की दरों एवं सांविधिक करों में परिवर्तन।
2. पर्यावरण संबंधी सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी उपायों की अधिक लागत।
3. भूमि अधिग्रहण की लागत में बढ़ोतरी।
4. परियोजना के कार्यक्षेत्र/विषयक्षेत्र में परिवर्तन।
5. कतिपय अशांत क्षेत्रों में बोली लगाने वाले ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि की निविदा प्रस्तुत करना।
6. वास्तविक लागत अनुमान में यथार्थ से कम अनुमान लगाया जाना, और
7. सामान्य मूल्य वृद्धि।

विवरण-III

वास्तविक लागत का अनुमान तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागत एवं समयावृद्धि कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :

1. परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।
2. तत्पर कम्प्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली लागू की जा रही है।
3. कठिनाइयों का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन।
4. पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।
5. अवरोधग्रतित विशिष्ट परियोजनाओं की सचिवों की समिति द्वारा समीक्षा।
6. परियोजना प्रबोधन दल का सृजन जिसका कार्यकाल परियोजना की निर्माण अवधि के समानांतर हो।
7. अनुबंध प्रबंध प्रणाली को सुधारना।
8. क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को और अधिक शक्ति प्रदान करना।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त अधिकारी

1254. श्री काशीराम राणा :
श्री बी०एल० शंकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त केन्द्र सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवा से निकालने और सेवा निवृत्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो भ्रष्टाचार, गंभीर अनियमितताओं तथा ड्यूटी लापरवाही बरते पाये गए; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही यदि कोई हो का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है और साथ ही जो अक्षम हो चुके हैं, उनकी छंटनी करने के उद्देश्य से संबंधित सेवा

नियमों के अंतर्गत उनके सेवा रिकार्डों की पुनरीक्षा इस विचार से की जाती है कि क्या उन्हें समय-पूर्व सेवानिवृत्त किया जाए अथवा निर्धारित आयु (50/55 वर्ष) प्राप्त करने या 30 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवा में रखा जाए। यह एक नियमित तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश जनहित में जारी किए जाते हैं। ऐसी समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के अलावा अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी सेवा-नियमों के अंतर्गत निर्धारित, एक भारी शास्ति है तथा यह कदाचार सिद्ध हो जाने वाले मामलों में लगाई जाती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक पद्धति से कैंसर का इलाज

1255. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में हाल ही में हुए होम्योपैथिक सम्मेलन में यह दावा किया गया है कि होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर का इलाज सम्भव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा कैंसर उन्मूलन के लिए होम्योपैथिक संगठनों को अनुसंधान सुविधाओं, विश्वव्यापी प्रशिक्षण इत्यादि सहित किस प्रकार की सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का कैंसर उन्मूलन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए होम्योपैथिक डाक्टरों के एक दल को विदेश में भी भेजने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को समाचार पत्रों की रिपोर्टों के माध्यम से ऐसे सम्मेलन के बारे में पता चला है। तथापि ऐसे दावे के सत्यापन के लिए आंकड़ों सहित कोई वैज्ञानिक शोध पत्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के माध्यम से अनुसंधान कार्य करने के लिए कुछ संस्थानों को सहायतानुदान प्रदान किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेहरू रोजगार योजना

1256. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कानपुर शहर निगम द्वारा संचालित की जा रही नेहरू रोजगार योजना में धोखाधड़ी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच के आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि नेहरू रोजगार योजना के उपघटक सुमे के अंतर्गत बैंक के मार्फत ऋण तथा सब्सिडी के संवितरण में हेराफेरी हुयी है। एक प्राथमिक जांच शुरू की गई थी तथा इस जांच के तथ्यों के आधार पर कानपुर के सम्बन्धित सहायक परियोजना अधिकारी (ए०पी०ओ०) को दिनांक 12.5.97 के आदेश के तहत निलम्बित किया गया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों के शिविर

1257. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सीक्रेट पाक रिपोर्ट एडमिट्स टु 38 टैरोरिस्ट कैम्पस" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले को किसी स्तर पर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ङ) जी हां। सरकार को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारत के विरुद्ध विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्देशित सीमा पार के आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन तथा संवर्द्धन अबाध गति से चल रहा है। सरकार ने दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान सहित विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान

से आतंकवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधियों को अपना समर्थन देना बन्द करने के लिए पुरजोर अनुरोध किया है। फिर से शुरू हुई विदेश सचिव स्तर की दूसरे दौर की वार्ता की समाप्ति पर 23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में जारी संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद को दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक विषय के रूप में लिया गया। सरकार पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन और बढ़ावा दिए जाने का सामना करने के लिए हर संभव उपाय जारी रखने के प्रति दृढ़ संकल्प है।

जनशक्ति को विदेश भेजना

1258. **डा० बलिराम :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनशक्ति का व्यापार करने वाले देश के कुछ व्यक्तियों द्वारा सैकड़ों श्रमिकों को अनुचित ढंग से विदेश भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला और उनकी जांच की गयी;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुचित ढंग से कार्य करने वाली ऐसी एजेंसियों से निपटने के लिए आप्रवास अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ङ) जनशक्ति को विदेशों में भेजने वाली ऐसी पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत एजेंसियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(च) जनशक्ति को विदेशों में भेजने वाली ऐसी बड़ी एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें गंभीर अनियमितताओं में लिप्त पाया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(छ) नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्था को विनियमित करने तथा सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। जनशक्ति निर्यातक गैर पंजीकृत एजेंसियों से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(च) वर्ष 1993 से 1997 (जून, 97 तक) के दौरान गम्भीर अनियमितताओं में लिप्त पाए गए भर्ती एजेन्टों के नाम और उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(छ) विदेश में कर्मकारों के नियोजन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उत्प्रवास प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कानूनी और दंडात्मक उपबंध विहित हैं।

विवरण-I

उन भर्ती एजेन्टों की संख्या जिन्हें उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (30.6.1997 तक) जारी किये गये हैं।

	राज्य	भर्ती एजेन्टों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	1498
2.	दिल्ली	585
3.	तमिलनाडु	183
4.	केरल	205
5.	पंजाब	94
6.	आन्ध्र प्रदेश	70
7.	चन्डीगढ़	51
8.	उत्तर प्रदेश	41
9.	कर्नाटक	36
10.	राजस्थान	31
11.	हरियाणा	14
12.	गोवा	18
13.	गुजरात	13
14.	पश्चिम बंगाल	10
15.	उड़ीसा	06
16.	जम्मू और कश्मीर	05
17.	मध्य प्रदेश	05
18.	बिहार	03
19.	हिमाचल प्रदेश	03
20.	असम	01
21.	पांडिचेरी	01
	कुल	2873

विवरण-II

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत उन भर्ती एजेन्टों की सूची जिनके प्रमाण पत्र 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997 (जून, 1997 तक) के दौरान निलंबित किये गये।

क्र० सं०	भर्ती एजेन्ट का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	मै० एक्सपो इन्डिया, मुम्बई	निलम्बित
2.	मै० आर०के० एन्टरप्राइजेज, मुम्बई	"
3.	मै० एल्विन ट्रेवल्स, मुम्बई	"
4.	मै० विजनेस एड्स, मुम्बई	"
5.	मै० सुल्तान ट्रेवल एण्ड रिक्रुटिंग एजेन्ट, मुम्बई	"
6.	मै० एस०के० एन्टरप्राइजेज, मुम्बई	"
7.	मै० जसपार इन्टरनेशनल, मुम्बई	"
8.	मै० समरीन ट्रेवल, मुम्बई	"
9.	मै० पाशा एन्टरप्राइजेज, मुम्बई	"
10.	मै० अल-समित इन्टरनेशनल, मुम्बई	"
11.	मै० अल-करीम ओवरसीज कन्स० ट्रेडिंग कं०प्रा० लि०, मुम्बई	"
12.	मै० रिलायन्स स्टाफिंग सर्विसेज, मुम्बई	"
13.	मै० नवाज एन्टरप्राइजेज, मुम्बई	"
14.	मै० रियाज इन्टरनेशनल ट्रेवल सर्विसेज, मुम्बई	"
15.	मै० एस०एल० इन्टरनेशनल, मुम्बई	"
16.	मै० इन्टरनेशनल लिंक्स, मुम्बई	"
17.	मै० हसनैन इन्टरप्राइजेज, मुम्बई	"
18.	मै० आर०के० इन्टरप्राइजेज, दिल्ली	"
19.	मै० ए०जे० इन्टरनेशनल, दिल्ली	"
20.	मै० प्राइड ट्रेवल्स, मांगा	"
21.	मै० हन्स एजेन्सीज, जलन्धर	निरस्त
22.	मै० अल-रहमान एसोसिएट्स, दिल्ली	निलम्बित
23.	मै० शामब्रदर्स, दिल्ली	"
24.	मै० एलाईड एन्टरप्राइजेज, कोचीन	निलम्बित
25.	मै० अथेना ट्रेवल्स, कोचीन	"
26.	मै० के०वी० एक्सपोर्ट्स, कोल्लम	"
27.	मै० पलक्कड एसोसिएट्स, कोचीन	"
28.	मै० एम्पायर मैनपावर कन्सलटेन्ट्स, त्रिवेन्द्रम	"
29.	मै० अरब इन्टरनेशनल, केरल	"
30.	मै० शेप्र ट्रेवल सर्विस, नई दिल्ली	"
31.	मै० पास ट्रेवल, सर्विस, कोचीन	"
32.	मै० थामथ इन्टरनेशनल, एल्लोम्पी	"
33.	मै० राशीदीन ट्रेवल् सर्विस, लखनऊ	"
34.	मै० आउट, नई दिल्ली	"
35.	मै० अल-अविद, नई दिल्ली	"
36.	मै० एस०ए०एस० ओवरसीज, चन्डीगढ़	"
37.	मै० स्ट्रलिंग ट्रेवल एण्ड ट्रेड लिंक, चेन्नई	"
38.	मै० एस०पी० एन्टरप्राइजेज, रोपड़	"
39.	मै० वर्ल्ड लिंकर्स, दिल्ली	"
40.	मै० डी०एस०के० एक्सपोर्ट्स एण्ड मैनपावर कन्सलटेन्ट्स, एल्लोप्पी	"
41.	मै० हरमीत टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा०लि०, कोचीन	"
42.	मै० अजय एन्टरप्राइजेज, चन्डीगढ़	"

[हिन्दी]

मेलरिया की नई औषधि

1259. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई 1997 के "जनसत्ता" (दिल्ली संकरण) में "किलर मलेरिया के विरुद्ध दवा विकसित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विकसित की गई दवा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न अस्पतालों में इस दवा का वितरण और आपूर्ति कर दी है/वितरण और आपूर्ति किए जाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने एक नई औषध "अर्तीथर" का विकास किया है जिसके परीक्षण किए जा चुके हैं। सभी मामलों में अर्तीथर इंजेक्शन की सहिष्णुता अच्छी पाई गई और परीक्षण के दौरान इस औषध के कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाए गए।

(ग) और (घ) यह औषध अभी बाजार में नहीं आई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1260. श्री अशोक प्रधान :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ डिवीजन तथा गुजरात में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की प्राथमिक स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) 31 दिसम्बर, 1996 तक उपलब्ध सचूना के अनुसार उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्रमशः 3761 और 959 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। केन्द्र द्वारा मण्डलवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ख) से (ङ) योजना आयोग ने सूचित किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार योजना आवंटनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद

1261. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अंतर्गत मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इस विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या रोस्टर प्रणाली आरम्भ की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) योजना आयोग के अंतर्गत मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान नाम की कोई संस्था नहीं है। हालांकि, योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, (आई०ए०एम०आर०) नाम की एक संस्था है।

प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जातियों के लिए 15% तक तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तक आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आदेशों का अनुसरण करता है। आरक्षण रिक्तियों पर आधारित है तथा रिक्तियां भारत सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भरी जाती हैं। 1.7.1997 तक कुल रिक्तियों की संख्या 28 थी, जिनमें में 9 अनुसूचित जातियों तथा 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुसंधान स्टाफ/संकाय के मामले में, जनवरी, 1995 से रोस्टर प्रणाली की शुरूआत कर दी गई है। गैर अनुसंधान स्टाफ के मामले में, संस्थान, इससे भी पहले से रोस्टर प्रणाली का अनुसरण करता आ रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पेयजल आपूर्ति

1262. श्री भक्त चरण दास : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए सहायता और अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत अब तक 23 प्रस्ताव इस मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित शहरों की प्राथमिकता स्थिति और धन की उपलब्धता के अनुसार अब तक

11.58 करोड़ रु० परियोजना लागत की 8 पेय जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं। विवरण-I अन्य 15 स्कीमें विवरण-II धन की उपलब्धता के आधार पर मंजूर की जाएंगी, क्योंकि चालू परियोजनाओं को पहले पूरा करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

विवरण-I

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम-उड़ीसा

मंजूर परियोजनाएं (रुपये लाखों में)

क्र० सं०	शहर का नाम	मंजूरी तिथि माह/वर्ष	परियोजना लागत
1.	बालीमेला	मार्च, 94	83.65
2.	पीपली	—	83.65
3.	कासीगांरा	—	37.23
4.	चन्दावली	अक्तूबर, 96	90.78
5.	फनपोज़	-वही-	93.78
6.	कंखयानगर	नवम्बर, 96	236.73
7.	मलकागीरी	जनवरी, 97	219.00
8.	पोलसारा	मार्च, 97	313.80

विवरण-II

धन की कमी के कारण जांच की जारी/लम्बित स्कीमें

क्र०सं०	शहर का नाम	परियोजना लागत
1	2	3
1.	मायागढ़	144.41
2.	अंगुल	193.00
3.	ऊजूनागढ़	93.54
4.	उमारकोट	274.40
5.	बांध ग्रुप०ए०सी०	142.94
6.	देवगढ़	122.00
7.	कान्टावाजी	249.68
8.	सोनपुर	146.74
9.	छत्रपुर	187.88
10.	खरियार रोड़	105.95
11.	गुनुपुर	91.71
12.	रायरंगपुर	247.50
13.	कोटपाड	245.00
14.	बंकी	205.00
15.	मीना पाडा	149.50
	योग :	2599.25

पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास

1263. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास पुनः खोलने के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शहरी यातायात हेतु निदेशालय

1264. श्री सुरेश आर० जादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में शहरी यातायात संबंधी विशेष निदेशालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) इस मंत्रालय द्वारा शहरी परिवहन पर गठित संबंधी उप-दल ने नौवीं योजना के दौरान 10 लाख (एक मिलियन) से अधिक आबादी के शहरों वाले राज्यों में 9वीं योजना अविध में शहरी परिवहन निदेशालयों के गठन की सिफारिश की है।

(ख) राज्य शहरी परिवहन निदेशालयों की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों वाले राज्यों में शहरी परिवहन के नियोजन, प्रबंध निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण बावत कार्यों का समुचित तथा प्रभावी ढंग से निर्वाह करना है।

(2) राज्य निदेशालयों की स्टाफ पद्धति इस प्रकार हैं :–

(I) परिवहन योजनावार 1 या 2,

(II) परिवहन अर्थशास्त्री-1,

(III) बस तथा रेल विशेषज्ञ;

(IV) सहायक स्टाफ।

(ख) यह सिफारिश की गई है कि ऐसे निदेशालयों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार, द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 करोड़ रु० की योजना-राशि मुहैया कराई जाए। इतनी ही राशि राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिये।

(ग) राज्य शहरी परिवहन निदेशालयों के गठन संबंधी सिफारिश योजना आयोग द्वारा स्वीकार की जानी है अतः इस स्कीम को कार्य रूप देने बावत कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

1265. प्रो० ओमपाल सिंह निडर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयनमें कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संगठन-वार इन संगठनों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों, उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता और कार्यान्वित करने में लगे हुये स्वैच्छिक संगठनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार कार्यकलापों में लगे हुए स्वैच्छिक को एस०ई०टी० सहायता अनुदान प्रदान करने की भारत सरकार की एक योजना है। कुष्ठ कार्य में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों के नाम संलग्न सूची में है। इनमें से एक संगठन लाल बहादुर शास्त्री कुष्ठ सेवाश्रम, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) को वर्ष 1994-95 के दौरान 0.74 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

2. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

गैर सरकारी संगठनों में नेत्र बैंकों को जो नेत्र एकत्र करने तथा उनके रक्त रखाव के कार्य में लगे हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान दिया जाता है। केवल एक गैर सरकारी संगठन नामतः धामपुर नेत्र बैंक, धामपुर, बिजनौर ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त किया था, जो नीचे दिया गया है:–

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि
1994-95	18,443 रुपये
1995-96	50,000 रुपये
1996-97	40,000 रुपये

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य में मोतियाबिंद के आपरेशन करने वाले तथा नेत्र शिविरों का आयोजन करने वाले गैर सरकारी संगठन भी जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों के माध्यम से धन प्राप्त कर रहे हैं।

3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, निम्नलिखित संगठनों को घर वार उपचार के लिए क्षय रोग रोधी औषधों के रूप में सामग्रीगत सहायता प्रदान की गई हैं।

1. श्री बृज सेवा समिति, क्षय रोग आरोग्यघर, वृदावन (मथुरा)
2. उत्तर प्रदेश क्षय रोग संघ, लखनऊ
3. विवेकानन्द पोलीक्लीनिक, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, लखनऊ
4. श्री शकारा सवास्थ्य परिचर्या केन्द्र, रघपुरा, रूद्रप्रयाग
5. रकहड़ राइसर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, देहरादून

4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें एच०आई०वी० एड्स के निवारण तथा नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों को उन्हें आबंटित धनराशि में से धनराशि मंजूर करती है तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा सीधे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी मंजूर और रिलीज की जाती हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान किसी स्वैच्छिक संगठन को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान प्रोग्राम फार इथिकल एकेडेमिक एंड कल्चरल इन्टर प्राइजेज (पी०ई०ए०सी०ई०) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को "एड्स के व्यापक हल की तलाश में" सेमिनार करने के लिए 120,000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ कार्य में लगे हुए स्वैच्छिक संगठन

1. कुष्ठ अस्पताल एवं होम
(मैथोडिस्ट चर्च)
अलमोड़ा-263 601

2. कुष्ठ मिशन अस्पताल,
जिला-बाराबंकी-225 001

3. चांडग कुष्ठ अस्पताल एवं होम,
डाकखाना-चांडग
पिथौरागढ़-262 501

4. कुष्ठ मिशन अस्पताल,
फैजाबाद,
मोती नगर, फैजाबाद-224 201

5. नैनी कुष्ठ अस्पताल एवं होम, नैनी
इलाहावाद-211 008

6. जहांगीर मेमोरियल धर्मार्थ अस्पताल
मंझनपुर, इलाहाबाद (उ०प्र०)

7. जवाहर लाल नेहरू सेवा संस्थान,
निकट आई०टी०आई० बरहज रोड, सोंडा
जिला-देवरिया (उ०प्र०)

8. कुष्ठ रोगी कल्याण सोसायटी,
डाकघर-बाक्स सं० 1158,
7-अमरलोक कालोनी, ताजगंज
आगरा-1 (उ०प्र०)

9. लाल बहादुर शास्त्री कुष्ठ सेवाश्रम,
तरवा (फिरोजपुर) आजमगढ़ (उ०प्र०)

10. बी०आर०डी० कुष्ट सेवाश्रम,
देवरिया-274 001
उ०प्र०

11. प्रेम सेवा अस्पताल
डाकखाना-उलरनला
जिला-गोंडा-271 604

12. एस०वी०डी० अस्पताल,
100, गांधीग्राम, जी०टी० रोड़
कानपुर-208 007

13. कनौसा सोशल एवं स्वास्थ्य परिचर्या
फैजावाद छावनी-224 007

14. कुष्ठ सेवा आश्रम अस्पताल,
गोरखपुर-273 001

15. काशी कुष्ठ सेवा संघ
डाकखाना सर्वंय आशापुर
वाराणासी

16. किरपाओंकी माता,
1, नाला पानी रोड़,
द्वारा 16, कान्वेंट रोड़,
देहरादून-248 002

17. सेंट जोसेफ डिस्पेंसरी,
371, सिविल लाइन्स,
रुड़की-247 667

18. कुष्ठ सेवाश्रम,
सेवरही,
देवरिया-275 001

19. कानपुर कुष्ठ निवारण संस्थान,
1/233, नवाबगंज,
कानपुर-208 002

20. पूर्वांचल सेवा संस्थान,
देवरिया-274 001

21. कुष्ठ सेवा केन्द्र,
(कुष्ठ अस्पताल)
गोंडा-271 001

22. श्री राम कुष्ठ आश्रम,
(कुष्ठ कालोनी)
हापुड़ रोड़ – मोदी नगर
गाजियाबाद-261 204

23. बैकुंठ धाम कुष्ठ आश्रम,
पुराना मेरठ रोड़ – हापुड़
गाजियाबाद-245 101

मानव व्यापार

1266. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को बाल मजदूरी, गोद लेने और बाल वेश्यावृत्ति के लिए अवैध रूप से अनेक देशों में ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष 1000 बच्चे अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे और उनमें से लगभग 60 प्रतिशत बच्चों को रोका गया और अन्ततः उनहें उनके परिवारों को सौंप दिया गया और ऐसी खबर है कि लगभग 5 प्रतिशत बच्चे आश्रय गृहों से भाग गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए इसे अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है;

(घ) क्या अमेरिका के शिकागो में रोके गए सभी बच्चों को वापस भेज दिया गया है या वे अभी भी वहीं है; और

(ङ) किन-किन निवारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को अवैध रूप से भेजे जाने पर रोक लगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क)

सरकार को समय-समय पर ऐसी घटनाओं की खबर मिलती है, जिनमें भारतीय बच्चों को अवैध रूप से विदेश ले जाया गया है।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आप्रवासन और नेचुरलाईजेशन सर्विसेज, शिकागो, अमरीका द्वारा अनुरक्षित विशेष सुविधा में 18 बच्चों को बन्दी बनाया गया था। अब तक उनमें से एक बच्चा उसके माता-पिता द्वारा उसके लिए वापसी टिकट की व्यवस्था कर दिये जाने पर भारत लौटा है। 17 में से 15 बच्चों ने भारत में रह रहे अपने परिवार के कुछ ब्यौरे दिए हैं। गुजरात और पंजाब की राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों को भारत वापस जाने तथा उन्हें उनके माता-पिता/संबंधियों को सौंप देने भर के उद्देश्य से ही उनके संबंधियों से सम्पर्क न करें, वरन् यह भी पता लगाए कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ये बच्चे भारत से गए थे। बच्चों को स्वदेश लाने में देरी का सही कारण यह है कि शेष बच्चों के माता-पिता ने अपनी ओर से न तो शिकागो स्थित भारतीय कोंसलवास से और न ही अमरीकी अधिकारियों से सम्पर्क किया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ताकि बच्चों को अवैध रूप से विदेश ले जाने को रोकने के लिए, यदि आवश्यक हो तो उपचारी उपाय निर्धारित किए जा सकें। केवल एक बच्चा भारत वापस भेजा गया है। अन्य बच्चों के माता-पिता के विवरण अभी मालूम नहीं हैं।

डी०डी०ए० भूमि का वाणिज्यिकीकरण

1267. श्री बी०एल० शंकर : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "डी०डी०ए० गिव्स अवे प्राईम लैंड टू स्टेरी शर्मा ट्रस्ट, फ्री आफ कास्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा स्टेरी शर्मा न्यास द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस न्यास से भूमि वापस लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) डी०डी०ए० ने बताया है कि कलाकार ट्रस्ट को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। तथापि, इस न्यास को, जो कि दिल्ली में रह रहे राजस्थान के कठपुतली कलाकारों, नटों, सपेरों और बाजीगरों के कल्याण में रत एक गैर-सरकारी संगठन है, खुला रंगमंच चलाने के लिए सैदुल अज़ायब गांव में लाइसेंस शुल्क आधार पर 3 एकड़ अविकसित भूमि का उपयोग करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि इस भूमि का स्वामित्व डी०डी०ए० के पास ही रहेगा। ट्रस्ट किसी भी स्थिति में उक्त रंगमंच किसी व्यक्ति अथवा संगठन को आबंटित करने का हकदार नहीं होगा।

(ग) और (घ) उक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी मजदूरों के लिए आवास

1268. श्री हरिन पाठक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी की स्थिति पर तथा उस पर्यावरणीय स्थिति जिसमें कि विशेष रूप से मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता अहमदाबाद, और मद्रास आदि जैसे महानगरों में मजदूर रह रहे हैं, पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव के आकलन हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन लाखों मजदूरों जो इन शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, के लिए आवासीय सुविधायें, प्रदान करने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्वसन संबंधी संक्रमण

1269. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा श्वसन संबंधी बीमारियों का इलाज और इनकी रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) श्वसनीय रोगों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का पता बताने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) श्वसनीय रोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय और पर्याप्त उपचार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना सरकार द्वारा किए गए उपायों में से है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मशीनों का उपयोग न होना

1270. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापित किये जाने हेतु लायी गयी मशीनें गत एक वर्ष से बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन मशीनों को स्थापित न किये जाने के लिए कोई दायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता

1271. डा० राम विलास वेदान्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मलेरिया के उन्मूलन हेतु विश्व बैंक से कुल कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से किन-किन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली 891.04 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर एक परिवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संचार (आई०डी०ए०) के साथ सफलतापूर्वक शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जो कुल लागत के लगभग 85 प्रतिशत लागत तथा नेट करों को कवर करेगा। शेष लागत वार्षिक योजना बजट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र मध्य, प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान कुल सात राज्यों में, जो पी० फाल्सीपेरम मलेरिया के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, तथा इन राज्यों के 19 शहरों/नगरों तथा तमिलनाडु कर्नाटक तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों जहां मलेरिया की स्थानिकमारिकता अधिक है, के 100 जिलों में 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस परियोजना में आवश्यक रूप से कवर किया गया है। जनशक्ति विकास, परिवर्धित सूचना, शिक्षा व संचार तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे कुछ घटक सम्पूर्ण देश को कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में मलेरिया के प्रकोप वाले किसी क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग सहित क्षेत्रों को इसमें लगाने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा परियोजना के औपचारिक रूप से अनुमोदन होने पर धनराशि के राज्यवार आवंटन का निर्धारण किया आएगा।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1272. श्री पी० उपेन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी की है;

(ख) क्या विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सांसदों द्वारा सुझाए गए अनेक कार्य आरंभ नहीं किए गए हैं और पैसे को भी खर्च नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी निधियां संबंधित जिलाधिकारियों को जारी कर दी थी।

(ख) और (ग) सांसदों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। यदि निर्माण कार्य करवाए जाने लायक होते हैं और योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं तो संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा उन निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन किया जाता है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे इस विषय में अपना पूरा सहयोग दें ताकि इन कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता

1273. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1997 के "स्टेटसमैन" में "मोर टू बाई पर्मानेन्ट सीट इन यू०एन० काउन्सिल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का जोरदार तरीके से दावा करने के लिए सामान्य राजनयिक विकल्पों का पता लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह समाचार कल्पना पर आधारित है। तथा संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद सुधारों से सम्बद्ध विचार-विमर्श और इसमें भारत सरकार के दृष्टिकोण को सही रूप में परिलक्षित नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधारों से संबद्ध अनेक प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श चल रहा है। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुक्त उद्देश्य कार्यकारी समूह के अधिदेश को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह समूह "किन्हीं सहमत सिफारिशों' सहित सितम्बर, 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बावनवें सत्र के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। भारत इस विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तथा अन्य सदस्य राज्यों से निकट सम्पर्क बनाए हुए है। स्थायी सदस्यों के प्रकल्पित योगदान सहित, जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक पृथक कार्यकारी समूह में विचार किया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय सुधारों के संबंध में भी कोई सहमति नहीं हो पायी है।

सरकारी क्वार्टरों की देखभाल न किया जाना

1274. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर क्षेत्र और अन्य सरकारी कालोनियों में सरकारी क्वार्टर काफी पुराने पड़ गए हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरोजिनी नगर और अन्य सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय इन क्वार्टरों में रहने वालों की शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूछताछ कार्यालय में दोषी पाये गये अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) यद्यपि सरोजिनी नगर के सरकारी बास 40 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं फिर भी वे जीर्ण-शीर्ण (ध्वस्त) हालत में नहीं हैं।

(ग) और (घ) सरोजिनी नगर और अन्य सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेवा केन्द्रों कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तित करना

1275. श्री सत्यपाल जैन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन का विचार संघ शसित क्षेत्र चण्डीगढ़ में लीज होल्ड प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने हेतु कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है; और

(घ) अनुमति प्राप्त लम्बित तथा मंजूरी के लिए प्रतीक्षारत मामलों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। चण्डीगढ़, प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने "चण्डीगढ़ रिहायशी लीज होल्ड भू-धृति का फ्री होल्ड भू-धृति में परिवर्तन नियमावली 1996" नामक नियम 19 जुलाई, 1996 को अधिसूचित कर दिया है। नियमानुसार सभी श्रेणी के बने बनाये फ्लैटों और 500 वर्ग मीटर तक के आकार वाले विकसित प्लाटों को फ्री-होल्ड में परिवर्तन, चण्डीगढ़, प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों में उपलब्ध है।

(ग) सं० 648

(घ) 648 आवेदनों के अतिरिक्त 277 मामलों में परिवर्तन की अनुमति मिली है। शेष 371 मामले अब तक लंबित हैं।

जम्मू और कश्मीर में उपद्रव

1276. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में लोकप्रिय सरकार बन जाने के बाद राज्य में उपद्रव ने एक नया मोड ले लिया है;

(ख) 1995-96 और चालू वर्ष में प्रतिमाह के दौरान पूंछ, उधमपुर और डोंडा जिलों में कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया, कितने मारे गये और कितनी सम्पत्ति लूटी/नष्ट की गई;

(ग) कितने आतंकवादी मारे गये और गिरफ्तार किये गये तथा कितने शस्त्र/गोली बारूद आदि बरामद हुये; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने आतंकवादी मारे गये, गिरफ्तार किये गये और इस अवधि के दौरान किताने भाड़े के विदेशी सैनिक, सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गये तथा हताहत हुये ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में चुनी हुई सरकार के गठन के बाद आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। हिंसा की प्रवृत्ति मुख्य रूप से राजनैतिक कार्यकर्ताओं,

आत्मसमर्पित उग्रवादियों तथा आसान लक्ष्यों के विरुद्ध रही है ताकि चुनी हुई सरकार का मनोबल तोडा जा सके और उसे बदनाम किया जा सके।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1995, 1996 और जून, 1997 तक के दौरान भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित मारे गए और गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या, हथियार/गोलीबारूद की बरामदगी का ब्यौरा तथा मारे गए एवं घायल हुए सुरक्षा बलों के कार्मिकों और सिविलियनों की संख्या इस प्रकार है :

	1995	1996	जून, 1997 तक
	2	3	4
(i) मारे गए उग्रवादी (भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित)	1332	1209	549
(ii) गिरफ्तार उग्रवादी (तदैव)	3228	2567	1257
(iii) मारे गए भाड़े के विदेशी सैनिक	85	139	77
(iv) गिरफ्तार भाड़े के विदेशी सैनिक	33	19	23
हथियार			
(i) ए०के० श्रेणी की राइफलें	2055	2150	864
(ii) पिस्तौल/रिवाल्वर	965	1052	468
(iii) यू०एम०जी०	67	84	29
(iv) आर०पी०जी०	44	48	12
(v) जी०पी०एम०जी०	9	9	5
(vi) एलएमजी/एलएसआर	10	9	8
(vii) 303 राइफल	22	36	21
(viii) स्नाइपर राइफल	38	49	24
(ix) रॉकेट लांचर	36	43	48
(x) रॉकेट बूस्टर	24	119	27
गोली बारूद			
(i) ए०के० श्रेणी (लाखों में)	3.27	3.3	0.89
(ii) पिस्तौल/रिवाल्वर	9205	13226	10632
(iii) यूएमजी	4813	7055	2671
(iv) स्नाइपर राइफल्स	1145	5162	1864
(v) .303	621	166	06
(vi) बैल्टिड एम्यूनिशन	344	525	2196
मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	254	185	74
मारे गए सिविलियन	1031	1396	527
घायल हुए सुरक्षा कर्मी	789	542	171
घायल हुए सिविलियन	1532	1560	591

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र

1277. **श्री सुरेश प्रभु :**
श्री के०एस० रायुडु :
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कनाडा द्वारा अभिकल्पित दो परमाणु बिजली संयंत्रों में कुछ खराबी आई गई है;

(ख) यदि हां, तो इन खराबियों का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बिजली संयंत्रों को बंद करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये संयंत्र अधिक समय तक बंद नहीं रहे, इन संयंत्रों की खराबियों को दूर करने हेतु अर्हताप्राप्त तकनीशियनों को इसमें लगाये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-I, जिसे उपस्कर संबंधित समस्या की वजह से फरवरी, 1994 से बंद किया हुआ था, को उसकी अति दाब मोचन युक्ति में हुए रिसाव को स्वदेशी तौर पर विकसित प्रौद्योगिकी तथा रोबोटिक उपकरणों की सहायता से बंद करने के बाद अप्रैल, 1997 में फिर से सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। यह यूनिट तब से सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-II, जिसने अप्रैल, 1981 से लेकर जुलाई, 1994 तक अपने वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान ठीक से काम किया, को उसके शीतलक चैनल एक साथ बदलने और प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए अगस्त, 1994 से बंद किया हुआ है। ये कार्य बड़े अनुरक्षण-कार्यों के स्वरूप के हैं और संतोषजनक रूप से प्रगति

कर रहे हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को 1997-98 के दौरान फिर से चालू कर दिए जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी अति दाब मोचन युक्ति में हुए रिसाव को स्वदेशी तौर पर विकसित प्रौद्योगिकी/उपकरणों की सहायता से सफलतापूर्वक बंद करने के बाद अप्रैल, 1997 से चालू किया जा चुका है। राजसथान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट का बड़ा अनुरक्षण कार्य भी स्वदेशी प्रयासों के आधार पर किया जा रहा है और आशा है कि यह बिजलीघर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय श्रमशक्ति संवर्द्धन परिषद

1278. श्री जग प्रकाश अग्रवाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में रोजगार की प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा मजबूत बनाने के लिए एक केन्द्रीय श्रम शक्ति संवर्द्धन परिषद् की तरह का संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर राज्यों के श्रम सचिवों के पिछले सम्मलेन में चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) संवर्धनात्मक और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिये एक केन्द्रीय श्रम शक्ति नियति संवर्धन परिषद्, गठित करने के एक प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य श्रम सचिवों की बैठक में पिछले वर्ष भी इस पर विचार-विमर्श किया गया था। उसमें लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, भाग न लेने वाली राज्य सरकारों से और जानकारी मांगी गई है।

[अनुवाद]

डाक्टरों का पंजीकरण

1279. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कुल कितने पंजीकृत डाक्टर हैं; और

(ख) उनमें से कितने डाक्टर राज्य-वार सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में शामिल की गई चिकित्सा अर्हताओं के साथ देश में एलोपैथी में पंजीकृत किए गए चिकित्सीय व्यवसायियों की 30.6.97 को कुल संख्या 4,92,553 है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा ऐसी किसी सूचना का संकलन नहीं किया गया है। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रकाशन "भारत में स्वास्थ्य सूचना, 1994" में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.1991 को सरकारी अभिकरणों में डाक्टरों की संख्या 39,466 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

सरकारी अभिकरणों में डाक्टरों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी अभिकरण में लगे हुए डाक्टरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1059
2.	अरुणाचल प्रदेश	233
3.	असम	2660
4.	बिहार	अनुपलब्ध
5.	गोवा	540
6.	गुजरात	3645
7.	हरियाणा	अनुपलब्ध
8.	हिमाचल प्रदेश	-तदैव-
9.	जम्मू और कश्मीर	-तदैव-
10.	कर्नाटक	3397
11.	केरल	4163
12.	मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध
13.	महाराष्ट्र	-तदैव-
14.	मणिपुर	684
15.	मेघालय	322
16.	मिजोरम	146
17.	नागालैंड	202
18.	उड़ीसा	4965
19.	पंजाब	3462

1	2	3
20.	राजस्थान	अनुपलब्ध
21.	सिक्किम	101
22.	तमिलनाडु	3189
23.	त्रिपुरा	673
24.	उत्तर प्रदेश	8630
25.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	122
27.	चंडीगढ़	864
28.	दादरा एवं नगर हेवली	12
29.	दमण एवं दीव	19
30.	दिल्ली	अनुलब्ध
31.	लक्षद्वीप	28
32.	पांडिचेरी	350
	योग :	39466

भारत-रूस संबंध

1280. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व प्रधान मंत्री ने मार्च 1997 में रूस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक किन-किन प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है;

(ङ) क्या पूर्व प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का रूसी सरकार द्वारा पूरी तरह से पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (च) हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री 24 से 26 मार्च, 1997 तक रूसी परिसंघ की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच चार द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर हुए, उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i) **दोहरे कराघान के परिहार से सम्बद्ध करार** : इसमें दोनों देशों के व्यक्तियों और निगम निकायों की आय पर समरूपी अथवा पर्याप्त रूप से एकसमान करों को लगाने से बचने की व्यवस्था है, इससे दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा परस्पर निवेश संवर्धित होगा। आय पर करों के संबंध में क्रियाविधियों को सरल बनाने और बाधाओं को दूर करने से यह एक-दूसरे के क्षेत्र में निवेशकों/फर्मों की मौजूदगी को भी प्रोत्साहित करेगा।

(ii) **सीमाशुल्क के मामलों में सहयोग तथा परस्पर सहायता देने से सम्बद्ध करार** : इसमें अपने-अपने सीमाशुल्क कानूनों में अपराधों की रोकथाम, उनकी जांच-पड़ताल तथा अभियोजन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार करने की व्यवस्था है। इसमें सीमा शुल्क, कर और अन्य सीमाशुल्क संबंधी प्रभारों का सही-सही आकलन करने तथा आयात और निर्यात पर निषेधात्मक प्रतिबंध तथा नियंत्रण से सम्बद्ध प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। इसमें दोनों देशों के बीच सामान और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए संयुक्त उपाय करने की व्यवस्था है।

(iii) **पौध संरक्षण और पौध संगरोध से सम्बद्ध करार** : इसमें दोनों देशों के क्षेत्र में कीटाणुओं तथा पोधों की बीमारियों के प्रवेश तथा फैलाव और खरपतवार की रोकथाम करने के उद्देश्य से कृषि पौध संगरोध तथा वन्य फसलों के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने की व्यवस्था है। इस प्रकार यह ऐसे हानिकारक कीटाणुओं से फसल को होने वाले नुकसान को कम करेगा। इससे वृक्षारोपण सामग्री, कृषि तथा वन्य उत्पाद के व्यापार तथा द्विपक्षीय आदान-प्रदान को और अधिक विकसित किया जा सकेगा। इससे देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए पारस्परिक प्रमाणीकरण को स्वीकार करने जैसी समस्याओं का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। इससे खाद्यान्न सहित, द्विपक्षीय कृषि संबंधी व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iv) **शारीरिक संस्कृति और खेल कूद सहयोग से सम्बद्ध करार**: इसमें शारिरिक प्रशिक्षण और खेल-कूल के क्षेत्र में सम्पर्कों को संवर्धित करने तथा खेल-विज्ञान, औषधि, शिक्षा तथा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को शामिल करते हुए विभिन्न खेलों में विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और प्रशिक्षकों के नियमित आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। इसमें इस क्षेत्र में सूचना तथा शैक्षिक एवं अन्य सहित्य के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है। उम्मीद है कि दोनों देशों के खिलाड़ियों

की क्षमता को संवर्धित करने में यह परस्पर लाभकारी होगा।

2. तत्कालीन प्रधान मंत्री की रूसी परिसंघ की यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में रूसी परिसंघ के साथ भारत के निकट तथा मंत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा सुदृढ़ करने में बढ़ावा मिला है। प्रधान मंत्री के रूस की यात्रा के दौरान की गई वचनबद्धताओं का रूस की सरकार ने पूर्णतः पालन किया है।

आई०डी०एस०एम०टी० योजना

1281. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री भक्त चरण दास :
श्री काशीराम राणा :
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री जयसिंह चौहान :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक राज्य-वार आई०डी०एस० एम०टी० (छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास) योजना के अंतर्गत कितने नगरों का विकास किया गया है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य नगरों में उक्त योजना का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक द्वारा इस योजना के लिए कोई सहायता प्रदान की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत आज की तारीख तक 25 राज्यों और 5 संघ राज्यों में 904 कस्बों/शहरों को शामिल किया गया है (राज्य-वार विवरण-I के रूप में संलग्न है)।

(ख) 1996-97 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों को संलग्न विवरण-II में दिये गये ब्यौरे के अनुसार 27.92 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है।

(ग) और (घ) संशोधित आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शामिल 50,000 से 1,00,000 की आबादी वाले कस्बों को छोड़कर 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों/शहरों (पूर्व में यह 1995-96 तक 3 लाख थी) में लागू है। शहरों की अन्य आबादी वाले ग्रुपों के लिए इस स्कीम के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत शामिल किये गये कस्बों की राज्यवार संख्या (1979-80 से आज तक)

राज्य का नाम	शामिल किये गये कस्बे
1	2
1. असम	19
2. आन्ध्र प्रदेश	74
3. अरुणाचल प्रदेश	4
4. बिहार	40
5. गोवा	6
6. गुजरात	51
7. हरियाणा	12
8. हिमाचल प्रदेश	5
9. जम्मू तथा कश्मीर	8
10. कर्नाटक	76
11. केरल	32
12. मध्य प्रदेश	72
13. महाराष्ट्र	96
14. मणीपुर	11
15. मेघालय	7
16. मिजोरम	5
17. नागालैंड	7
18. उड़ीसा	41
19. पंजाब	23
20. राजस्थान	43
21. सिक्किम	4
22. तमिलनाडु	98

1	2
23. त्रिपुरा	8
24. उत्तर प्रदेश	85
25. पश्चिम बंगाल	66
संघ शासित राज्य	
1. अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह	1
2. दमन एवं द्वीव	2
3. दादर एवं नगर हवेली	1
4. लक्ष्यद्वीप	1
5. पांडीचेरी	6
योग :	904

विवरण-II

1996-97 के दौरान आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के तहत राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता

राज्य का नाम	जारी धनराशि (लाख रुपये में)
1	2
1. असम	63.60
2. आन्ध्र प्रदेश	505.18
3. अरुणाचल प्रदेश	12.80
4. बिहार	96.60
5. गुजरात	187.77
6. हरियाणा	13.60
7. हिमाचल प्रदेश	18.60
8. जम्मू और कश्मीर	77.10
9. कर्नाटक	352.45
10. केरल	50.15
11. मध्य प्रदेश	128.95
12. महाराष्ट्र	218.61
13. मणीपुर	53.10
14. मेघालय	11.0
15. मिजोरम	19.00
16. नागालैंड	16.60
17. उड़ीसा	31.60
18. पंजाब	58.00
19. राजस्थान	140.80
20. सिक्किम	6.00
21. तमिलनाडु	51.30
22. त्रिपुरा	40.80
23. उत्तर प्रदेश	452.20
24. पश्चिम बंगाल	206.20
योग :	2792.00

कर्मचारी पेंशन योजना

1282. श्री मुरलीधर जेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी पेंशन योजना में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक कितने कर्मचारियों ने पेंशन योजना का विकल्प दिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना 16.11.1995 से प्रभावी की गई है। योजना में पिछली बार फरवरी, 1996 में संशोधन किया गया था और योजना में पेंशन का संराशीकरण, कतिपय चूक मामलों में पेंशन की अदायगी आदि जैसे नए प्रावधान जोड़े गए थे। योजना की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। योजना में आगे संशोधन आवश्यकता महसूस किए जाने पर किया जाएगा।

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 लगभग 20 मिलियन क० भ०नि० अंशदाताओं पर लागू है। 11.7.1997 की स्थिति के अनुसार, नई पेंशन योजना के अंतर्गत 1,43,769 व्यक्तियों ने पेंशन प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

कैंसर के रोगी

1283. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर रोगियों और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी वर्ष 1997 की रिपोर्ट में भारत सरकार को इस गंभीर बीमारी के बारे में चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए गये व्यापक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) के अंतर्गत जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों 1982 से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में कैंसर होने के आंकड़े एकत्रित कर रही हैं। बम्बई, बैंगलूर, और मद्रास में रजिस्ट्रियों से आंकड़ों के समय प्रवृति विश्लेषण से पता चलता है कि कैंसर की समग्र घटना-दर में थोड़ी-सी लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

कैंसर की घटना दरों में परिवर्तन के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, उसने निम्नलिखित शामिल हैं :–

(I) जनसंख्या में कैंसर होने में वस्तिविक परिवर्तन (II) समुदाय और चिकित्सा व्यवसायियों में कैंसर के बारे में बढ़ती जागरूकता जिससे अधिक संख्या में कैंसर के रोगियों का निदान हुआ, और (III) क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुमान में अन्तर।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कैंसर समेत गैर-संचारी रोगों में वृद्धि के बारे में चेतावनी दी है।

(घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने कैंसर का शुरू में ही पता लगाने, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:–

(I) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को बढ़ाना,

(II) कुछ अभिज्ञात चिकित्सा कालेजों/अस्पतालों में अर्बुदविज्ञान खंडों का विकास,

(III) देश के विभिन्न भोगों में कोबाल्ट चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना करना,

(IV) जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना,

(V) कैंसर का शुरू में ही पता लगाने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

(ङ) और (च) मुख और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसरों की रोकथाम करने के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में प्रचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मुखीय कैंसरों के निवारण और उनका शुरू में ही पता लगाने की परियोजनाओं का उद्देश्य तम्बाकू-रोधी शैक्षणिक कार्यकलापों में स्वास्थ्य प्रणालियों, स्कूल, सामुदायिक स्वयं-सेवकों और रेडियों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करना है। गर्भाश्यग्रीवा कैंसर का शुरू में ही पता लगाने की परियोजना ने पैप स्मीयर जांच और अर्ध-चिकित्सीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा गर्भाश्य-ग्रीवा का दृष्टिगत निरीक्षण करने जैसे विधियों को शुरू करने का परीक्षण किया।

[अनुवाद]

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

1284. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री विजय गोयल :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1995 को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के प्रभावों का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली किराया अधिनियम 1995 में इसके कुछ प्रावधान में संशोधन के पश्चात् लागू करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) दिल्ली के तत्कालीन मुख्य मंत्री (श्री एम०एल० खुराना) द्वारा जून 1995 में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था और समिति ने मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था :–

(क) तयकिराया।

(ख) किरायेदारियों का पंजीकरण।

(ग) किराया वृद्धि

(घ) किरायादारियों को उत्तराधिकारिता।

(ङ) किरायेदार की बेदखली।

सरकार द्वारा इन सुझावों की जांच की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान से भारतीयों का पलायन

1285. डा०वी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में वर्तमान में अस्थिरता की स्थिति के कारण अधिकांश भारतीयों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने भारतीय अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की अफगानिस्तान में सम्पत्ति के दावों के निपटान के मामले को अफगानिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो अफगानिस्तान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि 1990 में अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय मूल के करीब 45000 अफगान राष्ट्रिकों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इनमें से 1990 से अब तक 11000 व्यक्ति भारत जा चुके हैं।

(ग) और (घ) सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत या दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार

1286. श्री काशीराम राणा :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों (भा०प्र०से०) की बैठक में भा०प्र०से० के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाह और कार्यशैली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था;

(ख) यदि हां, तो भा०प्र०से० के अधिकारियों को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं;

(ग) क्या उनकी वर्तमान कार्यशैली संतोषप्रद नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाने का है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (घ) दिनांक 20.11.1996 को राज्यों तथा संघ-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नहीं बल्कि प्रशासन को समग्र रूप से उत्तरदायी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने, सिविल सेवाओं में साफ-सुधारापन लाने तथा सांविधिक सिद्धान्तों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सम्मेलन को प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित किया गया और उस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित भावना से कार्य करने का आह्वान किया ताकि प्रशासनिक तंत्र में लोगों का विश्वास कायम किया जा सके और जनोन्मुखी प्रवृत्तियों और डिलीवरी प्रणालियों को अपनाया जा सके। सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें भी की :–

(i) जवाबदेहता को व्यापक रूप में समझा जाना चाहिये ताकि जन-संतुष्टि और सेवाओं की उत्तरदायी डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य के लिये जितने भी अधिक से अधिक संभव हों, सेवा संस्थानों के लिय एक चरणबद्ध तरीके से नागरिक चार्टर बनाने पर विचार किया जाए।

(ii) यह आवश्यक है कि सरकार और लोक-निकायों के कार्य-कलापों में अधिक से अधिक पारदर्शिता और खुलापन लाया जाए। उदाहरण के तौर पर इसमें सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम विषयक कार्रवाई शामिल है।

सम्मेलन के पश्चात् प्रधान मंत्री ने केन्द्र सरकार के कुछ चुने हुए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ बैठकें की। इन बैठकों में, प्रधान मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ (i) नियमों के सरलीकरण और अप्रचलित नियमों में परिवर्तन करने तथा (ii) मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया।

जनता के साथ सम्पर्क रखने वाले अनेक मंत्रालयों ने नागरिक चार्टर बना लिये हैं तथा अधिक उत्तरदायी प्रशासन, कार्य-विधियों के सरलीकरण, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के लिये अनेक उपाय किये हैं। सरकार ने सूचना के अधिकार तथा खुली और पारदर्शी सरकार के संवर्द्धन हेतु एक कार्यदल भी गठित किया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रशासन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड

1287. श्री मोहन रावले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड विभिन्न वित्तीय

संस्थाओं से लिये गये ऋणों पर ब्याज अदा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विदेशों में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के लिये बड़ी मात्रा में राशि वसूल करनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने में राष्ट्रीय आवास निर्माण निगम की सहायता करने हेतु क्या उपाय किये हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि० (एन०वी०सी०सी०) वित्तीय संस्थाओं से समय-समय पर उधार ली गयी धनराशि पर ब्याज अदा कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान अदा ब्याज का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	स्वदेशी परियोजनाएं (करोड़ रुपये में)	विदेशी परियोजनाएं (करोड़ रुपये में)
1994-95	4.66	136.64
1995-96	3.98	30.79
1996-97	4.72	3.13

(ग) और (घ) एन०बी०सी०सी० की 31.3.97 को, लीबिया पर 90.06 करोड़ रु० की राशि (ब्याज दावे से भिन्न) तथा ईराक पर 46.76 करोड़ रु० की राशि बकाया थी जो उस कम्पनी द्वारा वर्ष में उन देशों में पूरी की गई परियोजनाओं के लिये भुगतान किये जाने के कारण शेष थी।

(ङ) लीबिया से बकाया राशि की बसूली के लिये केन्द्रीय औद्योगिक विकास राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अप्रैल, 1995 में लीबिया का दौरा किया था। एन०बी०सी०सी० ने भी भारत सरकार के राजनयिक माध्यम से बकाया राशि की वसूली के लिए लीबिया में एक स्थानीय एजेंट की नियुक्ति की है। जहां तक ईराक से बकाया राशि की बात है, तो भारत सरकार ने उसकी वसूली के लिये दिनांक 6.7.1995 को एक कार्य दल का गठन किया है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

1288. डॉ० बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश विशेषकर नोएडा/ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर किये जा रहे बाल श्रमिकों के शोषण तथा श्रम कानूनों के घोर उल्लंघन से अवगत हैं;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा फैक्ट्री मालिकों तथा श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारी

1289. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री येल्लैया नंदी :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश भर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समूह "क", "ख", "ग" और "घ" कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो में स्टाफ की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार देश भर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :–

समूह "क"	–	555
समूह "ख"	–	199
समूह "ग"	–	4633
समूह "घ"	–	134
		5521

(ख) से (घ) कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर, प्रशासनिक अपेक्षाओं और गैर-योजना व्यय में समग्र मितव्ययिता का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता को समुचित रूप से ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज

1290. श्री भक्त चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेडिकल कालेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी बढ़ी है और 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कितने मेडिकल कालेज थे;

(ग) क्या चिकित्सा कालेजों की संख्या बढ़ने के बावजूद चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चिकित्सा-शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के पश्चात् किसी नये चिकित्सा कालेज को खोलने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य है। पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले अनुमत्य चिकित्सा कालेजों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश में कुल 148 चिकित्सा कालेज कार्य कर रहे थे।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारतीय चिकित्सा परिषद, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानकों का अनुरक्षण किया जा रहा है, चिकित्सा कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

(ङ) अवर स्नातक शिक्षा की पाठ्यचर्या को हाल ही में और अधिक जरूरत पर आधारित बनाने के लिए उसका पुनः निर्धारण किया गया है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत्य चिकित्सा कॉलेजों की संख्या

क्र०सं०	चिकित्सा कालेज का नाम
1.	एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, परिआयारम, कन्नूर केरल।
2.	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ मेडिकल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे, ढबाडे, पुणे।
3.	आचार्य, श्री चन्द्र कॉलेज ऑफ मेडिकल सांइसेज एण्ड हॉस्पीटल, गांधीनगर, जम्मू-तवी, जम्मू और कश्मीर।
4.	पी०वी० नरसिंह राव मेडिकल कॉलेज, जॉलीग्रांट, देहरादून।
5.	मेडिकल कॉलेज, भावनगर।
6.	मेडिकल कॉलेज, राजकोट।
7.	डा० डी०वाई० पाटिल मेडिकल कॉलेज फार वीमन, पिंपरी, पुणे।
8.	संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद।
9.	विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज, सेलम।
10.	विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज, करियाकल, पाण्डिचेरी।

इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों का विकास

1291. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपस्कारों के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) इन उपस्करों का ब्यौरा क्या है और उनकी लागत कितनी है; और

(ग) इन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 'स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकी" नामक एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जो जन स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, स्वास्थ्य लाभ के लिए इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय उपस्कर, संवेदकों आदि के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में 15 इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय उपस्कर अनुरक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। जन-स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में चालू परियोजनाओं/लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र में तथा विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए हुए है। स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभाग विभिन्न

सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में भी भाग ले रहा है। प्रौद्योगिकी का अंतरण इसके कुछ विकास कार्यक्रमों के जरिए विनिर्माण संगठनों को किया जा रहा है। इन विकास कार्यक्रमों में अग्रणी चिकित्सा संस्थानों को भी शामिल किया जा रहा है।

विवरण

स्वास्थ्य की देखभाल में इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कार्यकारी अभिकरण	परियोजना की लागत (लाख रुपए में)
1.	कैंसर चिकित्सा के लिए निम्न ऊर्जा (4 मेव) जीवन ज्योति सरल त्वरक (लाइनैक) प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठापन	समीर, बम्बई सी०एस०आई०ओ०, चण्डीगढ़	161.41
2.	विकरण चिकित्सा के लिए उच्च ऊर्जा (15 मेव) लाइनैक का विकास	समीर, बम्बई सी०एस०आई०ओ०, चण्डीगढ़ पी०जी०आई०एम०ई०आर०, चण्डीगढ़	469.20 (चालू है)
3.	चिकित्सा उपयोग के लिए मरीज सहायता प्रणाली (काउच)	सी०एस०आई०ओ०, चण्डीगढ़	22.35
4.	कैंसर की विकरण चिकित्सा के लिए त्रि-आयामी उपचार आयोजना प्रणाली	सी-डैक, पुणे एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ	33.50
5.	अंकीय रेडियोग्राफी प्रणाली का विकास चित्र अभिलेखन एवं संचार प्रणाली)	ई०आर०एण्ड०डी०सी०, त्रिवेन्द्रम सी०एस०टी०आई०एम०एस०टी०, त्रिवेन्द्रम	49.00
6.	कम्प्यूटरीकृत गामा कैमरा प्रणाली का विकास	ई०सी०आई०एल०, हैदराबाद	20.70
7.	ग्रसनी प्रावस्था और दाब मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास	ए०आई०आई०एम०एस०, नई दिल्ली	15.43
8.	सूक्ष्म संसाधक नियंत्रित एलीसा रीडर का विकास	ई०सी०आई०एल०, हैदराबाद	8.07
9.	स्तन कैंसर के आरम्भिक संसूचन के लिए विशेषज्ञ प्रणाली	वेबेल, कलकत्ता	13.00
10.	गैर-संक्रामक रक्त दाब ट्रांसड्यूसर मापक प्रणाली का विकास	आई०आई०टी०, खड़गपुर	9.91
11.	महीन परतीय जैव चिकत्सीय रक्त दाब ट्रासंड्यूर	आई०आई०एस०सी०, बंगलौर	15.62
12.	नैदानिक प्रयोग के लिए नवीन गुदा मलाशयी (नलिकागत) दाब ट्रांसड्यूसर का डिजाइन एवं विकास	ए०आई०आई०एम०एस०, नई दिल्ली	18.44
13.	नव प्रसूति उपस्कर (स्पंद आक्सीमीटर का विकास)	सी०एस०आई०ओ०, चण्डीगढ़	12.29
14.	शल्य चिकित्सा पश्चात दर्द निवारण के लिए मरीज नियंत्रित दर्द-निवारक का डिजाइन, विकास एवं चिकित्सकीय मूल्यांकन	आई०आई०टी०, खड़गपुर ए०आई०आई०एम०एस०, नई दिल्ली	9.78 (चालू है)
15.	मंद बुद्धि के मरीजों के लिए संचार सहायता	आई०आई०टी०, दिल्ली	9.03
16.	भारतीय भाषाओं और ब्रेयले लिपि को अर्द्ध स्वचालित कम्प्यूटर पहचान सहित ब्रेयले पुमरुत्पादन सहायता	रामकृष्णन मिशन ब्लांइड ब्यॉस एकादमी, कलकत्ता	16.24 (चालू है)
17.	कम्प्यूटर के उपयोग के क्षेत्र में दृष्टिहीनों के लिए रोजगार के अवसरों का विकास	सी०एस०आई०, बम्बई टी०आई०एफ०आर०, बम्बई	9.32

विजयवाड़ा में कैंसर अस्पताल स्थापित करने हेतु धनराशि

1292. श्री पी० उपेन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा में एक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एस०आई०बी०ए०आर० चेरिटेबल ट्रस्ट, विजयवाड़ा से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितनी सहायता राशि दिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से नहीं भेजा गया था, इसलिए मंत्रालय ने अपने 23.4.97 के पत्र के द्वारा उन्हें सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित राज्य सरकार की विधिवत संस्तुति प्राप्त करते हुए आवेदन करें। आवेदन पत्र की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

मूलभूत ढांचा परियोजनाएं

1293. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" के मुंबई संस्करण में "स्क्वैटर्स डिले इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट्स इन एशिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चार महानगरों अर्थात् मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में कुछ बड़ी परियोजनाओं के बारे में यह बात सच है;

(ग) यदि हां, तो अवैध कब्जा करने वालों के कारण प्रभावित तथा विलंबित होने वाली मूलभूत ढांचा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) जी हाँ, यह समाचार आधारी संरचनात्मक परियोजनाओं में हुए विलंब से संबंधित है। यह विलब खासकर निजी क्षेत्रों में अवैध कब्जा के कारण हुआ। कुछ विशिष्ट मामलों में अवैध कब्जों की समस्या के कारण सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भी विलंब हुआ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं जो चार महानगरों में अवैध कब्जों के कारण विलंबित हो रही है, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

1294. श्री सत्यपाल जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में इसके आरंभ से 31 मार्च, 1996 तक कितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा वास्तविक रूप से कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इस तिथि तक कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के पूर्व सांसद श्री पी०के० बंसल के लिए 205 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी। उन पूर्व सांसद द्वारा अनुशंसित 26 निर्माण कार्यों में से मार्च 1997 तक 14 कार्य सूचनानुसार पूरे किए जा चुके थे एवं इन कार्यों पर 86.5 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

अनाधिकृत कालोनियों को हटाया जाना

1295. श्री जयप्रकाश अग्रवाल :
श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन अनधिकृत कालोनियों को हटाये जाने और इन कालोनियों से हटाये गये लोगों को किन्हीं अन्य स्थानों पर बसाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) एम०सी०डी० ने बताया है कि इस समय दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में करीब 30 लाख लोग जीवन यापन कर रहे हैं तथापि इस बारे में कोई प्रमाणिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठाता।

[अनुवाद]

दमा

1296. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दमा के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इसके संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) दिल्ली में दमे की घटना दर में वृद्धि को बताने वाले कोई वैज्ञानिक आंकड़ें नहीं हैं। तथापि दिल्ली में स्कूली बच्चों में दमे की व्याप्तता दर पर बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीटूयूड द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अध्ययन किए गए लगभग 12 प्रतिशत बच्चों को दमा था।

(घ) इस रोग के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

1297. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश से पोलियो को समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य के मुकावले राज्यवार अव तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्यवार कितना आवंटन किया गया है;

(घ) क्या देश में कोई जिला पोलियो मुक्त घोषित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित आगामी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश को पोलिया मुक्त बनाने के लिए क्या तिथि/वर्ष निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू किया गया जिसका उद्देश्य पोलियो का उन्मूलन करना है। यह रोजमर्रा के टीकाकरण के अतिरिक्त है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्ष्य बनाया गया और 1996-97 से आयु वर्ग को बढ़ाया गया है ताकि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जा सके। 7 दिसम्बर, 1996 को पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया। 11.74 करोड़ बच्चों को मुखीय पोलियो वैक्सीन दी गई तथा 18 जनवरी, 1997 को 12.7 करोड़ बच्चों को मुखीय पोलियो वैक्सीन दी गई।

(ग) इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को 1996-97 के दौरान 31.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। विवरण संलग्न है।

(घ) अभी तक कोई जिला पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) इस वर्ष एक देश व्यापी पोलियो निगरानी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम सन 2000 तक जारी रहना चाहिए। आशा है कि तब तक भारत पोलियो मुक्त हो जाएगा।

विवरण

पल्स पोलियो टीकाकरण 1996-97 के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पी०ओ०एल० एवं परिवहन के लिए धनराशि	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए धनराशि
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	55.50	113.50
2. अरुणाचल प्रदेश	35.75	44.00
3. असम	57.25	79.00
4. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.50	11.00
5. बिहार	111.50	172.0
6. चण्डीगढ़	4.00	8.00

1	2	3
7. दादरा एवं नगर हवेली	2.75	8.00
8. दमण एवं दीव	5.50	11.00
9. गुजरात	45.75	67.00
10. गोवा	4.00	11.00
11. हिमाचल प्रदेश	30.00	41.00
12. हरियाणा	32.00	61.00
13. जम्मू व कश्मीर	37.75	52.00
14. कर्नाटक	45.75	70.00
15. केरल	31.50	52.00
16. लक्षद्वीप	2.75	8.00
17. मध्य प्रदेश	103.25	145.00
18. महाराष्ट्र	75.50	100.00
19. मेघालय	16.25	26.00
20. मणिपुर	22.00	29.00
21. मिजोरम	11.00	17.00
22. नागालैंड	19.25	25.00
23. उड़ीसा	69.50	100.00
24. पंजाब	34.00	61.00
25. राजस्थान	71.75	103.00
26. सिक्किम	10.25	17.00
27. तमिलनाडु	56.00	85.00
28. त्रिपुरा	11.00	17.00
29. उत्तर प्रदेश	172.25	214.00
30. पश्चिम बंगाल	46.00	67.00
31. दिल्ली	20.00	37.00
32. पाण्डिचेरी	8.00	17.00
भारत	1253.25	1869.50

मध्य प्रदेश तथा गुजरात के लिए योजना

1298. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिए 1997 के लिए वार्षिक योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा मांग की गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई योजना आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 हेतु गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों के लिए वार्षिक योजना आकार क्रमशः 4500.00 करोड़ तथा 3656.00 करोड़ रु० अंतिम रूप से तय किया गया है।

[हिन्दी]

अवैध कब्जा

1299. डा० बलिराम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में उद्यान मार्ग तथा गोल मार्केट के डी-आई-जेड क्षेत्र में ओल्ड आर०के० आश्रम मार्ग की सड़कों तथा फुटपाथों पर फेरीवालों तथा फुटपाथ वासियों ने अवैध कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को तुरन्त हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) जी, हां। नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचित किया है कि सड़कों और पट्टरियों पर कुछ अतिक्रमण हैं।

(ख) अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाया जाता है, तथापि, फेरीवाले और पटरीवासी उस भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लेते हैं।

[हिन्दी]

विशेष न्यायालय

1300. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित करते समय सर्वोच्च न्यायालय की राय पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जून, 1997 में प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को देशभर के भ्रष्टाचार-निरोधी मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल देते हुए, पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मुख्य मंत्रियों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों से परामर्श करके विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था।

(ग) इस तथ्य के मद्देनजर कि कानून एवं व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है अतः ऐसी श्रेणी के विशेष-न्यायालय की स्थापना वस्तुतः संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।

(घ) चूंकि विशेष न्यायालयों की स्थापना का मुख्य दायित्व अलग-अलग राज्य सरकारों पर है, इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा

1301. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों (गुजरात राज्य सहित) में चलाए जा रहे प्रमुख केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) की नियमित समीक्षा तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करती है। एक केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (सी०एल०सी०सी०), राज्य स्तर की एक समन्वय समिति (एल०एल०सी०सी०) तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का एक प्रज्ञासी निकाय है जो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है । इसके अतिरिक्त, राज्यों की ओर से मूल संकेतकों पर नियमित प्रगति रिपोर्टों तथा केन्द्र, राज्य तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों के गहन पथ्यापथ्य नियमों के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों को मानीटर किया जाता है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें तथा डी०आर०डी०ए० के परियोजना निदेशकों के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर मानिटरिंग एवं सतर्कता समितियां गठित की गई हैं जिनमें इन स्कीमों के कार्यान्वयन को मानिटर करने के लिए चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया गया है।

इसके अलावा, विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के, उनके लक्ष्यों के संबंध में, व्यापक प्रभाव का आकलन करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, स्वतंत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से इन स्कीमों का समय-समय पर समवर्ती मूल्यांकन कराता है।

(घ) से (च) विभिन्न केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में, अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है। इसके अलावा, पहचान किए गए जनजातीय ब्लॉकों को जनजातीय उपयोजना (टी०एस०पी०) के अंतर्गत कवर किया जाता है।

अस्पतालों को मान्यता दिया जाना

1302. श्री पी० उपेन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों के लिए हृदय चिकित्सा हेतु विजयवाड़ा के कुछ अस्पतालों को मान्यता देने का आग्रह प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) चूंकि विजयवाड़ा शहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है अतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बूथों का आवंटन

1303. श्री सत्य पाल जैन : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में रेहड़ी वालों तथा फेरी वालों को पक्के बूथ आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) इस समय इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं; और

(घ) पात्र व्यक्तियों को कब तक बूथ आवंटित कर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त सम्मेलन

1304. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सी०बी०आई० अधिकारियों, राज्य की भ्रष्टाचार निवारण एजेंसियों के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कितने संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुए; और

(ख) इन सम्मेलनों में क्या सुझाव दिए गए और इस पर क्या निर्णय लिये गए ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष, 1994 से 1996 तक और 30.6.97 तक, केन्द्रीय जांच-ब्यूरो और राज्य भ्रष्टाचार-निवारण एजेंसियों के अधिकारियों के दो संयुक्त सम्मेलन (12वां एवं 13वां) वर्ष, 1994 और जून 30, 1997 के बीच आयोजित किए गए।

(ख) इन संयुक्त सम्मेलनों के दौरान की गई मुख्य सिफ़ारिशों और कार्रवाई का मुख्य ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. राज्य के भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरों के ढांचे और कार्यकरण का अध्ययन, उसकी समीक्षा करने और उसे सरल और कारगर बनाने के लिए एक समिति गठित की जाए। यह समिति इन भ्रष्टाचार निवारण-ब्यूरों की प्रक्रियाओं और इनके अधिकारों में एकरूपता लाने के उपाय भी सुझाए। यह समिति गठित कर ली गई है।

2. एक समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सतर्कता-ढांचे का अध्ययन करने और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित की जाए। यह समिति सतर्कता ढांचों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाए। यह समिति गठित कर ली गई है और इसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

3. **केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य भ्रष्टाचार-निवारण-एजेंसियों के बीच समन्वय**

   राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के भ्रष्टाचार निवारण-ब्यूरों, सरकारी विभागों और उपक्रमों से साख्यिकीय जानकारी प्राप्त की जानी थी। यह जानकारी प्राप्त कर ली गई।

4. **विलम्ब तथा जांच शीघ्र पूरा किए जाने के उपाय**

   इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् सम्मेलन में इस बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाए गए। इस सम्मेलन का कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ करने के लिए पहले ही भेज दिया गया है।

5. **जांच की गुणवत्ता और तकनीकी निवेशों में सुधार अपेक्षित है**

   जांच की गुणवत्ता और तकनीकी निवेशों में सुधार लाने के लिए पांच सिफारिशें की गई। इनमें से चार सिफारिशों पर अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है।

6. **अर्थ व्यवस्था के उदारीकरण का प्रभाव तथा आर्थिक अपराधों, जिनमें लोक सेवक संलिप्त हैं, की जांच**

   इस मद के संबंध में, सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशें, अर्थ व्यवस्था के उदारीकरण के प्रभाव तथा आर्थिक अपराधों, जिनमें लोक सेवक संलिप्त हैं, की जांच से संबंधित हैं। ये सिफारिशें संबंधित कार्यालयों को यथोचित कार्रवाई के लिए पहले ही भेज दी गई हैं।

[अनुवाद]

बाल श्रम पर प्रतिबंध

1305. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :
श्री एन डेनिस :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों का विचार भी इसे लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम, के उपबंधों के अंतर्गत बालकों का नियोजन प्रतिषिद्धि करने के लिए सूची में और व्यवसाय तथा प्रक्रियाओं को जोड़े जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू (हाउस होल्ड) सेवा में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है।

पायलट परियोजना

1306. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शहरों और गांवों में रहने वाले सामान्य लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा तथा टेलीमेडीसीन जैसे सेवायें आरम्भ करने हेतु सरकार के दूरसंचार नेटवर्क द्वारा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवायें और शिक्षा प्रदान करने हेतु पायलट परियोजना आरम्भ किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला डी० सवान्नूर) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार "दूरस्थ शिक्षा एवं टैली मैडिसन जैसी सेवाएं ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार होंगी। "इन क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं पायलट आधार पर शुरू की जाएंगी।" नौवीं योजना हेतु दूर संचार सहित विस्तृत क्षेत्रकीय रणनीति को तैयार करने की प्रक्रिया, योजना आयोग में प्रगति पर है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के जेलों में बंद भारतीय

1307. श्री हंसराज अहीर :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी संख्या में भारतीय नागरिक/मछुआरे पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कैद हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय इन जेलों में कितने व्यक्ति कैद हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तानी जेलों में कैद इन व्यक्तियों को रिहा कराने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पाकिस्तानी जेलों से कितने भारतीय नागरिक/मछुआरे रिहा कराये गए;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/मंच में उठाए जाने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान की जेलों में मछुआरों कार्गो जहाजों के कर्मचारियों सहित 1183 भारतीय कैद हैं।

इनके अतिरिक्त 1965 तथा 1971 के युद्ध से 54 भारतीय रक्षा कार्मिक लापता हैं जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं।

(ग) पाकिस्तान की जेलों में बंद सभी भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई तथा उनके प्रत्यावर्तन संबंधी मामला पाकिस्तान सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है। हमारे विदेश मंत्री की 18.12.96 तथा 09.04.97 को हुई पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत तथा 12.05.97 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के दौरान इस मसले पर भी बातचीत की गई। यह मसला जून 1997 को हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान भी उठाया गया था। इस बारे में हमारे प्रयत्न जारी हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों (1994 तक) के दौरान पाकिस्तानी जेलों से रिहा किए गये मछुआरों सहित भारतीय नागरिकों की संख्या निम्ननुसार है :–

1994	84
1995	27
1996	शून्य
1997 (जुलाई)	231

(ङ) से (छ) यह मसला अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/मंचों पर नहीं उठाया गया है क्योंकि सरकार की यह नीति है कि पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मसलों को द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा सुलझाया जाए।

[अनुवाद]

सीमा विवाद

1308. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान, चीन और बंगलादेश के साथ मुख्य सीमा विवाद क्या है;

(ख) इन सीमा विवादों को सुलझाने में प्रमुख अड़चनें क्या हैं; और

(ग) सीमा विवाद को सुलझाने की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या पहल किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा) : (क) से (ग) **पाकिस्तान** :

पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर राज्य में लगभग 78,000 वर्ग कि०मी० भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त

पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा करार के अन्तर्गत चीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 5120 वर्ग कि०मी० भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है। तिरक्रीक क्षेत्र में सीमा की व्याख्या पर भी भारत और पाकिस्तान में मतभेद हैं। इस मसले पर बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का भी अभी तक रेखाकंन नहीं हुआ है।

2. सरकार भारत और पकिस्तान के बीच सभी बकाया मसलों को शिमला समझौते के अन्तर्गत बातचीत द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए वचनबद्ध है। दोनों देशों के बीच औपचारिक अधिकारी स्तर की वार्ता हाल ही में शुरू हुई है। 19-23 जून, 1997 को इस्लामाबाद में शुरू हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दूसरे दौर के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच बकाया मसलों पर व्यापक सकारात्मक तथा सतत बातचीत के लिए रूपरेखा तैयार करने की व्यवस्था है।

चीन :

भारत-चीन सीमा प्रश्न के संबंध में अनसुलझे मसलें है, जिन पर दोनों देशों के बीच 1950 से ही बातचीत चल रही है। इन मसलों पर दिसम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की यात्रा के पश्चात् दोनों देशों के बीच स्थापित संयुक्त कार्यदल तथा सितम्बर, 1993 में प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव की यात्रा के पश्चात् स्थापित विशेषज्ञ दल में विचार-विमर्श किया जाता रहा है। संयुक्त कार्य की नौ बैठकें सम्पन्न हुई हैं तथा विशेषज्ञ दल की पांच बैठकें हुई हैं।

2. जम्मू और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीना-पाकिस्तान सीमा करार के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लगभग 5,120 वर्ग किलोमीटर भारतीय प्रदेश को अवैध रूप से चीन को दे दिया था।

3. सीमा मसले का निष्पक्ष, तर्कसंगत तथा परस्पर रूप से स्वीकार्य हल निकालने के संकल्प को दोहराते हुए, दोनों पक्ष, अन्तरिम रूप से, ऐसे ठोस उपाय सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए हैं, जिनसे सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति और अमन को प्रभावी रूप से बनाए रखा जाए।

बंगलादेश और भारत के बीच भू-सीमा के निर्धारण का कार्य अभी पूरा होना है। भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार 1974 में सम्पन्न हुआ था। इस करार के प्रावधानों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सीमा निर्धारण और गलत कब्जों और अन्तः क्षेत्रों का आदान-प्रदान आवश्यक है। आदान-प्रदान किए जाने वाले अन्तः क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। सीमा निर्धारण का कार्य गलत ढंग से किए कब्जों का पता लगाने के साथ-साथ भारत और बंगलादेश के सर्वेक्षण प्राधिकारियों द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद, करार के क्रियान्वयन से पूर्व, कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है। सीमा के जिन क्षेत्रों का अभी निर्धारण किया जाना है उनमें 36 किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 किलोमीटर आसाम में और 1.6 कि०मी० त्रिपुरा में है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के सोनाई, इच्छामती, कालिंदी, रायमंगल और हरिभंगा नदियों पर 155 किलोमीटर की जलीय सीमा क्षेत्र का भी निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

2. सरकार सीमा के निर्धारण को पूरा करने की दिशा में बंगलादेश के प्राधिकारियों के सहयोग से बराबर विचार-विमर्श और सर्वेक्षण कर रही है। भारत बंगलादेश सीमा सम्मेलन की पिछली बैठक 18 से 24 जुलाई, 1997 तक ढाका में हुई थी।

बाल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी

1309. श्री माधवराव सिंधिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों का मानवाधिकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन करके शोषण किया जाता है तथा उन्हें किसी कार्य हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम वेतन दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बालिकाओं सहित बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस संबंध में कोई कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत गठित प्रवर्तन तन्त्र नियमित निरीक्षण करता है और जहां कहीं इन दो अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन की जानकारी मिलती है, आवश्यक कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

यौन शिक्षा

1310. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स के खतरों तथा एक विशिष्ट उग्र (किशोरावस्था) वालों में इसे फैलाने से रोकने संबंधी शिक्षा एड्स के रोकथाम और नियंत्रण का एक सर्वाधिक कारगर साधन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देशभर के विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) स्कूलों में यौन शिक्षा शुरू करने के लिए विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार स्कूलों में एड्स

शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। अट्ठारह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों में एड्स शिक्षा पर अग्रणी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें 'शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही हैं और स्कूली छात्रों के लिए अनौपचारिक रूप से एड्स जागरूकता कार्यकलाप चला रही हैं।

उपग्रह संचार नीति

1311. **श्री सिदैय्या कोरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1997 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में "रेन्ट ऐन इंडियन सेटेलाइट और बाई वन इफ यू कैन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रस्तावित संचार नीति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेलीफोनी, आंकड़ा, टी०वी० तथा ध्वनि प्रसारण एवं मोबाइल सेवाओं के लिए उपग्रहों का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। सरकार ने भारत में उपग्रह संचार के लिए एक ढ़ांचा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (क) इन्सैट प्रणाली पर प्रेषानुकर क्षमता व्यावसायिक शर्तों पर गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को भी प्रदान की जायेंगी, बशर्ते कि क्षमता उपलब्ध हो, (ख) भारतीय निजी पार्टियों को व्यावसायिक संचार उपग्रह स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा पार्टियों को भारतीय उपग्रहों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आई०टी०यू०) के साथ ऐसी उपग्रह प्रणालियों और नेटवर्क के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) में सहायता प्रदान की जाएगी, और (ग) इस संबंध में तैयार किए जाने वाले मानदंडों एवं शर्तों के अनुसार भारतीय तथा विदेशी उपग्रह दोनों के साथ भारत से प्रचालन की अनुमति दी जाएगी, किन्तु भारतीय उपग्रहों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जहां तक उपग्रह आधारित प्रसारण का प्रश्न है, उपग्रह संचार की ढांचा नीति से संबंधित विविध प्रावधान प्रस्तावित प्रसारण कानून के अनुसार होंगे।

संचार उपग्रह प्रणाली देश में संचार नेटवर्क के लिए एक मौलिक अवसंरचना बन गयी है तथा इसलिए क्रमबद्ध विकास के लिए इसे उचित रूप में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारतीय उपग्रह प्रणालियों को विविध संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों का पालन करना होता है, जिसमें भारत एक पार्टी है। सरकार आगामी कुछ महीनों में, प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए नीति के विविध पहलुओं से संबंधित मानदंडों एवं शर्तों को तैयार कर लेगी। यह आशा की जाती है कि ढांचा नीति के प्रतिपादन से स्वस्थ और समृद्ध संचार उपग्रह और भू-उपकरण से संबद्ध उद्योग तथा भारत में उपग्रह संचार सेवा से संबद्ध उद्योग का विकास होगा। इससे इन्सैट प्रणाली के बृहत्तर उपयोग का द्वार भी खुलेगा।

राज्य वित्त आयोग

1312. **श्री जगमोहन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकारों तथा संसाधनों के अन्तरण के संबंध में विचार करने हेतु कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है;

(ख) कितने राज्य वित्त आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा उक्त आयोग द्वारा की गए सिफारिशों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् अस्तित्व में आए नए शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकारों के अन्तरण तथा संसाधनों के आवंटन के संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू) : (क) शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकारों तथा संसाधनों के अंतरण के संबंध में विचार करने हेतु सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, जिनमें संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम लागू है, ने राज्य वित्त ओयाग का गठन पहले ही कर लिया है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र प० बंगाल, केरल, तमिलनाडु और लक्ष्यद्वीप के राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन आयोग की सिफारिशें मुख्यतया शहरी स्थानीय निकायों को समुचित नियतन/वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकारों का अंतरण तथा संसाधनों का नियतन करना राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई नीति दस्तावेज़ तैयार नहीं किया है।

बोफोर्स दलाली

1313. **श्री वी०वी० राघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने करोड़ों रुपये के बोफोर्स दलाली मामले संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई विधि के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी तथा इस स्तर पर रिपोर्ट के ब्यौरे प्रकट करने से विधि के अन्तर्गत यथा-उपबन्धित आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1314. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्री मोहन रावले :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995 में शुरू की गई प्रधान मंत्री समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम राज्यवार किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) इस कार्यक्रम पर राज्यवार अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) सरकार ने इसके कारगर कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रलय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : (क) प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नवम्बर, 1995 में आरम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम 25 राज्यो तथा दो संघ शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है जिसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से एक लाख तक की आबादी वाले 424 श्रेणी II कस्बे/शहरी समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर के पर्वतीय कस्बे और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊँ क्षेत्रों के पर्वतीय जिलों, जिनकी आबादी एक लाख से कम है, को शामिल किया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जिन कस्बों/शहरी समूहों तथा पर्वतीय कस्बों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है, उनकी सूची विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार है:–

वर्ष	जारी किया गया केन्द्रीय अंश (रु० करोड़ में)
1995-96	105.80
1996-97	70.60
1997-98	31.8977
योग	208.2977 (16-7-1997 तक)

जारी की गई राशि के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) योजना का कार्यान्वयन तथा निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठकें अंतः मंत्रालय संयोजन मंच इत्यादि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनेक बार यह परामर्श दिया गया है कि वे योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से करें ताकि निर्धनतम व्यक्ति इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।

विवरण-I

प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआई यूपीईपी)

लक्ष्य : कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि (1995-96 से 1999-2000 के दौरान 5 मिलियन शहरी निर्धनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपलब्धियां :-

राज्यों द्वारा सूचित वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(क) 248 कस्बों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया है।

(ख) 240 कस्बों के लिए कस्बा-वार परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

(ग) स्व-रोजगार घटक के अन्तर्गत बैंकों को 39011 आवेदन पत्र भेजे गए हैं जिनमें से 7037 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) आश्रय उन्नयन घटक के अन्तर्गत, बैंकों/हडको को 14922 आवेदन पत्र भेजे गए हैं जिनमें से 8106 मामले हडको द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) 9587 प्रतिवास समूहों, 2142 प्रतिवास विकास समितियों तथा 117 समुदाय विकास समितियों का गठन किया गया है।

(च) 1139 थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटियों तथा 177 समुदाय केन्द्रों का गठन किया गया है।

विवरण-II

प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शामिल 424 शहरी समूहों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. श्रीकाकुलम
2. ताडेपल्लीगुडम

3. नरसारापेट
4. नालकौंडा
5. अनकापल्ली
6. अदीलाबाद
7. छिलकालुपिट
8. भरमदरम
9. मदनापल्ली
10. ताडीपारी
11. जागीतियल
12. वेलम्पल्ली
13. मुडामरी
14. कवाली
15. मिरयागुडा
16. येमीगनूर
17. वांघन
18 कदीरी
19. तन्क
20. वापटला
21. श्रीकलाहस्ती
22. सूरयापेट
23. निरमल
24. कागजनगर
25. पल्लाकोली
26. नरसापुर
27. गुडूर
28. पान्नुरू
29. सिर्डीपेट
30. पालवाछा
31. मनछेत्याल
32. मगलागिरी
33. सांगारेड्डी
34. सिरीविला

असम

1. नागांव
2. तिनसुकिया
3. ढबरी
4. तेजपुर
5. कोंकराझार
6. बोंगईगाव
7. गोलपाड़ा
8. बारपेटा
9. नलबाडी
10. मगोलदोई (दारंग)
11. लखीमपुर
12. मारी गाव
13. गोलाघाट
14. शिवसागर
15. दिफ (करलिंगलोंग)
16. हफिलोग (उत्तरी कछार पर्वत)
17. करीमगंज
18. हेलाकडी
19. धेमाजी

बिहार

1. ससाराम
2. हजारीबाघ
3. देहरी
4. बेट्टियों
5. हाजीपुर
6. जमालपुर
7. देवगढ़
8. बेगूसराय
9. मोतिहारी
10. सिवान
11. रामगढ़

12. सहरसा
13. गिरीदी
14. सीतामढ़ी
15. वगाहा
16. किशनगंज
17. बरौनी
18. मोकामे
19. समस्तीपुर
20. गूमना
21. छिवासा
22. दालतोनगंज
23. वक्सर
24. मधुवनी
25. झुमूरी तलैया
26. लखीसराय
27. नवाडा
28. जेहनावाद

गोवा

1. मार्मोगांव
2. पणजी
3. मारगो

हरियाणा

1. जींद
2. थनेसर
3. रिवाड़ी
4. कैथल
5. पंचकुला
6. हांसी
7. फलक्ल
8. वहादुरगढ़
9. नारनौल

गुजरात

1. पाटन
2. झोहाद
3. जेतपुर
4. कलोल
5. पालनपुर
6. खम्भाल
7. गोंडल
8. धोराजी
9. अंकलेश्वर
10. अमरेली
11. सावरकुडला
12. बोताड़
13. महुवा
14. दोसा
15. बिसनगर
16. घरंगधरा
17. ढोलका
18. उपलेटा
19. सिधपुर
20. हिम्मतनगर
21. अंजार
22. बिलोमोल
23. ऊंझा
24. कादी
25. वीरागंल
26. दभोगई
27. केशोड़

केरल

1. कोडुंगल्लूर
2. कयमकुलम

3. चित्तूर थार्यमंगलम
4. पायन्नूर
5. तलीपरिम्बा
6. थियवला
7. चरानाससरी
8. पोन्नानी
9. कासरागोड

कर्नाटक

1. कोलार
2. गंगावटी
3. गागलोट
4. रावीकेयू
5. हरिहर
6. चिकमंगलूर
7. राबकविबानहट्टी
8. चन्नापटना
9. दो दवल्लापुर
10. डांडेली
11. शाहबाद
152. गोक्कक
13. पिप्पनी
14. अरवार
15. सिरसी
16. रामनगरम
17. चितामणि

अरूणाचल प्रदेश

1. डोडामिला टाऊन (प० कामेंग)
2. इटानगर (लोवर सबनसिवी)
3. अलांगु टाउन (प० सैंग)
4. पासीघाट (प० सैंग)
5. रोईंग टाऊन (दीवांग वादी)
6. तेजुटाउन (लोहित)
7. खोसा टाउन

हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा
2. धर्मशाला (कांमड़ा)
3. हमीरपुर
4. ऊना
5. बिलासपुर
6. मंडी
7. नाहान (रिमौर)
8. कुल्लु
9. सोलन

मणिपुर

1. चूडाचांदपुर
2. मोरेह (पदेल)
3. थैबल
4. विष्णपुर
5. लिलोंग (इम्फाल)

मेघालय

1. जोवई
2. नांगस्टोइन
3. विलियम नगर
4. तरा

मिजोरम

1. लंगलेई
2. सैहा (धिमनुपुई)

मध्य प्रदेश

1. छिंदवाड़ा
2. मंदसूर
3. चिकलीकला परासिया
4. विदिसा
5. नीमच
6. रायगढ़
7. इटारसी
8. जगदलपुर

9. सारनी
10. महूकंट
11. बुरहानुपुरघनपुरी
12. नागदा
13. छतरपुर
14. सिहोड़
15. कुरसिया
16. होशंगाबाद
17. धमतरी
18. बेलाघाट
19. खरगोन
20. सिओनी
21. दतिया
22. केतूल
23. शहडोल
24. घाप
25. वावरा
26. राजराघारन दल्ली
27. टीकमगढ़
28. अरिहापुर
29. बीनाइटावा

जम्मू व कश्मीर

1. लेह
2. कारगिल
3. वारामुल्ला
4. कुपवाड़ा
5. वड़गांव
6. अनंतनाग
7. पुलवामा
8. कथुआ
9. डोंडरा
10. उधमपुर
11. पुंछ
12. ब्रिजबहेरा
13. पंपोर
14. अवंतिपुरा
15. सोपोर
15. बांदीपुरा
17. बारी-ब्राहमण
18. आर०एस० पुरा
19. राजौरी

महाराष्ट्र

1. अचलपुर
2. सतारा
3. बल्लारपुर
4. बारती
5. वसाई
6. पंढारपुर
7. श्रीरामपुर
8. हिंगनघाट
9. नंदूरवार
10. चालीसगांव
11. अमालनेर
12. खामगांव
13. पारली
14. भंडारा
15. उदगिर
16. उस्मानाबाद
17. नालसोपारा
18. अकोला
19. मनवाड़
20. पनवेल
21. वीरार
22. अंबेजोगई

23. कराड़
24. रतनगिरी
27. कुसाढ
26. हिंगोली
27. बुलडाना
28. मल्कापुर

उड़ीसा

1. भदरक
2. बालनगीर
3. ब्रिजराजनगर
4. बारीपाड़ा
5. जेपुर
6. झारसुगडा
7. सुनावड़ा
8. बारगढ़
9. भवानीपटना
10. जतानी

पंजाब

1. मलेर कोटला
2. फगवाड़ा
3. फिरोजपुर
4. एस०ए०एस० नगर
5. बरनाला
6. खन्ना
7. राजपुरा
8. मुक्तसर
9. कपूरथला
10. कोटकपूरा
11. फरीदकोट
12. फाजिलका
13. मलोट
14. संगरूर
15. मानसा
16. गुरुदासपुर
17. नाभा
18. फिरोजपुर कैंट

राजस्थान

1. चुरू
2. हनुमानगढ़
3. किशनगढ़
4. सवाई माधोपुर
5. झुंझुनु
6. चित्तोड़गढ़
7. सुजानगढ़
8. गंगापुरसिटी
9. बारमी
10. धौलपुर
11. नागोड़
12. सरदार शहर
13. बांसवाड़ा
14. मकराना
15. फतेहपूरा
16. बूंदी
17. हिंड़ोम
18. बारन
19. रतनगढ़
20. नवलगढ़

तमिल नाडु

1. नागापटनम
2. पडुकोटई
3. भवानी
4. बैनियनवाडी
5. गुड्डीपट्टम
6. विलुपुरम

7. उद्योगमंडलम
8. अरुक्कुट्टई
9. कोविलपट्टी
10. मयिलादथुराई
11. पलानी
12. अम्बर
13. जिरूचेन्द्रर
14. परमाक्कटी
15. आरक्कोनम
16. विन्दुनगर
17. कडापनल्लूर
18. श्रीविल्लीपुत्तुर
19. चिदम्बरम
20. बोडिनाय ककन्ड
21. हेनीअलीनगरम
22. मैटुपलायम
23. तिरूचेंगोड
24. तिन्दीवनम
25. कृष्णागिरी
26. अबासुमुद्दम
27. धर्मपुरी
28. उदुमलाईपेटई
29. पटटूरकोट्टई
30. देवेरिशोलो
31. मन्नारगुडी
32. अत्तुर
33. तिरूप्रट्टूर
34. तिनकोसी
35. अरानी
36. छगलपट्टू
37. पुलियागुडी
38. रामनाथपुरम
39. वद्याचलम
40. कम्बम
41. पानरूती

त्रिपुरा

1. धर्मनगर (उ० त्रिपुरा)
2. उदयपुर (द० त्रिपुरा)

उत्तर प्रदेश

1. औरई
2. बनुंदा
3. गौंडा
4. मुगलसराय
5. रूड़की
6. हरदोई
7. बस्ती
8. बलिया
9. चांदोसी
10. देवरिया
11. खुर्जा
12. लखीमपुर
13. ललितपुर
14. आजमगढ़
15. एटा
16. बाराबंकी
17. मणिपुरी
18. गाजीपुर
19. सुलतानपुर
20. कासगंज
21. बिजनौर
22. ऋषिकेश
23. शामली
24. टांडा
25. काशीपुर

26. बरौट
27. नजीबाबाद
28. देवोबंद
29. बेला प्रतापगढ़
30. भादोही
31. शिकोहाबाद
32. मुबारकपुर
33. रूद्रपुर
34. सिकन्दराबाद
35. वलरामपुर
36. कन्नौज
37. नगीना
38. महोबा
39. केइराना
40. चान्दपुर
41. शाहबाद
42. मक्ना
43. सहसवान
44. उड़ीया
45. गंगाघाट
46. पिल्खुआ
47. चमोली
48. टेहरी गढ़वाल
49. उत्तर-काशी
50. टेहरी
51. अल्मोड़ा
52. नैनीताल
53. पिथोरागढ़

नागालैंड

1. दीमापुर
2. कोहिमा
3. जुनेलेबोटो
4. वोखां
5. मोकोकचंग
6. तएनसांग
7. मोन

सिक्किम

1. भोंगन
2. गंगटोक
3. नामची
4. गेजिंग

पं० बंगाल

1. कोछ बिहार
2. पुरलिया
3. बीरनगर
4. राजपुर
5. बवानगांव
6. चाकदाहा
7. दार्जिलिंग
8. जलपाईगुडी
9. चितरंजन
10. बिरलापुर
11. औरंगाबाद
12. विष्णुपुर
13. जांगीपुर
14. कटवा
15. सूरी
16. कोंटई
17. बोलपुर
18. गोबरडांगा

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्ट ब्लेयर

पाण्डिचेरी

1. कराईकल

विवरण-III

प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 1995-96, 1996-97, तथा 1997-98 के लिए जारी की गई धनराशि

प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	जारी किया गया केन्द्रीय अंश	जारी किया गया केन्द्रीय अंश	(16.7.97 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	980.58	866 .13	372.695
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.11	95 .8045	
3.	आसाम	265.94	314 .7863	
4.	बिहार	819.37	443 .0348	
5.	गोवा	90.00	58 .5615	38.730
6.	गुजरात	583.59	315 .5450	221.805
7.	हरियाणा	183.03	103 .6784	69.565
8.	हिमाचल प्रदेश	87.57	82 .6388	58.090
9.	जम्मू और कश्मीर	136.22	128 .5492	90.365
10.	कर्नाटक	634.59	343 .1226	241.190
11.	केरल	263.20	186 .24	100.030
12.	मध्य प्रदेश	772.87	437 .7788	293.755
13.	महाराष्ट्र	948.60	512 .9095	360.54
14.	मणिपुर	48.65	68. 4318	
15.	मेघालय	38.92	42 .6336	
16.	मिजोरम	19.46	27 .7938	
17.	नागालैंड	108.65	123 .1772	
18.	उड़ीसा	269.17	145 .5448	
19.	पंजाब	306.30	270 .55	116.420
20.	राजस्थान	506.27	447 .18	192.420
21.	सिक्किम	38.92	36 .7290	
22.	तमिलनाडु	1046.37	647 .00	397.700
23.	त्रिपुरा	19.45	27 .57280	
24.	उत्तर प्रदेश	1584.74	884 .3184	621.615
25.	पं० बंगाल	679.43	390 .4892	
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	30 .00	14.85
27.	पाण्डिचेरी	30.00	30 .00	
	योग :	10580.00	7060 .00	3189.77

[हिन्दी]

पुस्तिकाओं का वितरण

1315. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1984 और इसके बाद के सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों को पुस्तिका वितरित की गई है जिसमें दिल्ली के अन्दर और इसके बाहर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी वाली डिस्पैसरियों/ इकाइयों तथा अस्पतालों की जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पुस्तिकाओं के वितरण को रोक देने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों, इकाइयों, अस्पतालों और लाभार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ग) क्या सी०जी०एच०एस० ने भविष्य में ऐसी पुस्तिकाएं वितरित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में सूचना देने वाली एक पुस्तिका 1984 में तैयार कर संवितरित की गई थी। इसके बाद 1991 में पेंशनभोगियों के लिए के०स०स्वा० योजना की सुविधाएं शीर्षक से एक पुस्तिका तैयार की गई। के०स०स्वा० योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों के लिए यथाविस्तारित, उपलब्ध कराई गई सेवाओं के क्षेत्र और सीमा पर एक नोट 1991 में तथा पुनः 1996 में परिचालित किया गया।

निर्माण भवन में स्थापित सुविधा केन्द्र/के० स० स्वा० योजना के औषधालयों में सूचना प्रदर्शन/क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों आदि से स्पष्टीकरण के माध्यम से लाभार्थियों के लिए सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

अपराह्न 12.0½ बजे

सभापटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 1997

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 1997 जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 267 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997, जो 21 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 268 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2208/97]

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, शहरी कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:–

आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2209/97]

भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1996 इत्यादि

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : महोदय, मैं, श्री एस०आर० बालासुब्रमण्यन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियमन, 1996 जो 21 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 87(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1997 जो 21 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 88(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1997 जो 9 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 187 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1997 जो 9 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 188 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल०टी० 2210/97]

कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर इत्यादि के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 2211/97]

(3) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2212/97]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि पिछले दो दिनों से शून्य काल नहीं हुआ है, अतः, मैं प्रत्येक को बोलने का अवसर दूंगा। मेरे पास पूरी सूची है। प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा।

अब श्री पी०सी० चाक्को बोलेंगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक व्यवहार कीजिये। कृपया शांत रहिए। प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, नियम 184 के अंतर्गत, मैंने पी०एल०ए० घोटाले के बारे में एक नोटिस दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई सहायता का अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है। यह जनहित का मामला है। महोदय, वह नोटिस लंबित है। क्या आप इस मामले पर अपनी विनिर्णय देंगे कि इस पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं ? ···*(व्यवधान)*।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए ···*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, मेरे पास उस विषय पर केवल एक नहीं बल्कि कई नोटिस हैं। मैंने संबंद्ध अधिकारी से टिप्पणी करने को कहा है और मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट विधान सभा में नहीं रखी गयी है। क्या उनको वह रिपोर्ट मिल गई है ? ···*(व्यवधान)*।

श्री पी०सी० चाक्को : जी हां, हमें ···*(व्यवधान)*।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विधान सभा में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है ···*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैंने जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि मैंने टिप्पणियों के लिए कहा है और उनके प्राप्त होने के पश्चात् मैं इस विषय पर अंतिम निर्णय लूंगा। आप इस पर बहस मत कीजिए। आप मेरे पास आकर मेरे साथ बहस कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरिया गंज) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या नोटिस है ?

श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 184 के अधीन नोटिस दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी के कार्यकर्त्ताओं की रोज़ हत्यायें की जा रही हैं, उस पर क्या फैसला लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्वश्चन ऑवर में कह दिया था कि आपका नोटिस मिला है, उस बारे में विचार कर रहा हूं और लगता है कि आपके नोटिस पर कल तक फैसला ले लूंगा। यह सब आपको बता दिया था।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ। आपको इसके बारे में अभी बताना चाहिये क्योंकि वे सभी मुझसे पूछ रहे हैं।

अधिकांश नेता मुझसे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 12.30 बजे है। आप वहां पर आ रही हैं। आप इसे वहां उठा सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : मुझे कभी भी बोलने का अवसर नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके, प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के 30 जिलों में से इस वर्ष 28 जिलों में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले साल भी वहां अकाल पड़ चुका है। अभी बोलंगीर, कालाहांडी और कोरापुट के साथ ढैंकानाल, सुन्द गढ़, मयूरभंज आदि जिलों के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वहां पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग बेघर हो गए हैं और खेती-बाड़ी बंद हो गई है।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

[श्री पी०सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

लोगों ने अपने घरों से निकलकर दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया हैं। उड़ीसा में सभी फोर्मर प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं। इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और नरसिम्हाराव जी तक सभी वहां का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने वहां अकाल सहायता के लिए कुछ नहीं किया। एक लाख पचास हजार मीट्रिक टन चावल केन्द्र हमें दे रहा था लेकिन अभी केन्द्र सरकार ने क्या किया कि उसको घटाकर अब केवल 20 हजार मीट्रिक टन चावल दे रही है दो रुपया किलो चावल भी हमें नहीं मिल रहा है।

चावल दस रुपये किलो मिल रहा है। अभी जो अकाल की स्थिति आने वाली है, उसमें कहेंगे कि स्टार्वेशन डेथ हो रही है। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रहा हूं। हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। उड़ीसा के गांवों में लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है तो भी हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना लेंगे, लेकिन पेट में दर्द होते हुए, दिल में दर्द होते हुए मैं सदन से अपील कर रहा हूं कि उड़ीसा के लिए केन्द्र सरकार तुरंत कुछ करे। *(व्यवधान)*।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उड़ीसा के बारे में हम भी बोलना चाहते हैं। *(व्यवधान)* माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा के अंदर भंयकर अकाल की स्थिति पैदा हुई और यहां सिंचाई संबंधी जो कार्यकरण किये जा रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कालाहांडी जैसे क्षेत्रों के अंदर और जहां भुखमरी फैली हुई है, जहां बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा माइग्रेशन कर रहा है, जहां हमारी पार्टी ने अनाज इकट्ठा करके वहां के अकालग्रस्त क्षेत्रों के अंदर उन लोगों को दिया और वहां राहत कार्य करने का प्रयास किया है, वहां केन्द्रीय सरकार ने जो राशि भेजी है, उड़ीसा के अंदर उसका सदुपयोग अकालग्रस्त क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि स्थायी महत्व के रोजगार प्रदान करने वाले और सिंचाई को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं को प्रमुख रूप से प्रारंभ किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कालाहांडी का यह मुद्दा सभा में बहुत बार उठाया जा रहा है। यही मुद्दा दो माननीय सदस्यों ने उठाया है कृपया सभा को यह बाद में सूचित कीजिएगा कि सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : कालाहांडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सभा में यह मुद्दा अनेक बार उठाया गया है। इस पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : जी हां, उड़ीसा का यह अकाल प्रवण क्षेत्र संपूर्ण सभा के लिए चिंता का विषय है अतः, हम बाद में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में जानना चाहेंगे। आप सभा में बाद में सूचित करें।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया हैं, वह अति महत्वपूर्ण है। सरकार को के०बी०के० क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सकारात्मक जवाब देना चाहिये।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : भारत सरकार ने इस तथ्यों को दलगतमुद्दा बना लिया है। हमारे यहां 42 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वहां केवल 32 लाख परिवार है। इसके परिणामस्वरूप हमें कम चावल मिल रहा है और गेहूं बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

चर्चा करते समय अथवा कालाहांडी, बोलंगीर और अन्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में कोई निर्णय लेते हुए इस बात पर भी विचार करना होगा।

अपराह्न 12.10 बजे

पटना में 5 जून, 1997 को एक संसद सदस्य पर कथित हमला

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, बिहार में आंदोलन के क्रम में समाजवादी पार्टी की छात्रसभा के द्वारा गवर्नर हाउस को घेरने के कार्यक्रम के तहत बिहार में एक हड़ताली मोड़ है, हड़ताली चौक है, जहां पुलिस के बैरियर लगाये जाते हैं। हम उस जुलूस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। हम जुलूस के बहुत पीछे थे। छात्र सभा की रैली जब उस बैरियर के पास पहुंची तो बहुत पीछे से हमने गोली चलने और आंसू गैस छोड़े जाने की आवाज सुनी। लोगों में भगदड़ की शुरूआत हो गई। हम भी वहां से दौड़ने के क्रम में दौड़ते-दौड़ते अब आगे आये तो वहां बैरियर लगा हुआ था और दोनों गेट बंद थे। लेकिन जैसे ही हम वहां गाड़ी में अकेले पहुंचे और जब उतरे तो कलक्टर राजबाला वर्मा, जो वर्तमान में वहां की कलक्टर है और जिन पर नीतीश जी ने प्रिविलेज भी दिया था और वहां की कोतवाली के डी०एस०पी०, आर०के० यादव, जो पूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री के भाई और पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद जी के साले, जो उनके सगे साढू हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा था मैं खड़ा था और जब कि कोई प्रावधान नहीं है, गेट खुलवाकर आदेश दिया कि मारो साले को, और इतना मारो कि मार दो और मेरे बदन और माथे पर लगभग छः सौ लाठियां मारी गई, यह आपने अखबार में देखा होगा। आर०के० यादव ने मेरे पर रिवाल्वर सटा दिया। यदि प्रेस वाले नहीं होते, इलेक्ट्रोनिक मीडिया वाले नहीं होते तो मेरी जिंदगी उस दिन नहीं बचती, मुझे मार दिया गया होता। मुझे पट्टी लगी हुई थी, स्लेट लगी हुई थी। मैंने यहां अपोलो में दिखाया है, मेरी बैकबोन की छठी हड्डी तोड़ दी गई और डाक्टर ने लिखा कि यदि और दस लाठियां लग जाती तो जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो जाता। सभापति महोदय, इसके पहले भी समता पार्टी और बी०जे०पी० और कईयों ने राजभवन को घेरने का प्रयास किया, राजभवन घेरो मार्च किया था लेकिन किसी पर लाठी नहीं चली। लेकिन जान-बूझकर मेरे को जान से मारने की साजिश की गई। फिर 48 घंटे का बिहार बंद था, उस दिन भी जान से मारने की साजिश की गई। वर्तमान मुख्य मंत्री के पहले पूर्व मुख्य मंत्री के द्वारा और उनके साले साधु यादव के द्वारा मुझे जान से मारने की साजिश की गई। यह मामला मैं पहले भी कई बार उठा चुका हूं। मुझे जेना जी ने कहा कि आपकी हिफाजत की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन पुलिस के द्वारा और कलक्टर के द्वारा यह किया गया और कलक्टर ने अपना पैर मेरी छाती पर रखा, मैं बेहोश था, आपने इंडिया टुडे में देखा होगा कि कलक्टर ने मेरी छाती पर अपना जूता रखकर मसलने का काम किया और इंडिया टुडे में आपने देखा होगा कि मुझे कितनी मार लगी। यह वही कलक्टर है जिनको कोर्ट ने और चुनाव

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

आयोग ने गया से हटाया था, सस्पैंड कर दिया था। लेकिन बीच में मुख्य मंत्री दो-तीन दिन के लिये गये, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और फिर जब वर्तमान मुख्य मंत्री आ गये तो इस कलक्टर को उसके बदले में पटना का कलक्टर बना दिया गया। यह वही कलक्टर है जिनको बार-बार न्यायालय में अभियोग के तहत बुलाया जाता है और कंडेम किया गया है।

सभापति महोदय, जिस देश में एक सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा, सदस्यों को इस देश के करोड़ों लोग सदन के माध्यम से देखते हैं। मुझे छः सौ लाठियां मारी गई और जान से मारने की साजिश आर०के० यादव और राजबाला वर्मा द्वारा की गई और साजिश में साधु यादव भी शामिल था। आपको याद होगा कि छात्रों पर गोली चलायी गयी थी, साधु यादव वर्तमान मुख्य मंत्री के भाई और पूर्व मंत्री के साले हैं। प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने खुद अपने हाथ से सी०बी० आई० को जांच सौंपी थी और उसके विरुद्ध सी०बी०आई० ने अपनी रिपोर्ट भी जमा कर दी है, इसने अपने हाथ से छीनकर गोली चलाने का काम किया था। उन्हीं के घर पर मुझे मारने के लिए यह साजिश रची गई और आज भी वहां के प्रशासन और पूर्णिया के कलक्टर द्वारा मुझे मारने की साजिश है।

मैं सदन से आग्रह करूंगा और पूरे सदन से मांग करना चाहता हूं कि यह एक सदस्य का मामला है। उस कलक्टर पर प्रीविलेज होनी चाहिए और आर०के० यादव और कलक्टर को दंडित किया जाना चाहिए। श्री श्रीकांत जेना बैठे हैं। मेरे बदन पर तिल रखने को जगह नहीं थी और जिस दिन बिहार में 48 घंटे का बंद था उस दिन मेरे माथे और ड्राइवर पर कम से कम छः सलाख मारी गई, मेरी सुरक्षा नहीं होती तो उस दिन मुझे मार दिया गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम राजबाला वर्मा जैसी कलक्टर और आर०के० यादव जैसे डी०एस०पी० को मुअत्तल किया जाए और यह मामला प्रीविलेज कमेटी को सौंपा जाए, मैं यही चाहता हूं और सदन के माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं। मुझे जान से मारने की साजिश की गई थी। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि इस स्तर पर आप कुछ नहीं करेंगे तो बिहार में किसी की जान बचने वाली नहीं है। वहां श्री रूडी पर हमला हुआ, श्री राम विलास पासवान पर हमला हुआ, श्री शरद यादव पर हमले हुए, उन पर एक हमला नहीं हुआ, अनेकों हमले हुए। वहां जिस जिस व्यक्ति पर हमला हुआ, वे सब कलैक्टर और एस०पी० के द्वारा मारे गए। मैं स्वयं कलैक्टर के जूते से *[हिन्दी]* मारा गया हूं। ये लोग कलैक्टर और एस०पी० की साजिश से मारे गए हैं। दूसरे सदस्यों के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन मैं अपनी बात कहते हुए, आपसे करबद्ध विनती करता हूं कि मेरे प्रकरण को इस सदन की प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया जाए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आंदोलन के दौरान जो कुछ श्री पप्पू यादव के साथ हुआ वह बहुत शर्मनाक है। वह संसद सदस्य हैं और उन्हें आंदोलन का नेतृत्व करने का पूरा अधिकार है। वे बहुत शांतिपूर्वक थे। जिस तरह से उन्हें पीटा गया, यह उनका सौभाग्य है कि वे जिंदा हैं और आज सभा में उपस्थित हैं। वे मारे जाने वाले थे। हम अपने राज्य में जनहित के लिए किसी भी तरह के आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। यदि संसद सदस्यों के साथ कलक्टर और पुलिस इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो हमें सुरक्षा कहां से मिलेगी ? ऐसा नहीं है कि वे बम्ब और चाकू लेकर वहां गए हों। यह बहुत भयानक स्थिति है। जब वे अचेत होकर गिर गए तो मैंने अपोलो अस्पताल से सम्पर्क करने की कोशिश की। अपोलो अस्पताल के डाक्टर ने मुझे कहा कि मैं उनसे तीन दिन तक बात नहीं कर सकता क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। यह उनका सौभाग्य है कि वे आज जीवित हैं। अतः, मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत उचित मामला है जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इसे *स्वतः* विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्नम) : महोदय, हम भी उनकी बात से सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी श्री राजेश रंजन जी ने जिस घटना की जानकारी सदन के सामने रखीं, जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मैं भी पटना में था। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि इन पर बर्बर लाठी प्रहार हुआ है, जान से मारने की नियत से इन पर हमला किया गया है, तत्काल मैं भी अपने साथियों के साथ इन्हें देखने के लिए उस प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा जहां इन्हें उस घटना के बाद दाखिल कराया गया था। वहां पहुंचकर मुझे इनकी पार्टी के साथियों और इनके परिवारजनों से सारी घटना की जानकारी मिली। इनकी पार्टी के दूसरे लोग जो उस जुलूस में शामिल थे, उनसे भी सारी घटना को जानने का मुझे मोका मिला। आज इन्होंने स्वयं उस घटना का जिक्र सदन के सामने किया है।

इसमें एक बात साफ है कि जिन्होंने भी इन पर प्रहार किया, इन पर जानबूझकर प्रहार किया गया, यह जानते हुए कि यह लोक सभा के सदस्य पप्पू यादव हैं, सब कुछ जानकर, पहचानकर इन पर हमला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। अगर इनकी तरफ से कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही होती या इन्हें कानून को अपने हाथ में लेते पाया जाता तो इनकी गिरफ्तारी भी संभव थी, इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था लेकिन किसी भी हालत में इन पर लाठी प्रहार करना उचित नहीं था। किसी को खदेड़ने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए लाठी प्रहार करने का अधिकार पुलिस को है लेकिन इस तरह किसी व्यक्ति को अशक्त करने के उद्देश्य से, उस पर लाठी प्रहार करने का अधिकार न पुलिस को है और न किसी अधिकारी को है।

खासकर श्री पप्पू यादव के साथ और इनकी पार्टी के जुलूस के साथ जो घटना घटी, यह जानबूझकर घटी घटना है, यह जानते हुए

कि श्री पप्पू यादव को मारा जा रहा है। इन्होंने जो कुछ यहां स्वयं सुनाया, मैं समझता हूं कि कार्यवाही करने के लिए उतना काफी है और कार्यवाही होनी चाहिए।

इस दिन की घटना के बाद, मैंने स्वयं प्रयास किया कि इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव से स्वयं सम्पर्क करके सारी घटना की जानकारी उन्हें दूं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उस दिन वे लखनऊ में थे। जब लखनऊ के दिए टेलीफोन नम्बर पर मैंने उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया तो आधे घंटे के प्रयास के बावजूद भी मेरी उनसे बात नहीं कराई गई तब मैंने अपने टेलीफोन नम्बर छोड़ दिया। शायद अगले दिन उनका फोन आया, लेकिन पता नहीं किस कारण वह टेलीफोन कट गया। मुझे लोगों ने बताया कि वे भी सारी घटना की जानकारी उनहें देना चाहते थे और केन्द्रीय सरकार के मंत्री से आग्रह करना चाहते थे कि वे स्वयं आकर देखें। राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संयुक्त मोर्चे में, कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है लेकिन एक-एक आदमी लड़ रहा है, हम लोग पहले से लड़ रहे हैं, बिहार में सब लोग उस लड़ाई में अपने ढंग से शिरकत कर रहे हैं लेकिन किसी पर प्रशासन के द्वारा इस तरह से जान लेवा हमला होता है, मैं यहां किसी घटना में जाना नहीं चाहता कि वहां प्रशासन का रुख किस तरह का है।

सभापति महोदय, इससे आपको पता लगेगा कि वहां किस प्रकार का प्रशासन का रुख है। यहां पर लोग चर्चा उठाते हैं। हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जब चारों तरफ से आवाज उठती है कि यह क्या बिहार का सदन है। कभी प्रियरंजन दासमुंशी भी कहते हैं। हमें बहुत लज्जा आती है। बार-बार हमें बिहार का सवाल यहां पर लाना पड़ता है और हम बार-बार बिहार के मामले को यहां उठा रहे हैं क्योंकि वहां पर जंगल का राज है। इस बात को वहां के कोर्ट ने कहा है। बिहार के हाइकोर्ट ने अपनी आब्जरवेशन दी है कि बिहार में जंगल-राज हैं, इसलिए जब बिहार से चुनकर आए सांसद यहां आपके सामने, सदन के सामने जब कुछ फरियाद रखते है, तो इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसको पार्टी के आधार पर नहीं टाला जाए। हम आपसे दर्ख्वास्त करेंगे कि न केवल पप्पू यादव के ऊपर हमले के संबंध में जो भी कार्रवाई हो वह की जाए, बल्कि जो एक विशेषाधिकार का मामला, जो मेरी समझ से बनता है, वह बनाया जाए और सदन की विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए यह मामला सुपुर्द किया जाए।

सभापति महोदय, हम इसके साथ-साथ आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि जो भी बिहार में विपक्ष की राजनीति करता है, वह चाहे किसी भी दल का हो, उसकी जान के ऊपर इसी तरह का खतरा बना हुआ है। न केवल अपराधकर्मी उसके ऊपर प्रहार करते हैं बल्कि वहां का प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बल्कि एक एजेंट की तरह से व्यवहार कर रहा है। वहां की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने बहुत देर तक इस पर चर्चा की है। हम सदन का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपसे जरूर यह आग्रह करेंगे और विशेषरूप से आग्रह करेंगे कि पप्पू जी के मामलों को जरूर विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करिए। ... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूँगा।

(व्यवधान)

सभापित महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। सदस्यों को इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने दें और इसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। श्री कड़िया मुण्डा को बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : सभापति जी, अभी जो पप्पू यादव, प्रियरंजन दासमुंशी और नीतीश कुमार जी ने कहा है, यह मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि यह घटना एक सांसद के साथ घटी है और उसमें भी पदाधिकारी इनवाल्व हैं। यह और भी गंभीर मामला है। यदि इस प्रकार से किसी सांसद के साथ पदाधिकारियों द्वारा व्यवहार किया जाएगा, तो हम समाज सेवा कैसे कर सकते हैं। हम जनता को सेवा नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला प्रिवलेज का बनता है और मेरा आग्रह है कि इसको प्रिवलेज कमेटी को सौंपा जाए और निश्चितरूप से इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ यदि मामला बनता हो, तो कार्रवाई की जाए। ... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बात को समाप्त कर लें और इसके बाद हम दूसरी बात पर चर्चा करेंगें। श्री निर्मल कांति चटर्जी को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद मंजेरी : यह एक गंभीर मामला है। मैं अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। मेरे पास बेहरीन में 5000 भारतीय नागरिकों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृपया मुझे अनुमति दें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। महोदय, ऐसा लगता है कि बिहार में इतिहास दोहराया जा रहा है क्योंकि पचास वर्ष पूर्व जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तब भी किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से *लाठियों* का प्रयोग होता था। अब भी बिहार में ऐसा हो रहा है और वे मारने तथा संसद सदस्य को मारने के लिए लाठियों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः मैं सीधे पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। इसलिए नहीं कि इसमें संसद सदस्य शामिल हैं अपितु इसलिए कि ऐसी बातें हमारी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में हो रही हैं। यह शर्मनाक बात है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। अतः, मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि पीठासीन अधिकारी तथा सभा इस

[श्री निर्मल कांति]

मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए एकमत हों। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : वस्तुतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं। यहां मामला माननीय अध्यक्ष की जानकारी में लाया गया था। श्री पप्पू यादव पर किया गया क्रूर हमला और जिस गंभीर हालत में वे चार पांच दिन तक अस्पताल में रहे, वह सभी संसद सदस्यों के लिए चिंता का विषय है। वस्तुतः हमने गृह मंत्रालय से तथ्य मंगाये हैं। इस संबंध में अंतिम अनुस्मारक यहां से कल अर्थात् 29.7.1997 को गृह मंत्रालय में भेजा गया। हमने पुनः एक अनुस्मारक भेजा है। माननीय अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को स्मरण कराया है कि वे सभी तथ्य अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करें। हम अभी भी ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का सुझाव भी माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। सूची मेरे समक्ष पड़ी हैं। हम उसके हिसाब से चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : मैं आपके माध्यम से आसाम की विशेष परिस्थिति के बारे में अपने विचार रखकर दुख व्यक्त करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री महोदय के सचिवालय के अंतर्गत रॉ और इन्टैलीजेंस ब्यूरो, ये दानों डिपार्टमैंट काम करते हैं। 1962 से लेकर सिक्युरिटी के नाम पर काम करने वाले इन दोनों डिपार्टमैंट की दृष्टि से आसाम, जो हमारा सीमा प्रदेश है, के लिए मैं चिन्ता व्यक्त करना चाहती हूं। विशेष रूप से आसाम में कुछ ऐसे अधिकारियों को भारत सरकार के माध्यम से नियुक्त किया गया है जो करीब 15-20 साल से एक ही स्थान पर काम करते हैं ऐसा पाया जा रहा है कि ये अधिकारी वर्ग आज आतंकवादी ग्रुपों के साथ मिल चुके हैं। भारत सरकार को सही रिपोर्ट तक नहीं देते और सरकार का वेतन पाकर दुश्मनों के साथ संबंध रखते हुए आज भारत देश की सुरक्षा के विषय को गंभीर बना रहे हैं। ऐसे लोगों की ट्रांसफर न होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में जांच करने की आवश्यकता है।

मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि इंडियन एयर फोर्स के कुछ विमान हैं जिनका सिक्युरिटी के नाम पर ये लोग दुरुपयोग करते हैं जैसे उनके परिवारों को लेकर घूमने जाते हैं और अन्य काम के लिए भी उनका उपयोग करते हैं। आसाम के डुमडुमा और सरसावा एयरपोर्ट पर ऐसे कई एयर क्राफ्ट पड़े हुए हैं जिनका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। उड़ीसा के चरभटिया और सहारनपुर एयरपोर्ट पर जो खाली पड़े एयर क्राफ्ट हैं, उनका भी दुरुपयोग इनके माध्यम से किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहूंगी कि इन दोनों डिपार्टमैंट्स पर भारत सरकार जो खर्चा कर रही है, उसकी जांच की जाए और उन अधिकारियों के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की जाए। साधारण रूप से ऐसा नियम बनाया गया है कि आसाम में बड़ी पोस्ट्स पर ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है जो छः महीने में रिटायर होने वाले होते हैं। ऐसे आई० पी०एस० और आई०ए०एस० अफसरों को भेज दिया जाता है। इससे सुरक्षा के विषय पर चिन्ता नहीं होती लेकिन उनके प्रमोशन की चिन्ता की जाती है। मैं इस विषय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज प्रश्न नम्बर 104 में भी यही बातें थीं। मैं कहना चाहती हूं कि आतंकवादी दलों से मिलाकर इनकी मौजूदगी और भारत सरकार की सुरक्षा पर शत्रुवत गतिविधियां चलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और देश की सुरक्षा का प्रबंध ठीक तरह से किया जाए।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय सभापति जी, पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के बजाए उनका उत्पीड़न किया जा रहा हैं अभी कुछ दिन पहले तरनतारन में आतंकवाद को खत्म करने वाले पुलिस अधिकारी ने रेल से टकराकर आत्महत्या की। हजारों पुलिस अधिकारी, कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के मानव अधिकार के आदेश के कारण जेल में पड़े हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश शाहबानों के केस में पैंडिंग रखा जाता है, उसे क्रियान्वयन से रोका जाता है, बिना बारी के आवंटित मकानों को अध्यादेश के द्वारा आदेश देकर रोक दिया जाता है तो इस आदेश को भी भारत सरकार को रोकने का मैं अनुरोध करता हूं ताकि उन पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का, जो आतंकवाद से लड़े हैं, मनोबल न गिर सके और देश की सुरक्षा एवं अखंडता को भविष्य में कोई खतरा पैदा न हो।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं बेहरीन में कठिन परिस्थितियों में रह रहे 5,000 से अधिक हमारे भारतीय नागरिकों सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। वे लोग न तो बेहरीन में रह पाने की स्थिति में हैं और न ही अपने देश भारत में आने में समर्थ हैं। ऐसा बेहरीन प्राधिकारियों की किसी गलती के कारण नहीं है। भारत तथा बेहरीन के संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। उनके हमारे देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे भारतीय भाई विभिन्न तरीकों से बेहरीन पहुंच गए। कई वैध पासपोर्ट लेकर वहां गए और अन्य पड़ोसी देशों के रास्ते से वहां गए। बेहरीन में विद्यमान नियमों के अनुसार जो भी समय से अधिक ठहरेगा उस पर शास्ति लगाई जाएगी।

उन्हें निर्धारित समय से अधिक समय रहने के लिए प्रत्येक दिन की शास्ति अदा करनी होगी। हमारी अनेक भारतीय लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वे वीज़ा समाप्त होने के बाद भी वर्षों से वहां रहते रहे। अब उन्हें शास्ति के रूप में अत्यधिक धनराशि जमा करने के लिए कहा गया इसके परिणामस्वरूप वे न तो धनराशि दे पा रहे हैं और न ही भारत आ पा रहे हैं। इस समस्या का सही उपाय यही है कि भारत सरकार बेहरीन प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करे और आम माफी की कोई योजना बनाए जिससे भारतीय लोग अपने देश वापस आ सकें।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। वहां ऐसे भारतीय भी हैं जो 18 वर्षों से बेहरीन रह रहे हैं परन्तु अब वे भारत में वापस आने में असमर्थ हैं। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे गंभीरतापूर्वक

ले और मामले पर अपने दूतावास तथा अन्य राजनयिक माध्यमों से बेहरीन प्राधिकारियों, जिनके भारत सरकार के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है, के साथ विचार विमर्श करें ताकि कुछ आम माफी की कोई योजना बनाई जा सके जिससे वहां रह रहे भारतीय भारत वापस आ सकें। मुझे आशा है कि सरकार इसे गंभीर मामले के रूप में लेगी।

[अनुवाद]

सभापित महोदय : डा० बी०एन० रेड्डी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे सामने कोई सूचना नहीं हैं। मेरे पास आपके नाम हैं। अतः मुझे अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पांच सदस्यों ने सूचना दी है। मेरे पास उनके नाम तो पहुंच गए हैं लेकिन सूचना की विषयवस्तु मेरे समक्ष नहीं है। कृपया कुछ समय इन्तजार करें।

डा० बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, आन्ध्रप्रदेश में इस वर्ष मानसून नहीं आया है। सामान्यतः हर वर्ष 7 जून तक वहां मानसून आ जाता है अब उस तिथि के बाद सात सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वर्षा नहीं हुई है। वहां पेयजल नहीं है और पशुओं तक के लिए भी पानी नहीं है। किसान वास्तव में रो रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति की जांच करने के लिए एक दल वहां भेजा जाए और लोगों की तुरन्त सहायता प्रदान करने के लिए तरीकों का पता लगाया जाए। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को लोगों को कुएं खोद कर पानी की आपूर्ति करने और लोगों की सहायता करने के लिए अन्य आवश्यक प्रबन्ध तुरन्त करने के लिए कहा जाए *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाए। कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री दादा बावूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, मैं दस दिन से जबलपुर के भूकम्प पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हां आपका नाम मेरे पास है। मैं आपको बोलने के लिए मौका दूंगा। कृपया सहयोग दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डा० सुब्बारामी रेड्डी ने भी मानसून की असफलता, सम्बन्धी उसी मामले को उठाने के लिए सूचना दी है। डा० रेड्डी कृपया संक्षेप में बोलिए।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्नम) : महोदय मैं अपनी ये बात हमेशा संक्षेप में कहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुख लाल कुकवाहा (सतना) : सभापति जी, तीन-चार दिन से हम कोशिश में हैं, हम लोगों की ओर भी ध्यान दें। हमारे क्षेत्र की भी समस्या है। मैं चाहूंगा कि हमें भी बोलने का मौका मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप मुझे सूची के अनुसार सदस्यों को बुलाने दें। सूची मेरे समक्ष है। एक बार सूची समाप्त हो जाए तो आप अन्य महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं। तब तक संयम से इन्तजार करें। हमें एक एक करके नाम बुलाना है।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, नौ वर्ष तक सफल मानसून के पश्चात् इस वर्ष मानसून की स्थिति संकटपूर्ण है। निसन्देह, आज तक हमने देखा है कि वर्षा सामान्य से 12% कम है और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब हरियाणा आदि जैसे राज्यों में, इन राज्यों के कई हिस्से नमी वाले क्षेत्र हैं जहां भारी मात्रा में गेहूं और चावल पैदा होता है, अभी वर्षा के कमी से बुरी तरह प्रभावित है।

महोदय, आप सरकारी प्रणाली के बारे में जानते हैं जहां केवल तभी दवाईयां दी जाती हैं जब कोई मरने वाला होता हैं। इस मामले में भी जब लोग परेशानी के अन्तिम कगार पर होंगे तो वे समस्या के समाधान का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजेगें *(व्यवधान)*।

डा० एम० जगन्नाथ (नागर कुरनूल) : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने वहां के लोगों से पर्याप्त पेय जल प्रदान करने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वह उसे समझ नहीं पाए हैं।

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। सदस्यों को अपनी बात कहने दीजिए। जब आपको मौका दिया जाएगा तो आप भी अपनी बात कर सकते हैं।

श्री एम० जगन्नाथ : महोदय माननीय सदस्य को सही सूचना देनी चाहिए। यह जो कह रहे हैं वह गलत हे।

डा० टी सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, यह गलत समझे हैं। मैं आन्ध्र प्रदेश सरकार की आलोचना नहीं की है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि आन्ध्र प्रदेश में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप इसे दोहराए नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : वाजपेयी जी, कृपया आप बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि वहां की सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उन लोगों की मदद के लिए है जो संकट में है। सरकार को अन्तिम क्षण में भागदौड़ करने के बजाए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। मेरा तो यह सिद्धान्त है। लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए हैं।

[डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी]

मेरी चिन्ता आन्ध्र प्रदेश, विशेष रूप से रायल सीमा और तेलनगाना के सम्बन्ध में है जहां बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। वस्तुतः वहां वर्षा सामान्य से 20 प्रतिशत कम है जो अपूर्व और खराब है। इसके अलावा, यह केवल वर्षा की मात्रा से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि वह समय भी जब वर्षा हुई है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं अपने देश में होने वाले मानसून की स्थिति से अत्यन्त चिंतित हूं। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है और इसलिए भारत सरकार को देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। इस अप्रत्याशित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ भी आ सकती है और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार को अवश्य पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए।

हमारे देश में पहले ही गेहूं चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भण्डार स्थिति चिन्ताजनक है सरकार को सूखा की स्थिति जो देश के कई भागों में व्याप्त है के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के कई भागों में सूखा और बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए पहले से ही आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, इस पूरे सत्र में ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आपको भी समय मिलेगा, आप बैठिए।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस पूरे सत्र में शून्य काल में लगातार मैं इस विषय पर नोटिस दे रहा हूं, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बाढ़ में और पटना जिले के दूसरे हिस्सों में, नालंदा जिले में और मध्य बिहार के कई जिलों में पिछले दिनों भारी वर्षा से जबर्दस्त बाढ़ आई। उससे बहुत नुकसान हुआ। जन-धन की हानि हुई ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मुझे सूची के अनुसार चलने दीजिए आप श्री नीतीश कुमार को अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मैंने आप को बताया है कि मैं उस पर भी आऊंगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा। आप कृपया बैठ जाए। कृपया आप दूसरों को परेशान मत करें और उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मध्य बिहार और उत्तरी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई और जन-धन की हानि हुई, जानमाल को भी नुकसान हुआ है। अकेले नालंदा जिले में लगभग पचास लोग मारे गए हैं। कोई राहत कार्य नहीं किया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पुनपुन में राहत कार्य मांगने के लिए लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। उसके बगल में ही मसौदी में जब लोग राहत कार्य मांगने गए और प्रदर्शन करने गए तो वहां भी उन पर गोलियां चलाई गई। बिहार की राजधानी पटना में ...*(व्यवधान)* क्या आप मुझे नेचुरल केलेमिटी की बात भी रेज नहीं करने देंगे। आप भी चुनकर आए हैं, मैं भी आया हूं, आप भी अपनी बात कहना।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : नेचुरल केलेमिटी नहीं, आप वहां की लॉ एंड आर्डर की बात उठा रहे हैं, क्या आप ही बोलते रहेंगे ? ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : सदन का बहुमूल्य समय बेकार के मुद्दों पर बरबाद किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : यह बाढ़ की स्थिति के बारे में है जो प्राकृतिक आपदा है। वह प्राकृतिक आपदा के बारे में कह रहे हैं कृपया उनकी बात सुनिए वह बिहार की स्थिति के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : ये सभी आपदाएं बिहार में घटित हो रही है ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आप सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री नीतीश कुमार : बिहार भारत का एक भाग है। सभी को इस महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : यह क्या है ? आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। यह क्या है ? ...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आप कृपया सदस्यों की बात का जवाब न दें।

श्री नीतीश कुमार : मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप ऐसा भी कर सकते। आपको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन आप कृपया इस प्रकार न करे। नीतीश कुमार जी आप कृपया अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, कृपया आप माननीय सदस्यों को उत्तर न दें। आप पीठासीन अधिकारी को अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

सभापति महोदय : कृपया बाढ़ की स्थिति के बारे में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नहीं वोल रहा हूं मैं वता रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई। मैं उस तथ्य के बारे में बता रहा हूं *[हिन्दी]* हमारे क्षेत्र में पुनपुन में बाढ़ पीड़ित लोग राहत मांगने के लिए गए और उन पर गोली चलाई गई। हमारे क्षेत्र में बगल में मसौड़ी में बाढ़ पीड़ित लोग राहत मांगने के लिए गए और उन पर गोली चलाई गई। मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, आप मेरी बात सुनिए। आपका संकल्प बाढ़ पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में है। आप कृपया इस विषय के अतिरिक्त कुछ और मत कहिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता क्यों है।

सभापति महोदय : आप कृपया इस विषय से इतर मत जाइए। आप सरकार को वाढ़ पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में बताइए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता क्यों है। राज्य सरकारी तन्त्र पूरी तरह असफल हो गया है। *[हिन्दी]* पूरा पटना शहर पानी में डूबा हुआ था और वहां नाव चल रही थी। किसी को चिंता नहीं थी। पूरे बिहार में लोग बाढ़ से परेशान थे और वहां बहुमत और अल्पमत का खेल चल रहा था तथा वर्षा के पानी को निकालने के लिए पटना में हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ा और उसने कहा कि फौज के हवाले किया जा सकता है। इसके बारे में वकीलों ने बात की और कोर्ट ने यह ऑबजर्वेशन दी, ऐसी स्थिति हो गई। मैं इसलिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की ऐसी स्थिति हो गई है कि कैलेमिटी रिलीफ फंड जो सेंटर बनाता है जिसमें तीन चौथाई पैसा केन्द्र और एक चौथाई पैसा राज्य का होता है, उस फंड के रहते हुए भी बिहार सरकार की तरफ से राहत के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया। जिस बड़े पैमाने पर सड़क का नुकसान हुआ है, लोगों के मकान गिर गए हैं और जिस प्रकार से स्कूल भवन गिर गए हैं, एसैट्स का काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई राज्य सरकार से संभव नहीं है। वैसे भी वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं यह गुहार लगा रहा हूं और केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार को वहां की बाढ़ की भयावह स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए और उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत मिल सके और वहां जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई हो सके। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री वी० धनंजय कुमार बोलें। केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने सूचना दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह मामला काफी विस्तार से सभा की जानकारी में लाया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक माननीय सदस्य बोलें। यह मामला काफी विस्तार से सभा की जानकारी में आ गया है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वी० धनन्जय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, चावल कर्नाटक के अधिकतर भागों का मुख्य भोजन है और विशेषकर कच्चा उबाला हुआ चावल दक्षिण कन्नड़ और कोडगू जिले का मुख्य भोजन है। अभी तक कर्नाटक सरकार को भारत सरकार से 1500 मिलियन टन चावल सार्वजनिक वितरण के लिए मिल रहा था। पिछले महीने से, अचानक ही भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के चावल के आवंटन में अत्यधिक कटौती कर दी। हमें बताया गया कि हर महीने 1500 मिनियन टन चावल के कोटे को 750 मिनियन टन कर दिया गया है। कोटे में इस कमी के कारण खुले बाजार में चावल की कीमत बढ़ गयी है और यह काफी अधिक हो गयी है और आम आदमी को खुले बाजार से चावल खरीदने में परेशानी हो रही है। खुले बाजार में भी चावल की सप्लाई कम हो रही है। आप के पड़ोसी राज्य केरल से आये हैं और आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि केरल में, आज भी हर महीने हर परिवार के लिए केवल 25 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। कर्नाटक में, पिछले महीने से उन्हें हर महीने हर परिवार के लिए केवल 2.5 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। उन्हें 10 किलोग्राम की बजाय केवल 2.5 किलोग्राम दिया जा रहा है।

यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल मूल कोटे को फिर से चालू कर दे। हमें यह बताया गया है कि कर्नाटक सरकार पर यह कहते हुए दोष

[श्री वी० धनन्जय कुमार]

लगाया गया है कि वह केन्द्रीय पूल को चावल नहीं दे सकती, उन्होंने लेवी के अंतर्गत पर्याप्त चावल जमा नहीं किया है और उसे केन्द्रीय पूल को दिया है। हम उस बारे में नहीं जानते हैं। लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए ... *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मुद्दा उठाने के बाद कृपया विस्तार में न जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे नोटिस मिल गया है। मैं उस विषय पर आ रहा हूं। श्री धनंजय कुमार, कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जब तक तथ्य को सरकार के समक्ष नहीं रखा जाता, मैं नहीं समझता कि सरकार हमारे बचाव के लिए आयेगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। मेरा सच्चा आग्रह यह है कि लोगों को कठिनाई न हो। भारत सरकार को कर्नाटक राज्य को आवंटित मूल कोटे को तत्काल आरम्भ कर देना चाहिए। मैं भी अनुरोध करता हूं कि हर महीने 1500 मिट्रिक टन चावल देने के लिए, जैसा कि पहले दिया जाता था, तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। यही मेरा अनुरोध है ... *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं पांच माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। अभी काफी समय है। मैं उस पर आ रहा हूं। हमें सूची के अनुसार चलना है। अब, श्री नामग्याल बोलेंगे।

श्री पी० नामग्याल : सभापति महोदय, मुझे इण्डियन एयरलाइन्स से संबंधित जरूरी मामले पर कुछ कहने के लिए समय देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इण्डियन एयरलाइन्स ने लद्दाख जाने वाली उड़ानों की संख्या पिछले वर्ष की 18 से घटाकर इस वर्ष 11 कर दिया है। इसने लद्दाख के पर्यटन उद्योग और इण्डियन एयरलाइंन्स और एयर इंडिया को भी तथा देश की विदेशी मुद्रा को कमाने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। हजारों विदेशी पर्यटक दिल्ली और लेह में भी रुक जाते है। मानसून मौसम के दौरान लद्दाख ही एक पर्यटक स्थल है। यही एक ऐसा मौसम है जब पर्यटक लद्दाख के अलावा कही और नहीं जाते हैं। इस अत्यधिक नाजुक अवधि में इण्डियन एयरलाइंस ने उड़ानों की संख्या को घटा दिया है। इण्डियन एयरलाइंस ने जानबूझ कर समय पर उड़ान की समय-सारणी की घोषणा नहीं की थी। सामान्यतः ये जनवरी-फरवरी के बीच में अथवा मार्च से पहले-पहले तक उड़ान की समय-सारणी घोषित कर देते हैं। इस वर्ष उन्होंने सिर्फ जून में ही घोषित किया और वह भी घटाने के तरीके से। ट्रेवल एजेन्सी इस स्थिति में नहीं हैं कि वे पर्यटक समूह को अग्रिम रूप से बुक कर सकें। गर्मियों में विदेशी पर्यटकों की बुकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उड़ानों की कमी के कारण वर्तमान में हजारों समूह दिल्ली में रूके पड़े हैं। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में यह बताया है कि "नगर में इण्डियन एयरलाइंस के बुकिंग कार्यालयों और इण्डियन एयरलाइंस के केन्द्रीय अंतरिक्ष नियंत्रण में भ्रष्टाचार व्याप्त है।" मैंने पहले से ही इन सभी मामलों को माननीय मंत्री के ध्यान में ला दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी साधनों को रोकने और बकाया पर्यटकों को लद्दाख भेजने का केवल एक ही समाधान है कि उड़ानों को दिन में दो तक बढ़ाया जाए क्योंकि इसी मौसम के दौरान पिछले वर्ष ऐसा था।

इसलिए, महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सौजन्य से प्रयास करें और नागर विमानन मंत्रालय को निर्देश दे कि वह पहले से ही विद्यमान उड़ानों की संख्या के अलावा उड़ानों में दिन में दो तक वृद्धि करें। वे केवल एक दिन में एक उड़ान अथवा एक या दो दिन में दो अतिरिक्त उड़ान चला रहे हैं। केवल यही नहीं है *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : अपनी बात कहने के पश्चात कृपया इसके विस्तार में न जाएं।

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : आगे पर्यटन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। मैं समझता हूं कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच कुछ सहयोग होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। मुझे समय देने के लिए धन्यवाद ... *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : इस विषय पर पांच माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया था। मैं सबको अनुमति दे रहा हूं। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपके नोटिस का जिक्र कर रहा हूं। थोड़ा और धैर्य रखें। आपने नोटिस दिया है सर्वश्री कुंवर सर्वराज सिंह, रामसागर, राम सिंह शाक्य, डा० शफीकुर्रहमान बर्क, मुनव्वर हसन, बृज भूषण तिवारी और हरिवंश सहाय ने भी नोटिस दिया है। मैं समझता हूं कि सभी नोटिस एक ही विषय के बारे में है। क्या मैं सही हूं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, हम लोग एक तरफ आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया विपक्ष के माननीय नेता की बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि यह नोटिस आपने पढ़ लिया होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वास्तव में नोटिस मेरे समझ है। यह टाटा केमिकल्स के लिए भूमि को लेने और उ०प्र० में कुछ समस्याओं के बारे में है। नोटिस हिन्दी में है। जितना भी मैं समझ पाया हूं उसी में से मै सदस्य से पूछ रहा था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय अगर आप प्रदेश का मामला उठाने की अनुमति दे रहे हैं तो हमारे माननीय सदस्य भी कुछ कहना चाहेंगे।

[अनुवाद]

यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है जिन्होंने सूचना दी है।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। उन सभी को जिन्होनें इस विषय पर सूचना दी है पहले मौका दिया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन दूसरों के बारे में क्या होगा?

सभापति महोदय : इसके साथ, एक नोटिस में पांच नाम एक साथ है। उनको बोलने की अनुमति देने के बाद, उन सभी को जिन्होंने इस विषय पर नोटिस दिया है, बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : महोदय, मैं समझता हूं, हमारे नेता जो कहना चाहते हैं वह आप नहीं समझे हैं *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मैं उसे समझ गया हूं। आपको समय दिया जायेगा। उन सभी सदस्यों, जिन्होंने नोटिस दिये हैं, को प्रश्न उठाने की अनुमति दी जायेगी।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, यह प्रसंग नहीं है। यह चारों नाम जिसे आपने अभी पढ़े है विशेष नोटिस से संबंधित है जिसमें। राज्य का विषय निहित है। उन्हें प्रश्न उठाने की अनुमति देने के बाद हमें भी उसका खंडन करने की अनुमति दी जाए जबकि हमने नोटिस नहीं दिये हैं। हमारा यही कहना है *(व्यवधान)* वे इस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं जबकि यह राज्य से संबंधित मामला है ? *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

आप सिर्फ एक ही पार्टी के सदस्य को बोलने का मौका दे रहे है, यह कैसे होगा ?

सभापति महोदय : यह वह प्रक्रिया नहीं है जिसका हम सभा में अनुपालन कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता ने जो कहा है वह यह है कि जो भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं उन्हें इसका अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। मेरे सामने लगभग 17 नाम है। अतः कृपया मेरे साथ सहयोग करें। जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें पहले बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं इससे सहमत हूं। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : हम उस पर नहीं जा सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय हमारी मूल आपत्ति यह है कि यह मामला राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित है। उ०प्र० विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस विषय पर उ०प्र० विधानसभा में चर्चा की जा चुकी है। महोदय, इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है राज्यों से संबंधित सभी मामलों को संसद में नहीं उठाया जा सकता है।

सभापति महोदय : निवेदन के रूप में यदि कोई माननीय सदस्य ऐसी कोई बात उठाना चाहते हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है तो हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कि हम कानून और व्यवस्था या अन्य किसी मामले को उठा रहे हैं। जहां पर भूमि के अधिग्रहण का सवाल है और स्थानीय निवासियों की परिणामी समस्यायें का मामला है, तो माननीय सदस्य जिन्होंने नियमानुसार नोटिस दिया है, को उनकी बातें उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : महोदय, ये इस मामले को विधानसभा में क्यों नहीं उठाते, क्योंकि यह राज्य से संबंधित मामला है। *(व्यवधान)* आज भी वहां विधानसभा चल रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : यह मामला उनसे संबंधित नहीं है। शायद यह श्री डी० पी० यादव के निर्वाजन क्षेत्र से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति जी इस पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आधे घंटे की चर्चा हो चुकी है। यह प्रदेश का मामला है, यह यहां नहीं उठाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार बातें न करें। चूंकि यह मामला श्री डी०पी० यादव के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है इसलिए उन्हें भी बोलने का अवसर प्राप्त होगा। परन्तु पहले कृपया उन सदस्यों के विचार सुन लीजिये जिन्होंने नोटिस दिया है। कृपया कोई आपत्ति न करें। माननीय अध्यक्ष ने उन पांच सदस्यों को आज इस विषय पर बोलने की अनुमति दे दी है जिन्होंने नोटिस दिया था। अतः, कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कृपया इस बात को समझें कि यदि कानून और व्यवस्था का प्रश्न भी है, तो भी यह एक निवेदन है आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरे पास सूची है। कृपया समय बर्बाद न करें। सदस्यों को मामला उठाना है। एक विशेष मामले के रूप में श्री डी०पी० यादव को भी उसी विषय पर बोलने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शून्य काल में निवेदन करने का जिन सदस्यों ने नोटिस दिया होता है, उन्हें पहले बुलाया जाता है। चूंकि यह श्री डी० पी० यादव के निर्वाचन क्षेत्र का मामला है तो उन्हें भी बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

माननीय सदस्यों के भाषण को पूरा करने के बाद यदि विपक्ष के नेता सुझाव देंगे तो मैं एक या दो और सदस्यों को बुला सकता हूं। परन्तु मैं यह बात कड़ाई से कह रहा हूं कि जिन्होंने नोटिस दिया है उन सदस्यों को पहले बोलने दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या कोई औपचारिक प्रस्ताव है ? ...*(व्यवधान)* मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : यह विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम बवराला पर चर्चा करने से कतराते नहीं हैं, चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जीरो-आवर के दौरान हो रहा है या कोई फोर्मल मोशन है। अगर फोर्मल मोशन है तो मेरा कहना यह है कि वह सर्कूलेट नहीं किया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर मोशन है तो एक सदस्य का बोलना ही पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप चर्चा की इजाजत देंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश से आने वाले सदस्य भी बोलना चाहेंगे। ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत करिये।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अभी चल रही है, इस पर चर्चा वहां हो रही है। ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह बहुत हो गया है। आप हमेशा अन्य सदस्यों को बोलने से रोकते हैं। हमें एक निष्कर्ष पर आना चाहिये। हमें सहमति बनानी चाहिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सभी सीमाओं को पार कर गया है। आप कितनी बार अपनी बात कहेंगे। कृपया अन्य सदस्यों को भी बोलने दें। आप दूसरे सदस्यों को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। आप दूसरे सदस्यों के लिए व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय विपक्ष के नेता यह किसी भी नियम के अन्तर्गत उठाया नहीं जा सकता। यह शून्य काल में उठाये जाने वाला महत्व का मामला है। बात यह है कि ऐसी परम्परा है कि इस सभा में हम माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों को उठाने देते हैं। इसे किसी भी नियम के अन्तर्गत उठाया नहीं जा सकता है। यह शून्य काल का मामला है। जिसने नोटिस दिया है उसे ही बोलने दिया जायेगा। आपने सुझाव दिया है और मैं वायदा करता हूं कि इस पर एक या दो और सदस्यों को बोलने दिया जायेगा। स्थानीय सदस्य को भी बोलने दिया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इसे पूरा करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, जीरो-आवर में हर सदस्य नोटिस देता है, आप जो पांच मैम्बर को ही बोलने की इजाजत दे रहे हैं यह बात समझ में नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह माननीय सदस्यों पर निर्भर है। आज माननीय अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया है। कल शून्य काल नहीं था। अतः हमने यह निर्णय लिया है कि अधिकांश शून्य काल के मामलों की अनुमति आज दी जानी चाहिये। आप कह रहे हैं कि अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। आप यह

कह सकते हैं कि आपके मामले को उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि अन्य सदस्यों को बोलने न दिया जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संक्षेप में बात कहें। मामले को सभा की जानकारी में लायें। इतना ही काफी है। विस्तारपूर्वक कुछ भी मत कहिये।

अपराह्न 12.59 बजे

बबराला में टी०सी०एल० फैक्ट्री के सम्बन्ध में

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति जी, बबराला में टी०सी०एल० फैक्टरी है। यह फैक्टरी 13 साल पहले लगायी गयी थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन करते हुए कहा था कि इस फैक्टरी के लाभ का दस प्रतिशत विकास के कार्यों पर खर्च होगा और लोगों को जमीन का मुआवजा और नौकरी दी जाएंगी। आज 13 साल फैक्टरी लगे हुए हो गये हैं लेकिन लोगों का साढ़े नौ लाख रुपये का मुआवजा अभी बकाया है। जो जमीन अधिग्रहण की गयी है उस जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अधिग्रहण में शामिल नहीं था, उसका पैसा भी नहीं दिया गया है, वह ग्राम-सभा की जमीन थी। आज तक नौकरी किसी को नहीं दी गयी है। वहां पर इन बातों को लेकर शांतिपूर्ण धरना चलता रहा था लेकिन मुख्यमंत्री के यहां से डी०एम० को और अधिकारियों को फोन जाता है और अधिकारी वहां 1000 पी०ए०सी० के जवानों को लेकर आ जाते हैं। साढ़े चार या पांच बजे के करीब धरना-स्थल से दूर गांव में पुलिस हमला कर देती है और लोगों का नगदी और जेवर लूट लेती है। जिन लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी थी ऐसे बुजुर्गों को और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको तंग किया गया और जेल भेजा गया तथा वहां दो बच्चों की मौत हो गयी है।

अपराह्न 1.00 बजे

लाठी चार्ज के कारण उनकी मौत हो गई वहां पर दो महिलाओं का बलात्कार किया गया। इन सब बातों की जांच करने के लिये सी०पी०आई०, सी०पी०एम०, समाजवादी पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया जिसके बयान प्रेस के सामने रिकार्ड किये गये। इस प्रकार वहां पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और हम लोगों का आन्दोलन चल रहा है। इसके अलावा 14 साल के 14 लड़कों के खिलाफ, जो स्कूल में पढ़ते हैं, गम्भीर अपराधिक मामले में चालान करके जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 34 औरतों को भी जेल भेज दिया गया।

सभापति महोदय, वहां के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है और न इन लोगों का कोई मुकदमा लिखा गया है। मुआवजे का काफी पैसा अभी तक नहीं दिया गया और पुलिस जुल्म एवं ज्यादती कर रही है। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि समाजवादी पार्टी से व्यक्तिगत कुंठा की वजह से वहां की मुख्यमंत्री द्वारा षड्यंत्र किया गया है। जब वहां की पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर रही थी तो उस समय लोगों ने कहा था कि एस०पी० और डी०एम० हम लोगों के खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। वहां की औरतों के साथ बलात्कार होता है, कक्षा तीन के बच्चों को जेल भेजा गया है *(व्यवधान)* बदायूं के लोग जल रहे हैं और फैक्टरी पर धरना दिया जा रहा। लोगों की मांग को मानते हुये यहां से निर्देश दिया जाये कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाये और जिन अधिकारियों ने मार-पीट की है, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाये।

श्री डी०पी० यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य असत्य कह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, वहां पर किसानों को नंगा करके पीटा गया, यह पूरे देश के लिये शर्मनाक बात है, नेता, विरोधी दल द्वारा इस बात पर जो टिप्पणी की गई है, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस सारे मामले की सी०बी०आई० द्वारा जांच कराई जाये और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसे देखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाये।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, कक्षा तीन के बच्चों को जेल भेजा गया, यह बहुत ही गंभीर मामला है।

सभापति महोदय : तिवारी जी, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मामले को सभा की जानकारी में लाया गया है। अन्य माननीय सदस्य जैसे श्री राम सिंह शाक्य, डा० सफीकुर रहमान बर्क, श्री मुनव्वर हसन, श्री बी०बी० तिवारी भी इस राय से सहमत हैं। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। श्री डी०पी० यादव निवेदन करें।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : सभापति महोदय समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा इस सदन में जो कुछ कहा गया, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि बबराला में टाटा कैमिकल फैक्टरी कार्य कर रही है। जो मेरे संसदीय क्षेत्र का भाग है। वहां पर हड़ताल हुई थी। आज उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक महिला कर रही है, इसलिये समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती यदि समाजवादी पार्टी के लोग गरीब लोगों की रहनुमाई करने जाते लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ हमारी सरकार को बदनाम करने के इरादे से वहां पर गये और गरीबों की कोई मदद नहीं की। यह मेरा लोकसभा

[श्री डी०पी० यादव]

क्षेत्र है जहां मैं स्वयं गया और लोगों से मिलकर जानकारी हासिल की और उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां पर कड़वाहट और जहर घोलकर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसे मत करिये। कृपया सभा की कार्यवाही का संचालन शान्तिपूर्वक करने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : उस फैक्टरी को लगे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। मैं सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि 13 वर्ष में आप कितनी बार सत्ता में आए ? आपने गरीब लोगों के लिए क्या किया ? *(व्यवधान)* आज सरकार वहां जो कुछ कार्य कर रही है *(व्यवधान)* वहां के किसानों के साथ हमारी सरकार को और हमारे मुख्य मंत्री को पूरी हमदर्दी है और उसका उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं कि वहां हड़ताल होने पर एस०पी० और डी०एम० ने उन हड़ताली कर्मचारियों की परवाह नहीं की तो उनको तुरंत वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। नये डी०एम० और एस०पी० वहां बनाए गए और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। मैंने स्वयं जाकर लोगों के दुख-दर्द के विषय में पूछा। एक नुकसान वहां के गरीब आदमी और किसान का हुआ है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के वहां जाने की वजह से टाटा समूह के मालिक रतन टाटा जो 1700 करोड़ रुपये का फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट वहां लगाना चाहते थे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि राजनीति ने अपना घिनौना रूप वहां दिखाने की कोशिश की इसलिए वह अपना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाएंगे। ये वहां के लोगों का नुकसान हुआ। वहां के पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार है और हम चाहते थे कि उनके हित के लिए टाटा समूह का नया फर्टिलाइजर प्लांट लगे लेकिन दुख की बात है कि *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी०सी० चाको) : कृपया विस्तार में मत जाइये। आप केवल मामले पर ही बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। समाजवादी पार्टी के लोग एक बड़े समूह के साथ मिले हैं और उन्होंने अपनी राजनीति के तहत वहां की फैक्टरियों में मजदूरों के बीच में जाकर जहर भरने की कोशिश की। मेरा कहना है कि आईन्दा अगर ये समाजवादी पार्टी के सदस्य जो वहां गए थे *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे राजनीतिक चर्चा मत बनाइये। अपनी बात कहिये। यह काफी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : अगर ये चाहते हैं कि वहां का माहौल अच्छा बना रहे तो इनको वहां के लोगों को समझाकर कहना चाहिए था कि यह रोजी-रोटी का सवाल है और फर्टिलाइजर की किसान को भी जरूरत है। उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहने के बजाय *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। 50 अन्य माननीय सदस्य हैं। सदस्य बोलने के लिए अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, टाटा केमिकल्स लिमिटेड *(व्यवधान)*।

कुंवर सर्वराज सिंह : इनका नोटिस है क्या ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने यह व्यवस्था की है कि मैं विशेष मामले के रूप में, मैं श्री सत्यदेव सिंह को अनुमति दे रहा हूं। आप अध्यक्षपीठ की व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, यह गलत परंपरा चल रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ की व्यवस्था को चुनौती न

दें। माननीय वरिष्ठ सदस्य हमें सभा को नियन्त्रित करना होता है और चर्चा की अनुमति देनी होती है। और जो भी हो रहा है वह सभा को पता होना चाहिये। अतः आपको अध्यक्षपीठ के आदेशों का अनुपालन करना चाहिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये। आप जो कुछ भी कह रहे हैं। वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, बबराला कांड का राजनैतिक लाभ उठाने के सिवाय इनके मन में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बात को उठा रहे हैं। मान्यवर, वहां 17 मई से धरना शुरू हुआ। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं नहीं, श्री डी०पी० यादव ने यह सब कह दिया है। यदि कोई नई बात हो तो आप कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : इसमें दो बातें उठाई गई हैं। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया दोहरायें नहीं।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय मैं दोहरा कुछ नहीं रहा हूं। परन्तु मैं नई बातें बताना चाहता हूं। कृपया मुझे एक या दो वाक्यों में बोलने दीजिये। *[हिन्दी]* बबराला कांड के बारे में दो बातें उठाई गई हैं। पहला सवाल यह था कि यह राज्य का विषय है, विधान सभा में इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया विस्तार में मत जाइये। यह तकनीकी मामला है इसका उल्लेख मत करिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : पहली बात उठाई गई कि महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार किया गया। इस तरह की अनेक जांचों में यह बात आ चुकी है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के भाषण यहां दिये जा रहे हैं। *(व्यवधान)*।

उस समय आप कहां थे जब मुजफ्फरनगर में महिलाओं के सा. बलात्कार किया गया था। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने का क्या कोई फायदा होगा। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। कृपया अपना बहुमूल्य समय बर्बाद न करें। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया यह समझें कि यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सर्वराज सिंह, आपको अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, मैंने आपकी बात सुन ली है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति महोदय, आप इसकी सी०बी०आई० से जांच करा लीजिये, यह बात गलत है, अगर नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, नहीं तो माननीय सदस्य इस्तीफा दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह समय ऐसे प्रस्ताव रखने का नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। केवल श्री सत्यदेव सिंह को अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। उन्हें एक वाक्य बोलने का अवसर दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : जहां तक जमीन के मुआवजे का सवाल है। जिसके बारे में इन्होंने सवाल उठाया था ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बारे में मतभेद हो सकते हैं। कृपया आप पहले अपनी बात पूरी कीजिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : यह सदस्य वहां कभी भी दिखाई नहीं दिये। ···*(व्यवधान)* यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ के समक्ष त्यागपत्र का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाए। ऐसे प्रस्ताव मत करिये। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यहां सभा में क्या चर्चा की जा रही है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति महोदय, आप सप्त की कमेटी बना दीजिये, उसके बाद में जांच करा लीजिये ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समझिये कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह इस संदर्भ में संगत नहीं है। आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने दूसरे सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी है।

कृपया पहले उनकी बात सुनिये।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, यह माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। सभा में अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं कृपया अपने साथी माननीय सदस्यों की ओर भी ध्यान दीजिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अब क्यों खड़े हो गये हैं ? यदि वे खड़े हैं तो आपको खड़ा होने की कोई आवश्यकता नही है।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : मैंने गिरफ्तारी दी है, मैं जेल गया हूं वहां लाठी चार्ज हुआ है ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप प्रत्येक शब्द के बाद टोकेंगे तो कोई भी माननीय सदस्य अपनी राय कैसे व्यक्त करेंगे ? आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री ब्रज भूषण तिवारी (डुमरिया गंज) : सभापति महोदय, यह वहां गये ही नहीं। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है ? श्री तिवारी जी एक समय में कितने लोग बोलेंगे ? कृपया एक मिनट के लिए आप मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह समस्या है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि आप चाहते हों कि आपकी बात सुनी जाये तो आप अपने माननीय मित्रों से कहिये कि वे बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : तिवारी जी आप इतने सीनियर मेम्बर हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप क्या बात कह रहे हैं ?

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य ने यहां जो कुछ कहा है, उसे आप रिकार्ड पर जाने दीजिये और पार्लियामेंट की एक कमेटी बिठा दीजिये ··*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृप्रया इस प्रकार व्यवधान न उत्पन्न करें। आप क्या कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : आप सी०बी०आई० से इसकी जांच करा दीजिये, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसका हकीकत से दूर-दूर का वास्ता नहीं है। *(व्यवधान)* पांच हजार लोग जेल गए है ··· *(व्यवधान)* उन पर लाठीचार्ज हुआ है ··*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने यह सभी बातें सभा में कह दी है। आप कौन-सी नई बात कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : बलात्कार के मामले हुये हैं ··(व्यवधान)।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था। ··*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह समय तथ्यों की जांच करने का नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये। आपका इस प्रकार बोलने में कोई लाभ नहीं है। क्या आप अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? सभी बातें कहने के पश्चात कृपया उनहें दोहरायें नहीं। अन्य सदस्य भी हैं, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा ··*(व्यवधान)*।

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, आप मेरी बात सुन लीजिये ··*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अब बहुत हो गया है, कृपया अपना ग्रहण कीजिये। श्री सत्यदेव सिंह क्या आप अब अपनी बात पूरी करेंगे। आप अनावश्यक रूप से सदस्यों को उकसा रहे हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं सदस्यों को उकसा नहीं रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया विवादास्पद बातों में मत जाइए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : यहां मुआवजे का प्रश्न उठाया गया कि फैक्ट्री के लिए कृषकों से जो जमीन ली गई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गया ··*(व्यवधान)* ये फैक्ट्स गलत ढंग से रखे जा रहे हैं। साढ़े चार करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है तथा दो करोड़ 76 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजे के रूप में दिए जा चुके हैं ··*(व्यवधान)* दो करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान कम्पनी के द्वारा किया गया और शेष राशि को लेकर कृषकों में आपस में विवाद है कि किसे मुआवजा मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। वह शेष राशि ··*(व्यवधान)* बैलेंस अमाउन्ट एक करोड़ 69 लाख रुपए कम्पनी के द्वारा कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं ··*(व्यवधान)*।

इसलिए जहां तक मुआवजे का सवाल है, उस पर आन्दोलन करना या धरना देना, प्रदर्शन करना, सिर्फ राजनैतिक दृष्टिकोण से ये लोग कर रहे हैं। पिछली 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक माननीय सदस्य धरने पर थे। ··*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सदस्यों को उकसाये बिना अपनी बात कह सकते हैं। यही मैं उनसे कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : वे मौके पर हड़ताल में नहीं थे ·· *(व्यवधान)* 31 तारीख के बाद ये एक डैलीगेशन लेकर गए ·· *(व्यवधान)* वहां जाकर इन्होंने भाषण दिया ··*(व्यवधान)* गलत आरोप लगाया कि बच्चा मरा है, यह बच्चा बीमारी से मरा था। ··· *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या है ? मैंने उन्हें अनुमति दी है। अध्यक्षपीठ ने श्री सत्यदेव सिंह को बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय श्री सिंह कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : मेरा निवेदन है कि जिस तरह से यहां मामले को उठाया गया है, उसमें किसी का हित नहीं है ··*(व्यवधान)* सिर्फ

[श्री सत्यदेव सिंह]

राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इस सवाल को उठाया जा रहा है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह काफी है। आपने सारी बातें कह दी हैं। उन बातों के विस्तार में मत जाइये।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ भी श्री सुरेश जाधव बोल रहे हैं। उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जायेगा। कृपया अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करें। आपने इस बारे में अच्छी बातें बतायी हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अब और बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभा में जो भी कह रहे हैं। वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपना और सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह : सभापति जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिये *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और अपने साथी सदस्यों के बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। पिछले डेढ़ घंटे से, 50 से अधिक सदस्य, जिन्होंने नोटिस दिया है धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर० जाधव (परभनी) : सभापति जी, मैं जीरो आवर्स के माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं और सदन का ध्यान दिल्ली दुग्ध योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि संसद की कृषि स्थाई समिति का मैं सदस्य हूं और उस समिति ने 11 जुलाई को इस डी०एम०एस० को विजिट किया था। सर, यह ऐसी योजना है जिसमें "न लाभ न हानि" के आधार पर व्यवसाय किया जाता है और इसे एक बहुत लोकोपयोगी संस्था माना गया है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट पर डे 30 लाख लीटर दूध की है और इस योजना से हर दिन दिल्ली के लिए तीन लाख लीटर दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस योजना द्वारा सप्लाई किया जाता है।

सभापति महोदय, डी०एम०एस० 12 या 13 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदती है और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अनैक्सी, स्कूल, कालेजेज, अस्पताल तथा होस्टल्स आदि को इस योजना के द्वारा सात रुपएं प्रति लीटर दूध सप्लाई किया जा रहा है। 12 या 13 रुपए लेकर और सात रुपए प्रति लीटर दूध की सप्लाई कर के इस संस्था द्वारा बहुत लोकोपयोगी प्रयोजन को पूरा किया जा रहा है और इस प्रकार से यह संस्था समाज की लोकापयोगी संस्था है।

सभापति महोदय, इस संस्था की स्थापना 1959 में की गई थी। इसका प्लांट और मशीनरी न्यूजीलैंड सरकार ने भारत सरकार को कोलंबो प्लान के अंतर्गत उपहार स्वरूप दी थी। अब सेंट्रल का ऐसा विचार है और यह बात कई अंग्रेजी और हिन्दी के अखबारों में मैंने पढ़ी है कि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार को इस योजना को हैंडओवर करने जा रही है। इस संबंध में मेरा सर, इतना ही कहना है कि यह लोकोपयोगी संस्था है और इसके माध्यम से सात रुपए लीटर दूध सप्लाई किया जाता है और यह हर दिन हमें पीने के लिए, घर ले जाने के लिए दूध उपलब्ध करवाती है। इसलिए इस संस्था को दिल्ली सरकार को हैंडओवर न किया जाए।

सभापति महोदय, इस संस्था में पिछली साल 45 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और केन्द्र सरकार ही इस सबसिडी को दे सकती है। दिल्ली सरकार इस सबसिडी को नहीं दे सकती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से विनती है कि डी०एम०एस० को दिल्ली सरकार को हैंडओवर न किया जाए। यहां मैं यह सुझाव अवश्य दूंगा कि यदि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दूध की कीमत सरकार बढ़ाना चाहे, तो थोड़ी सी कीमत बढ़ा दी जाए, लेकिन दिल्ली सरकार को इस जनोपयोगी संस्था को न सौंपा जाए। इस प्रकार से हमें दुध भी सस्ता मिलता रहेगा और दिल्ली दुग्ध योजना का घाटा भी कम हो जाएगा।

श्री लाल बिहारी तिवार (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी दिल्ली से चुनकर आया हूं और मेरे क्षेत्र में 22 लाख लोगों की विशाल आबादी निवास करती है। मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास तेजी से हो, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार की ओर से राज्य सभा और लोक सभा के सांसदों को उनके क्षेत्र के विकास के लिए जो एक करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, वह मेरे क्षेत्र में आज चार महीने के बाद भी नहीं पहुंची है जिसके कारण विकास का काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए इस एक करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि विकास कार्य शुरू हो सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह मामला बड़ा गंभीर मामला है। संसद के सदस्यों को विकास निधि दी जाती है। इसको

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केंद्रीय सरकार रोक नहीं सकती है। इसमें वित्त मंत्री बाधक नहीं बन सकते हैं। *(व्यवधान)*।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक दिल्ली) : वाजपेयी जी, पैसा पहुंच गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, श्री तिवारी नए सदस्य चुनकर आए हैं और विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत धन आया है या नहीं, इसकी उन्होंने खोजबीन की और जब उन्हें मालूम हुआ कि नहीं आया है, तो उन्हें सदन के सामने यह कहना पड़ रहा है। आज चार महीने हो गए हैं और एक करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिली है। यह तो ऐसा प्रश्न है जिस पर चेयर को हस्तक्षेप करना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गोयल जी, आप एक मिनट बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री तिवारी नये सदस्य चुनकर आये हैं और उन्होंने विकास के लिए धन आया या नहीं आया, इसकी खोजबीन की और आज उन्हें सदन के सामने मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि चार महीने हो गये और एक करोड़ की धनराशि नहीं मिली है। यह तो ऐसा प्रश्न है जिस पर चेयर को हस्तक्षेप करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संसद सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सभा में यह विनिर्णय दिया है कि केंद्रीय सरकार को किसी स्पष्टीकरण अथवा व्यय विवरण के लिये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये और धनराशि संबंधित जिलाधीश को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिये। यह विनिर्णय माननीय अध्यक्ष ने इसी सभा में दिया था। माननीय सदस्य द्वारा अब यह मामला उठाया गया है और कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों से विभिन्न रिपोर्टें भी मिली हैं कि धनराशि जिलाधीशों को हस्तांतरित नहीं की जा रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को निर्देश देता हूं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि को बिना किसी विलंब के जिलाधीशों को अंतरित किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें।

श्री टी० गोविन्दन (कांसरगोड) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूरे भारत में बीड़ी श्रमिकों की शोचनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। समस्त भारत में उनकी संख्या 60,00000 से भी अधिक है। हमारे बीड़ी श्रमिकों ने राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर संघ आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी मजदूर संघ आंदोलन को कई अनुभवी मजदूर संघ नेता दिए हैं। लेकिन बीड़ी श्रमिकों की दशा शोचनीय है। कई साल पहले केन्द्रीय सरकार ने बीड़ी और सिगार अधिनियम बनाया था लेकिन राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य नहीं बनाया गया कि वे इस अधिनियम को राज्यों में लागू करें। अब ये श्रमिक राज्यों में अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग करते हैं। वे यह भी मांग करते हैं कि केन्द्रीय कल्याण योजनाओं और व्यापक आवास ऋण योजनाओं को भी लागू किया जाए।

हमारे माननीय श्रम मंत्री की इस घोषणा को सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वे कन्नानौर में एक भविष्य निधि कार्यालय शुरू करेंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोसरगोड में 10 हजार से 15 हजार तक *बीड़ी* श्रमिक हैं। उनमें से कई महिलाएं हैं। वे कन्नड़ भाषाई अल्पसंख्यक हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोसरगोड में एक नया भविष्य निधि कार्यालय खोला जाए। धन्यवाद *(व्यवधान)*।

सभापित महोदय : मैं सूची के अनुसार चल रहा हूं। हम आज मध्याह्न भोजनावकाश को छोड़कर 2 बजे तक बैठे हैं क्योंकि माननीय सदस्य कई मामले उठाना चाहते हैं। 2 बजे के तत्काल पश्चात् नियम 377 के अंतर्गत मामलों के बाद हम नियम 184 के अंतर्गत चर्चा शुरू करेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मध्याह्न भोजनावकाश को छोड़ने के बारे में इस सभा में कोई घोषणा नहीं की गई है।

सभापति महोदय : मैं यह मान रहा हूं कि सभा अपनी सम्मति प्रदान कर रही है। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह कह सकता है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कई सदस्य बोलना चाहते हैं और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर बोलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य को अवसर देने के लिए हम किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि उन सभी सदस्यों, जिन्होंने नोटिस दिए हैं, को आज अवसर दिया जाएगा।

सभापति महोदय : हमें कुछ समय सीमा रखनी पड़ेगी!

जगतवीर सिंह द्रोण : लेकिन माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है!

सभापति महोदय : द्रोण जी, इसकी समुचित व्याख्या करनी पड़ेगी। हम उससे बाहर नहीं जा सकते।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्नम) महोदय, आप नियम 377 के अंतर्गत मामले ले रहे हैं।

सभापति महोदय : हां उन्हें इसके बाद लिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : लिस्ट में है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में नहीं है। मुझे उनके नाम बोलने दें जिन्होंने अपने नाम दिए हैं।

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : परन्तु मैंने नोटिस दिया है।

सभापित महोदय : मैं सूची पढ़ूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री एन०एन० कृष्णादास (पालाकाड़) : महोदय, मैं इस माननीय सभा के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। सऊदी अरब राज्य भारत से उनके देश जाने वाले हिन्दुओं का स्वागत नहीं कर रहा है। वे केवल हिन्दुओं को छोड़कर भारत से जाने वाले अन्य सभी धर्मों के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ हिन्दु अभ्यर्थियों द्वारा सऊदी अरब में नौकरी प्राप्त करने के अवसर खो देना समस्या नहीं है।

सऊदी अरब राज्य का निर्णय हमारे देश, विशेषकर केरल की धर्मनिरपेक्ष धारणा में बाधा पहुंचा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार को इस आशय का निदेश दें कि इस गंभीर मामले पर राजनयिक स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, कुछ दिन पहले खुले न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चौंका देने वाला रहस्योदघाटन किया गया था कि सामान्य रूप से हवाला मामलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। ऐसी घोषणा किसी अन्य ने नहीं बल्कि शीर्ष न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की है यह एक बहुत गंभीर मामला है। नामों के अभाव में भ्रम है और राजनैतिक क्षेत्रों में सन्देह की छाया उत्पन्न होती है। यह वांछनीय और अच्छा नहीं है इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन नामों अथवा व्यक्तियों के बारे में निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है क्योंकि इस प्रकार प्रत्यक्ष और विशिष्ट प्रकटन के अभाव में राजनीतिक क्षेत्रों में अनावश्यक सन्देह उत्पन्न होता है। इसलिए सरकार भी महान्यायवादी के माध्यम से अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से आग्रह करके उन व्यक्तियों का पता लगा सकती हैं। प्रभावित करने का प्रयास कर रहे लोगों से निपटने के प्रावधान है ... *(व्यवधान)* कार्यावाही शुरू की जा सकती है इस प्रकार सरकार को बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सरकार को परामर्श करना चाहिए। जो कोई भी ऐसा करने का प्रयास कर रहा है उनके नाम बताए जाने चाहिए। ऐसी चीजों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। उनके साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। ऐसा करना हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। जैसाकि आप जानते हैं, न्यायपालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका को अपनी क्षमता और अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गरिमा से कार्य करना पड़ता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति जी, पिछली 22 मई को, यानि सवा दो महीने पहले जबलपुर संभाग में मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर जिले में विनाशकारी भूकम्प आया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह मामला पहले ही सदन में उठाया जा चुका है। चूंकि आपने नोटिस दिया है, इसलिए मैं आपको अनुमति प्रदान कर रहा हूं। कृपया विस्तार में न जाइए।

श्री दादा बाबूराव परांजपे : मैं पिछले ... दिन से प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अपने ठीक कहा, लेकिन यह मामला पहले ही हाउस में उठ चुका है इसलिए आपसे अनुरोध है कि डिटेल में न जाएं।

[अनुवाद]

श्री दादा बाबूराव परांजपे : मुझे अवसर दिया जाए। मैं जबलपुर से स्थानीय संसद सदस्य हूं ... *(व्यवधान)* क्या आप मुझे अवसर नहीं देंगे।

सभापित महोदय : आपको मामला उठाने की अनुमति है परन्तु मैं आपको केवल संक्षेप में अपनी बात कहने का अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि इन जिलों में 95 प्रतिशत मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लातूर से भी भयानक हालत वहां की हो गई है। वहां लोगों को राहत देने के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे :—

1. जबलपुर संभाग के संबंधित जिलों को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए।

2. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भूकम्प ग्रसित क्षेत्र में 15,000 आवास अतिरिक्त रूप से आवंटित किए जाएं तथा उपरोक्त स्थिति में जबलपुर, मंडला व सिवनी जिलों को इस योजना में शामिल किया जाए।

3. जबलपुर संभाग के जिलों को शतप्रतिशत औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए।

4. भूकम्प प्रभावित सभी नागरिकों के मकान पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय

संस्थानों से व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए और ऋण प्रक्रिया सरल बनाई जाए।

5. जबलपुर जिले में स्थित केन्द्रीय उत्पादन कारखानों को अन्यत्र कहीं स्थानांतिरत नहीं किया जाए।

केन्द्रीय शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार कर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, हमने इस माननीय सभा में रबड़ उत्पादकों के मामले को बार-बार उठाया है। इस संबंध में केरल के संसद सदस्य माननीय वाणिज्य मंत्री से भी मिले थे। हमने उनके समक्ष इस उचित मामले को प्रस्तुत किया था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि वे बिना किसी विलम्ब के उचित कार्यवाही करेंगे लेकिन महोदय, यह दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। आज तक केरल के रबड़ उत्पादकों को परेशानी हो रही है। अब रबड़ का मूल्य कम हो कर 38.00 रुपए हो गया है। उनके इस आश्वासन के बावजूद कि एस०टी०सी० बाजार में हस्तक्षेप करेगी और कम से कम 25 हजार टन प्राकृतिक रबड़ खरीदेगी, कुछ नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार का यह तर्क था कि राज्य सरकार ने वह 11 प्रतिशत क्रय-कर हटा दिया है जो उन्होंने लगाया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 11 प्रतिशत क्रय-कर को हटा देने का निर्णय पहले ही ले लिया था। महोदय राज्य विपणन संघ ने भी रबड़ खरीदने के अनुदेश दिए थे। लेकिन आज तक एस०टी०सी० ने कुछ नहीं किया है बार-बार यह वायदा किया गया है कि एस०टी०सी० हस्तक्षेप करेगी और चालू बाजार कीमतों पर रबड़ खरीदेगी लेकिन कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, मै माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करें और समस्या को निपटाएं। कीमतों संबंधी केबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि बाजार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। गरीब रबड़ किसानों को बचाने के लिए कीमतों संबंधी केबिनेट समिति को बाजार से कम से कम 25 हजार टन रबड़ खरीदने का सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इसलिए एस०टी०सी० को बाजार से 25 हजार टन प्राकृतिक रबड़ खरीदने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। मेरे विचार से माननीय मंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को निपटाने के लिए कीमतों संबंधी केबिनेट समिति को आवश्यक अनुदेश देने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सभापति जी, कानपुर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के अन्तर्गत आने वाली लाल इमली, कानपुर टैक्सटाइल्स, पंजाब में धारीवाल और एलमिन I और एलमिन II इन मिलों का ब्रांड नेम लाल इमली, धारीवाल और एलमिन होने के कारण केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी कानपुर की पहचान थी। वर्ष 1981 में मिलों की क्षमता 85 प्रतिशत उत्पादन करने की थी। घाटे भी बहुत कम थे। लेकिन केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया, पार्लियामेंट ने नियम बनाया और जून 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के अंन्तर्गत आने वाली सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय तीन मुख्य उद्देश्य सामने रखे गए थे जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में हैं। एक तो इन मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरे, इनमें काम करने वाले मजदूरों को बेकार नहीं किया जाएगा। तीसरे, केन्द्र सरकार प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी लेगी और चौथे अच्छी क्वॉलिटी का सस्ता कपड़ा देशवासियों को मिल सकेगा। 1981 से लेकर 1997 तक अनेक बार पिछले छः सालों से मैं इस मुद्दे को लोक सभा में उठा रहा हूं। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, वर्तमान सरकार की नहीं, इससे पूर्व की सरकारों के द्वारा इसकी उपेक्षा की गई और राजनैतिक लोगों को वहां प्रबंध तंत्र में रखा गया तथा उनकी गिरती हुई हालत को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कभी भी उन्होंने सक्षम प्रबंध तंत्र नहीं दिया। आवश्यक कार्यशैली पूंजी जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, उसको कभी नहीं किया और इन मिलों की चिंता नहीं की। 1994 में इनमें से तीन मिलें एलमिन I और II, कानपुर टैक्सटाइल्स का तत्कालीन सरकार ... *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

मैं अपनी बात संक्षेप में कहूँगा। लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है : इसका सम्बंध 10,600 परिवारों से है। 11 अगस्त के पश्चात वे सड़क पर होंगे। उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होगा। यही कारण है कि मैं यह कह रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण बी०आई०एफ०आर० में इसे भेजा गया। अपने पक्ष को जान-बूझकर अच्छा प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद अपील में ए०आई०एफ०आर० में गए। वहां इसमें जो रिवाइवल पैकेज दिया गया, उसको लगभग स्वीकृति थी। केवल उस कारण पर वह नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने आवश्यक धन लगाने से मना कर दिया। केवल एक वाक्य में मना कर दिया। इस नाते उन मिलों की ए०आई०एफ०आर० ने बंदी की घोषणा कर दी। यह नौ मई को इसी वर्ष में हुआ था।

11 मई, 1997 को केन्द्रीय सरकार ने तात्कालिक कार्रवाई की और एलमिन-I और एलमिन-II तथा कानपुर टैक्सटाइल में बन्दी का नोटिस लगा दिया। 11 अगस्त के बाद वहां के लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। इन मिलों में 10,600 लोग कार्य कर रहे हैं और इनमें से 5,500 इन तीन मिलों में हैं। मैं वहां का स्थानीय सासंद हूं और उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ हूं। केन्द्रीय सरकार की गलती के कारण इन मिलों की उत्पादन क्षमता जो 85 प्रतिशत थी, वह इस साल 15-20 प्रतिशत रह गई है। इसमें कार्यरत श्रमिकों का कोई दोष नहीं है। कार्यशील पूंजी का दायित्व केन्द्रीय सरकार का था। उनको प्रबन्ध तन्त्र देने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का था। जो इनके मूल उद्देश्य के कारण ही ये मिलें पूरे देश में और विदेशों में जानी जाती थी, भारत जाना जाता था, कानपुर जाना जाता था, आज कानपुर की पहचान समाप्त हो गई है। मेरी केन्द्रीय सरकार से और विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी से और कपड़ा मंत्री जी से आग्रह है कि वे तत्काल इसमें हस्तक्षेप करें और 11 अगस्त की बन्दी के नोटिस को निरस्त करे।

[श्री सत्यदेव सिंह]

वर्तमान बजट में 31 मार्च, 1998 तक के वेतन का प्रावधान है। इस बीच आठ-नौ महीने हैं, कोई-न-कोई विकल्प निकल आएगा। मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले को गम्भीरता से ले और सबसे पहले 11 अगस्त के नोटिस को कैंसिल करे और फिर संभावनाओं पर विचार करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : सदन में बहुत कम सदस्य हैं। हम प्रत्येक कार्य 2.00 बजे से पहले खत्म कर सकते हैं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : मैं जो मामला उठाना चाहता हूं, वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के निगम बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि० से संबंधित है। मेरे विचार से विनियोग आयोग की इस सिफारिश के अनुसरण में इस निगम का निजीकरण करने का यह कदम अहितकारी प्रतीत होता है कि इस निगम में सरकार की शेयरधारिता आरम्भ में कम करके 51 प्रतिशत और अंततः 26 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। राज्य में सबसे बड़े केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का निजीकरण करने के इस कदम से असम के लोगों में रोष और निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। न केवल व्यापार संघों बल्कि समस्त लोगों ने इस निगम का निजीकरण करने के कदम का पूर्णतः विरोध किया है।

विनियोग आयोग द्वारा किये गये तर्क पूर्णरूप से मान्य नहीं हैं। उदाहरणार्थ एक तर्क यह दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत में कच्चे तेल की कमी होगी और इसलिए बी०आर०पी०एल० को आपूर्ति करने में कठिनाई होगी। असम के लोगों को यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देश में ऐसी जगह भी रिफाइनरी स्थित हैं जहां स्थानीय रूप से उत्पादित स्वदेशी कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। असम कच्चे तेल का उत्पादन करता है और हल्दिया के माध्यम से कच्चे तेल के आयात द्वारा आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है और पहले बरौनी तथा फिर बोंगाईगांव को पम्प द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। एक पाईपलाईन भी विद्यमान है। जिसके माध्यम से अब बरौनी को कच्चा तेल जा रहा है। इस प्रवाह को मोड़ा जा सकता है और इस रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स कम्पलैक्स की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा किया जा सकता है।

दूसरा तर्क, जिससे असम में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो रहा है, यह दिया गया है कि भारत में असम असुविधाजनक रूप से स्थित है और इसलिए असम रिफाइनरी को सरकारी क्षेत्र में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसका इस रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स कम्पलैक्स का निजीकरण करने के आधार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अगर हम उस तर्क को और बढ़ावा दें तो असम के लोगों में अलगाव की भावना और मजबूत होगी। अतः यह अहितकारी कदम है। इस पर रोक लगानी होगी।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि असम के लोगों की भावनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये और सरकार को इस निगम के निजीकरण संबंधी किसी भी गतिविधि का अवश्य परहेज करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक खास बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। भारत-पाक बार्डर पर आर०डी०एक्स० की बहुत अधिक स्मगलिंग शुरू हो गई है। पिछले एक हफ्ते में एक क्विंटल आर०डी०एक्स० जम्मू के अन्दर पकड़ा गया है। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहता हूं—एक तो यह है कि जिन पुलिस के अधिकारियों ने इसको पकड़ा है उन्हें हमें पुरस्कृत करना चाहिए, ईनाम देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आखिर हमारा इतना पोरस बार्डर कैसे है, क्यों है ? बार्डर के ऊपर पहले बीएसएफ है उसके बाद आर्मी है, उसके बाद हमारी पुलिस है। अब तीन-तीन चैनल्स को क्रोस करके सारे के सारे हथियार और जो तबाह करने वाला एक क्विंटल आरडीएक्स पकड़ा गया है, ये सारे का सारा जम्मू क्षेत्र को उड़ाने के लिए काफी था, अगर वह उनके काम में आ जाता।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो पोरसनेस बार्डर के अंदर आई हुई है इसकी तरफ हम ध्यान दें। विशेष रूप से जब से हमारी नयी सरकार बनी है तब से हमारे जो क्षेत्र मिलिटेंसी से बिल्कुल अछूते थे, विशेष कर राजौरी और पुंछ का इलाका, अब वहां पर भी मिलिटेंसी ने इतना उग्र रूप धारण किया है। इसी सप्ताह में स्वर्ण कोट के गांव के पास ही एक गुंथल नाम का गांव है वहां से तीन-तीन मुस्लिम नौजवानों को किडनेप करके ले जाते हैं। एक को सामने-सामने सारे गांव के बीच में जिन्दा जलाया जाता है और दूसरे का सिर काट कर उसकी लाश सड़क पर फैंकी जाती है। तथा तीसरे का अभी तक पता नहीं है। हमारी सरकार इन खबरों को भी बाहर नहीं आने दे रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, विशेष रूप से वह राजौरी और पुंछ की तरफ ध्यान दें और यह जो बार्डर के अंदर जबरदस्त स्मगलिंग शुरू हुई है उसको रोकें, हथियार रोकें। वहां पर जिस प्रकार की चर्चा है कि जो बार्डर के ऊपर लोग तैनात हैं वे बहुत समय से हैं और उनके एक तरह से वेस्टेड इंटरस्ट क्रियेट हो गए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों की या तो तब्दीली की जाए ताकि इस बार्डर से जबरदस्त स्मगलिंग को तुरंत रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, अनेक मदों के आयात के संबंध में सरकार की नीतियों के विरोध में केरल में कोट्टायम में एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है। इससे किसानों, विशेष रूप से रबड़ किसानों का उत्पीड़न हुआ है।

महोदय, रबड़ से भारत को अत्यधिक आय होती है और हमें बड़ी मात्रा में विदेश मुद्रा प्राप्त हो रही हैं। अब हम रबड़ का अतिरिक्त उत्पादन कर रहे है। आठ राज्य अब रबड़ उगा रहे हैं लेकिन एक बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

जो गत वर्ष 65 रुपये प्रति किलोग्राम था वह घटकर 35 रुपये किलोग्राम हो गया है। इस मामले पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये।

हमने इस मामले पर विचार किया है और इसे संसद में प्रस्तुत किया गया था। एक धरना भी दिया गया था और बहुत सी बातें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं। सरकार भी कुछ करने को सहमत हो गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

राज्य व्यापार निगम, जिसे खुले बाजार से प्राकृतिक रबड़ खरीदने का काम सौंपा गया है, ताकि कृषकों की मदद की जा सके, बिल्कुल प्रभावी नहीं है। मेरे विचार में, इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी है और भारत सरकार ही यह धनराशि प्रदान करेगी ताकि राज्य व्यापार निगम अथवा इस प्रकार की कोई एजेंसी कुछ रबड़ खरीद सके और इस अत्यधिक बुरे वक्त में किसानों की वास्तव में मदद कर सके।

मैं सरकार से इस मामले पर अंति गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है और कृषकों की मदद नहीं की जाती है, तो किसान और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। उनकी प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर स्वरूप की होगी। मेरे विचार से, इसे सरकार की जानकारी में लाना होगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम देश में चल रहा है। 15 मई, 1997 से यह कार्य राजस्थान में भी प्रारम्भ हो गया और सबसे बड़ा खेद का विषय है कि गतवर्ष भी डीडीटी राज्य सरकार के मांग करने के बाद भी नहीं मिली। राज्य सरकार मलेरिया रोकथाम के लिए गतवर्ष भी बहुत परेशान रही। इस वर्ष भी डीडीटी आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने मांग की है परन्तु राज्य सरकार को पर्याप्त डीडीटी नहीं दी जा रही। राज्य सरकार ने 4350 मीट्रिक टन डीडीटी आपूर्ति के लिए मांगी है और यह कहा गया कि 692 मीट्रिक टन 31-3-97 तक मिल जाएगा लेकिन वह भी नहीं मिली, राज्य सरकार ने मलेरिया रोकथाम के लिए काम शुरू कर दिया।

टीम भी बन गयी है, इक्विपमेंट भी आ गये हैं लेकिन केन्द्र सरकार के आश्वासन बावजूद राजस्थान को डी.डी.टी नहीं मिल रही है। वर्षा सिर पर है, कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है तथा मलेरिया के फैलने का पूरा खतरा है। राज्य को 4350 मीट्रिक टन डी.डी.टी. की आवश्यकता है। मिलिथियोजन पॉवडर का छिड़काव भी मलेरिया के रोकथाम में कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार की 4350 मीट्रिक टन डी. डी.टी. की मांग की पूर्ति करे और उनकी मांग के अनुसार डी.डी.टी. राजस्थान सरकार को दी जाए। डी.डी.टी. देने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करे।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर आने से पहले आपके इस छोटे से सुझाव की सराहना करता हूं कि शून्य काल को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाये।

सभापति महोदय : अब हमारे पास सुझावों के लिए कोई समय नहीं है। हमारे पास केवल दस मिनट हैं।

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, मेरा केवल एक सुझाव है कि शून्य काल को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाये। पहला भाग बिहार और उत्तर प्रदेश के मामलों को दिया जाये जहां शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन प्रमुखता में रहता है और दूसरा भाग शेष भारत को दिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, हम सभी उनसे सहमत हैं *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मेरे विचार में यह परिहास किया गया है। यही बात है। कृपया इस गंभीरता से मत लीजिए।

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, *खादी*, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक है। *खादी* का प्रचार करने के लिए और यह देखने के लिए कि दस्तकारों को सभी मामलों में बेहतर अवसर मिले, वर्ष 1995 में प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि *खादी* तथा ग्रामोद्योग संगठनों को छूट दी जाये। उच्च स्तरीय समिति के इस निर्णय के अनुरूप, उद्योग मंत्रालय ने खादी पर 15 प्रतिशत की छूट की अनुमति दे दी और 350 करोड़ रुपये बजटीय सहायता दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से, भारत सरकार ने बाद में उस छूट का कुछ भाग वापिस ले लिया और काफी अनुनय के पश्चात् उन्होंने केवल 10 प्रतिशत छूट दी। इसके परिणामस्वरूप लगभग 80,000 दस्तकार बेरोजगार हो गये हैं और इसमें 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

खादी और ग्रामोद्योग संगठन "बिना लाभ और बिना हानि" के चलने वाले संगठन हैं। मैं सरकार से 15 प्रतिशत छूट प्रदान करने का अनुरोध करता हूं और साथ ही इस वर्ष के हमारी स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष होने के कारण सभी *खादी* उत्पादों के लिए एक विशेष छूट की घोषणा की जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति जी, भारत सरकार सन् दो हजार तक सबके लिए स्वास्थ्य की बात करती है लेकिन अभी वह अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 500 बिस्तर के एक अस्पताल का प्रस्ताव फरवरी 1992 में 53.44 करोड़ रुपये का भेजा गया था। इस संबंध में 10.5.94 और 3.9.96 को पत्रों के माध्यम से जब कहा गया तो सिद्धांत रूप से केन्द्र सरकार ने सहमति दे दी है। लेकिन अभी तक आर्थिक सहायता की बात नहीं की गयी है। यह प्रस्ताव अभी तक केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

हुआ है। बरेली ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही कम हैं और इस तरह के अस्पताल की बहुत आवश्यकता है तथा प्रदेश सरकार भी इस मामले को बार-बार उठाती रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लेकर इस परियोजना के लिए मांगी गयी धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, केरल राज्य ने हाल ही अप्रत्याशित बाढ़ और मूसलाधार वर्षा का सामना किया है, जिसमें 100 से भी अधिक जाने गईं और इस विकराल बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की संपत्ति तबाह हो गई।

हम केरल के सांसद हाल ही में प्रधान मंत्री के साथ-साथ कृषि मंत्री को इस बाढ़ के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति से अवगत कराने के लिए गये थे। केरल का उत्तरी भाग, अर्थात् कसारागोड, कन्नानौर, कालीकट, मालापुरम और केरल का मध्य भाग अर्थात्, इदुक्की जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।

महोदय, कृषि मंत्री पर लगातार दबाव के कारण उन्होंने आपदा राहत कोष से 10 करोड़ रुपये केवल की धनराशि जारी की थी लेकिन यह धनराशि बहुत ही कम है। केरल सरकार ने भारत सरकार से इस आपदा से निपटने के लिए न्यूनतम 200 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि प्रदान करने का एक विशेष अनुरोध किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ-साथ कृषि मंत्री से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेने का अनुरोध करता हूं ताकि केरल राज्य को पर्याप्त धनराशि दी जा सके।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, हम सभी इसका समर्थन करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में लिया जाना चाहिये।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, क्या मैं उसके बारे में अनुरोध कर सकता हूं। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : हमारे पास केवल पांच मिनट बचे हैं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय यह एक अति गंभीर मामला है। यहां तक कि मेरे जिले में 17 लोगों की मृत्यु हो गई। वे मारे जा चुके हैं। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : श्री अहमद और श्री पी०सी० थामस, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा उठाये गये मामले में भाग लेंगे। सरकार उस पर ध्यान देगी। कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार ज्युडिशियल एक्टिविटीज के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चिन्तन कर रही है परन्तु वह चिन्ता गलत दिशा में जा रही है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिये एक न्यायिक आयोग गठित किया जाये ताकि सक्षम, योग्य एवं कुशल न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके। इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम हो और भाई-भतीजावाद न हो। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका न हो। समय-समय पर इन सब शिकायतों से बचने के लिये एक न्यायिक आयोग का गठन अविलम्ब किया जाये। इस बारे में सरकार चाहे तो प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, राजनैतिक दलों, बार कौंसिल के सदस्यों, नेता विरोधी दल और सरकार के लोग आपस में विचार-विमर्श करके न्यायिक आयोग का गठन कर सकते हैं ताकि सही ढंग से नियुक्तियां हो सकें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में कई स्थान रिक्त हैं, इसके लिये एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिये क्योंकि लोगों के मुकदमें काफी समय से लम्बित हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, मैं तीन दिन से नोटिस दे रहा हूं, मुझे मौका नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पिछले चार दिनों से सभी नाम लंबित हैं क्योंकि हमने पिछले दो तीन दिनों से शून्य काल नहीं लिया है। कृपया हमें सहयोग दीजिये। हम यथासंभव अधिक से अधिक नाम शामिल कर रहे हैं लेकिन हमें दो बजे अन्य कार्य भी लेने हैं।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सरकार और हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जम्मू के इलाके में पेशतर आबादी ऐसे लोगों की है जो रिफ्यूजीज मुहाजिर है और डिस्पलेस्ड पर्सन्स हैं।

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : मुझे एक गंभीर मामला उठाना है। आप कृपया समय बढ़ा दीजिये। मुझे बहुत अधिक दुःख हो रहा है। अन्यथा मैं अपने स्थान पर बैठा होता।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा : ऐसे लोगों की आबादी चार किस्म की है। वे लोग पाक आकिपाईड कश्मीर से उजड़कर आये हुये संताली लोग हैं जिनको आज तक आबाद नहीं किया गया। सरकार ने वायदा किया था कि 25 हजार रुपया रिलीफ के तौर पर हर फैमली को दिया जायेगा और वह फाईल अभी भी होम मिस्ट्री में पड़ी हुई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम यहां पर बैठे हुये हैं। वे चाहें तो इन संताली लोगों

को आबाद कर सकते हैं। सन् 1971 की जंग के समय छम्ब इलाके से निकल कर जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, यहां हिन्दुस्तान में आ गये हैं लेकिन उनको पूरी तरह से आबाद नहीं किया गया है।

अपराह्न 2.00 बजे

जो जमीनें उनको अलॉट की गई हैं, न ही वह पूरी की गई हैं और न ही उसके बदले उनको पूरा मुआवजा दिया गया है। मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि उसकी तरफ भी ध्यान दें। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो 1947 में पाकिस्तान से आकर जम्मू-कश्मीर में आबाद हो गए। उस समय शेख अबदुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने उन लोगों को जम्मू के इलाके में आबाद कर दिया लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक उन लोगों को जम्मू में शहरी हकूक नहीं है। वे लोग असेम्बली में वोट नहीं डाल सकते हैं, न ही वह जम्मू-कश्मीर में कोई नौकरी ले सकते हैं और न जम्मू-कश्मीर में कोई प्रोपर्टी परचेज कर सकते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 50,000 के लगभग है। मैं चाहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट से मिलकर कोई ऐसा इंतजाम करे कि वे 50,000 लोग जिनको जम्मू में रहते हुए पचास साल हो गए हैं, उनको जम्मू-कश्मीर में शहरी हकूक दिलवाए, उनको परमानेंट रेजीडेण्ट के हक दिलवाए ताकि उनके बाल-बच्चे जम्मू-कश्मीर में आगे बढ़ सकें।

आखिर में ऐसे कश्मीरी माइग्रेण्ट्स जो लाखों की तादाद में जम्मू में बैठे हुए हैं, उनको मेडिकल एड, एजुकेशन की फेसिलिटीज और लीगल एड फेसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं और उनको तब तक कश्मीर में नहीं भेजा जाए जब तक वहां के हालत अच्छे नहीं होते। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लें और चारों केटागरी के जो लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए कदम उठाएं। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मुनियप्पा, हमें अपना अगला कार्य दो बजे शुरू करना है।

(व्यवधान)

श्री के०एच० मुनियप्पा : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। यह एक अत्यधिक गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मैं श्री मुनियप्पा तथा अन्य सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वे कल शून्य काल के दौरान बोल सकते हैं। फिर उस समय शेष सदस्यों को समय दिया जायेगा। अतः, कृपया पीठासीन अधिकारी को सहयोग दीजिए।

अब हम मद सं० 6 "नियम 377 के अधीन मामले" लेंगे।

अब लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी बोलेंगे।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : दस दिन से लगातार मैं नौ बजे आकर नोटिस देता हूं। एक दिन भी बोलने का मौका नहीं मिला है। *(व्यवधान)*।

अपराह्न 2.2½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए गोरखपुर की उर्वरक इकाई का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): महोदय, मैं गोरखपुर उर्वरक कारखाने की जर्जर स्थिति पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यही एक उर्वरक कारखाना था। यह कारखाना 1969 में जापान की मदद से खड़ा किया गया और इसकी क्षमता लगभग 550 मीट्रिक टन तय की गई। 1976 में इस कारखाने की क्षमता बढ़ाकर लगभग 900 मीट्रिक टन कर दी गई जबकि कोई और ऐसी मशीन नहीं लगाई गई जिससे क्षमता बढ़ सके। मशीन भी पुरानी हो चुकी थी और इसीलिए कारखाने की पैदावार 900 मीट्रिक टन कभी भी नहीं हो सकती थी और क्षमता से कम होने से कारखाने को नुकसान पर चलते दिखाया गया। यह सचमुच नुकसान नहीं था, केवल आंकड़ों को दिखाकर नुकसान दिखाया गया।

अपराह्न 2.03 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

काफी दिन कारखाने को बंद रखने के बाद अब यह पता चला है कि इस कारखाने को चलाने का इंतजाम कृभको को सौंप दिया गया हैं अब कृभको पूंजी लगाने के लिए, नयी मशीन लगाने के लिए और कारखाने को चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। मेरा विचार है कि कृभको अब जल्दी से जल्दी यह कारखाना चलाने की स्थिति में है क्योंकि वहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मैंने फर्टिलाइजर कारपोरेशन के चलाए हुए और कारखानों की स्थिति को देखा है और गोरखपुर उर्वरक कारखाना इन कारखानों की तुलना में अच्छा ही चल रहा है। रामगुण्डक और ताल्चेर के कारखाने इससे अच्छे नहीं चल रहे हैं।

अगर गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का आधुनिकीकरण किया जाए तो यह कारखाना अभी लाभदायक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उर्वरक की कमी हमेशा रहती है और दूर से ले आने से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृभको को गोरखपुर उर्वरक कारखाना जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए बाध्य करें ताकि

[लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत्त) प्रकाश मणि त्रिपाठी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश को उर्वरक मिल सके। गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कर्मचारी और अधिकारियों की नौकरी सुरक्षित रहे, उनको पूरा वेतन मिले जब तक उनका कार्यकाल बाकी है। कृषको को ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे उस कारखाने के कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा हो और उनके साथ न्याय हो सके।

(दो) मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महादेय, केन्द्र सरकार द्वारा सर्वे (लिस्ट) 1990 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को आधी दर पर 10-10 किलो चावल एवं दाल, गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी तथा माह मई 1997 से लागू कर वितरण करने के आदेश दिये गये थे। अभी तक मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चावल, गेहूं, दाल आदि नहीं पहुंचाया गया है तथा कहीं पर भी वितरण नहीं किया गया है। आम लोगों में असंतोष है। तत्काल वितरण कर तीन माह का चावल, दाल, गेहूं एक साथ दिया जाए।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सन् 1997 तक जिनके नाम गरीबी रेखा से छूट गये हैं, दर्ज नहीं किये गये हैं। लोगों के अन्यत्र जाने के कारण तथा उनके नाम जोड़ने हेतु पुनः सर्वे कराया जाये तथा सभी गरीवी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को आधी दर पर चावल, गेहूं देने के आदेश के समान कानून पास कर दाल, शक्कर, नमक, मिट्टी का तेल, मीठा तल, कपड़े, साबुन वगैरह सामान आधी कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार कदम उठाये तथा सर्वे कर स्वीकृति प्रदान करे।

(तीन) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर अथवा मेरठ में एक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सोहन बीर (मुजफ्फरनगर) : सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यहां के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में गन्ने तथा गेहूं की पैदावार होती है। मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जनपद गन्ने की पैदावार में देश में अपना विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को कृषि के संबंध में नई तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए कोई कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में न होने कारण यहां के किसान अपने पुराने तरीकों से ही खेती कर रहे हैं तथा इसी प्रकार से अच्छी नस्ल के पशुओं तथा उत्तम किस्म के बीजों के बारे में किसानों को जानकारी नहीं हो पाती है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर या मेरठ जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के आदेश पारित करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र के किसानों को कृषि के क्षेत्र में नया तकनीकी ज्ञान उत्तम किस्म के बीज तथा अच्छी नस्ल के पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे इस क्षेत्र का विकास तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

[अनुवाद]

(चार) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को आवंटित भूमि में अनियमितताओं को रोकने के लिए मुखतारनामा अधिनियम, 1982 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और नोटेरी अधिनियम, 1952 में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री के०सी० कोंड्डया (बेल्लारी) : महोदय, कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से मुखतारनामा अधिनियम, 1982, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और नोटेरी अधिनियम, 1952 में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया है। क्योंकि शक्तिशाली भू-माफिया समाज के इन वर्गों को दी गई भूमि को बेचने और उस पर वास्तव में कब्जा करने तथा उसका फायदा उठाकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक-आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों को विफल कर रहे हैं।

अतः, मेरा माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध है कि वे उक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण में उक्त अधिनियमों में संशोधन करने के लिए कार्यवाही करें।

(पांच) आंध्र प्रदेश को "मैगा सिटी" विकास योजना के अंतर्गत शेष धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैगा सिटी योजना के अंतर्गत 913 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हैदराबाद मैगा सिटी परियोजना बनाई गई थी। इस धनराशि में से केन्द्र का 25 प्रतिशत हिस्सा 223 करोड़ रुपये बनता है। योजना आयोग ने हैदराबाद के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है जोकि 913 करोड़ रुपये के पैकेज के अनुमानित 20 प्रतिशत से काफी कम है।

केन्द्र सरकार ने अब तक 41.5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है और वर्ष 1996 के दौरान 15.5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी जोकि कुल मिलाकर 57 करोड़ रुपये बनता है जबकि, आठवीं योजना के अंत में योजना आयोग द्वारा वास्तविक अनुमोदित धनराशि 100 करोड़ रुपये थी।

राज्य सरकार ने हैदराबाद मैगा सिटी परियोजना के अंतर्गत अनेक बड़ी योजनाएं शुरू की थी और इसलिए यह सुझाव दिया गया कि योजना आयोग द्वारा वास्तविक रूप से आबंटित की गई समग्र धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी धनराशि सहित जारी की जाए क्योंकि यह आठवीं योजना का अंतिम वर्ष है, हैदराबाद मैगा सिटी परियोजना का आबंटन नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम दुगना करने

का राज्य सरकार का प्रस्तावित अनुरोध स्वीकार किया जाए। चूंकि मामला सरकार के पास लंबित है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है इसलिए हैदराबाद मैगा सिटी परियोजना के लिए केन्द्र से शेष बकाया राशि राज्य सरकार को तत्काल जारी की जानी चाहिए।

(छह) मई 1995 से पूर्व भारत सरकार, जम्मू- कश्मीर सरकार और लद्दाखी जनता के प्रतिनिधियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् (एल०ए०ए०एच०डी०सी०) की स्थापना 9 मई, 1995 को लागू 1995 के राष्ट्रपति अधिनियम सं० 1 के माध्यम से की गई थी तथा परिषद की स्थापना दिनांक 3 सितम्बर, 1995 को की गई थी जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था। जम्मू-कश्मीर में लोकप्रिय सरकार के गठन के साथ यह आशा की गई थी कि स्वायत्तत परिषद् की स्थापना का नई सरकार द्वारा स्वागत किया जाएगा क्योंकि यह सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्वायत्तता देने की उनकी घोषित नीति के अनुसार था। इन क्षेत्रों में स्वायत्तता की क्या बात करें, राज्य सरकार पूरी शक्ति से विद्यमान लद्दाख स्वायत्त परिषद् को बंद कर रही है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बराबर का अनुदान अथवा राज्य के हिस्से की धनराशि जारी नहीं की जा रही है जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है। परिषद के प्रमुख को उचित प्रोटाकॉल और दर्जा नहीं दिया गया है। अधिनियम पारित किए जाने के दो वर्ष के भीतर अपेक्षित अधिनियम का समयबद्ध संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। यदि आगे से राज्य सरकार के ऐसे हस्तक्षेपों को रोका नहीं जाता है तो लद्दाखी जनता के पास लद्दाख क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा।

अतः, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मई, 1995 से पहले भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लद्दाखी लोगों के प्रति निधियों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते को पूर्णतः लागू कराने हेतु मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें।

(सात) चीनी मिलों के उत्पादन तथा गन्ने की खेती को प्रभावित करने वाले विनियमों की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

***श्री डी०. वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : महोदय, मैं इस माननीय सभा की जानकारी में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि चीनी की बिक्री के संबंध में सरकार के विनियमों से न केवल चीनी मिलों का उत्पादन तथा गन्ने की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है वरन् अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अनेक चीनी मिलें विशेषरूप से सहकारी चीनी मिलें इन उपायों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेवी चीनी पर मूल्य अंतर का भुगतान नहीं किया जाता है और खुले बाजार में बिक्री करने संबंधी आदेश भी समय पर जारी नहीं किए जाते हैं। इससे महीनों और यहां तक की वर्षों तक चीनी मिलों में चीनी की बोरियों की भरमार हो जाती है। इसका इस तरह से निरंतर प्रभाव पड़ा है कि शेयर-धारकों को समय पर लाभांश तथा गन्ना उत्पादकों को अपना बकाया नहीं मिल पाया। इससे चीनी तथा गन्ना उत्पादन दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह चीनी मूल्यों को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों के विपरीत जा सकता है। उदाहरण के लिए, कालामुरिचो सहकारी चीनी मिलों को अभी भी 10 करोड़ रुपये की धनराशि तथा प्रोत्साहन अनुदान लेने है जो विधिवत् रूप से कृषकों, गन्ना उत्पादकों, शेयरधारकों को जाती है। केन्द्र का यह दायित्व है कि वह चीनी तथा गन्ने दोनों का उत्पादन बिना किसी रूकावट करना सुनिश्चित करते हुए चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखे।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से बकाया राशि तथा आदेश तत्काल जारी करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि 26 करोड़ रुपये की ढाई लाख टन चीनी वर्ष 1994 से अभी तक चीनी मिल के भण्डारों में पड़ी है। केन्द्र सरकार से लगभग 60 लाख रुपये लेने बकाया हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सहकारी चीनी मिल के शेयरधारकों, कर्मचारियों तथा गन्ना उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु तत्काल कार्यवाही करें।

अपराह्न 2.16 बजे

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। श्री पीताम्बर पासवान अपना भाषण जारी रखें।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : मेरी जानकारी यह है कि यह विशेष प्रस्ताव श्री शरद पवार द्वारा नियम 184 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्री जी०एम० बनातवाला ने इसका सर्मथन किया। श्री बनातवाला ने इस विशेष प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है परंतु श्री शरद पवार के इस संबंध में विस्तार से कहा। उन्होंने एक घंटे का समय लिया। इसके बाद जब हम आगे चर्चा शुरू करते हैं तो एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता।

सभापति महोदय : हम चर्चा जारी रखेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : यह आपकी टिप्पणी है। इसका मुझसे कोई सरोकार नहीं है।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजये (ठाणे) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : घंटी बज रही है।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री पीताम्बर पासवान अपना भाषण जारी रखें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि चर्चा शुरू हो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जिस प्रस्ताव पर कल से चर्चा हो रही है उसमें कहा गया है :

> "कि यह सभा मुम्बई, नागपुर तथा महाराष्ट्र राज्य में अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है।"

कोई नहीं जानता कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा की जा रही है। यह अजीब बात है कि इसका उल्लेख कार्यसूची में नहीं किया गया है कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय : फिर भी, यह प्रस्ताव नियम 184 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : परंतु इसका उल्लेख कार्यसूची में नहीं किया गया है। कल भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था। बिहार की स्थिति से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इसे नियम 184 के अंतर्गत चर्चा में बदला गया है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्यसूची में यह बताने के लिए सुधार किया जाना चाहिए कि इस प्रस्ताव पर नियम 184 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय : ऐसा किया जाए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सामान्यतः, नियम का उल्लेख कार्यसूची में नहीं किया जाता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : पूर्व अध्यक्ष मेरी बगल में बैठे हुए थे और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा : "इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम 193 के अंतर्गत है।" यह उनकी टिप्पणी थी। यह एक तरह की उलझन दिखाता है जो इससे पैदा हुआ है।

सभापति महोदय : यह उनकी टिप्पणी हो सकती है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष कार्यसूची तैयार नहीं करते हैं यह सचिवालय द्वारा तैयार की जाती है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह सभा की सम्पत्ति है।

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, एक्स अथवा वाई अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य की धारणा कुछ भी हो, यह संकल्प नियम 184 के अंतर्गत श्री शरद पवार द्वारा रखा गया था यह सभी माननीय सदस्यों द्वारा समझ लिया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं जो चाहता हूं वह यह है कि यह कार्यसूची में इसका उल्लेख होना चाहिए। बस यह बात है।

सभापति महोदय : आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। श्री पासवान, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम 184 के तहत महाराष्ट्र में दलितों की हत्या के संबंध में बोल रहा हूं। मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में दलितों के महीसा, भारतरत्न बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ जो अपमान महाराष्ट्र में हुआ और उस अपमान के चलते दलितों ने रोष प्रकट किया तो दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया, यह घटना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं घटी। महाराष्ट्र में तो आज हुई है। पूरे देश में दलितों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है।

हम आजादी के पचासवें साल में चल रहे हैं। हिंदुस्तान आजाद है। लेकिन आज भी गांवों में, देहातों में छुआछूत व्याप्त है। एक तरफ तो लोग जानवरों से प्रेम करते हैं और कुत्ते, बिल्लियों के साथ खेलते हैं, दूसरी तरफ जानवरों से भी बदतर स्थिति इस देश में दलितों की है। जब दलित मूर्ति बनाता है, भगवान की प्रतिमा बनाता है, बर्तन बनाता है, घर बनाता है, तो वह बड़ा अच्छा है। लेकिन जब लोग घर में जाते हैं और उसके द्वारा बनाए हुए बर्तन को छूते हैं, तब भी अच्छा है, लेकिन उसी बोतल की छाया से उनकी देह और हड्डी अपवित्र हो जाते हैं। इस देश में आज भी दलितों के साथ क्या न्याय हो रहा है, क्या सम्मान मिल रहा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है।

मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। कल हमारे माननीय सदस्य प्रमोद महाजन बोल रहे थे। मैं उनका भाषण सुन रहा था। वे दलितों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे दल में सबसे अधिक दलित हैं।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दलितों के प्रति जो आपके दिल में सम्मान और प्रेम है, आपकी सरकार बनी थी यह सदन भी देख रहा था जब आपने मंत्रिमंडल बनाया था आपने उसमें कितने दलितों को शामिल किया था। यह देश आपकी भावना और आपके संस्कार को देख रहा था। मैं भाजपा के सम्मानित सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको दलितों से प्रेम है तो उत्तर प्रदेश में दलित महिला मुख्य मंत्री हैं। आप पांच साल के लिए उनको समर्थन दें और इसकी घोषणा करें। तब इस देश को मालूम हो जाएगा कि आपके दिल में दलितों के प्रति कितना सम्मान है। आप इस देश को कैसे चलाएंगे ? मैं आपके उत्तर प्रदेश की बात कह रहा था। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान : मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं कि आप घोषणा कीजिए। *(व्यवधान)*।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय सदस्य का यह पहला भाषण है, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि इनको बोलने दिया जाए। *(व्यवधान)*।

श्री पीताम्ब पासवान : मैं कह रहा था कि दलितों के प्रति इनके दिल में कितना सम्मान और प्रेम है, यह महाराष्ट्र में इनका दलित प्रेम उजागर हुआ है। वहां शिव सेना और भाजपा के गठबंधन की सरकार है और किस तरह से दलितों को अपमानित किया जाता है, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ अन्याय और जुल्म किया जाता है। *(व्यवधान)* हम आजादी के पचासवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* माननीय सदस्य बड़े जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि हम आजादी के पचासवें वर्ष की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं। कैसी जयन्ती मना रहे हैं ? बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर जूते की माला पहनाकर, दलितों की हत्या करके इनकी भावना स्पष्ट उजागर होती है। *(व्यवधान)* देश में यह कैसा राज चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाकर रखे।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान : यह स्पष्ट है कि जब इनकी भाजपा और शिव सेना की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है तो वहां पर बाबरी मस्जिद को ढहाया जाता है। जब इनकी सरकार गुजरात में होती है तो इनके दल के सम्मानित दलित नेता को अपमानित किया जाता है, नंगा किया जाता है और महाराष्ट्र में जब इनकी शिव सेना और भाजपा के गठबंधन की सरकार होती है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित किया जाता है और इस अपमान का बदला लेने के लिए जब दलित खड़े होते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यह आज भी हो रहा है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि दलित विरोधी सरकार को महाराष्ट्र में शिव सेना और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए तथा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि इस देश में सबको जीने की, रहने की और बोलने की स्वतंत्रता है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : इनको बोलने दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री पीताम्बर पासवान : आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति है ? बड़े-बड़े ओहदे पर जो दलित भाई हैं, वे इस शर्मनाक घटना पर इस्तीफा दे रहे हैं। *(व्यवधान)* इससे बड़ी शर्मनाक घटना आजादी के पचास साल में दूसरी और कोई नहीं हो सकती। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि भाजपा और शिव सेना के गठबंधन वाली सरकार को अविलम्ब बर्खास्त किया जाए। धारा 356 वहां लागू की जाए। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस मामले पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय आवंटित किया है। हम पहले ही दो घंटे का समय ले चुके हैं। मेरे विचार से चर्चा जारी रखी जानी चाहिए। आप इसके लिए कितना समय चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि जितना समय बिहार मामले को दिया गया था उतना समय ही दिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : ठीक है, इसका समय बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल शाम, यह प्रश्न उठाया गया था कि दो घन्टे के समय का उपयोग किया गया है और क्या किया जाए। तब निर्णय लिया गया था कि समय को बढ़ाया जाएगा, कल के लिए भी बल्कि आज के लिए बढ़ाया जाएगा। यह निर्णय लिया गया था।

सभापति महोदय : मैंने सदन की राय ले ली है। इसका समय बढ़ाया जाता है। अब श्री मधुकर सरपोतदार बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : महोदय, जिन्होंने मोशन मूव किया है, जिनके नाम से मोशन है, वे तो कम से कम पाइंइस को नोट करने के लिए सदन में उपस्थित हों। *(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

यह प्रस्ताव श्री शरद पवार जी द्वारा सदन में कल रखा गया था। आज मैं उम्मीद करता था कि जब इस प्रस्ताव के ऊपर यहां कुछ बातचीत हों, तो शरद पवार जी यहां मौजूद होंगे। कल उन्होंने एक घन्टे में बहुत कुछ कहा। उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस बारे में मैं थोड़ा पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन वे स्वयं यहां पर मौजूद नहीं हैं। होने चाहिए थें 11 जुलाई के दिन महाराष्ट्र

[श्री मधुकर सरपोतदार]

के अन्दर जो हो गया, उससे दलितों के ऊपर गोली चलाई गई और दस दलित मारे गए। इस बातों को हमने बहुत गहराई से देखा है कि *(व्यवधान)* मैं 11 जुलाई की बात कह रहा हूं। आप थोड़ा गौर से सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं, जब मैं किसी के बोलने पर डिसटर्ब नहीं किया, मैं हरेक की बात को सुना। यह सदन बहुत रिसपैक्टेबल एम०पीज० का है। मैं किसी के बीच में रुकावट नहीं डाला। मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं, तो बीच में किसी के द्वारा रुकावट करना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। यदि आप करते हैं, तो आपकी मर्जी, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

मैं घटना के बारे में बता रहा था। सुबह साढ़े छः बजे रमाबाई नगर में डा० भीमराव अम्बेडकर की स्टेजू पर किसी ने दो जूतों का हार चढ़ा दिया। इस घटना को डा० अहीर नाम के एक व्यक्ति ने देखा और पुलिस वहां पर आ गई। दो पुलिस वाले उस माला को उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन डा० अहीर ने चिल्लाना शुरू किया और कहा कि यह माला उतरनी नहीं चाहिए।

इस बीच वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए और इसके भीतर वहां टेंशन बढ़ गई। इसके बाद मौर्य नाम के कोई असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वहां पर पहुंचे, यह भी उसी समाज के थे। उन्होंने भी उनको एक रिकवेस्ट की कि इस माला को उतार देता हूं और जो कुछ किसी ने किया होगा उसकी खोज हम लोग कराएंगे। जिन्होंने यह खराब कृत्य किया है। उनको हम सजा देंगे लेकिन हमें इस माला को उतारने दो। हमारे देश के अंदर सभी पार्टियों, सभी जातियों के लोग उनको मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भी मना कर दिया गया। माला नहीं उतारने दी गई। उसके बाद बहुत सारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। उन लोगों के जमा होने के बाद, *[अनुवाद]* यह भीड़ की मनोवृत्ति है। *[हिन्दी]* भीड़ का कोई हिस्सा हाईवे की तरफ चला गया और वहां जाने के बाद उन्होंने पत्थरबाजियां तथा अन्य कुछ गाड़िया रोकने का काम शुरू कर दिया। कई बसें तोड़ीं, बसें चला दी, कई कारें तोड़ीं, उसके बाद बहुत टेंशन बढ़ गई। जब पुलिस को पता लगा, पंत नगर पुलिस स्टेशन के तहत यह पूरा एरिया आता है उनको जब किसी ने फोन करके बता दिया तो उन्होंने भी वहां से पुलिस को भेज दिया और वहां पर एसआरपी का प्लाटून चला आया। यह प्लाटून जब वहां पहुंचा तो उसके बाद प्लाटून ने जो हालत देखी, जिस ढंग से मॉब की एक्टीविटीस चल रही थीं उसको रोकने के लिए उन्होंने उनसे रिकवेस्ट की, लाठियां भी चलाई। कल शरद पवार जी ने कहा था कि वह आकर रमाबाई नगर चले गए। मैं शरद पवार जी का आदर करता हूं। हमारे महाराष्ट्र के चार बार वह मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद यहां आ गए। यहां भी वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर बन गए। उसके बावजूद जब ऐसा व्यक्ति यहां सदन में खड़ा होकर कुछ बात करता है तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उनकी बात बिलकुल ठीक होगी। जो कुछ रिपोर्टिंग करेगा तो हकीकत के आधार पर की जाएगी, ऐसा मैं समझता था। लेकिन सब सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, उन्होंने क्या कहा कि एसआरपी के लोग झोंपड़ी में गए और जो लोग वहां खड़े थे उन पर गोली चलाई गई। मेरे पास जो रिपोर्ट है, मैंने जो रिपोर्ट मंगवाई, है उनके अनुसार वहां पर जो टैंकर खड़े थे उन्होंने बताया, *[अनुवाद]* यह एक मनगढंत कहानी है जिसे पुलिस द्वारा जोड़ा गया है। पूरे सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से उन्होंने झूठा वक्तव्य दिया है। *[हिन्दी]* मुझे उसके लिए गहरा दुख होता है। मैं आपको टैंकर्स के नम्बर भी देना चाहता हूं, जो गेस टैंकर्स थे– एचआर 38, यू 5998, एलपीजी 12701 केजी, उसके अंदर एलपीजी था, एचआर 29-62973, एलीपीजी 16530 केजी, भारत पेट्रोलियम का वहां पर टेंकर खड़ा था, वहां अन्य टैंकर्स भी खड़े थे लेकिन ये दो टैंकर्स गैस से भरे थे, वहां बाकी जो टैंकर्स खड़े थे उनके अंदर डीजल था और कुछ चीजें थीं और टैंकर्स के नम्बर भी मेरे पास हैं अगर सदन चाहे तो मैं आपकी परमिशन से सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। इन्होंने बहुत बड़ी बस जलाई थी, बस के जलते हुए जो टायर्स निकले थे उनको वे फैंक रहे थे। उस बर्स के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे वे पैसेंजर्स चिल्लाए। उसके बाद पुलिस ने पैसेजर्स को बाहर निकाल दिया। फिर जब ये पूरा मॉब टैंकर्स की तरह गया तो वहां के एक सब इंस्पेक्टर श्री कदम थे, उनका बयान है। उसका फोटो भी मेरे पास है, यदि यह सदन देखना चाहता है तो मैं उनको सभी फोटो दिखा दूं। जहां पर यह टैंकर था उसके बाजू में कितनी बड़ी अंगार आसमान की तरफ उछल रही है, यह आप सब लोगों को देखना चाहिए।

टैंकर्स पहले वहां पर नहीं थे और बाद में वहां पर खड़े कर दिये। यह सरासर गलत बात है, यह मिस्लीड करने की कोशिश की गयी है। यह मैं पटल पर रखना चाहता हूं। अलग-अलग अखबारों की रिपोर्टें हैं, केवल एक अखबार की रिपोर्ट नहीं है। उन्हें गोली चलानी चाहिए थी या नहीं चलानी चाहिए थी, मैं इसमें नहीं जाता। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मैं गोली चलाने का समर्थन नहीं करता हूं। उन्हें भीड़ को काबू करने के लिए अन्य साधन अपनाने चाहिए थे, टीयर-गैस चलानी चाहिए थी। लेकिन इंस्पेक्टर कदम बोलता है कि उनके पास उस समय टीयर-गैस का कोई प्रबंध नहीं था। *[अनुवाद]* अचानक ही आवश्यक टेलीफोन आना और उन्हें घटनास्थल पर जाना पड़ा। *[हिन्दी]* उनके पास केवल लाठियां और गन थीं। इसलिए भीड़ को काबू करने के लिए उन्होंने गोली चलाई। मैं उसका समर्थन करना नहीं चाहता हूं। *[अनुवाद]* मैं उस घटना के अधिक ब्यौरे पर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि यह पूरा मामला न्यायाधीन हैं। *[हिन्दी]* जो कुछ कहना है वह सामने कहेंगे। कदम गुनाहगार है या अन्य वह सामने आ जाएगा।

[अनुवाद]

इसकी न्यायिक जांच की जा रही है और निर्देश पद बता दिए गए हैं इन्हें माननीय गृहमंत्री जी को दिखाया गया है और उनकी सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्देश पद को अन्तिम रूप दिया गया था।

[हिन्दी]

यह डा० अहीर कौन है, उनकी तलाश करनी पड़ेगी। ये डा० अहीर ने जो वहां जनता को भड़काने का कार्य किया, तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, यह भी ठीक नहीं था। यह डा० कौन है, इसकी तलाश भी वहां

की जनता और वहां का जो माननीय न्यायमूर्ति है वह सामने लाएंगे। उनको जो कुछ कहना है वह कहेंगे। टर्म्स ऑफ रैफरेंस के बारे में होम-डिपार्टमेंट ने जो वहां पर स्टेटमेंट पढ़ी थी, उनका जो स्टेटमेंट था, उसमें पूरे टर्म्स ऑफ रैफरेंस लिखे हैं। *[अनुवाद]* मैं उसी बात को दोहराह नहीं रहा हूं। *[हिन्दी]* उसमें एक ही गलती है। उसमें लिखा है कि यह रास्ता पूना की तरफ जा रहा था। पूना जाने के लिए भी अलग-अलग रास्ते हैं। यह रास्ता थाणे की तरफ जाता है और थाणे से आगे मुड़कर और रास्तों में से एक रास्ता पूना भी जाता है। *[अनुवाद]* वह रास्ता पूणे नहीं जाता था। वह रास्ता ठाणे को जाता था और उसके बाद सभी अन्य स्थानों को जाता था। *[हिन्दी]* उसको ठीक करने की आवश्यकता थी। अभी शिव सेना के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गये कि दलितों की हत्या शिव सेना के लोगों ने कर दी। दलितों की हत्या शिव-सेना द्वारा करने का सवाल कहां से आ गया, जबकि कोई भी शिव-सैनिक वहां नहीं था। जिन्होंने यह कार्य किया है थोड़ी देर में मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। फूलमाला किसने चढ़ाई ? मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यह मामला सबजुडिश है। लेकिन मुझे थोड़ी जानकारी जरूर है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री रमेन्द्र कुमार (वेगूसराय) : यह न्यायालय में निर्णयाधीन नहीं है। न्यायिक जांच के अंतर्गत किसी मामले को न्यायालय में निर्णयाधीन नहीं कहा जा सकता।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे निर्देश पद प्राप्त हुए हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि यह न्यायालय में निर्णयाधीन नहीं है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : आप हत्या का समर्थन कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं झुक नहीं रहा हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ऐसी व्याख्याएं पुनः की जाने की संभावना है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : आपने व्याख्या की थी।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैंने तो केवल कुछ सुझाव दिया है। यह मेरी व्याख्या नहीं है। अब आप अपनी स्वयं की व्याख्या दे रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं नियम 188 का संदर्भ दे रहा हूं यह इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। उस नियम में कहा गया है :

> "साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग का जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।"

इसलिए हम इसपर चर्चा करना चाहते हैं। हम कोई तकनीकी अथवा कानूनी आपत्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम स्वतन्त्र हैं हम खुले हैं और हम पारदर्शी हैं। हम सभी आरोपों का जवाब देंगे। परंतु उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो नियम के विरूद्ध हो। केवल उसी नजरिये में मैंने यह मुद्दा उठाया है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : ठीक है। सभी इसको ध्यान में रखेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : श्री बाला साहेब ठाकरे ने एक वक्तव्य दिया है जो रविवार 13 जुलाई 1997 को 'मिड डे' में प्रकाशित हुआ है। मैं केवल शीर्षक दे रहा हूं 'डा० अम्बेडकर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने छत्रपति शिवाजी।'

[हिन्दी]

ऐसा उन्होंने कहा है कि जो कुछ बोलना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास जवाब है। शिव सेना को क्रिटिसाईज कर रहे हैं। उनका एक ओपन स्टेटमेंट है :

> यह 13 जुलाई को जारी किया गया था।

यदि कोई पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़िये। मेरा ऐसा मानना है कि बिना जानकारी के किसी को क्रिटिसाईज करना ठीक बात नहीं है। अभी हमारा एक माननीय सदस्य श्री पीताम्बर पासवान बोल रहे थे। पता नहीं वे जनता दल से हैं या राष्ट्रीय जनता दल से हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि शिव सेना दलितों पर अत्याचार कर रही है। आप तो जानते हैं कि यह देश की 50वीं स्वतंत्रता जयन्ती वर्ष है और लगता है कि इस बात को जानते ही नहीं और शायद कभी मुम्बई गये या नहीं, मुझे पता नहीं। वे ऐसी बातें कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश अम्बेडकर नेता हैं और डा० बाबा साहिब अम्बेडकर के पौत्र हैं।

[हिन्दी]

मैं उनके स्टेटमेंट में से कुछ उद्धृत कर रहा हूं और जो लिखा है, उसमें से थोड़ा सा बताता हूं :

[अनुवाद]

> "यहां तक कि रमाबाई नगर के दंगे भली भांति सुनियोजित थे और कराए गए थे, हो सकता है कि माफिया का भी इसमें हाथ हो।"

उन्होंने आगे यह भी कहा :

> "मैं मानता हूं कि आरपीआई में मतभेद है लेकिन हम आरपीआई

[श्री मधुकर सरपोतदार]

का उपयोग नहीं करने देंगे। दलितों का काफी लम्बे समय से उपयोग और दुरूपयोग किया गया है।"

[हिन्दी]

उन्होंने बलेम किया है। इसी तरीके से और भी प्रकाश अम्बेडकर का जो स्टेटमेंट है, आगे चलकर आपको बताऊंगा। राजा ढाले रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं यह कहा गया कि इतनी बड़ी घटना घटी और हो सकता है कि दलितों के हाथ से हुई होगी। वे पार्टी के प्रेजीडेंट हों या जनरल सैक्रेटरी हों, मैं इस बात में इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके दल के कई ग्रुप हैं और यदि दूसरे के बारे में कहा तो बोलेंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। यह हकीकत पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं शरद पवार जी से कुछ कहना चाहता था लेकिन अभी वे यहां नहीं हैं। इस समय महाराष्ट्र असेम्बली में विरोधी दल के नेता गैलेरी में नहीं हैं। उन्होंने विधानसभा में चार घंटे के लिये बहस मांगी। किस बात पर ? दलितों की बात को न लेकर उनके नेता छगन भुजबल पर हुये हमले के बारे में चार घंटे के लिये चर्चा करनी चाही। इसलिये स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने चार दिन तक हाउस को नहीं चलने दिया। उन्होंने गुमराह करने का काम किया लेकिन इसी आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण नेता श्री राम दास अठावले हैं जो रिप्लिकन पार्टी से हैं। वे कांग्रेस राज में समाज कल्याण मंत्री रहे हैं। उनके साथ बुरी तरह से मारपीट हो गई जिसके फोटो मेरे पास हैं। आप देखना चाहते हैं। तो देखिये। उस दिन रमाबाई नगर में पुलिस ने उनको बचाया नहीं तो जिन्दा नहीं रहते। उनका हाल भी पप्पू यादव की तरह हो गया होता। यदि उनको पुलिस ने बचाया तो मारने वाले कौन थे ? हायर्ड गुंडे या माफिया के लोग थे ? मेरा आरोप है कि इन माफिया के लोगों ने मारा। इस सब के बारे में शरद जी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा।

उनके साथ उनके दोस्त बनकर वे कैबिनेट में थे

[अनुवाद]

यह केवल एक अथवा दो वर्षों का साथ नहीं है। पिछले पांच-छः वर्षों से वह उनके साथ थे और फिर भी उन्होंने उन्हीं की पूर्णतः उपेक्षा की उन्होंने इस विशेष घटना के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है।

[हिन्दी]

इसी को बोलते हैं गंदी राजनीति। ये गंदी राजनीति करने का काम कल यहां शरद पवार जी ने किया। यदि सामने होते तो वे भी समझते कि मैं क्या कहना चाहता हूं वे नहीं हैं इसलिए मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*।

सभापति जी, 14 जुलाई को महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया गया। मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस वाले केवल महाराष्ट्र से नहीं अन्य प्रांतों से भी आते हैं। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं एक बात करना चाहता हूं। श्री शरद पवार आज किसी अन्य कारणसे अनुपस्थित नहीं है। बल्कि उनके परिवार में चिकित्सीय आधार की अत्यन्त गंभीर स्थिति है। मुझे संदेश मिला है। अतः उनकी अनुपस्थिति का कृपया राजनीतिक लाभ नहीं उठाए। *(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं तो कुछ नहीं कहा है। मैं कोई निंदा नहीं की है। और मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है।

[हिन्दी]

इस बंद के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे शामिल थे यह मैं बताना चाहता हूं। *(व्यवधान)* मेघे जी, आप देखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं कि यह हमारा समाचार-पत्र नहीं है, अन्य अखबारों में यह खबर आई है। कांग्रेस के कार्पोरेटर स्वयं पत्थरबाजी कर रहे थे। उन्होंने हाथ में पत्थर लिया है और बस के ऊपर फैंक रहे हैं। यह काम कांग्रेस के कार्पोरेटर कर रहे थे *[अनुवाद]* यह एक प्रत्यक्ष अलिप्तता है। *[हिन्दी]* वे भुजबल जी के दोस्त हैं और शरद पवार जी भी उनको जानते हैं। ये कांग्रेस के कार्पोरेटर हैं यह कोई भी बता देगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : शरद पवार जी के बारे में आप जानते हैं और आपके बारे में शरद पवार जी जानते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप अपनी बात कहिये। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आपको खड़े होने की क्या जरूरत है ? *(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार : 17 जुलाई के दिन माफिया का मोर्चा मुम्बई शहर में निकला। 50,000 लोग उस मोर्चा में गए और सब यह सोचते थे कि बहुत सारे अखबारों में लिखा है कि क्या मुम्बई में माफिया का राज होने वाला है ? इस माफिया के मोर्चे में आने वाले लोग कौन थे ? कांग्रेस वाले थे *(व्यवधान)*।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : ये क्या बात है। कांग्रेस वालों के बारे में ऐसी बात कहना गलत है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं प्रमाण दे रहा हूं। वह क्या कह रहे हैं ? महोदय, उन्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दत्ता मेघे मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। उन्होने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। आप अपनी बारी आने पर उत्तर दे सकते हैं अथवा आपके दल का कोई सदस्य इसका उत्तर दे सकता है। कृपया बैठ जाइए। वह नहीं झुक रहे हैं क्या आप झुक

रहे हैं, श्री सरपोतदार ?

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय कल जब श्री शरद पवार इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे थे, तो वे एक घंटे तक बोले थे, मैं चुप रहा था। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था। ···*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : कल जब शरद पवार जी बोल रहे तो हम चुप बैठे हुए थे। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पुनः क्यों उनके सामने झुक रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : आज दत्ता मेघे जी को मेरी बात सुनकर तकलीफ हो गई। कल शरद पवार जी इतना असत्य बोल रहे थे। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया उनके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें और टिप्पणियां करने के लिए आमंत्रित मत करिए। आप वही कहिए जो आप कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय यह सत्य है।

17 जुलाई के मोर्चे के दिन कांग्रेस वालों का मुम्बई शहर में 34 में से एक ही एम.एल.ए. स्वयं उस मोर्चे में मौजूद था। यही नहीं आर. एम.एम.एस., यानी इंटक की यूनियन भी वहां पर है। उनके पूरे मजदूर वहां पर थे और उनके जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन अहीर मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। यह आप लोग पढ़ लो कि अखबार में क्या लिखा है। यह मेरा अखबार नहीं है। मैं तो उस दिन यहां पर नहीं था।

[अनुवाद]

मैं स्पष्ट बताता हूं कि जब यह सब घटित हुआ, में भारत के मौजूद नहीं था, मैं विदेश गया हुआ था। मुझे बाद में इसका पता चला मैं यहां 14 तारीख को आया। 15 तारीख को गृह मंत्रालय की परामर्श-दात्री समिति की बैठक हुई जहां माननीय सांसद श्री बनातवाला से मेरी भेंट हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

उसे समय वह हमारे विरुद्ध बहुत से आरोप लगा रहे थे उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था इसलिए मैं चुप रहा।

[हिन्दी]

मुझे कोई अन्य रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने उनको बताया कि आप भी पहले मुम्बई होकर आयें, मैं भी जा रहा हूं, देखने दो, बाद में हम एक दूसरे पर कुछ चार्जेज लगायेंगे।

[अनुवाद]

मैं मुम्बई टाइम में प्रकाशित "ए०बी०एस० बूज देम वीद गिफ्टस" नामक लेख से उद्धत कर रहा हूं :

> "ए०बी०एस० *मोर्चा* को कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त, गावली के चचेरे भाइयों, आर०एम०एम०एस० सेक्रेटरी सचिन और कारपोरेटर विजय अहीर ने आर०एम०एम०एस० और मथाडी संगठनों से भीड़ जुटाई।"

[हिन्दी]

विश्वास करना है तो इस रिपोर्ट को देखो। यह पेपर मुम्बई टाइम्स है, यह हमारा पेपर नहीं है, हमारा माउथपीस नहीं है ···*(व्यवधान)* थोड़ा आप भी सुनिये। मैं सभापति महोदय को बता रहा हूं, आपको कोई तकलीफ है तो मत सुनिये। सभापति महोदय, कल यहां हमारे प्रमोद महाजन जी ने एक रेफरेंस लिया था, उस बात को मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। श्री आर०आर० पाटील हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एम०एल०ए० हैं। मैंने उनके साथ विधान सभा में सालों काम किया है। मैं उनको जानता हूं। लेकिन उसके बारे में कल जो उन्होंने बताया उसको मैं वहीं छोड़ता हूं, *[अनुवाद]* मैं वही प्रमाण देकर उन्हीं आरोपों को नहीं दोहराऊंगा। *[हिन्दी]* सभापति जी, अब भुजबल जी का सब्जेक्ट मैटर आ गया। भुजबल जी के बारे में सदन को पता होगा, यह भुजबल जी क्या हैं आज कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता बन गया है। जहां जाता है प्रेस के सामने जाकर कुछ कह देता है।

[अनुवाद]

श्री भुजबल ने पिछले 26 वर्षों तक हमारे साथ कार्य किया हैं। वह हमारे संगठन के नेताओं में से एक हैं। उन्होंने मेरे साथ भी कई वर्षों तक काम किया है। यह 26 वर्षों का काल है। वह दिसम्बर 1991 में अन्य 14 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे।

[हिन्दी]

यह कैसे चला गया, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं कि पैसा दिया, वह मैंने देखा नहीं। ···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं *(व्यवधान)*।

जो कुछ हो गया वह कांग्रेस की चाल से हुआ। ···*(व्यवधान)*।

सभापित महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : पैसे का जो भाग है वह छोड़ देंगे। बाकी वह गया या नहीं, हमें छोड़ कर चला गया यह हकीकत है। इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं। आपने उसको एन्ट्री दिया, यह भी हकीकत है, इससे आप भी इंकार नहीं कर सकते हैं। चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं, जाने दो। उसको उसके बारे में सजा भी मिली 15 एम०एल०एल० में से 1995 में जो इलेक्शन हुए उसमें एक ही एम०एल०ए० चुनकर आया। बाकी 14 को जनता ने भुला दिया, यह भी हकीकत है। ···*(व्यवधान)* मैं भुजबल जी की बात कर रहा हूं। एक नया सेक्शन जो हमारा शिव सैनिक था, साधारण सा कार्यकर्त्ता था, मुम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन में एक कारपोरेटर था, उनको उनके खिलाफ खड़ा किया। यह मनोहर जोशी को बोलता था, चैलेंज करता था कि आओ तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ, बालासाहेब को रावण की माफिक खड़े होकर चैलेंज करता था। हमने एक शिवसैनिक उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, उसका डिपाजट भी मुश्किल से बच पाया, यही भुजबल जी है। यह इनके नेता हैं। कांग्रेस को हमें कुछ नहीं कहन है। ···*(व्यवधान)* वह हार गए थे उनको कोई जगह नहीं थी और कांग्रेस वालों यानी कि शरद पवार जी ने उनको एम०एल०सी० बना दिया, केवल एम०एल०सी० ही नहीं विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया, यह हकीकत हैं।

अपराह्न 3.04 बजे

[श्री पी०सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

तब से इन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाने आरम्भ किये *(व्यवधान)* उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के परिवार – उनके पुत्र और सभी सम्बन्धियों पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाने आरंभ किए। यह निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। यदि वह शिवसेना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन उन्हें किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। यह गलत बात है ···*(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

आज वह यहां पर नहीं हैं, होते तो वह भी सुनते कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आज यहां नहीं हैं ···*(व्यवधान)* यही मैं आपको बोल रहा हूं। उस दिन हमारे प्रमोद महाजन जी ने बोला था इसलिए मैं उस बात में नहीं जाता हूं, महात्मा गांधी के पुतले के बारे में अनेकों बातें हैं इसलिए मैं छोड़ देता हूं, आज उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूं।

[अनुवाद]

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संदीपन थोरात (पंढरपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मधुकर सरपोतदार : नियम क्या है।

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री संदीपन थोरात : महोदय माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। उन्हें केवल अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री संदीपन थोरात : कृपया उन्हें कहिए कि वह केवल आप को ही सम्बोधित करें।

सभापति महोदय : ऐसे व्यवस्था के प्रश्नों को मत उठाइए।

श्री राम नाईक : जिस माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य श्री मधुकर सरपोतदार के बारे में शिकायत की है वह भी उन्हीं को देख रहे हैं। वह उन्हें क्यों देख रहे हैं ? उन्हें आपकी ओर देखना चाहिए।

सभापति महोदय : सदस्य हमेशा उस वक्ता की और देख सकते हैं जो भाषण दे रहा होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह की बेतुकी आपत्तियों को मत उठाईए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : दत्ता मेघे जी, आप क्यों खड़े हो रहे हैं। ···*(व्यवधान)* आप बैठिए। ···*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

मैं अब अध्यक्षपीठ की ओर देखकर बोलूगां।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मेरे पास श्री राजेन्द्र अग्रवाल एलियास गुप्ता का दिया हुआ एक एफिडेविट है, जिसे उन्होंने नोटरी की प्रेजैन्स में साइन करके दिया है, उसमें लिखा है या समझ लीजिए उससे पता लगता है या उसका मतलब यह है कि रमाबाई नगर का जो हादसा हुआ था, जब बाबा साहब के पुतले को माला चढ़ाई गई, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ श्री भुजबल का है ···*(व्यवधान)* ऐसा उसमें कहा गया है ···*(व्यवधान)* यह उनकी योजना थी।

[अनुवाद]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : वह इसकी ऐसी व्याख्या कैसे कर सकते

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मामले की ज्युडीशियल इंक्वायरी चल रही है, मैटर सब्जुडिस है तो उसके संबंध में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : कृपया इसे अधिप्रमाणित करें और इसे सभापटल पर रखें।

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां, निश्चित रूप से।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : इस एफिडेविट के बाद, भुजबल जी ने कहा था *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया दस्तावेजों को अधिप्रमाणित कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह नोटॅरी द्वारा हस्ताक्षरित हैं मैं इसे इस सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत करता हूं। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : यह अधिप्रमाणन के बारे में है न कि नोटरी प्रमाणपत्र के बारे में है। आपको इसे अधिप्रमाणित करना है।

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां।

सभापति महोदय : आप इसे उठा सकते हैं परन्तु आपको इसमें जो कुछ है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं शपथपत्र में जो कुछ भी बताया गया है उसकी पूरी जिम्मेवारी ले रहा हूं *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न किसी अन्य सदस्य द्वारा शपथ पत्र दिए जाने का नहीं है। इसे नहीं लिया जा सकता है। बात यह है कि आपको उसे अधिप्रमाणित करना है। आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। आप जहां से जो उद्धृत कर रहें हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : ठीक है। महोदय, मैं इससे सहमत हूं। *(व्यवधान)*।

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, यह केवल सभा के मार्गदर्शन के लिए है। मैं उनके भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। अभी-अभी उन्होंने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ शपथ पत्र को अधिप्रमाणित कर रहे हैं। मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह पहला शपथ पत्र है अथवा संशोधित शपथ पत्र है ? यदि यह संशोधित शपथ पत्र है और पहला शपथ पत्र नहीं है तो श्री सरपोतदार को सभा के सन्मुख पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि यदि संशोधन अथवा परिवर्तन के बारे में जांच की कोई मांग है, तो उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिप्रमाणित करना चाहिए और प्रस्तुत किए गए शपथपत्र के बारे में उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी है।

श्री मधुकर सरपोतदार : जी हां।

श्री पी०आर० दासमुंशी : इसे सभा में एक छोटी बात मत मानिए। उन्होंने कहा "मैं इस शपथपत्र के अधिप्रमाणित करने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं।" और आपने कहा है कि यदि उन्हें पक्का विश्वास है, तो उन्हें इसे अधिप्रमाणित करना चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उन्हें अधिप्रमाणित करना चाहिए और शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा केवल यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या यह इस व्यक्ति का पहला शपथ पत्र है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मुझे दिनांक 22 जुलाई का यह शपथपत्र प्राप्त हुआ है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : मेरे विचार से, मैंने जो, कुद कहा है आप उसके निहितार्थ समझते हैं। आप इसे उद्धृत कर रहे हैं, चाहे यह पहले शपथ पत्र अथवा दूसरे शपथ पत्र से है अथवा जो कुछ भी है।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस शपथ पत्र के बाहर से कुछ भी उद्धृत नहीं किया है। मैंने तो केवल शपथ पत्र के बारे में उल्लेख किया है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या यह संशोधित शपथ पत्र है अथवा पहला है ?

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने इसे उद्धरित नहीं किया है। मैंने आपको कोई उद्धरण नहीं दिया है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह वह शपथ पत्र हैं जो पुलिस आयुक्त को प्राप्त हुआ था।

सभापति महोदय (श्री पी०सी० चाक्को) : नहीं, आप शपथ पत्र से उद्धरित कर रहे थे। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप उद्धरित नहीं कर रहे थे। आप एक पत्र से यह पढ़ रहे थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : यदि आप कोई पत्र पढ़ रहे हैं; यदि आप किसी पत्र से उद्धरित कर रहे हैं, तो पत्र को सभा पटल पर रखने से पूर्व उसमें से आप जो कुछ भी उद्धरित कर रहे हैं उसे अधिप्रमाणित करने की मांग सही है। कृपया इसे समझिये। इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री ई०अहमद (मंजेरी) : इसे पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत किया गया है। अब यह श्री सरपोतदार के पास है। क्या पुलिस आयुक्त इसे अधिप्रमाणित नहीं कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, यह आवश्यक नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : कृपया थोड़ी के लिये मेरी बात सुनें और इसके बाद आप और अन्य माननीय सदस्य कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं।

मैं यह कहा था कि जब यह शपथ पत्र दायर किया गया था तो श्री भुजबल ने कहा था कि वे श्री राजेन्द्र गुप्ता को नहीं जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ ? श्री राजेन्द्र गुप्ता ने कुछ फोटो दिये और उसके बाद यह पता चला कि वह श्री भुजबल के साथ वर्ष 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए थे! जब वहां विशेष बैठक हुई, श्री पी०के० अन्ना पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गये थे। श्री पी०के० अन्ना पाटिल और श्री राजेन्द्र गुप्ता मंच पर मौजूद थे। यही नहीं, श्री शरद पवार भी वहां मौजूद थे। मेरे पास उस पत्र की कतरन है।

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए]*

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : क्या आप कृपया तारीख बतायेंगे ? *(व्यवधान)* मैं उनसे केवल तारीख बताने का अनुरोध कर रहा हूं। श्री शरद पवार ने यह स्पष्ट किया है। कि शपथ पत्र में दी गई तारीख बाद में बदल दी गई। हमें तारीखें बताए।

श्री मुधकर सरपोतदार : मैंने शपथ पत्र नहीं पढ़ा है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : आपको शपथ पत्र की सत्यता के बारे में बताना चाहिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैंने शपथ पत्र के बारे में अभी तक कोई उल्लेख नहीं किया है। मैंने इस विशेष मुद्दे पर पहुंचा हूं। श्री राजेन्द्र गुप्ता उर्फ अग्रवाल सहादा में कांग्रेस में शामिल हुये थे। तारीख भी दी गई है।

[हिन्दी]

"नामदार शरद पंवार यांते शाहदा इंदिरा कांग्रेस मिठ्ठाले प्रतिपादन, पी०के० अन्नांच्या इंदिरा कांग्रेसी प्रवेशी परिवर्तनाची नांदी।" यह पेपर में है। मैं इसके आधार पर बोल रहा हूं। यह जो हमारे पास पाया है, इसमें मैं इनको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैंने डेट बतला दी है।

[अनुवाद]

मैंने उसका संदर्भ लिया है। मैंने शपथ पत्र में से कुछ भी उद्धरित नहीं किया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आप हमारी ओर ताक कर बोलिएगा।

श्री मधुकर सरपोतदार : जो भुजबल साहब ने राजेन्द्र गुप्ता के बारे में कहा था, वह अखबार में आया है। इसमें लिखा है कि इनका पास्ट रिकार्ड अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

"भुजबल बड़े आदमियों के अज्ञात अतीत के बारे में खोजते हैं।" *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : भुजबल की नीति क्या, उनका इरादा क्या है, यह तो पहले समझ लीजिए। *(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी भुजबल जी ने जो कुछ एलीगेशन उनके ऊपर लगाए हैं, वे सब इसमें दिए हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने कतिपय ब्यौरे दिये हैं सभी आरोप और सभी मामले श्री गुप्ता के विरूद्ध 1991 के पश्चात् दर्ज किये गये थे जब वे कांग्रेस पार्टी में थे। कल श्री शरद पवार ने कहा था कि श्री गुप्ता अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं। वे शिव सेना में हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। आज भी वे कांग्रेस पार्टी में हैं।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी नहीं थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : वे कांग्रेस पार्टी में थे।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : यदि आप यह कहेंगे कि आप शिव सेना में नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि वे कांग्रेस में थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : इसे आप अपनी बारी आने पर बताइएगा।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : ठीक है, मैं वह बताऊंगा। परन्तु यह मत कहियेगा कि वे कांग्रेस पार्टी में थे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : मेरा अध्यक्षपीठ से इतना ही अनुरोध है कि जब भी मैं बोलूं तो वे अनावश्यक समस्या उत्पन्न न करें। अनुरोध है वर्ना जब वे बोलेंगे तो हमें भी समस्या उत्पन्न करने का बराबर का अधिकार है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आप अपनी बात बोलिए। एकाध बार टोकाटोकी हो गई, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए पहले आप सुन लीजिए। जितनी बार टोकेंगे, भाषण उतना लम्बा होता जाएगा। हम समझते हैं कि अब आप कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी मैं कलक्लूड नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मुझे इस पर कुछ और बोलने दीजिये क्योंकि उन्होंने हमारे विरुद्ध एक हजार एक आरोप लगाये हैं।

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : इनको पूरा समय दीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : पूरा समय मिलना भी चाहिए।

सलमान रुश्दी के बारे में कल बात हो रही थी तो महाजन साहब पूछ रहे थे कि 1989 में चीफ मिनिस्टर कौन थे उनको यह पता नहीं था। मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे, यह ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीफ मिनिस्टर बार-बार बदलते रहते हैं। लेकिन जब 1989 में सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ मुम्बई में जो मोर्चा निकला था, तब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे। उस समय की गोलाबारी में इनके अनुसार 11 लोग मारे गए लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 12 मुस्लिम मारे गए। यही नहीं, उस समय अखबार में जो आया, वह मैं पढ़ रहा हूं। मुझे सब बातें याद नहीं हैं।

[अनुवाद]

"गोली बारी में बारह लोग मारे गये और कम से कम 20 व्यक्ति गोलियों से घायल हुये।" यह बात बतायी गई थी।

तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री जाफर शरीफ जिन्होंने मुम्बई का दौरा किया और पुलिस गोलीबारी को न्यायोचित ठहराया, ने यह विचार व्यक्त किया कि सभी मोर्चाओं पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये क्योंकि यह अनुत्पादक है। यह श्री जाफर शरीफ ने कहा था।

[हिन्दी]

उसी मोर्चे के बारे में शाहाबुद्दीन भी उनके साथ गए थे। सिर्फ उल्लेख है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। शाहाबुद्दीन जी ने बोला था कि दस हजार रुपये जो मुआवजा दिया जाता है, उससे काम नहीं चलेगा, कुछ ज्यादा रुपये दे दीजिए। लेकिन वह भी नहीं माना गया और उस समय दस हजार रुपये मुआवजा दिया गया। मैंने यह रैफरैंस इसलिए दिया है क्योंकि ऐसे तो चलता रहता है। लेकिन जब राज चलाना होता है तो डैमोक्रेसी में मोर्चे भी निकलते हैं और कभी-कभी फायरिंग भी हो जाती है। मैंने स्वयं फायरिंग अनुभव लिया है। वहां पर सही है या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन *[अनुवाद]* मैं फायरिंग को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कीजिए। लोग आपको डिरेल करना चाहते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं ऐसे तो डिरेल नहीं होऊंगा।

विधान सभा में यह घटना घटी थी। हम डैमोक्रेसी की बात करते हैं। यहां पर क्या आपको पता लगा कि हमारे विधान सभा में क्या हुआ ? विधान सभा में 22-23 जुलाई के दिन जब हाउस चलने वाला था तो सदन में एक अंत यात्रा निकाली गई। किसने निकाली ? कांग्रेस एम.एल.एज. ने निकाली। किसकी निकाली ? कम्युनिस्ट की। किसको लिया कंधे पर ? कम्युनिस्ट एस.एल.ए. को। वह बेचारा दुबला था, उसे कंधे पर लिया। जो मजबूत था, उसको एक खंदा लगा दिया। बाकी सब कांग्रेस वाले थे और वह बॉडी लेकर अध्यक्ष के टेबल पर रख दी। इसी का नाम है डैमोक्रेसी।

कल शरद पवार जी संस्कार के बारे में यहां कह रहे थे कि जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही शिव सेना के लोग बर्ताव करते हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सालों तक विधान मंडल में रहे। उसके बाद यदि आपने संस्कार किए तो ऐसे किए कि किसी कम्युनिस्ट की अंत यात्रा निकाली जाए। क्यों उनकी अंत यात्रा निकाली गई ? ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : यह सामूहिक दृष्टिकोण था।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : कम्बाइंड ऐप्रोच था लेकिन क्या कंधे पर उठाने के लिए कम्युनिस्ट ही मिले। ...*(व्यवधान)* वहां पर 80 कांग्रेस एम०एल०एज० थे लेकिन जो दुबला-पतला मिला, उसे कंधे पर उठाया। ...*(व्यवधान)* यह संस्कृति है। सदन के अंदर ऐसी कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस वाले कहते हैं तो मुझे इस बात पर दुख होता है, बहुत सारे घपले हो चुके हैं, मेरा एक ही कहना है, जहां घपला वहां कांग्रेस, जहां कांग्रेस वहां घपला, ऐसा चल रहा है। बिहार में क्या हो गया? इतना सब होने के बावजूद आपस में उनका सहयोग है, मैं उसको क्रिटीसाइज नहीं करता हूं, लेकिन दुनिया के सामने जो चित्र आता है उससे छवि खराब हो जाती है। क्या कोई जरूरी है कि जहां घपला है, वहां पर कांग्रेस वाले सपोर्ट ही करेंगे ? और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो रहा है।

हमारे यहां भुजबल के बारे में जो बात कही, उसमें मुझे यह भी पता लगा है, जो मैं यहां पर सदन में बताना चाहता हूं। रमाबाई

[श्री मधुकर सरपोतदार]

नगर के बाजू में, बिल्कुल बगल में रमाबाई कालोनी नाम की एक बस्ती है, झोंपड़-पट्टी है। वहां पर किसी की हरिहरेश्वर हाउसिंग सोसायटी है, उस हाउसिंग सोसायटी में कौन फाइनेंसर है ? उनके संचालक कौन हैं, वे दोनों यहां पर नहीं हैं, यह नाम लेते नहीं हैं, लेकिन जो आज शिवसेना के बारे में इतना चिल्ला रहे हैं, वे इसके जिम्मेदार हैं और ऐसे पूछते हैं। क्या उनका उससे सम्बन्ध है।

[अनुवाद]

जी हां, कुछ हित है। एक हित पहले ही बनाया गया है और इसके कारण कुछ घटनायें घटित हुईं। यह दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं होना चाहिये था। लेकिन हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने एलीगेशन तो नहीं लगाया, लेकिन हमको तो मालूम हो कि कौन है ?

श्री मधुकर सरपोतदार : नहीं, कर्वे नाम के कोई व्यक्ति हैं, कोई फाइनेंसर भी हैं। लेकिन अगर वे सदन में मौजूद होते तो मैं जरूर उनका नाम लेता, लेकिन जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, उनका नाम भी लेना ठीक नहीं है। बार-बार हमेशा उसको टोक दिया जाता है, यह अच्छा नहीं है।

अभी मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। मुझे पता है, हमारे मुख्य मंत्री जी और शरद पवार जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं हैं कि दोस्त नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज शरद पवार जी यहां पर नहीं हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं तो आप यह सब मसला होने के बाद मुख्य मंत्री से जाकर कभी मिले ? कभी उनसे पूछताछ की कि भाई साहब क्या हो गया, आप लोग क्यों ऐसी गलती कर रहे हो, आपने समझाने की कोशिश की ? कुछ नहीं किया, सीधे एलीगेशंस लगा दिये। ऐसे वहां पर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को कोई खत लिखा कि यह महाराष्ट्र के अन्दर क्या हो रहा है, उनको सम्भालो, नहीं तो महाराष्ट्र बबांद हो जायेगा। यह सब छोड़कर यह सीधा रास्ता पकड़ा, क्योंकि यह तो ओपनिंग है, वहां लोक सभा में जाकर डिमाण्ड करो। *[अनुवाद]* महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

यह मांग करते हैं। आप पावर के बाहर थोड़े वर्ष के लिए भी नहीं रह सकते। 40 साल वहां पर आपने राज किया, दलितों का क्या भला किया है, यह सारी दुनिया जानती है। आज दलितों के मसीहा बन गये, यह दुनिया को बताना चाहते हो। दस दलित मारे गये, अहमदाबाद में कुछ अंगार हो गया, कर्नाटक में कुछ हो गया और इसके लिए महाराष्ट्र जिम्मेदार है, इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को डिसमिस करो, यहा कौन सा तरीका है ? इन्होंने कितने लोगों को मारा, मालूम है? मराठवाड़ा विद्यापीठ का उन्होंने कल रैफरेंस दिया था, मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अन्य राज्य में बी०जे०पी० भी उनके साथ थी, स्वयं चीफ मिनिस्टर बन गये, पी०डी०एफ० और उनके चीफ मिनिस्टर बन गये। उस समय में यह मराठवाड़ा विद्यापीठ का प्रस्ताव आया था, तब बहुत सारी गड़बड़ हो गई। शिवसेना वहां पर नहीं थी। कल प्रमोद महाजन जी ने जो बोलने का प्रयास किया कि वहां पर शिवसेना नहीं थी, मैं स्वयं एक जून, 1985 को मराठवाड़ा में गया, इससे पहले हमारी शिवसेना मराठवाड़ा में नहीं थी। फिर दंगा किसने किया ? कितना हिसाब आपको चाहिए, मैं पूरा हिसाब दे देता हूं। कितने लोगों को मारा गया, क्या-क्या और कितने घर वहां पर जले, यह सब हिसाब मेरे पास है। मैं आपको दिलवाना चाहता हूं, उसके बारे में कल हमारे शरद पवार जी ने कुछ नहीं कहा। कहते तो ठीक होता। क्यों हो गया, क्यों हम लोग मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम देने के खिलाफ में थे। वजह क्या थी, उस समय भी शिवसेना प्रमुख ने स्टैंड लिया था, मराठवाड़ा नाम दिया गया है।

[अनुवाद]

एक विशेष समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने सभी नामों पर विचार किया था उन्होंने, शिवाजी, तिलक और बाबा साहेब अम्बेडकर के नामों पर विचार किया और अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखने की बजाय हम क्षेत्र विशेष का नाम रख सकते हैं ताकि इस विद्यापीठ को मराठवाड़ा विद्यापीठ कहा जा सके।

[हिन्दी]

इसलिए यह सब झगड़ा हो गया, बहुत से लोग मारे गए, झोंपड़ियां जलाई गईं, अन्य लोगों को तकलीफ हुई। उस समय शिव सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसा नाम दो जो सबको सही लगे, जैसे डा० भीम राव अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। उस समय उन्होंने यही विस्तार किया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने और दलितों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हमें सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर नाम चाहिए और झगड़ा हो गया। आखिर में वही हुआ जो शिव सेना प्रमुख ने कहा था। यह हकीकत है, लेकिन सदन शायद इस बात को नहीं जानता होगा।

बाल ठाकरे के पिता जी, प्रमोदनकार ठाकरे ने स्वयं दलितों के लिए काम किया। डा० अम्बेडकर के साथ रहकर बहुत काम किया। उनका भी घर जलाया गया, पथराव किया गया। इस परिवार ने दलितों के लिए कितनी तकलीफें सही, इस बात को कितने लोग जानते हैं। ऐसे लोगों ने हम लोगों पर हमला किया कि हमने हमला किया और हम दलितों के खिलाफ हैं। मैं स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ चुनाव में जा चुका हूं। 1952 में जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने मजदूर के रूप में जिंदगी शुरू की थी, उस समय मैं उनके साथ चुनाव प्रचार में भाग लेने गया था। एक मीटिंग में कांग्रेस वालो ने पथराव किया था। मुझे भी तब पत्थर लगा था। आज ये दलितों के मसीहा बन गए हैं। इसलिए जो चाहे वह बोलते हैं। कहते हैं कि महाराष्ट्र

से इनका राज खत्म कर दो, डिसलॉज कर दो, क्योंकि इनको वहां सरकार बनाने की जल्दी है। क्या आप वही पुराना तरीका लाना चाहते हैं, क्या यही हमेशा चलता रहेगा, यह भी सोचने की बात है।

आप हत्या के बारे में बोलते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस समय दिल्ली में कितने सिखों को मारा गया, किसने मारा ? क्या आप कभी इस पर सोचोंगे ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय यह क्या है ?

सभापति महोदय : श्री डी०पी० यादव यह तरीका नहीं है। कोई भी सदस्य वहां से किसी भी अधिकारी के पास नहीं जा सकता है। अधिकारियों से भी यह अपेक्षा नही की जाती है कि वे मंत्रियों के सिवाय किन्हीं सदस्यों को प्रत्युत्तर दें। उन्हें भी उचित व्यवहार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं उस समय महाराष्ट्र विधान सभा में था। दिसम्बर 1994 में ग्वारियो मोर्चा आया था। मैं नागपुर में था। वे लोग सरकार से मिलने गए तो वहां डेपुटेशन से चाहते थे कि शरद पवार से या आदिवासी मंत्री मधुकर राव पिचोड़ से बात करा दें।

[अनुवाद]

कम से कम इन दो मंत्रियों में से कोई तो मोर्चा के सामने बातचीत के लिये आ सकता था। यह साधारण सी मांग भी स्वीकार नहीं की गई।

[हिन्दी]

शरद पवार उस समय कोई ड्यूक आए थे उनसे मिलने मुम्बई गए थे। वहां स्टैम्पिड हो गया, लाठियां चली। कल शरद पवार जी ने इतना कैजुअली ले लिया। लेकिन उस समय मोर्चा से मिलने नहीं गए। वहां 114 आदमी मारे गए थे। मैं स्वयं घायलों को देखने के लिए अस्पताल गया था। 114 मारे गए तो कहा कि स्टैम्पिड में मारे गए। किसी ने कहा कि फुटबाल के मैच में जैसे हुआ था, वहीं वहां हुआ। ऐसे तो बहुत जगह लोग मारे जाते हैं, लेकिन मरने का तरीका कौन सा होता है, यह भी तो देखा जाता है। स्टैम्पिड हो गया, यह पुलिस द्वारा लाठी चलाने से हुआ। कहां जाना है, कैसे जाना है, लोगों को पता नहीं चला। औरतें, बच्चे और बूढ़े भी थे, चारों तरफ से घेर लिया, उनको पता नहीं कि कहां जाना है इसलिए दौड़ते-भागते एक दूसरे पर गिरने लगे और लाठियां खाकर मौतें हुए। यह हकीकत है। उस समय किसी ने मांग नहीं की। यहां पर नरसिंह राव जी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के किसी सांसद ने यहां खड़े होकर नहीं कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा हादसा हुआ, सरकार को डिसमिस, करो धारा 356 लगा दो। कुछ नहीं हुआ। इनका तो तरीका रोग को लाइलाज करने का है।

मेरे पास ऐसे अनेक अनुभव हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है। आज जबकि वहां एक छोटी-सी घटना घटी, हमें खुद गहरा दुःख है। हम दलितों के दोस्त हैं, दलितों के खिलाफ नहीं रहे। मैंने हमेशा दलितों के साथ काम किया है। हम कैसे उनके खिलाफ हो सकते हैं।

श्री राम नाईक : मैं उस समय एम०पी० था।

श्री मधुकर सरपोतदार : हो सकता है कि कोई यहां आकर न रोए। यह रोने का काम नहीं है। परंतु यह आपका पक्ष था कि इनको यहां आकर कम से कम रोना चाहिए था कि ऐसी हालत हो गई है, हमारी सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इसको डिस्लॉज कर दो। *(व्यवधान)* अभी माफिया के बारे में एक ही बात हो गई। माफिया का संबंध क्या है ? किससे संबंध है ? सुधाकर राव जी ने क्या कहा था ? सुधाकर राव ने कहा था कि माफिया को टिकट देने का काम शरद पवार जी ने कर दिया।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : यह गलत बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*। श्री शरद पवार का नाम लेकर इस हाउस को गुमराह कर रहे हैं। सुधाकर राव जी ने *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : यह संदर्भ रिकार्ड से देखना चाहिए। क्योंकि श्री सुधाकर राव नाइक इस सभा के सदस्य नहीं हैं। वे किसी और को उद्धरित कर रहे हैं जो यहां सदस्य नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जिस प्रकार की आपत्ति श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने की है उसे मानना असम्भ है। वह कहते हैं कि आप बाहर के किसी को उद्धरित नहीं कर सकते हैं। मैं कार्ल मार्क्स को उद्धरित नहीं कर सकता हूं क्यों वे सभा के सदस्य नहीं है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : आरोप है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री सुधाकर राव नाईक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या कोई बात आपत्तिजनक है ?

श्री राम नाईक : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको भी मौका मिलेगा। अब आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं यह नहीं कहता। लेकिन स्वयं शरद पवार जी ने ऐसा कहा था कि उनके एक एम०पी० यहां पर बैठे हैं जिनका माफिया से संबंध है *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : इनका एक सांसद भी इसके अंदर इंवाल्वड है। मैं इनको इतना ही बताना चाहता हूं कि आप यह देखो कि आपके अपने घर में क्या चल रहा है। इनके एक सदस्य स्वयं माफिया से मिले हुए थे और इनके आशीर्वाद से माफिया की गतिविधियां महाराष्ट्र में चल रही थीं। उसके देखने का काम स्वयं शरद पवार जी यदि कर देते तो बहुत अच्छा होता। *(व्यवधान)* हमें बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है, न कभी रखना चाहते भी हैं। मुझे बस यही कहना है यह सब बात देखने के बाद मुझे ऐसा बताना है। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : श्री शरद पवार ने यह नहीं कहा था कि आपके संसद सदस्य माफिया नेता से मिले हुये हैं। उन्होंने केवल यह कहा था कि जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था तो, शिव सेना के एक संसद सदस्य भूख हड़ताल पर चले गये थे यही कहा था।

श्री मधुकर सरपोतदार : इसका क्या मतलब है ? आप श्री शरद पवार के बयान को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। यह गलत बात है। यदि उन्होंने संदर्भ नहीं लिया होता तो मैं भी संदर्भ नहीं लेता चाहे वह सही है अथवा नहीं। मैं इस सभा को बता दूं कि मैंने जो भी कहा है वह श्री शरद पवार के इस सभा में दिए गए वक्तव्य के संबंध में कहा था। अगर वे ऐसा नहीं कहते तो मैं भी कुछ नहीं कहता।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : मैं आपको बता दूं कि एक हजार एक बातें ऐसी हैं जो मैं यहां कह सकता हूं। परंतु यह मेरा काम नहीं है। मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगा जब तक मामला सभा में विचारार्थ नहीं आता है। जब भी मामला सभा में आयेगा तब मैं बताऊंगा कि श्री शरद पवार के कार्यकाल में राज्य में क्या-क्या हुआ।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं सब बातों पर जाना नहीं चाहता। जिनका जितना रेफेंस उन्होंने ले लिया, उसके जवाब में मैं हाउस को अर्ज करना चाहता हूं कि कल जितना कुछ इम्प्रैशन आपको यहां ले आया था कि शिव सेना और भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बहुत कुछ खराब काम कर रही है, दलितों को कुचल रही है, अन्य लोगों को जीने का अधिकार वहां नहीं है। शरद पवार जी ने यहां तक जाकर बोला कि महाराष्ट्र में एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश हो जाएगा। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि यदि शरद पवार जी का राज्य महाराष्ट्र में रहता और इससे पूरे महाराष्ट्र में एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो जाते, इससे पहले ही शिव सेना और भाजपा का महाराष्ट्र में शासन आ गया तथा इससे महाराष्ट्र बच गया। नहीं तो वहां बहुत बुरी हालत हो जाती। यह मैं बताना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक नहीं सौ बार शरद पवार जी को सोचना चाहिए था, हकीकत का प्रश्रय लेना चाहिए। बहुत ऊंचाई पर आए हुए हो। वह यहां पर कांग्रेस पार्टी के गुट नेता के रूप में बैठे हुए हैं। अपनी जबान से कोई गलत बात बताना अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। चाहे तो शरद पवार जी को बोलें कि जब मैं एम०एल०ए० था तो मैंने कितने लैटर्स लिखे थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। उनके बारे में मेरे दिल में जो श्रद्धा है, वह वैसी है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से एलीगेशन लगाया, इसलिए मुझे इसका जवाब देना पड़ा।

सभापति महोदय : आपको बोलते हुए एक घंटा हो चुका है।

श्री मधुकर सरपोतदार : अभी दो मिनट नहीं लगेंगे, समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)* अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : अन्य लोगों की तो गुंजाइश कम से कम शिव सेना से समाप्त हो गई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एक घंटे से अधिक हो चुका है। ठीक है, अब आप कंक्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं इस हाउस को बार-बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि रूल 184 के तहत जो कुछ यहां पर प्रस्ताव रखा गया है, यह सरासर गलत है और इस हाउस को मिसगाइड करने की कोशिश के लिए जो कहानी यहां पर बताई गई है, यह कहानी बिल्कुल झूठी है। यह अच्छा होता कि वह कोई नॉविलिस्ट बन जाते। कोई कादम्बरी लिखने का काम उनको दिया जा सकता था। बहुत अच्छी कादम्बरी हमारे शरद पवार जी लिख जाते। लेकिन मैं इस दृष्टि के साथ महाराष्ट्र के चित्र को देखता हूं कि वहां पर सब दलित, मुसलमान और सब जाति के लोग आज चैन से रहते हैं। उनको सरकार में कोई धोखा नहीं है। यदि पूरे देश के अंदर कोई सा राज स्थिर होगा तो वह सिर्फ महाराष्ट्र है और उसके लिए हमें गर्व है तथा भविष्य में भी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति जी, मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा अनुरोध है कि मेरी गलतियों में न जाएं और टीका-टिप्पणी न करें तथा चेयर बैल न बजाए।

आज इस विषय पर चर्चा में हिस्सा लेना एक दुखद परिस्थिति है क्योंकि जो हमारी हजारों साल की सभ्यता है, हर सभ्यता का उज्जवल दीप होता है। लेकिन हर सभ्यता का एक डस्टबिन भी होता है। वह

डस्टबिन भी सभ्यता के साथ चलता है। हिन्दुस्तान की सभ्यता के अंदर भी जांत-पांत का डस्टबिन है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : आपकी हिन्दी बहुत अच्छी है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आपकी हिन्दी की तारीफ हो रही है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : हमारी सभ्यता का कूड़ेदान जांत-पांत है। जैसे कि साउथ अफ्रीका की सभ्यता का कूड़ेदान रंगभेद है। मगर हिन्दुस्तान के अंदर भारतीय संस्कृति में जातिवाद की मानसिकता भरी हुई है और उसी का नतीजा है कि हर साल इस तरह की घटनायें घट रही हैं। मैं इस मानसिकता की निन्दा करता हूं। मैं पूरे देश से और देश की जनता से निवेदन करता हूं कि सभ्यता के इस कूड़ेदान को साफ करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब मिलकर इस कूड़ेदान को साफ करें।

कल हमारे महाजन भाई ने अच्छा भाषण दिया और बॉलीवुड के परिवेश में दिया तथा उसमें ड्रामा काफी था, क्योंकि उनको डिफिकल्ट केस डिफैन्ड करना था। डिफैंड करने के लिए जो उन्होंने आर्ग्युमेंट्स दिए, उन आर्ग्युमेंट्स को सुनकर बड़ा अजीब लगा। हम संसद में "वन्दे मातरम्" गाते हैं, जो बंकिमचन्द चैटर्जी द्वारा लिखित है। इनके ही एक लेख में लिखा है—"तुम अधम हो, तो मैं क्यों नहीं अधम हूं।" महाजन जी का आर्ग्यूमेंट है—"तुम अधम हो, तो मैं क्यों नहीं अधम हूं।" सब किया, इधर से हुआ और उधर से हुआ और अभी हमारे सरपोतदार जी ने भी यही कहा कि वह सरकार ने किया और यह सरकार ने किया। इसलिए मेरा कहना है कि बंकिमचन्द चटर्जी ने जो बताया था, उसका उल्टी फिलोसोफी हमारे दोस्तों ने दी है। यह फिलोसाफी सही फिलोसोफी नहीं है। मेरे विचार से महाजन जी ने सैल्फ डिफैंस में गलत आर्ग्यूमेंट दिया।

दूसरी बात, उन्होंने कही कि महाराष्ट्र में हर साल डिसैक्रेशन होता रहता है। मैं पूछता हूं, हर साल ऐसा महाराष्ट्र में क्यों होता है? अम्बेडकर और फूले जैसे महापुरुषों ने महाराष्ट्र में मूवमेंट को आगे बढ़ाया, फिर भी क्यों महाराष्ट्र इस तरह का लैंड ऑफ डिसैक्रेशन हो रहा है। यह महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात नहीं है। इस बारे में सबको मिल कर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और इसके समाधान का रास्ता किस प्रकार निकल सकता है। यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है, यदि इसका रास्ता निकलता है और यदि आप लोग इसके लिए कोशिश करते हैं महाराष्ट्र के अन्दर घटना घटी है और हजारों सालों से घट रही है। वैसे भी हमारे देश में यही परम्परा है। दलितों पर हमले के सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं और आर्थिक कारण हैं और राष्ट्र भी उसमें भागीदार है। बाकी जो दूसरे कारण हैं, वे हम किताबों में पढ़ते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। इस बारे में सभी को मालूम हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि आजादी के 50 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं। जिस संविधान के चलते हमारा देश मजूबत हुआ, हमारे देश का जनवाद मजबूत हुआ और दुनिया में भारत सबसे बड़ा जनतान्त्रिक देश माना जाता है, यहां पर इस तरह से अपमान हो, यह सबसे बड़े कलंक की बात है। 11 जुलाई को महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। महाराष्ट्र में इसके पहले भी घटनायें हुई हैं। 1978 में जिस तरह से अम्बेडकर जी के नाम से युनिवर्सिटी को जोड़ने का सवाल आया, तो किस तरह से हमला किया गया और खून बहाया गया। इसी प्रकार 1992-93 में महाराष्ट्र के अन्दर हजारों लोगों, कम से कम 1500 लोगों, का खून बहाया गया। उनमें भी माइनोरिटी के लोग थे। ये दिन भी महाराष्ट्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखे जायेंगे। इसी प्रकार 1994 में *(व्यवधान)* बम विस्फोट के साथ जो जुड़े हुए मामले हैं, मैं उनके बारे में भी बोलता हूं।

उसके बाद 1994 में गावारी ट्राइबल्स की हत्या हुई, उसने महाराष्ट्र के गौरव में कोई नया मुकुट नहीं पहनाया है, वह भी हमारे सामने एक इतिहास है। उसके बाद आज जो घटना घटी है, जिस पर चर्चा हो रही है 11 लोगों की हत्या हुई है और इसके पहले कुछ दिनों में चार घटनाएं घटी थीं एक श्रीरामपुर में, दूसरी महाराष्ट्र के जलगांव में, उसके बाद मालेगांव में और नासिक में हुई। ये पांचवी घटना कुछ ही दिनों के अंदर हुई है। हम गृह मंत्री जी का बयान देखें तो ऐसी टोटल 508 घटनाएं घटी, धर्मस्थल को अपवित्र करने की तथा इस प्रकार की कई घटनाएं पिछले पांच साल में घटीं। यह एक विकृत मानसिकता की छवि है, इसलिए इसके लिए हम सब लोग चिन्तित हैं। महाराष्ट्र के उस शहर में आंदोलन हुआ, मजदूर वर्ग का संगठन था, क्रांतिकारी आजादी के समय में विद्रोह हुआ था, उधर मजदूर का आंदोलन आगे बढ़ा। मगर आज क्या हुआ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन लीडर्स के हाथ से माफिया ने छीन लिया। माफिया लोग ट्रेड यूनियन आर्गनाइज करता है और उनके नेतृत्व में कारखाने के मालिक के साथ सांठ-गांठ करके इनको कुचलने की साजिश चल रही है। यह हमारे महाराष्ट्र का इतिहास है, छवि है, इसको बिगाड़ा यह बात भी हमको सोचनी चाहिए। *(व्यवधान)*।

महादेय, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। इसका पहला कारण यह है कि हमारे देश में जो सामन्तवादी मानसिकता है, हमारे समाज की जो बर्बरतापूर्ण भावना है वह अभी भी है। हमारे समाज के अंदर सामंतवादी भावना का एक सूत्र रह गया है। यह भावना जब उभर कर आती है तभी जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दुबले हैं उन पर हमले होते रहते हैं। जब तक सामंतवादी भावना के खिलाफ एक एडवांस वैज्ञानिक चिंता का विकास नहीं होगा तब तक इसका हल नहीं हो सकता। शिक्षा से ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का अभाव ही एक कारण है। दूसरा कारण जातिभेद है, इसको सब को मिलकर दूर करना चाहिए। हम देखते हैं कि ऊंचे-नीचे जात के नाम पर, जन्म के नाम पर लोगों को नीचा

[श्री हन्नान मोल्लाह]

माना जाता है। अफ्रीका में चेहरे का रंग देखा करते हैं, ऐसा क्यों होता है ? जिस ने जन्म लिया है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको हम जन्म के बाद क्यों ऊंचे-नीचे जात के नाम पर डालेंगे ? यह बर्बरता एक जमाने में किसी कारण से हुई थी मगर उस इतिहास को हम भूलने की, सुधारने की कोशिश करें। जब तक यह कोशिश सब मिल कर नहीं करेंगे तब तक हम इस रास्ते से नहीं निकल सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनका एक हिस्सा है साम्प्रदायिक तथा जातिवादी भावना से प्रेरित होकर लगातार लिखता रहता है। हमारे पास एक किताब है अरूण शोरी की इस किताब में लिखा हुआ है। हमारे देश के जो बड़े महान नेता लोग हैं, जिनका योगदान हमारे देश को बनाने में है उन ऐसे लोगों को कलंकित करके इस किताब में लिखा हुआ है। यह दुख की बात है इस लेखक के हर लेख में साम्प्रदायिकता और जात-पांत उभर कर आती है। इस प्रकार के इंटललेक्चुअल हमारे दिमाग को बर्बाद करना चाहते हैं। इस, तरह के जो इंटललेक्सुअल हैं वे भी हमारी सभ्यता के विकास के लिए ठीक नहीं हैं ये भी हमारे लिए एक कलंक हैं। चौथा कारण यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर साम्प्रदायिकता है, जातिवाद है। हमारी जो अफसरशाही है उसके अंदर साम्प्रदायिकता है, जातिवाद है।

हमारे देश के अंदर जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर भी जात-पांत की भावना रखने वाले लोग हैं। जब दंगा होता है तो उसको बंद करने के बजाए वे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में यह होता है। जोकि एक गंभीर बात है, मामला है। अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे तो बार-बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। यह भी एक कारण है।

हमारी जो फिलॉसफी है उसमें भी दलितों को नीचे रखने की मानसिकता है। बी०जे०पी० और शिव सेना वाले इसी फिलॉसफी पर चलते हैं। *(व्यवधान)* यह फिलॉसफी भी जनता के अंदर ऊंच-नीच की भावना पैदा करती है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसके नकारात्मक पक्ष की भी मैं निंदा करता हूं।

पहले राजनीतिक लोग क्रीमिनल लोगों को यूज करते थे लेकिन आजकल क्रीमिनल लोग राजनेताओं को यूज करते हैं। *[अनुवाद]* राजनीति अपराधियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराधी राजनीतिज्ञों का उपयोग कर रहे हैं और कभी-कभी अपराधी स्वयं राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। *[हिन्दी]* अपराधी राजनेता बन जाता है और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसका दुरूपयोग करने की कोशिश करता है। मुम्बई के सबसे बड़े क्रीमिनल दाउद इब्राहिम के बाद जो क्रीमिनल है उसने 70 हजार लोगों की रैली की है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आपका 30 मिनट का समय हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बात केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। दलित लोग स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप टिप्पणियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : महाराष्ट्र के मुम्बई में क्रीमिनल का बहुत बड़ा अड्डा है। मुम्बई शहर के मोहल्ले उन्होंने बांट रखे हैं। वहां पर दलित तो झोंपड़ी में रहते हैं लेकिन फिर भी रीयल-स्टेट वाले लोग उनपर हमला करते हैं और उनकी बस्ती को जलाते हैं और उनके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं और फिर दो-दो करोड़ रुपये में बेचते हैं। इस तरह से, रीयल-स्टेट से किस पार्टी ने पैसा कमाया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा धंधा है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : क्या आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। बस, इन्हें किसी ने लिखकर यह सारा दे दिया है, इन्हें मुम्बई शहर की कोई जानकारी नहीं है, न ही मुम्बई का इतिहास मालूम है। मुम्बई शहर को इस तरह से बदनाम करने की यह एक साजिश है।

श्री राम नाईक : आप ऐसे किस ढंग से बोल रहे हैं कि सारे मुम्बई में ऐसा है। कलकत्ता में क्या हुआ ?

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : यदि आप यील्ड नहीं करते हैं तो बात दूसरी है, यदि आप यील्ड करेंगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं समझता हूं कि एक बात है। यह सब हमारे देश के बाहर हो रहा है, न तो मुम्बई में और न ही भारत में कहीं पर *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी क्या वे समाप्त कर रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : जी नहीं, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : वे समाप्त नहीं कर रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राम नाईक : यदि वे समाप्त नहीं कर रहे तो वे केवल तथ्यों तक सीमित रहें।

[हिन्दी]

मुम्बई शहर में ऐसा कुछ नहीं है। बात ऐसी है कि जुलाई, 1993 में कलकत्ता में यूथ कांग्रेस पर गोली चलाई गई जिसमें 13 लोग मर गये थे। आप बताईये कि कलकत्ता में 13 लोग मरे या नहीं ? आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री हन्नान मोल्लाह : आप तो सीनियर मैम्बर हैं, आप भी बोलियेगा जब बारी आये, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

महोदय, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। *(व्यवधान)*।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, वह अपराधियों के विरुद्ध बोल रहे हैं। वे परेशान क्यों हैं ?

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : एक कारण तो मैंने बताया लेकिन दूसरे रीजन से खुश हूं कि आज दलित जागने लगा है। पहले उसे मार लगती थी, कुचल जाते थे, जलाते थे और उसकी औरत के साथ बलात्कार किया जाता था। हमारे उच्च जाति के भाई उसके हाथ का पानी नहीं पीयेंगे क्योंकि जात चला जायेगा, मगर दूध पीयेंगे। यह सब क्या है? हिपोक्रेसी नहीं है ? धोखेबाजी नहीं तो और क्या है ? उसके हाथ का पानी नहीं पीयेंगे लेकिन उसकी औरत के साथ बलात्कार करेंगे तो आपका बाप स्वर्ग में चला जायेगा। यह आपका करेक्टर है। यह कूड़ेदान है जिसके खिलाफ लड़ाई है। ऐसा दोगलापन नहीं चल सकता *(व्यवधान)*।

प्रो० ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : यदि आप इस तरह की बात करेंगे तो आपके संस्कार हो सकते हैं, हमारे यहां ऐसी बात नहीं होती। ऐसा आपके खानदान में होता होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : आप ऐसा बोलकर इतिहास को नहीं बदल सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह क्या है ? अपराधियों के विरुद्ध प्रत्येक वाक्य पर वे परेशान हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, आप जो कुछ कह रहे हैं, बिलकुल सच है। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है और उसकी मानसिकता है कि दलितों के स्पर्श से हम अस्पृश्य होते हैं और दलित स्त्री के साथ अत्याचार करने में अस्पृश्यता आड़े नहीं आती। यह विकृत मानसिकता इस समाज से हटनी चाहिये।

श्री हन्नान मोल्लाह : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। आखिर में एक रीजन और बताना चाहूंगा कि दलितों में 50-56 परसेंट गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और आर्थिक रूप से गरीब हैं। उसकी वजह यह है कि परिसम्पत्ति आधार न होने के कारण उन लोगों की इज्जत नहीं होती है। जो साम्रन्ती होते हैं, अनकी इज्जत होती है। मैं एग्रीकल्चर लेबर आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। गांव-गांव देखता हूं कि किस तरह से एग्रीकल्चर लेबर पर जुल्म होते हैं। सामन्ती उसे कम पैसा देकर ठगता है।

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

हम एग्रीकल्चर लेबर के लिये 25 साल से लड़ रहे हैं। इसके लिये एक बिल कैबिनेट के पास पड़ा हुआ है। अभी पास नहीं हो रहा है। स्टेट गर्वनमेंट्स की एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब वगैरह आये थे। वहां पर बड़े-बड़े कुलक रहते हैं, वे इसको अपोज कर रहे हैं। इन सरकारों ने मीटिंग में अपोज किया कि यह एग्रीकल्चर बिल पास नहीं होगा क्योंकि यह एग्रीकल्चर लेबर के हित के खिलाफ है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं। ये कारण एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : शायद आप महाराष्ट्र का नाम गलती से ले रहे हैं। इसको दोबारा चैक कर लीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने पेपर में देखा छः नाम है। अच्छा किया अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं। खेत मजदूरों को काम नहीं मिलता है। जमींदार लोग इन पर जुल्म करते हैं। बिहार में जो सेना बनी है। वह सब जमींदारों की सेना है और वे सब दलितों को मारते हैं। दलित लोग अधिकतर खेत मजूदर हैं। इस कारण रणबीर सेना है, सब तरह की सेना है। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। *(व्यवधान)* इन सब कारणों के कारण जब दलित उठ खड़े हुए और उन्होंने अन्याय का विरोध किया तो उनको बंदूक मारते हैं। दलितों को बंदूक मारते हैं तो वह भी पत्थर मारते हैं, दलित को गाली देते हैं तो वह भी गाली देता है। आज उस पर इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं। मगर मुझे विश्वास है कि ये लोग उठ खड़े होंगे और समाज में संविधान ने इनको जो अधिकार दिया है वह दलित लेकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि सदन इस पर मदद करे। जो दबे-कुचले और पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। इसके लिए सब मिलकर चिन्ता करें यह मेरा निवेदन है।

महाराष्ट्र की घटना के बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं वहां ईस्टर्न हाईवे पर गया था। उस रास्ते के किनारे पर एक मोहल्ला है जहां मूर्ति है, वह हाफ-बस्ट है। उसके बाजू में एक पुलिस चौकी है। बहुत सारी दुकाने हैं। वहां सारी रात लाइट जलती रहती है। फिर भी किसी ने मूर्ति के साथ ऐसा घिनौना काम किया और चला गया। उस मूर्ति पर चप्पल की माला पहनाई गई। यह कैसे हो सकता है ? जब लोगों की नजर में आया तो लोगों ने पुलिस चौकी में खबर दी। पुलिस चौकी ने बताया कि वह हमारे एरिया में नहीं है, दूसरे थाने में खबर दो। यह पुलिस का बिहेवियर है। हमारी टीम ने वहां विजिट किया था। वहां लोगों से हमने बात की। पुलिस अगर समय पर इंटरवीन करती तो कुछ नहीं होता क्योंकि उस समय 15-20 लोग ही थे। पुलिस ने क्या किया कि उस माला को एक

[श्री हन्नान मोल्लाह]

लकड़ी लेकर उतारा। मूर्ति की कुछ इज्जत करनी चाहिए थी और माला को हाथ से उतारना था। इससे लोगों में प्रोवोकेशन हुआ। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जब यह आरोप लगाया गया था तो मैंने उस ए०सी०पी० से पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह श्री सुधाकर मोरे हैं जो स्वयं अनु० जाति के हैं। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने यह दिया था कि उसे छूने से उंगली के निशान मिट जाते। यह असम्मान नहीं है। मैं यह देख रहा था कि उंगलियों के निशान होने चाहिये। मैं आपको वही बता रहा हूं। जो ए०सी०पी० ने स्पष्टीकरण में कहा है। मैंने यह प्रश्न पूछा।

श्री हन्नान मोल्लाह : खैर कुछ स्पष्टीकरण दिये गये हैं। धन्यवाद। *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

लेकिन मुझे लगता है कि इसने प्रोवोकेशन का काम किया। पुलिस को इमीडियेट हस्तक्षेप करना चाहिए था। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनको पकड़ना चाहिए था। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा देना चाहिए। हम कांग्रेस से मिलकर आपकी सरकार को बरखास्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं, मगर आप भी सीखो कि किस तरह से देश चलाना है। इस घटना में पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने प्राइवेटली बात की। इसको बैटर वे में कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ इस पर भी सोचना चाहिए। पुलिस जो करती है वह अनजाने में करती है। इस मानसिकता के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पूरे देश को बदनाम करती हैं।

अंबेडकर की मूर्ति के नजदीक कहीं गोली नहीं चली। वहां से नेशनल हाईवे पार करके एक रमाबाई बस्ती है। उस बस्ती में रहने के लिए छोटी-छोटी चाल हैं। चाल में क्या है, उसमें अशोक के नाम पर, बुद्ध के नाम पर बड़े-बड़े महापुरुषों के नाम पर एक-एक मौहल्ला है। तो बुद्ध और अशोक की उपस्थिति में आज खून की नदियां बह गईं। यह हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इसलिए इतनी दूर, शायद एक किलोमीटर दूर होगा, यह घटना घटी। तीसरी बात यह है कि जो पुलिस फोर्स महाराष्ट्र की है उसके कदम की हमारे भाइयों ने प्रशंसा की। वह उनके दिमाग की इनएफिशिएंसी का कोई कारण है, उनकी जिम्मेदारी है। मगर पुलिस ने जो गोली चलाई, उसमें आकर तीनों तरफ से बस्ती को घेर लिया था, वहां गलियां बहुत छोटी-छोटी हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, उनको तीन तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। यह ऐसी घटना क्यों हुई ? यह जलियांवाला बाग की तरह घेरकर मारा, वह रास्ते में नहीं गये थे। उसके बाद जो हमने देखा कि उनको कोई चेतावनी नहीं दी थी। आप अस्पताल में गये होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि जो घायल हैं, उनमें से किसी के भी गोली कमर के नीचे नहीं लगी। जो दस लोग मरें हैं, सब लोगों को कमर से लेकर सिर तक गोली लगी। तितर-बितर करने के लिए तो पैर पर गोली चलाते हैं, हवा में गोली चलाते हैं, लेकिन यहां सीधी गोली चलाई गई जो सबके कमर के ऊपर लगी है। आप कहते हैं कि आज उसकी जूडीशल इंक्वायरी हो जाए। उधर दीवार पर निशान लगा हुआ है, चार-पांच फुट की दीवार में जांच पड़ताल के लिये बहुत सारे छेद हैं एक भी उसको जाकर दाग नहीं लगाया, उस निशान को प्रोटेक्ट नहीं किया। दो दिन बाद वह प्रमाण खत्म हो जायेगा। यह भी देखने की बात है। इसलिए जो पुलिस ने किया वह ट्रिगर हैप्पी पुलिस का कार्य किया और इस तरह से दलितों पर अत्याचार किया। जो आदमी मरें हैं, वे अपने घरों के अंदर, आंगन में या घर के सामने मरे हैं। रास्ते में कोई नहीं मरा है, रास्ता कितना दूर है, यह भी देखने की बात है कि लोग बाहर आने के पहले ही मरे हैं। हमारे गुना रोघ का भी एक सेक्रेटरी जिसका नाम संजय है, वह भी मरा। वह घर से निकल रहा था, अपने आंगन में उसको गोली लगी। इस तरह की घटना क्यों हुई, इसका एक्सप्लेनेशन न प्रमोद भाई और न सरपोतदार जी ही दें सकेंगे। सब 14-15 साल के लड़के हैं, जो मरे हैं, यह बड़ी अजीब बात है। आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि जो पहले मरी वह घर में काम करने वाली एक औरत थी। जिसकी 50 साल उम्र थी। उसका नाम कौशल्याबाई था। प्रमोद भाई आप रामराज्य बनाने जा रहे हैं, माता कौशल्या के खून से रामराज्य का अभिषेक आप महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। यह रामराज्य कैसे बनेगा, भगवान ही आपको बचाये। पुलिस ने मारने के बाद भी 15 मिनट तक गोली चलाई, उसके बाद चली गई जो सब लोग मारे गये, उनकी लिस्ट अखबार में आ गई। वह आपने भी पढ़ी होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो घटना हुई उसे ख्याल में रखना चाहिए कि जिस तरह से लोग मारे गये हैं यह एक साजिश की तरह लगता है। सही ढंग से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तब सच निकलेगा। इस पर हमारी मांग है कि टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी दो-चार घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रमाबाई बस्ती में 25 मई को बी०जे०पी० की एक मीटिंग हुई, अभी एक महीने पहले की बात है।

श्री पृथ्वीराज, डा० चव्हाण : उसको किसने एड्रेस किया ?

श्री हन्नान मोल्लाह : उसको पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और लोकल लीडर ने एड्रेस किया। हमें बताया गया कि उस मीटिंग में बहुत इनफ्लेमेटरी भाषण दिया गया, उस इनफ्लेमेटरी भाषण ने भी लोगों के अंदर एक भड़काव पैदा किया था।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इस बात का पूरी जिम्मेदारी के साथ खंडन करता हूं। मैं इस पर सोमनाथ जी का कमीशन लगाना चाहता हूं *(व्यवधान)* मुझे आप पूरा कर लेने दीजिए। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन यह सभा मैंने एड्रेस की थी। हमारे यहां बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती भारतीय जनता पार्टी की ओर से महीने भर तक मनाई जाती है। जब डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती मनाई जा रही थी, वहां पहले पुष्पाहार डालकर, मेरा भाषण हुआ था। यहां सोमनाथ

जी बैठे हैं, बीच-बीच में टोकने वाले पृथ्वीराज जी भी बैठे हैं और कांशीराम जी भी बैठे हैं। मैं उन्हें वीडियो-कैसेट दे देता हूं। अगर मेरे मुंह से उस मौके पर कोई भी इनफलेमेटरी वाक्य निकला हो तो मैं इस सदन से त्यागपत्र दे दूंगा ··(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : यह आपने नहीं कहा।

श्री प्रमोद महाजन : यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मेरे अलावा वहां सभी दलित नेताओं ने भाषण दिया था। जब मैं वहां उपस्थित था, उस समय प्रथम भाषण से लेकर धन्यवाद प्रस्ताव तक अगर मैंने एक भी वाक्य उत्तेजना फैलाने वाला बोला हो, तो मैं इस सभा में अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा।··(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अगर यह गलत साबित हो जाये, तो क्या आप त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं ··(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप महानगर अखबार में छपी खबर के आधार पर कुछ मत कहिए।··(व्यवधान) आप संसद के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। महानगर नाम का अखबार हमेशा हमारें खिलाफ खबरें छापता हैं, आप उसमें से पढ़कर मत बोलिए। यदि आप उसे औथेन्टिक करते हैं तो कोट कीजिए ··(व्यवधान)।

[अनुवाद]

तो फिर मैं आपके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊंगा।··(व्यवधान) उस समाचार पत्र से मत पढ़िए ··(व्यवधान) मैं आपकी मदद नहीं चाहता।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है।··(व्यवधान)।

श्री प्रमोद महाजन : बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को देने के लिए, हमने दलित पैंथर के साथ सहयोग किया और इसी सिलसिले में मैं एक महीने तक जेल में रहकर आया हूं। इसलिए मेरे दलितों से संबंधित विषय को आप चैलेंज मत करिए ··(व्यवधान)।

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : इन्होंने आपका नाम नहीं लिया।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है तो मैं कह रहा हूं कि मैं वहां बोला हूं।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : सभापति महोदय, किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है। मैं नहीं जानता कि वह उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं इसलिए उत्तेजित हो रहा हूं क्योंकि वह आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : महाजन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, वह किसी को चुनौती दे रहे हैं ··(व्यवधान) यह बात है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने जो सुना है, वही कह रहा हूं। आप इसे स्पष्ट कीजिए ··(व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब उन्हें बोलने दीजिये।··(व्यवधान)।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको किसी ने सूचना दी होगी। आप 25 मई को वहां मौजूद नहीं थे।··(व्यवधान)।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है। वह राज्य का वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, महाराष्ट्र एक शांतिप्रिय राज्य है। इस प्रकार के भाषणों से वहां अनावश्यक घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह अति अनुशासित राज्य है। वे इस प्रकार के भाषणों से राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, उन्होंने उनके विरुद्ध आरोप लगाये हैं। वे इस महान सभा में कुछ गलत बोलकर महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं, तो वह पहले प्रमाणित करें और तब कोई आरोप लगाए।··(व्यवधान)।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यहां का वातावरण खराब मत कीजिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह एक शांतिप्रिय राज्य है; वहां कश्मिरस्तान जैसी शांति है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैं क्लेरीफिकेशन के रूप में जानना चाहता हूं कि अभी महाजन जी ने इंकार किया और उनके साथ मैंने कहा कि जो कुछ माननीय सदस्य ने यहां कहा है, यदि वह गलत हो तो क्या वे इस सदन से त्यागपत्र देने को तैयार हैं, उसका कोई उत्तर नहीं आया। *(व्यवधान)*।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने बोला है, जवाब दिया है। *(व्यवधान)*

हमने बताया है। हमने जवाब दिया है। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि महाजन जी और सरपोतदर जी ने जो थियोरी बताई है, टैंकर की जो थियोरी बताई है उससे हम कन्विंस नहीं है। वह टैंकर वहां पर 15-20 दिन पहले से खड़ा था। वह रिपेयर होने के लिए आया था। उसमें कुछ नहीं था। वह खाली था। जो पुलिस ने कहा है वह यह है कि वहां पर दो टैंकर थे। उसके बाद बताया कि नहीं तीन टैंकर थे। वे नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से कभी कहते हैं कि वह टैंकर के पास दौड़ रहा था और कभी कहते हैं कि वह टैंकर पर चढ़ रहा था। फिर कहते हैं कि वह टैंकर में आग लगा रहा था। इस प्रकार से तीन अलग-अलग स्टेटमेंट आए हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ पराजंपे : महोदय, वे राजनीतिक वक्तव्य दे रहें हैं *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अब मामला समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : श्री पराजंपे, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, मैं सरटेन पाइंट पर क्लैरीफिकेशन मांग रहा हूं। पुलिस ने गोली चलाई, वह ठीक है कि गोली चला दी, लेकिन गोली चलाने के बाद सारी पुलिस रमाबाई कालोनी के अंदर गई और उसने वहां बूढ़ों बच्चों और जवानों की पिटाई की। उनके हाथ-पैर तोड़ डाले और उन्हें अस्पताल तक नहीं जाने दिया गया। छः घंटे तक लोगों को पीटा गया और अस्पताल भी नहीं जाने दिया गया। जब पुलिस का बड़ा अधिकारी आया, तब वे लोग अस्पताल गए। आप राजावाड़ी अस्पताल में जाकर देखिए वहां कितने घायल लोग पड़े हुए हैं। क्यों पुलिस ने किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, रमाबाई कालोनी में क्यों लोगों को पुलिस ने मारा, इसका क्लैरीफिकेशन मुझे चाहिए। वहां पर क्यों छः घंटे तक लोग मार खाते रहे। क्यों ऐसा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। चाहे गलती हुई है, तो उसे सुधारिए। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप व्यवधान क्यों पहुंचा रहे हैं ? आप माननीय सदस्य के प्रत्येक वाक्य में व्यवधान पहुंचा रहे हैं। यह सब क्या है? कृपया व्यवधान मत पहुंचाइये।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 43 लोग अस्पताल में हैं। अस्पताल में जाकर देखिए तो आपको पता लगा जाएगा 43 लोग इन्जयोर्ड हुए हैं बंदूक के बट से लोगों को मारा गया है। इस घटना के बारे में भी बोलिए। क्यों दलितों को टार्चर किया गया ? *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप तभी बोलें, जब आपकी बारी हो।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : यह अब चलने वाला नहीं है। यह होने वाला नहीं है क्योंकि गरीब लोग अब जाग रहे हैं। इसको आप ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। गरीबों में जागृति आ रही है। रीयल एस्टेट को राज करने से ज्यादा दिन तक आप नहीं रोक पाएंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। वहां पर एक "तरुण उत्साही" नामक का क्लब है। जो उस स्टेच्यू की देखभाल करता था, लेकिन उनको ही पकड़ा जा रहा है। दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनके ऊपर लोग हमला कर रहे हैं।

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ सरकार ने जब क्षतिपूर्ति का ऐलान किया है, इन्क्वायरी बैठी है, तो अभी तक प्रति व्यक्ति सिर्फ 30 हजार रुपया ही बांटा गया है। बाकी अभी नहीं मिला है।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महाराष्ट्र में वर्ष 1993 से 2 लाख रुपये की राशि देने की व्यवस्था है। इसमें से 30,000 हजार रुपये नकद रूप मे दिये जाते हैं। शेष 1,70,000/- रुपये उस व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदारों के पास सावधिक जमा के रूप में रखे जाते हैं और पांच वर्षों के पश्चात्, वे नियमित ब्याज देते हैं और उसके पश्चात् इसे वापिस दे देते हैं।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : आपको तो क्लैरीफिकेशन करने का मौका मिल रहा है, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)* उसके बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। मुम्बई बंद बुलाया गया लेकिन 36 शहरों में बंद हो गया। उसके बाद गुजरात में हुआ और पूरे देश के कोने-कोने में इसका रिएक्शन हुआ। इस घटना को याद रखना है। यह दलित के जागरण का एक लक्षण है, इसे यदि हम भूलेंगे तो सब मिलकर डूबेंगें।

कुछ बातें शरद जी ने बताई। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम 50वीं जयन्ती को सही मायने में मनाना चाहते हैं तो इन सारी गलतियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। महाजन जी ने कल स्वीकार किया, कनडैम किया, कुछ गलतियों को बताया भी है। लेकिन वह सिर्फ ओरली न हो, दिल से हो और उसे इम्प्लीमैंट करने की इच्छा रहे तो शायद आने वाले दिनों में हम बहुत सी गलतियों को सुधार पाएंगे। ज्यूडीशियल इन्क्वारी पर जल्दी से जल्दी राय निकालनी चाहिए। साथ ही जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इन्क्वारी पैन्डिंग है, उनको सजा देनी चाहिए, छोटे-छोटे कॉसटेबल को सजा देने से कोई फायदा नहीं है। जो कम्पैनसेशन देने की बात है, वह देना चाहिए। जो मरे हैं, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। स्पैशल ट्राईबुनल होना चाहिए क्योंकि जहां भी दलितों पर हमला होगा, आर्डिनरी कोर्ट में विचार करने से नहीं चलेगा क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वह छूट जाता है। इसलिए स्पैशल ट्राईबुनल होना चाहिए और लिमिटेड पीरियड में उसका समरी ट्रायल होना चाहिए। साथ ही इस तरह के हमले, खून-खराबा बंद करने के लिए सब मिलकर प्रोटैस्ट करें और इसके पीछे जो कौन्सपिरेसी है, उसे खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ···*(व्यवधान)*।

अंत में, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपके बारे में लोगों की क्या सोच है, यह देखिए। आप पॉयनियर का ऐडीटोरियल पढ़िए। उसमें लिखा है :–

[अनुवाद]

"यह परेशानी में डालने वाली बात है कि आजकल इस प्रकार की घटनाएं, जैसी कि शुक्रवार को घटित हुई है, महाराष्ट्र राज्य में ऐसा विकृत वातावरण बना रही है।"

[हिन्दी]

आप इस सब पर गौर कीजिये। यह मेरी बात नहीं है। इकानोमिक टाइम्स में लिखा है।

[अनुवाद]

"जब सत्तारूढ़ पक्ष, विशेषकर वर्गीय विवादों की स्थिति में समाज के किसी वर्ग की तुलना में पक्षपाती बन जाता है। तो इससे फूट को और बढ़ावा मिलता है और आर्थिक प्रगति बुरा प्रभाव पड़ता हैं

[हिन्दी]

ट्रिब्यून में लिखा है :

[अनुवाद]

"अयोध्या की घटना के बाद की खलबली की स्थिति में सैनिकों ने दलित-बहुलमलिन बस्तियों को अपना विशेष लक्ष्य बनाया। शिवसेना अपने पुराने रूप में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी दलितों की विश्वसनीय पक्षकार होने का अपना दावा खो चुकी है।"

[हिन्दी]

यह आपके लिए बोला है, ख्याल कीजिये। यह जो ओपिनियन आया है, आप इस पर गौर कीजिए। हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है:

[अनुवाद]

"शुक्रवार को मुम्बई के एक उपनगर में रात के अंधेरे में अम्बेडकर की प्रतिमा को चप्पलों की माला पहनाना किसी अत्यधिक विक्षिप्त मनःस्थिति वाले व्यक्ति का काम हो सकता है तथापि, न तो प्रतिमा को अपमानित करने की इस कार्यवाही से और न ही इससे क्रोधित हुए लोगों की जवाबी कार्यवाही से मुम्बई पुलिस की जानलेवा फायरिंग का औचित्य सिद्ध होता है।"

अंत में, मैं पुनः ट्रिब्यून से उद्धरण देता हूं :

"सैनिकों की फासीवादी प्रवृत्तियां मुझे उनके द्वारा गत समय में दलितों और मुसलमानों पर किये गये इसी प्रकार के आक्रमणों की याद दिलाती हैं। यह आशा की गई थी कि सत्ता में रहने की जिम्मेदारी उनके स्वभाव को सौम्य बनायेगी, लेकिन ये आशायें झूठ निकलीं।"

ये मत अग्रणी समाचारपत्रों के हैं। आपको इन्हें ध्यान में रखना होगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। अन्यथा अनुच्छेद 356 लगाने की मांग की जा सकती है। हम कांग्रेस (इ) की भांति धारा 356 लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, परन्तु यह मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस प्रकार की अमानुषिक कार्यवाहियों से दूर रहे। ऐसा नहीं चल सकता। हमें इस पर रोक लगानी होगी। हमें अपनी सभ्यता में सुधार करना होगा।

हमें इस प्रकार की जाति-आधारित बर्बरता को छोड़ना होगा। हमें इस प्रकार की रंग भेद की समस्या को दूर करना होया। मैं आशा करता हूं कि यह सभा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कांशी राम (होशियारपुर) : सभापति जी, 23 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर इस सदन में दलित प्रेम का प्रर्दशन हुआ। दलित प्रेमी

[श्री कांशी राम]

मेरे पास भी आये, मुझसे कहने लगे कि आप कहते क्यों नहीं हो, जब हम सब लोग कह रहे हैं। हम दलित नहीं हैं, फिर भी कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं। हम सदन के वैल में खड़े हुए हैं तो आप क्यों वैल में नहीं आते हैं।

मैं चुप रहा, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि कहीं बी०जे०पी० के दवाब में तो ऐसा नहीं हो रहा है। जिन साथियों ने मुझे कहा कि बी०जे०पी० के दवाब में शायद ऐसा हो रहा हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांशी राम में और महाराष्ट्र के दलितों में बहुत फर्क है, जमीन-आसमान का फर्क है। मैंने कांग्रेस के साथ भी समझौता किया है, उनके दबाव में नहीं आया हूं। मैंने बी०जे०पी० के साथ समझौता किया है, दबाव की कोई बात नहीं है। बी०जे०पी० अगर बुरा काम करती है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूं, उसके बारे में भी सोचता हूं। कंडेम कम करता हूं, सोचता ज्यादा हूं। मैं समझता हूं कि मेरे लिए सोचना ज्यादा जरूरी है, कहना उतना जरूरी नहीं है।

दलित प्रेमियों ने जो 23 तारीख को दलित प्रेम दिखाया और मुझसे भी कहा कि मुझे भी कहना चाहिए। यही नहीं, बहुत से पेपरों में भी यह बात आई कि कांशी राम को दलित प्रेम नहीं है, इसलिए वे महाराष्ट्र के बारे में चुप हैं। मैं महाराष्ट्र के बारे में चुप नहीं हूं। महाराष्ट्र में जाकर मैं बहुत कुछ बोला हूं। मेरी बात महाराष्ट्र के दलितों ने नहीं सुनी है, इसलिए उनको आज यह दिन देखना पड़ रहा है। पिछले 50 साल से यह दिन देखना पड़ रहा है। चाहे वह कांग्रेस का राज रहा हो। चाहे किसी और का राज रहा हो। अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती तो मुझे शायद इस सदन में बोलने की जरूरत न पड़ती।

अब मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र के दलितों को सलाह देना चाहता हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जाकर दिया करता था। वह सलाह क्या है कि ऐसी वारदातें अगर बिहार के बेलछी और पिपरा में होती हैं तो बात समझ में आती है। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा में होती हैं तो भी बात बुरी नहीं लगती है, लेकिन अगर इस किस्म का दलितों के ऊपर अन्याय महाराष्ट्र में होता है, चाहे वह कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वह बदरूद्दीनगपई की आंखें निकालने का काम हो, जो मैंने महाराष्ट्र में खुद अपनी आंखों से देखा है। चाहे वह यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित हो, यूनिवर्सिटी के नामकरण से संबंधित हो या आज की जो वारदात है, जिसके बारे में डिस्कशन है, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में होती हैं। तो मुझे अफसोस होता है। *(व्यवधान)* मैं शिव सेना भाजपा की ही बात कर रहा हूं। जो आज हो रहा है, उसका मुझे दुख है। मैं उसको कंडेम करता हूं। अभी-अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जिनके साथ आपकी दोस्ती है, उनके उधर होम मिनिस्टर हैं। उनके उधर गृह मंत्री हैं। मेरी दोस्ती कांग्रेस के नेताओं के साथ भी रही है, उनके भी होम मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर और स्टेट में भी रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कोई दोस्त हो। कोई होम मिनिस्टर गलत बात करे तो मैं उसको भी कन्डेम करता हूं। लेकिन मैं कन्डेम करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं एक बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी वारदातें होती हैं तो हम उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तमिलनाडु में भी दलितों की बहुत हत्याएं हो रही हैं, उसका भी दुःख होता है। दुःख इसलिए होता है कि तमिलनाडु में परियार का मूवमेंट चला।

पेरियार 1924 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। 1924 में जब नड्नगुड़ी में लोगों ने वक्कम में सत्याग्रह शुरू किया तो पेरियार उनकी मदद के लिए वक्कम, केरल पहुचे। गांधी जी तिलक के बाद कांग्रेस के कारोबार को देख रहे थे, उन्होंने परियार से कहा कि यह कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा आजादी का है। हम आजादी चाहते हैं, अंग्रेजों को निकालना चाहते हैं। हम छूआछूत को दूर नहीं करना चाहते। यह हमारे एजेंडे में नहीं है। देश आजाद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन आज तो हमें अग्रेंजो को निकालना है। तो पेरियार ने 1924 में कांग्रेस छोड़ी। मैं उनको क्यों मानता हूं, उनका क्यों ज्यादा आदर करता हूं इसलिए कि उन्होंने एजेंडा बदला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह एजेंडा नहीं है तो मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता। इसलिए कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने 1925 में सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट (स्वाभिमान आंदोलन) शुरू किया। उन्होंने और बहुत से काम किए, जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट को मैं और मेरी पार्टी (बी०एस०पी०) बहुत आदर देती है।

इसी तरह से महाराष्ट्र में जहां फुले, शाहू और अम्बेडकर, तीन महापुरूषों ने 1948 से 1956 तक 108 साल लम्बा संघर्ष किया। किस चीज के लिए किया, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए, शूद्र और अतिशूद्र, सेठ और भट्ट जी का मुकाबला करने के लिए जो 108 साल तक कोशिश हुई, वह बेकार गई। महाराष्ट्र में पिछले पचास साल में जो हुआ है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है वह कोशिश कामयाब नहीं हुई। वह कोशिश यह थी कि राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जरूरी है। अंग्रेजों को निकालने से पहले हमको सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए। लेकिन आज आजादी के पचास साल बाद जब हम यह डिसकस कर रहे हैं तो आज तक भी हम लोग सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं पाए हैं।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 25 नवम्बर, 1949 को कहा था कि पोलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कामयाब नहीं हो सकती। पोलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने एचीव कर ली, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी आज भी नहीं है। मुझे दुःख होता है महाराष्ट्र में जहां, फुले, शाहू और अम्बेडकर ने 108 साल लम्बा अटूट संघर्ष किया, वहां भी सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी न होने के कारण आज भी जाति के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके जिम्मेदार कौन हैं ? मैंने पहले कहा है कि दलितों को मैं बड़ा भारी जिम्मेदार समझता हूं। क्योंकि दलितों ने अम्बेडकर के जो स्टेच्यू लगाए हैं, वह ठीक है, लेकिन उन्होंने जो

अम्बेडकर का मूवमेंट खत्म किया, यह गलत किया। अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़ना चाहिए, पुतलों से नहीं। उनका पुतलों से जुड़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, जितना अम्बेडकर के मूवमेंट को कामयाब बनाना जरूरी था। मुझे कांग्रेस के बारे में अफसोस है, मैं 1971 में पूना में था।

पूना में गार्गी महाराज धर्मशाला में एक समझौता हुआ। श्री अम्बेडकर की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी तथा कांग्रेस का समझौता हुआ। उस वक्त 521 मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा समझौता किया कि 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पाटी लड़ेगी। जब गार्गी धर्मशाला से बाहर आए तो दादा साहब गायकवाड़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और मोहन धारिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि आज बहुत अच्छी बात हो गई है। जो समझौता गांधी और अम्बेडकर के जिंदा रहते नहीं हुआ, आज 15 साल के बाद यह समझौता हो गया है। मुझे बहुत बुरा लगा। इस समझौते में गांधी को 520 सीटें मिल गई और अम्बेडकर को एक सीट मिली थी। यह समझौता हुआ है ? यह 15 साल बाद समझौता हुआ है। गांधी और अम्बेडकर का जो समझौता हुआ है, यह अच्छा नहीं हुआ है। मैं महाराष्ट्र छोड़कर चला आया। रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता थे, मैं कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके उनको देता था और उनसे कहता था कि इस मूवमेंट को मत छोड़ो। लेकिन वे कहते थे कि इस मूवमेंट के चलते हुए हम एम.एल.ए., एम.पी. और मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। मैं उनसे कहता था कि एम.एल.ए., एम.पी. बनना ज्यादा जरूरी नहीं है। इस मूवमेंट को चलाना ज्यादा जरूरी है और आज क्या स्थिति है ? आज उन लोगों में से 288 में से शायद एक एम.एल.ए. है। हो सकता है कि शायद एक भी नहीं हो। लेकिन इस किस्म के समझौते के कारण और इस किस्म के रवैये के कारण आज शायद उनका एक भी एम.एल.ए. नहीं है। एम.एल.ए., एम.पी. बनने के लिए उन्होंने अम्बेडकर की मूवमेंट, मिशन को खत्म किया, लेकिन आज एक भी एम.एल.ए. एम.पी. नहीं है।

मैं महाराष्ट्र के उखाड़े हुए पौधे को लेकर उत्तर प्रदेश में गया। उत्तर प्रदेश में वह पौधा लगाया। आज उत्तर प्रदेश में 15 लोक सभा के एम.पी. हैं और आज तीन राज्य सभा के हैं और 68 एम.एल.ए. हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में जाकर मैं उनके पास पहुंचा और कहा कि अम्बेडकर को मानकर, फूले और शाहू को मानकर एम.एल.ए., एम.पी. बना जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में बन सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन सकते ? आप इस मूवमेंट को मत ठुकराइए। यह मूवमेंट सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मूवमेंट है। इसको कामयाब बनाने के लिए आप लोग फिर से इस मूवमेंट को शुरू करें। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको उस समय भी महाराष्ट्र में कहता था और आज मैं उत्तर प्रदेश से आकर कहता हूं कि आप भी एम.एल.ए., एम.पी. और मिनिस्टर बन सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारी मिनिस्ट्री है। चाहे वह किसी के साथ मिलकर हो लेकिन हो सकता है और हम इस उम्मीद में हैं कि हम अपने बलबूते पर भी मिनिस्ट्री बना सकते हैं। इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए शाहू, फूले और अम्बेडकर की मूवमेंट जिसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, उस मूवमेंट को मैं समझता हूं कि उसको चलाना बड़ा जरूरी था। लेकिन महाराष्ट्र के दलितों ने उसको डैजर्ट किया। डिसीक्रेशन का इतना मुझे दुख नहीं होता है, जितना कि डैजर्शन का होता है। अम्बेडकर की मूवमेंट को डैजर्ट करने का जितना मुझे दुख होता है, उतना डिसीक्रेशन का नहीं होता।

स्टैचू के ऊपर तो पंछी भी बैठ जाते हैं और पेशाब कर देते हैं, तो क्या हम पंछी के पीछे भागेंगे कि आपने यह क्या कर दिया, स्टेचू को खराब कर दिया। स्टेचू को जूता पहनाया गया और उसके बाद गोली कांड हुआ। मैं इस कांड को कन्डैम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जुल्म-ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जुल्म ज्यादती तो कांग्रेस के राज में कम नहीं हुई है। मैंने बाबरुहन गवाई की कहानी बताई है। बाबरुहन गवाई की दोनों आंखें निकाल ली गई थी, कांग्रेस के राज में। उसका कसूर क्या था ? एक फ्यूडल लॉड ने उसकी लड़की को बच्चा पैदा कर दिया था। वह कहता था कि अब इस लड़की को फ्यूडल लॉर्ड अपने ही पास रखे। उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत और कहा कि बच्चा पैदा करना तो हमारा काम है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारा काम नहीं है। उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। उस वक्त कांग्रेस का राज था। मैं कोई कांग्रेस का विरोध करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, यह तो मैंने एक हकीकत बताई है और वह भी मजबूर हो कर। मैं तो यहां बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दलित प्रेमियों ने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि उस वक्त भी ऐसा हुआ। उसके बाद जो बाबा अम्बेडकर के लैफ्टिनेंट थे, वे कमजोर थे। उनकी कमजोरी के कारण, उनकी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का मुसला उठाया कि हमें युनिवर्सिटी चाहिए। अम्बेडकर का नाम यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिए। ये सारे लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जानते हैं, अम्बेडकर का नाम मराठा यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहिए। मैंने उनसे कहा था—भाई, आप तो अम्बेडकर मूवमेंट नहीं चला रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम कौन देगा। अम्बेडकर ने खुद कहा था। *[अनुवाद]* राजनीतिक, शक्ति ऐसी मुख्य कुंजी है, जिससे आप प्रत्येक ताले को खोल सकते हैं।

[हिन्दी]

जो राजनीति की पावर है, जे गुरुकेली है, उसको हासिल करन के लिए अम्बेडकर मूवमेंट को चलाओ। जब राजनीति-केली आपके हाथ में होगी, गुरुकेली आपके हाथ में होगी, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल सकते हैं और आप नई यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। हमने यह उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। कांग्रेस को मजबूर किया नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लखनऊ में 14 अप्रैल, 1989 को कांग्रेस पार्टी ने यूनिवर्सिटी बनाई। उस वक्त उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में उनकी सरकार थी, जिस तरह केन्द्र और महराष्ट्र में भी उस वक्त इनकी सरकार थी। वे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे थे। बाद में उन्होंने लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने अपने लोगों को चौंकन्ना किया कि डिमान्ड तो महाराष्ट्र की है और पूरी उत्तर प्रदेश में हो

[श्री कांशी राम]

रही है। महाराष्ट्र में अम्बेडकर ने स्कूल बनाए, कालेज बनाए, होस्टल बनाए और शिक्षा के मामले में बहुत किया, किसी ने डिमान्ड नहीं की कि वहां यूनिवर्सिटी बनाए, तो कांग्रेस वहां यूनिवर्सिटी क्यों बना रही है। वह इसलिए बना रही है। क्योंकि उसको खतरा है कि उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर को मानने वाले लोग मास्टर-की की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, गुरुकेली की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसको छिपाने के लिए ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में युनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दी है और गुरुकेली भी हमारे हवाले कर दी है। उस गुरुकेली का इस्तेमाल करके हमने यूनिवर्सिटी के नाम भी बदले हैं। वह यूनिवर्सिटी सैन्टर की है, इसलिए हमने स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम, आगरा यूनिवर्सिटी का नाम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया है। यही नहीं, 1994 में मैं महाराष्ट्र गया था, तो लाखों-लोगों ने मुझे सिगनेचर इकट्ठे करके दिए कि साहू महाराज ने पूना में शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप सिगनेचर करके दो। मैं उन सिगनेचर को लेकर शरद जी के पास गया, जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि यह लाखों-लोगों के सिगनेचर हैं और वे छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी इसका नाम रखना चाहते हैं

उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया तो कोल्हापुर में मैंने पब्लिक मीटिंग करके कहा कि भई, आप लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। अगर सचमुच में आपका यह ख्याल है कि पूना यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए तो आप आंदोलन करें, मैं आपके साथ हूं लेकिन कुछ दिनों बाद श्री बाबासाहेब ठाकरे जी उधर पहुंचे। उधर से एक पडारी नाम का पेपर निकलता है उसमें हैड लाईन थी। मैं गोवा में था तो मेरे पास वह पेपर लेकर कोई आया कि बालासाहेब ठाकरे जी ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांशी राम की क्या जरूरत है, शाहू महाराज का काम तो हम ही कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद यह कर दें। लेकिन आज ढाई साल से उधर उनकी सरकार है लेकिन ढाई साल में उन्होंने यह काम नहीं किया है। लेकिन जब कांशी राम के हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार आई तो हम लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, जिस कानपुर में एक दिन के लिए 1919 में शाहूजी महाराज जी आए थे उस कानपुर को सलेक्ट करके हमने छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी बना दिया। इस तरह से मैं समझता हूं कि दलितों को अगर अपना उद्धार करना है, अगर वे एम्पावरमेंट (शक्तिशाली बनना) चाहते हैं, दूसरे एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरे लोग दलित एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे लेकिन उनको पावर में आने से रोकेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में रोका गया और वे रुक गए। इस तरह से मैं समझता हूं कि दलितों को इस दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए। दलितों को, जो नॉन दलित हैं उनके दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र के दलितों को यह मैसेज देना चाहता हूं और देशवासियों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर ने आज से 50 साल पहले हमें सावधान किया था। 25 नवम्बर, 1949 को कांस्टीट्यूट असेम्बली में उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"26 जनवरी के दिन से हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमें समानता प्राप्त होगी तथा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम असमान होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक मत और एक मत, एक मूल्य के सिद्धान्त को मान्यता देंगें। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को मानने से इकार करते रहेंगे। इस प्रकार के विरोधाभासों से पूर्ण जीवन हम कब तक जियेंगे। कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता लाने से इंकार करते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक इससे इंकार करना जारी रखेंगे, तो हम केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को जोखिम में डालकर ही ऐसा करेंगे।"

इस प्रकार, स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात् भी सामाजिक लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं, जितना पिछलं पचास वर्षों में हमें बढ़ना चाहिए था। इसीलिए 15 अगस्त को हम एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का नाम है 'स्वतंत्र भारत में पर-निर्भरता'। भारत स्वतंत्र है लेकिन पचास प्रतिशत से ज्यादा भारतीय दूसरां पर निर्भर करते हैं।

[हिन्दी]

जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास खेत नहीं है। खेतों के लिए वे दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन जब खेतों में खेती करने वाला किसान भूखा मरता है, बेइज्जत होता है, किन के हाथों में, जिनके पास खेती है तो वह देहात छोड़ कर शहरों में आ जाता है। आज हमारे देश के शहरों में लगभग 15 करोड़ लोग देहात छोड़ कर पहुंच चुके हैं।

और शहरों में उनकी क्या हालत है। वे फ्यूडल लोर्ड के शिकंजे से निकलकर शहरी लोर्ड के शिकंजे में फंस जाते हैं। आज भी हम सामाजिक और आर्थिक फ्रंट पर आगे नहीं बढ़े हैं और यह काम दलित प्रेमियों द्वारा होने वाला नहीं है। ये दलित प्रेमी चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि उन्हें 50 साल मिले और इन 50 सालों में उन्होंने दलितों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया है जिसके लिए फूले, साहू, अम्बेडकर ने संघर्ष किया। दलितों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें यह काम खुद ही करना होगा। चाहे वह उत्तर प्रदेश के दलित हों, बिहार के हों, महाराष्ट्र के हों, तमिलनाडू के हों, उन्हें आगे बढ़ने का काम खुद ही करना पड़ेगा, उन्हें आपस में मिल-जुलकर यह काम करना होगा। सदन के माध्यम से मैं यह मैसेज सारे दलितों तक पहुंचाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में जो दलितों को मार रहे

हैं आपने उन्हीं से वहां हाथ मिलाया है। *(व्यवधान)*।

श्री कांशी राम : मैं तो आज भी बोलना नहीं चाहता था, मुझे तो दलित-प्रेमियों ने बोलने के लिए मजबूर किया है। मेरा मानना यह है कि बोलने से काम नहीं होगा, करने से काम होगा। *(व्यवधान)* हमने कांग्रेस से जो वायदा किया, वह पूरा किया और अब जिसके साथ भी वायदा करेंगे, उसे पूरा करेंगे। *(व्यवधान)* गर्वनर का राज हम लोगों ने साढ़े पांच महीने अजमाया है। वह आप लोगों का ही राज था। *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में दो महीने और अजमा लें, उसके बाद राज उनके हाथ में दे देंगे, तो उनसे जवाब मांगना। *(व्यवधान)*।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : आपको मुम्बई जाना चाहिए था।

श्री कांशी राम : जब मुम्बई जाने की जरूरत पड़ेगी तो मुम्बई जाएंगे। *(व्यवधान)* और विहार भी जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : हम आजादी की स्वर्ण-जयंती मनाने जा रहे हैं। देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने को आतुर है। लेकिन इस देश में आज भी ऊंच-नीच, छूआछूत, जात-पांत, गैर-बराबरी, धर्मांधता, दहेज-प्रथा आदि जो कुरीतियां हैं वे देश में चारों तरफ विषधर नाग की तरह विचरण कर रही हैं। आज भी जातिगत भेद-भाव के चलते समाज में विद्वेष फैला हुआ है और लोकतंत्र का खून किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वह निहायत ही शर्मनाक और लज्जाजनक है। महाराष्ट्र में आज बी.जे.पी. और शिव-सेना की सरकार ने सम्मिलित रूप से दलितों के भगवान डा० अम्बेडकर की प्रतिमा का जिस तरह से अपमान किया है, प्रतिमा के गले में जूतों की माला पहनाई है वह लज्जाजनक है। उस अम्बेडकर की प्रतिमा को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश में दलितों के उत्थान के लिए बराबर काम किया और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। *(व्यवधान)*।

श्री एस०पी० जायसवाल (वाराणसी) : बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र यादव : मैं अपने बी.जे.पी. के साथी से अनुरोध करूंगा कि आप अनुशासन वाली पार्टी के लोग हैं, आप अनुशासन में रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बराबर उसका दम भरते हैं और दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। मुझे वह दिन याद है। जब आपकी 13 दिन की सरकार जा रही थी तो माननीय अटल जी खड़े होकर बोले कि संख्याबल के सामने नतमस्तक होता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से अकेला जनता दल का सदस्य हूं, इसलिये आप टोकाटाकी कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि आप इतने सीनियर मैम्बर हैं और दखल दे रहे हैं।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में दलितों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना इस मुल्क की करोड़ों पीड़ित, अवहेलित जनता का अपमान है। यहां हम सब दलितों का साथी होने का दम भरते हैं और हमारे गोरखपुर के सांसद महन्त जो गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश हैं, दलितों के सामने एक साथ खाने की बात तो करते हैं लेकिन उनके दल के सहायोग से महाराष्ट्र की सरकार दलितों पर ऐसे अत्याचार कर रही है। अभी हमारे साथी श्री मधुकर सरपोतदार ने बड़ी सफाई दी और बहुत सारी बातें की कि ऐसा नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आपकी नजर में हुआ अत्याचार क्या गलत है ? आप कहते हैं कि अखबार में लिखा है। क्या यह मान लिया जाये कि पूरे मुल्क में जो सूचनायें अखबार के जरिये आती हैं, वे असत्य हैं। मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं क्योंकि प्रदेश की पुलिस प्रदेश के प्रशासन और शासन के हाथ में खेलती है। जैसी उसकी नीति होती है, उसके मुताबिक वह काम करती है। मैं इधर-उधर की बात न करके यह कहुंगा कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनी से क्या गिला, तेरी रहबरी का सवाल है। जब आपकी सरकार वहां पर है, आप वहां के रहबर हैं तो फिर यह अत्याचार क्यों हुआ ? यह मान लिया जाये कि यह गलत है लेकिन सड़कों पर जिस तरह से लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ आया और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में खड़े हो गये, क्या यह मामूली बात है ? यह कोई मामूली घटना नहीं थी। मैं महाराष्ट्र जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुम्बई नगर और गांव के व्यक्ति अत्याचार और जुल्म के खिलाफ खड़े होकर सड़कों पर अपने आक्रोश का प्रदर्शन रेल लाइन को रोककर, सड़कों को जाम करके और महाराष्ट्र बन्द व हड़ताल करके किया। यदि इस तरह से देश के किसी कोने में अत्याचार होते हैं तो हम सबको मिलकर संघर्ष के माध्यम से विरोध करना चाहिये।

सभापति महोदय, आज हम भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं महाराष्ट्र में शिव सेना के कार्यकर्त्ताओं द्वारा वहां के आर०पी०आई०के कार्यकर्त्ता की उसके पेट में छुरा घोंपकर, हत्या की गई, क्या यह असत्य है ? वहां के लोग जब आन्दोलन करते हैं तो आपकी पुलिस बर्बर होकर उनको पीटती है, उन लोगों को कालोनी में घंटों डिटेन करती है और पुलिस थाने में नहीं जाने देती है। क्या आप इस तरह की सफाई देना चाहते हैं ? इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये सारी घटनायें सही हैं। अभी सफाई देते हैं कि आंसू गैस छोड़ी गई। मैं कहना चाहता हूं कि न आंसू गैस छोड़ी गई और न तो गोली के पहले लाठी चार्ज किया गया और दो दिन के अंदर 11-12 जुलाई को 13 आदमियों की बर्बर हत्या की गई।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई विपक्ष का नेता है, वह अपने आवास में है तो आपके कार्यकर्त्ता उसे जाकर चारों तरफ से घेरकर हत्या की साजिश करते हैं केवल इसलिये कि आप उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। मगर याद रखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वह शिवसेना-भाजपा की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की हो, जुबान को कभी बंद नहीं कर सकती। जुबान को बंद करो या मुझे भी कत्ल करो, मेरे विचार को बेड़ी नहीं पहना सकते। महाराष्ट्र में दलितों के विचार को आप बेड़ी नहीं पहना सकते। अब देश आजाद हो गया है। लोग आजादी के साथ सांस लेना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत के

[श्री सुरेन्द्र यादव]

संविधान में इक्वेलिटी विफोर लॉ का प्रावधान किया है। हम कहीं भी अपनी बात को कह सकते हैं, स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भाजपा और शिवसेना के लोग सदन में ही नहीं, बल्कि प्रदेशों में, देश के नगरों में, चारों तरफ जो लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं जो सच बोलते हैं, इनको दबाने की जो आपकी सोच है, उसको बंद करिये वरना वह दिन दूर नहीं है कि आप पूरे देश में घृणा के पात्र हो जाएंगे और सड़क पर उतर कर जैसे महाराष्ट्र में आपका विरोध हुआ है, उसी तरह देश में चारों तरफ आपका विरोध होगा।

सभापति जी, मैं कहना चहाता हूं कि आज पूरे देश में कई लोग जमाने से मूर्ति-पूजक हैं। मेरे जैसे लोग मूर्ति-पूजक नहीं है लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं जो मूर्ति-पूजक हैं क्योंकि वह मूर्ति की पूजा नहीं करते, प्रकारान्तर से वह ऐसी मूर्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। अभी माननीय कांशी राम जी कह रहे थे. कि क्या हुआ अगर कोई पंछी किसी मूर्ति के ऊपर पेशाब करता है, बीट कर देता है ? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुद अगर उनके पास डा० अंबेडकर का कोई फोटो हो और उस पर कोई थूकेगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मगर उन्होंने इस तरह की बात सदन में कही जो बिल्कुल गलत है, नागवार है और अन्यायपूर्ण हैं। हमारे देश में स्वामी विवेकानन्द हुए जिन्होंने विदेशों में सात समुन्दर पार जाकर आजादी का अलख जगाया था। वह जब महाराजाओं के यहां जाते थे तो आजादी की बात करते थे। उन्होंने महाराज के यहां जाकर जब एक चित्र के लिए कहा कि ये आपके क्या हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे हैं। स्वामी जी ने पूछा कि क्या आप नास्तिक हैं तो राजा ने कहा कि मैं नास्तिक हूं मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। स्वामी जी ने कहा कि इनके चित्र पर थूक दीजिए। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने स्वामी विवेकानन्द को बाहर निकालने का आदेश दिया। मैं कहना चाहता हूं कि डा० अंबेडकर की प्रतिमा हमारे लिए सम्मान की चीज हैं उनके प्रति हमारा आदर है। वह दलितों के भगवान हैं और दलितों का जो भगवान होगा, दलित अपने प्राण की बाजी लगाकर भी उनके सम्मान की हिफाजत करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि रोटी की भूख से ज्यादा सम्मान की भूख होती है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो अनाचार हुआ है उसका दलितों ने डटकर जवाब दिया है। वह सड़कों पर निकले हैं और चारों तरफ विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अत्याचार होते रहे तो देश के किसी भू-भाग में दलित बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह सड़कों पर निकलेंगे।

एक बात पर मैं विरोध प्रकट करना चाहता हूं कि कांशीराम जी कह रहे थे कि ये दलित ही हैं जो खड़े होकर अपने लोगों के सम्मान के खिलाफ जो बात होती है, उसको डिफेण्ड कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम-आप जैसे तमाम लोग जो अभी बोले हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की घटना पर जो विरोध प्रकट किया है, ये हमारे सामने बैठे बृजभूषण तिवारी जी हैं, हम लोग हैं, जब दिहुली हत्याकण्ड में दलितों की हत्या हुई थी तो हम लोग जेल गए थे। क्या वह बनावटी प्रेम था ? क्या केवल दलित ही दलित की रक्षा कर सकता है ? क्या केवल हिन्दू ही हिन्दू की रक्षा कर सकता है ? मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू मुसलमान के लिए, मुसलमान हिन्दू के लिए, दलित सवर्ण के लिए और सवर्ण दलित के लिए अगर लड़े तो यह अच्छा उदाहरण होगा। हम ऐसे नेताओं को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते जो यह उपदेश दे कि जाति बिरादरी और मजहब में अपने-अपने मंजवि और जाति बिरादरी की रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो उस जाति में पैदा हुआ है।

सभापति महोदय, आज उत्तर प्रदेश में एक नारा है, वह क्या नारा है कि जिसका सी०एम० उसका डी०एम०। मैं इस तरह की जुबान की निंदा करना चाहता हूं कि यह कौन सी बात है कि जिसका सी०एम०हो, उसका डी०एम० हो और उत्तर प्रदेश में आज किया भी यही जा रहा है। वहां मुख्य मंत्री मायावती जी हैं और वह हर जिले में चाहती हैं कि हमारी ही जाति-बिरादरी का डी०एम० भी बने। मैं अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस गलत कार्य में आप क्यों उनका साथ दे रहे हैं। मै खुलेआम कहना चहाता हूं दोस्तो, बहुत खुली हुई बात है कि इस देश में एक जबरदस्त गलती हो रही है, गलती यह हो रही है कि जो लोग सवर्ण विचारधारा के विरोधी हैं और जो लोग दलित विचारधारा के विरोधी है, यानी जो दलितों का सम्मान नहीं करते, जो सवर्णों का सम्मान नहीं करते, वे आपस में राजनीति की वजह से, कुर्सी की वजह से, पदलिप्सा की वजह से, कुर्सी हासिल करने की वजह से आपस में तालमेल कर रहे हैं, यह देश का दुभाग्य है और सारी बुराइयां इसी की वजह से पनप रही हैं कि आज सवर्ण अगर दलित गलती करेगा तो उसका विरोध नहीं करेगा और दलित के साथ ज्यादती होगी तो सवर्ण उसका विरोध नहीं कर पायेंगें। यह जो विरोधाभास हमारे देश में है, यह चलने वाला नहीं है। चंद दिनों के लिए हम कुर्सी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज यह नहीं चल सकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि आज भी हम जातिप्रथा में चारों तरफ से संलिप्त हैं, उलझे हुए हैं। ज्यों-ज्यों हम उससे छूटना चाहते है। त्यों-त्यों हम उसमें उलझते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रन्थों में जो प्रावधान किया गया है, जो सच्चा प्रावधान है, अगर उसको हम मानें, तभी समस्या का समाधान हो सकता है।

अपराह्न 5.07 बजे

[प्रो० रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

हमारे यहां कहा गया है –

जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चयते,
वेदपाठी सो पंडितानाम, ब्रह्मजानाति इति ब्राहमणः।

लेकिन दुर्भाग्य है कि जन्मना जायते शूद्र, जब जन्म से सब लोक शूद्र हैं तो जन्म से जब तक संस्कार नहीं होता है उसके पहले ही

हम किसी को ब्राह्मण, पंडित और पूजा करने योग्य मान लेते हैं। संस्कार किसी का भी हो तो उसे हम ब्राह्मण मानेंगे, अगर वेद पढ़ा है तो वह पंडित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह परिभाषा गलत हो गई है। आज हमारे हिंदू समाज में मनुस्मृति प्रीवेल कर रही है और मनुस्मृति में जितने प्रावधान किये गये हैं, वे गलत हैं। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति में है कि अगर कोई सवर्ण किसी दलित की बेटी के साथ ज्यादती करता है, बलात्कार करता है तो उस दिन उस दलित को अपने गांव में, अपने समाज में मिठाई बांटनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई दलित का बेटा सवर्ण की बेटी के साथ बलात्कार करता है तो उसके प्रजनन अंग को काट देना चाहिए और उसको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। यह हमारा पुराना संविधान है। मैं इस सदन के माध्यम से उस संविधान का भरपूर विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति को जलाने का जो काम हमारे मनीषियों, पुरखों और हमारे साथियों ने देश की विधान सभाओं में शुरू किया था, वह सही था। इस तरह का काम, इस तरह का अनर्गल प्रचार, प्रसार जो हमारे देश में हुआ, वह गलत हुआ, हम उसका भरपूर विरोध करते हैं। दोस्तों, प्रतिमा का अपमान करना बहुत ही गलत है। मैं आज इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग मूर्तिपूजक हैं। तो होना यह चाहिए कि जो भी लोग प्रतिमा का अपमान करने वाले हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान करके अध्यादेश जारी करना चाहिए। ताकि इस तरह से लोग प्रतिमा का अपमान न करें।

गांवों के जो अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने कालेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल खोल रखे हैं, हमने उनकी प्रतिमाएं स्थापित की हैं क्योंकि वे हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र हैं। यदि कोई लड़का यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले और उन प्रतिमाओं को खंडित कर दे, या हमने जो विद्या-मंदिर या सरस्वती मंदिर स्थापित किए हैं, वह लड़का उनकी प्रतिमाओं को खंडित कर दे, वह कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

गोरखपुर विश्व-विद्यालय में, हमारे एक पूर्व विधायक श्री रविन्द्र सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र के अध्यक्ष और रंगनाथ पांडये छात्र नेता दोनों की प्रतिमाएं छात्र संघ भवन में स्थापित की गई है। हमारे सीनियर कल्पनाथ राय जी यहां बैठे हैं, ये वहां छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उन दोनों प्रतिमाओं को जातिवाद के चलते, ब्राह्मण और क्षत्रियवाद के चलते, तोड़ दिया गया। बाद में, प्रशासन ने उसे ठीक कराया। अगर इस तरह प्रतिमाओं को तोड़ने का सिलसिला चलता रहेगा *(व्यवधान)* मैंने तो अभी बहुत कम समय लिया है।

सभापति महोदय : मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है, कई मैम्बर्स ने बोलना शेष है। इसलिए आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र यादव : बड़े नेता काफी लम्बे समय तक बोले हैं। हम छोटे लोग हैं, हमें कुछ समय तो मिलना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो घटना घटी, उस पर महाराष्ट्र से आने वाले साथियों ने बड़ी सफाई देने की कोशिश की। प्रमोद महाजन जी ने कुछ सच्ची बातें कहीं मगर मधुकर सरपोतदार जी बारबार उससे डेविएट करते रहे, चैलेंज देते रहे और श्री शरद पवार जी का नाम लेते रहे। शरद पवार जी ने कल जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था। आज वे सदन में नहीं हैं, इसीलिए मधुकर जी आज बार-बार उन्हें ललकारते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन में सच्ची बातें बोलना गलत है ? क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री छगन भजबल के घर में जाकर बर्बादी का तांडव-नृत्य नहीं किया और क्या वह बर्दाश्त के काबिल था ? मुम्बई में हमारे पूर्वांचल के तमाम लोग बसते हैं, वहां आपकी सरकार और महाराष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि, हमारी तरफ के लोगों के साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं, नंगा नाच करते हैं, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर तथा बिहार के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, वह बर्दाश्त के काबिल नहीं होता लेकिन हमारे लोग उसे बर्दाश्त करते है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुम्बई को आप अपनी सीमा में मत समझिए, वह भारत का, हिन्दुस्तान का एक अंग है, एक बड़ा नगर है, देश का व्यावसायिक नगर है। हमारे क्षेत्र पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के जितने लोग वहां बसते हैं, चाहे वे दलित हों, किसी पिछड़ी जाति के हों, अकलियत के लोग हों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनके साथ वहां ज्यादती क्यों हो रही है। उस ज्यादती को आप रोकिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप दलितों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हैं ?

सभापति जी, सरपोतदार जी ने यहां बहुत सफाई देने की कोशिश की, मगर वह सफाई किसी भी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं है। *(व्यवधान)* अभी मधुकर जी कह रहे थे कि मैं हिसाब देना चाहता हूं, मैं हिसाब दूंगा। यदि उन्होंने हिसाब देना है तो आज मुम्बई का जनजीवन क्यों अस्त-व्यस्त हो गया है, इसका हिसाब दें। यदि वे हिसाब देना चाहते हैं तो देश की व्यापारिक राजधानी मुम्बई में व्यापारिक गतिविधियां क्यों सुन्न हो गई हैं, इसका हिसाब दें यदि वे हिसाब देना चाहते हैं तो उस दिन 13 व्यक्तियों के मरने, 34 के घायल हो जाने और 700 लोग गिरफ्तार क्यों हुए, उसका हिसाब दीजिए। अगर आप हिसाब देना चाहते हैं तो कोल्हापुर में आर०पी०आई० के एक कार्यकर्त्ता की शिवसेना के कार्यकर्त्ताओं ने छुरा घोंपकर क्यों हत्या की, इसका जवाब दीजिए।

अगर आप हिसाब देना चाहते हैं, तो हिसाब दीजिए मुम्बई का जनजीवन जिस तरह से बर्बाद हुआ उसका। वहां के लोग जिस तरह से भयाक्रान्त हैं, वहां के लोग जिस तरह से पीड़ित हैं और इसके कारण आज भी वे अपने घरों में दुबके हुए हैं जिस तरह से दड़बे के अंदर मुर्गे दुबके रहते हैं, उस तरह से वे आज मुम्बई में घरों में क्यों दुबके हुए हैं। क्या बात है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। *(व्यवधान)*।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप जो बोल रहे हैं, यह कहां से और कैसे बोल रहे हैं। इसका क्या आधार है। *(व्यवधान)*।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नगिरी) : कितने यू०पी० वालों ने मुम्बई छोड़ दी, जरा यह बता दीजिए। कितने बिहारियों ने मुम्बई छोड़ दी, जरा यह बता दीजिए। जब आपके कहे अनुसार मुम्बई में आतंकवाद है, तो आप बताइए कितने लोगों ने मुम्बई छोड़ दी। *(व्यवधान)*।

श्री सुरेन्द्र यादव : मैंने आपसे कहा कि मुम्बई में वे अपने घरों में छुपे हुए हैं। *(व्यवधान)* मैं तो यू०पी० का हूं। *(व्यवधान)*।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अभी तक आप बिहार के बारे में सुन रहे थे। अब जरा मुम्बई के बारे में सुन लीजिए। *(व्यवधान)*।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, यदि सदन में असत्य ही बोला जाता है, फिर बोलने दीजिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे बिलकुल भी सत्य नहीं है। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : आप लोग आपस में बोलकर सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। कृपया यादव जी को बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए। *(व्यवधान)*।

श्री सुरेन्द्र यादव : सभापति महोदय, मैं तो मधुकर साहब की बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उन्होंने सचाई को छिपाने, ढकने का, उस पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया है। अब केवल एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

"कातिल ने किस सफाई से धोया है, नादां है वह जानता नहीं
कि लहू भी बोलता है।"

आज महाराष्ट्र में दलितों की जो हत्याएं हुई हैं। वे आपके छिपाने से छिपने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा हिन्दुस्तान अच्छी तरह से जानता है कि भा.ज.पा. और शिव सेना का आपस की गठजोड़ महाराष्ट्र में जिस तरह से कत्लेआम कर रहा है, वह किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता है।

सभापति महोदया, मेरी क्या बात है, जिन नेताओं ने, जिन सदस्यों ने इस सदन में इस घटना के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनकी क्या बात है, इनके जो नेता हैं, शिव सेना के जो नेता हैं बाल ठाकरे जी और गृह-मंत्री जी, उन्होंने स्वयं कहा है वे बच्चे हैं, नादान हैं। क्योंकि वे वहां गए थे और भुजबल जी के घर में उन्होंने स्वयं घुसकर देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया था, जुर्म किया था। जब आपके नेता इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हमारे आदरणीय मधुकर साहब क्यों मना करते हैं, क्यों छिपाते है ? उन्हें कहना चाहिए कि यह काम नहीं होना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि दलितों पर अत्याचार बंद करिए।

सभापति महोदया मैं कहना चाहता हूं कि दलितों पर यू.पी. में भी अत्याचार हो रहा है। आपकी सरकार वहां भी है। सैकड़ों नौजवान कत्ल किए जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं महाराष्ट्र में की गई ज्यादतियों के खिलाफ अपनी बात समाप्त करता हूं। *(व्यवधान)*।

श्री अनंत गंगाराम गीते : शेर के साथ समाप्त करिए।

श्री सुरेन्द्र यादव : शेर तो मैं बहुत कह सकता हूं, लेकिन अब समय नहीं है। *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : यादव जी, आप मुझे देख कर बोलिए।

श्री सुरेन्द्र यादव : सभापति महोदया, महाराष्ट्र में जो ज्यादतियां और जुल्म किए गए हैं उन पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदया, कांग्रेस पक्ष की ओर से यद्यपि केवल एक सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ने भाषण दिया और यह दूसरे भाजपा सदस्य हैं जिन्हें आप ने बुलाया है। श्री वेंकटस्वामी का नाम उसमें था। मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्यों नहीं बुलाया गया। यह गलत है।

सभापति महोदय : सूची यहां है। यह मुझसे पहले वाले सभापति द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी थी।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : हमारे नेता के बाद, जिन्होंने वाद-विवाद शुरू किया था, कांग्रेस से कोई सदस्य नहीं बोला।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने उनका नाम बुला लिया है, इसलिए आप उनके बाद बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : शिव सेना के नेता बोल चुके हैं। अब, आपने श्री काशीराम राणा को बुलाया है। यह भाजपा के दूसरे सदस्य हैं जो अब बोलने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी (पैद्दापल्ली) : सी०पी०एम० के बाद कांग्रेस का नम्बर था। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया, यह मैं पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं पता करके बताऊंगी।

श्री जी० वेंकट स्वामी : क्या पता करना है ?

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद : महोदया, श्री बनातवाला का नाम सूची में था।

उन्होंने भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ सूचना दी है। परन्तु उन्हें अभी तक बुलाया नहीं गया है। मैं नहीं जानता कि आपने उनका नाम क्यों नहीं बुलाया।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, कांग्रेस के नेता श्री शरद पवार ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)* मैं उसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि श्री शरद पवार या और माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें श्री शरद पवार, जनता दल के सांसदों, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने जो बातें कही हैं, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी तरह शासन कर रही है, उसे बदनाम करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। इसमें दलित प्रेम कहीं नहीं निकलता। श्री कांशी राम ने भी बताया कि इस प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी के लोगों का दलित प्रेम नहीं दिखता। मुम्बई की घटना को लेकर कैसे राजकीय लाभ उठाया जाए, इसकी पैरवी उन्होंने प्रस्ताव में की है। प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं, उसमें भी यही कहा है।

आज हम आजादी की 50वीं जयन्ती मनाने जा रहे हैं। इन 50 सालों में केन्द्र और कई राज्यों में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया है। उन्होंने दलितों की स्थिति के बारे में बात कहीं। मैं कहना चाहता हूं कि दलितों को आज ऐसी स्थिति में लाया गया है जिसके जरिए राजकीय लाभ उठाने की कोशिश की गई है। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है, कांग्रेस की सरकार ने पैदा की है। जब-जब सरकार उनके हाथ से गई और उन्होंने फिर सत्ता हथियाने की कोशिश की तो दलितों की सेवा करके वोट हासिल करने की कोई पॉलिसी उन्होंने नहीं अपनाई बल्कि सिर्फ दलितों की दुहाई देकर हमेशा सत्ता हथियाने की राजनीति चलाई है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब इनके हाथ से सत्ता चली गई तो इनको लगा कि शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रही है, उससे हमारे पास सत्ता आने वाली नहीं है। इसी कारण इस घटना को और बहकाने का एक तरीका इस प्रस्ताव में लाया गया है।

इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। दलित का नाम, दलितोद्धार का शब्द कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने को सत्ता में बनाये रखने या सत्ता हथियाने के लिए ही किया है। अगर दलितों का काम इन्होंने किया होता तो मैंने जिस प्रकार से पहले बताया, 50 साल में ज्यादा साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। वैसे माननीय प्रमोद जी और अभी माननीय सरपोतदार जी ने माननीय शरद पवार जी के एक-एक एलीगेशन का जवाब दिया है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। यह देश के लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बातें माननीय प्रमोद जी और माननीय सरपोतदार जी ने बताई हैं, उससे लगता है कि प्रस्ताव की भाषा माननीय शरद पवार जी की कितनी खोखली हैं, यह बात लोगों के सामने उजागर हो गई है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज सब लोग जानते हैं कि कांगेस पार्टी ने यहां पर जितनी दलित प्रेम और दलितोद्धार की बात की, अगर हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि दलितों की जो भाषा हमारे मुंह में से निकलती है, अगर रत्ती भर भी हमने इसके लिए काम किया होता तो क्या आज इतनी दयनीय स्थिति दलितों की होती ? लेकिन दलितोद्धार के लिए काम नहीं किया गया। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं, बिना हिचकिचाहट कहना चाहता हूं कि सारे देश में दलित-नॉन दलित की एक क्लास, एक वर्ग, क्लास कन्फ्लिक्ट की भावना जो आई है, वह उनकी सरकारों ने पैदा की।

थोड़े ही दिनों में भाजपा या शिवसेना या जहां-जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां दलित और नॉन-दलितों में एक समरसता की भावना पैदा की है। यह शिवसेना और भाजपा की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में बी०एस०पी० के साथ समझौते की सरकार चलती हो या राजस्थान और दिल्ली की सरकार हो, जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां-वहां उसने सामाजिक समरसता की स्थिति पैदा की है, सामाजिक एकता की स्थिति पैदा की है। माननीय कांशी राम जी ने जो सोशल डैमोक्रेसी की बात कही, भाजपा के शासन में हमने सोशल डैमोक्रेसी की बात आज सिर्फ कही नहीं है। आज दलित यह मानकर चलते हैं कि हमें जो सच्ची सेवा मिल रही है, हमें जो न्याय और अधिकार दिला रही है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दिला रही है। इसीलिए आज इस कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे हाथ में कहीं भी शासन आने वाला नहीं है, मैं इसीलिए ज्यादा कहना चाहता हूं।

यहां सारे प्रान्तों की बात की गई कि एक ओर जो मुंबई की घटना घटी, इसका राजनैतिक लाभ कैसे उठाया जाये, राजनैतिक खिचड़ी कैसे पकाई जाये, इसकी पैरवी कांग्रेस पार्टी ने नेता और कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने वहां पर की। बड़ा शोर-शराबा सारे देश में किया गया।

दूसरी ओर जब मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर कांग्रेस पार्टी गुजरात में समर्थन दे रही है, वहां क्या हुआ ? वहां दलितों का वोट कैसे हासिल हो, इसीलिए महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां पर काम किया। मुंबई की घटी घटनाओं को लेकर गुजरात में दलितों का नाम लेकर दलितों को बदनाम करने की राजनीति वहां पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वहां की गुजरात सरकार ने की है। आज कितना भारी नुकसान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो 1985 में गुजरात में जो जबरदस्त एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला, इसके बाद दलित और नॉन दलितों के बीच जो खाई पैदा हो गई थी, इसे पाटने का काम भारतीय जनता पार्टी और वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज वही एकरसता, समरसता की भावना, ऐसी ही सामाजिक एकता की भावना तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वहां की गुजरात सरकार ने वहां पर किया है। कभी वहां पर ऐसा काम नहीं किया जाता।

[श्री सुरेन्द्र यादव]

एक ओर मुम्बई में घटना घटती है, दूसरी ओर 15 तारीख को अहमदाबाद में अहमदाबाद बंद का ऐलान होता है। फायरिंग हो जाती है। रखीयाल और अमराबाड़ी में फायरिंग से दो लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 16 तारीख को कांग्रेस ने देखा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सत्ता हमारे हाथ में नहीं आ सकती, उसी तरह गुजरात में भी नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी कीजिए। चाहे भाजपा की सरकार को आप तोड़ें, फिर भी आपके हाथ में गुजरात आने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कैसे दलितों के प्रति हम अपना जो वोट बैंक गंवा चुके हैं, उसे फिर से हासिल करें। इसके लिए इन्होंने 16 तारीख को वहां सम्पूर्ण गुजरात बंद का ऐलान किया। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार बंद सफल कराने मे मदद करेगी। उसी दिन सारे गुजरात में हिंसा का और अराजकता का और अशांति का माहौल पैदा हुआ। मुझे लगता है जैसे मुम्बई में 11 दलितों की हत्या हुई, जिसके बारे में बहुत सारी बातें यहां सुनी गई, लेकिन गुजरात के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका मुझे दुःख है। जो शर्मनाक घटना गुजरात में घटी, जो भी वक्ता यहां बोले, उसका उल्लेख नहीं किया। इसलिए मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि दलितों का नाम लेकर दलितों को बदनाम करने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी और वहां की बाघेला सरकार पर है। वहां 16 जुलाई को बंद का आह्वान किया गया। सरकार ने बंद को सफल बनाने की व्यवस्था की। वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि बंद को सफल बनाओ। उसी दिन चारों ओर आगजनी और हिंसा हुई, उससे बहुत नुकसान हुआ। सात लोग मारे गए। वहां के चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष ने कहा कि इस बंद से 550 करोड़ रुपये का नुकसान एक दिन में हुआ। सरकार ने उस बंद को स्पोंसर्ड किया था। चारों ओर लूटपाट मची, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन यहां पर किसी ने भी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके द्वारा समर्थित शंकर सिंह बाघेला की सरकार जिम्मेदार है। कई दुकानें लूटी गईं और कइयों को आग लगा दी गई। इससे भी जो ज्यादा बात हुई वह मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

यह सब मुम्बई घटना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। दलितों को कैसे अपनी तरफ लाया जाए, इस इरादे से यह सब किया गया। सरकार द्वारा प्रायोजित बंद होने से जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। इससे लोगों में एक इम्प्रैशन गया कि यह कार्य दलितों ने किया है। इस तरह से कांग्रेस ने दलितों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस बंद से चाहे आर्थिक नुकसान हुआ, चाहे अन्य नुकसान हुआ, लेकिन दलितों के बारे में जो हम भावना यहां व्यक्त कर रहे हैं, उनको इससे बहुत नुकसान हुआ।

आज महाराष्ट्र तो शांत हो गया, क्यों वहां की बीजेपी और शिव सेना की संयुक्त सरकार ने अच्छी तरह से स्थिति पर काबू पा लिया। और लोगों को भी पता चल गया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। इसीलिए महाराष्ट्र में शांति है और वहां सामाजिक एकता और मजबूत हुई है। लेकिन गुजरात में आज भी अशांति है, लोगों में डर व्याप्त है। केशदि में जो कुछ हुआ, उसके विरोध में व्यापारियों ने जुलूस निकाला और पूरे बंद का आह्वान किया।

16 जुलाई को तमाम् व्यापारियों के जुलूस के ऊपर वहां के जो इंचार्ज मामलतदार श्रीसोनी थे, उन्होंने कहा कि फायरिंग नहीं करनी है। लाठीचार्ज करो, टियर-गैस छोड़ो। वहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार की पुलिस ने जो 16 जुलाई को बंद के रोज कुछ नहीं किया, बिल्कुल निष्क्रिय रही। दूसरे ही दिन केश्योर में जहां शांति जूलूस था, जो व्यापारी लूटे गए थे, उसके विरोध में वहां के नागरिकों ने जुलूस निकाला था। उसके ऊपर कोई हवा में फायर नहीं किया गया। वहां गोली दागी गई। हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री गुप्त जी बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केश्योर में हवा में फायर करने के बजाए सीधे फायर किया गया और उसमें चार लोग मर गए। ये कौन लोग मरे ? ये मुस्लिम, दलित मरे। इनको किसने मारा ? इनको कांग्रेस समर्थित सरकार ने मारा। ···*(व्यवधान)* केश्योर की महिलाएं इकट्ठी हुई। आठ-दस हजार महिलाएं सड़क पर आ गई और हाई-वे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक ओर तो आप फायरिंग करके गरीब और निर्दोष लोगों को मार डालते हो और दूसरी ओर निदोष लोगों को जेल में धकेल देते हो। जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालोगे, हमारा आंदोलन शांत नहीं होगा। दस हजार महिलाओं ने पूरे केश्योर के हाई-वे को बंद करा दिया। आखिर सरकार को उनको छोड़ना पड़ा। कांग्रेस समर्थित सरकार ने गरीब और निर्दोष लोगों को जेल में धकेलने का काम किया। इससे सारा वातावरण भयभीत बना हुआ है। वातावरण भयभीत इसलिए हुआ है क्योंकि पुलिस अत्याचार कर रही है। मुम्बई की घटना देखकर यह ऐसी स्टोरी बनाकर शिव सेना और भाजपा को बदनाम करने के लिए वहां जो अत्याचार हो रहा है, यह सब अगर बंद नहीं हुआ तो मुझे लगता है। कि इससे सारे राज्य को और दलितों को भी बहुत नुकसान होने वाला है। गुजरात के हमारे सांसद इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रपति के पास गए थे। उनको हमने कहा कि गुजरात की स्थिति कांग्रेस समर्थित सरकार ने बनाई है। अगर यही स्थिति बहुत देर तक चलती रही तो गुजरात जो आज सारे देश में नंबर वन शांत प्रदेश है, उसके ऊपर बड़ा भारी खतरा है, इसलिए कांग्रेस समर्थित सरकार को बर्खास्त किया जाए। ऐसी मांग हमने की। हमने कहा कि आप वहां के गवर्नर से रिपोर्ट मंगाए। जब भाजपा की सरकार थी तो असेम्बली में थोड़ी तोड़-फोड़ हुई और आपने सरकार बर्खास्त कर दी। आज 11 लोग मर गए तथा इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, तब भी आप कुछ नहीं करते। तब उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट मंगाई है और हम आगे एक्शन लेंगे। हम चाहते हैं कि जल्दी एक्शन लिया जाए और वहां की सरकार को डैमोक्रेटिक प्रोसेस से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसी मांग राज्यपाल जी से हमने की।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं क्योंकि आज गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति आई है। बारिश वहां पर बहुत गिरी है। इस बाढ़ की स्थिति में वहां की सरकार ने लोगों की कुछ भी सहायता करने का काम नहीं किया। उन्होंने बंद को स्पोंसर करने का काम किया। इस तरह से दलितों और गैर-दलितों के बीच जो एकता बनी थी, उसे तोड़ने का किया गया।

सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक ओर 16 जुलाई के बंद का एलान किया गया, जिसको सरकार ने समर्थन दिया और मुख्य मंत्री ने अपील की कि इसे सफल बनाया जाए। स्थिति जब बिगड़ गई और मुख्य मंत्री को लगा कि यह बुरा हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो अब बन्द का कॉल देंगे, उनको अरैस्ट करेंगे। ऐसा ही आदेश दिया गया। एक ही मुख्य मंत्री जो एक बार 16 जुलाई के बंद में, जिसका कि वह स्पांसर भी करें। पुलिस को इनएक्टिव रहने के लिए कहता है और दूसरी ओर वही मुख्य मंत्री यह कहता है कि अब जो बंद का कॉल देंगे, उनको अरैस्ट कर देंगे। वहां पर लोगों ने मांग की कि अगर अरैस्ट करना है, तो पहले मुख्य मंत्री को अरैस्ट करो, क्योंकि पहले उन्होंने बन्द का एलान किया है और स्पांसर किया है। यह कैसी स्थिति है, जो आज गुजरात में पैदा हो रही है। आज हमारे पूरे सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, में स्थान-स्थान पर वही स्थिति पैदा हो गई है, जो 1985 में दलित और नॉन-दलित में आमने-सामने हो गई थी। ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश सिर्फ सत्ता का लाभ उठाने की वजह से की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुम्बई की घटना को लेकर यह सारा शोर-शराबा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा और शिवसेना किस प्रकार से अच्छा शासन कर रही हैं। इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है, इसको लोग महसूस करते हैं। लेनिक आज सत्ता हथियाने के लिए दलितों का नाम लिया जा रहा है, दलितों की दुहाई दी जा रही है, दलित प्रेम दिखाया जा रहा है। मैं कांसीराम जी की बात से सहमत हूं, बाबासाहिब अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है, उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ायी जा रही है, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा था, दलितों की सेवा करना. उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वही काम आज भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में तथा जहां-जहां पर भी भाजपा सरकारें हैं, वहां पर यही काम हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी का जो भी फल प्राप्त हो, वह गरीबों के पास जाना चाहिए, दलितों के पास जाना चाहिए और झोंपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों के पास जाना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के सिद्धान्त के आधार पर बताया कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको आज तक अधिकार से वंचित रखा गया है, जिसके लिए संविधान में प्रावधान भी किया हुआ है, लेकिन 50 साल की आजादी के बावजूद भी हम उनकी स्थिति में सुधार नहीं कर सके। ऐसे दलितों, पीड़ितों को इस सिद्धान्त के द्वारा ऊपर उठाया जाए। इसी सिद्धान्त के मानने वाले बी०जे०पी० के लोग हैं। जहां-जहां पर बी०जे०पी० की सरकारें हैं, वहां पर अन्त्योदय की योजना अच्छी प्रकार से चल रही है। आजादी को हासिल करने के लिए हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, कई शहीद हुए और देश आजाद हुआ लेकिन महात्मा गांधी कहते थे, देश में आजादी तब तक पूरी नहीं आएगी जब तक राम राज्य नहीं जाएगा। जिस तरह से हम रहते है, उसी प्रकार दलितों को भी अपने घरों में रहने का अधिकार मिले और पूरी सुविधाएं मिलें। आज वही रास्ता जहां-जहां पर भी बी०जे०पी० और शिव सेना की सरकारें हैं, अपनाया जा रहा है क्योंकि हम मानते हैं कि इस देश में सच्चा स्वराज लाना है, राम राज्य लाना है। बाबरी मस्जिद की बात, सैकुलर और नॉन-सैकुलर की बात बार-बार कही जाती है लेकिन बी०जे०पी० राम राज्य पर विश्वास करती है। राम राज्य की जो हमारी कल्पना है, वह राम राज्य की कल्पना इस देश में बसने वाले सभी लोगों को अपने अधिकार मिले, सभी लोग सुखी हों, सभी कहें कि यह देश मेरा है और इस देश के उद्धार के लिए सबकी जिम्मेदारी है।

यही भावना पैदा करे उसको ही हम कोई राम राज्य मानते हैं। इसलिए दलित उद्धार के लिए सिर्फ बात करने वाले जो लोग हैं वे आज दलितों का सर्वनाश करने की दिशा में ले गए हैं। लेकिन फिर भी आज दलितों, गरीबों या पीड़ित लोगों के लिए चाहे महात्मा जी की दुहाई देकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया हो लेनिक आज भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। इस एक घटना से कोई बदनाम करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि कोई भाजपा सरकार या भाजपा शिवसेना की सरकार पर ऐसा दाग लगाने वाला नहीं है जो चाहे लगाने की कोशिश करे। सूर्य के सामने हम जितनी भी धूल फेंकने की कोशिश करें लेकिन उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है बल्कि उसकी तेजस्विता बढ़ती जाती है। उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। आज लोगों ने स्वीकार किया है। चाहे ये लोग देख न सकें और समझते हुए भी अगर बोल न सकें तो उनको मुबारक हो, लेकिन आज धीरे-धीरे जैसे दलितों में से कांग्रेस पार्टी साफ होती जा रही है वे समझ गए हैं कि ये हमारा उद्धार करने वाले लोग नहीं हैं, हमारे नाम से सत्ता पर बैठने वाले लोग हैं और सत्ता पर बैठ कर वे हमें इतना ही बदनाम करेंगे या हमारा नुकसान करेंगे जितना और लोगों ने किया है। इसलिए जो प्रस्ताव माननीय शरद पवार जी ने रखा है, जिस प्रस्ताव पर हमारे प्रमोद जी और सरपोतदार जी ने एक-एक एलीगेशन का चुन-चुन कर जवाब दिया है, मुझे लगता है कि इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ जो लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज गुजरात में कांग्रेस समर्थित सरकार ने क्या स्थिति बनाई है ? कांग्रेस पार्टी का क्या इरादा है? उसका नेक इरादा है या बुरा इरादा है, मेलाफाइड इंटेंशन है मैं वही सदन में रखना चाहता था कि उसकी कितनी बुरी हालत है। दलित का नाम लेकर ये क्या-क्या कर रहे हैं इसको मैं सदन में लाना चाहता हूं। देश के लोगों को कहना चाहता हूं और इसलिए यह जो प्रस्ताव लाया गया उसका हम विरोध करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : सभापति महोदया, मैं आपको बहुत

[श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण]

धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे आशा थी कि मुझे थोड़ा पहले बोलने का समय मिलेगा। अब, बहुत देर हो गई है। मुझे आशा है कि मैं कल भी अपना भाषण जारी रख सकूंगा *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। देखिए वास्तव में दस मिनट में इनका भाषण होने वाला नहीं है। आज सुनें तो कंटीन्यूटी नहीं रहेगी, अगर इसको कल लें तो अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आज से सदन सात बजे तक बैठेगा। *(व्यवधान)*।

श्री राम नाईक : हम कल से सात बजे तक बैठेंगे। *(व्यवधान)*।

श्री संतोष मोहन देव : हर बार आप लोग ऐसा ही कहते हैं। *(व्यवधान)*।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : हम कल भी इसे जारी रखेंगे। मैं श्री राम नाईक द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हूं। *(व्यवधान)*।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई - उत्तर-पूर्व) : आज श्री संतोष मोहन देव से सहमत नहीं हैं। *(व्यवधान)*।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदया, यदि आप अनुमति देंगे तो यह अच्छी बात होगी। हम आज सभा स्थगित कर सकते हैं *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर आप चाहें तो कंटीन्यू कर सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : जैसे अभी कहा कि दस मिनट हैं लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा।

सभापति महोदय : ठीक है आप कल देखिए।

श्री पृथ्वीराज दा० चौहान : देखिए या तो एडजार्न करिए नहीं तो मैं कंटीन्यू कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप आज दस मिनट बोल लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदया, सर्वप्रथम मैं 11 जुलाई, 1997 को रामबाई अम्बेडकर नगर में निर्दोष दलितों की हत्या की निंदा करता हूं।

हमारे नेता, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ने विस्तार से घटी घटनाओं के बारे बताया और मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि वास्तव में वहां क्या हुआ था।

इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि मैं उस विषय पर कुछ संशोधन देना चाहता हूं, जिस पर माननीय अध्यक्ष व्यवस्था देंगें।

कि संशोधन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता है। जो कुछ भी अध्यक्ष निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा परन्तु मैं अपने संशोधन का भी उल्लेख करूंगा *(व्यवधान)*।

श्री प्रमोद महाजन : महोदया, ये उस संशोधन का उल्लेख कैसे कर सकते हैं जिसे पर यहां यहां चर्चा नहीं की गई ?

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : मैंने कहा कि मैंने नोटिस दिया है।

श्री प्रमोद महाजन : आपने नोटिस दिया है। यदि अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो आप संशोधन के बारे में बोल सकते हैं परंतु इस बात की प्रत्याक्षा में कि आपने महासचिव को संशोधन दिया है, आप उस संशोधन के बारे में बोल नहीं सकते हैं। इसे परिचालित नहीं किया गया है। कोई नहीं जानता कि वह संशोधन क्या है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : मेरे विचार से जिस समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे। उस समय मैंने संशोधन का जिक्र किया था और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह उस पर विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदया : श्री चव्हाण, आपका संशोधन अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : ठीक है। मैं अध्यक्ष पीठ का निर्णय स्वीकार करता हूं। अतः मैं, संशोधन का उल्लेख नहीं करूंगा।

महोदया, मैं मुद्दे के विस्तार पर नहीं जाऊंगा। मैं पांच मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

पहला कार्य प्रतिमा को अपवित्र किये जाने से सम्बन्धित है जिसकी हर किसी ने निन्दा की है। यह न्यायसंगत नहीं हो सकता। इसका आशय अत्यन्त स्पष्ट था। इस कृत्य का उद्देश्य दोनों समुदायों उच्चवर्ग हिन्दुओं और दलितों के बीच गहरी खाई उत्पन्न करना था। इससे किस वर्ग को फायदा होगा अथवा यह कार्य किसने किया इसका पता न्यायिक जांच, जिसके लिए आदेश दिया जा चुका है, से चलेगा इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि देश में लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाला नागरिक इसकी निन्दा करेगा।

इस सम्पूर्ण मुद्दे का दूसरा पहलू यह है कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी क्या गोली चलाया जाना उचित था, क्या भीड़ हिंसक हो गई थी क्या पुलिस संहिता का पालन किया गया था? गृह मंत्री ने कहा कि यह नहीं था कि ए.सी.पी. जो वहां गया, वो क्या किया और त्वरित कार्य बल को क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे विश्वास है कि इन सभी बातों की छानबीन न्यायिक जांच आयोग द्वारा की जायेगी।

तीसरा पहलू जिस पर मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोली चलने को न्यायोचित ठहराने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया। सरकारी तन्त्र अर्थात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गृह मंत्री, शिव सेना के नेता समाचार पत्रों और मीडिया और सरकार के सम्पूर्ण प्रचार माध्यमों ने चाहे राज्य विधान सभा का पटल हो अथवा इलेक्ट्रोनिक व समाचार-पत्र हो, सभी ने इस जघन्य हत्याओं को उचित ठहराया।

दो अन्य पहलू है जो 11 जुलाई के दिन के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं। पहला जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने बलिका बकरा ढूंढने के लिए इसका इल्जाम किसी और पर लगाने का प्रयास किया। मैं नहीं जानता क्या यह गलती महसूस करने के कारण हैं। मैं बाद में अधिक विस्तार से इस मामले पर चर्चा करूंगा। अंतिम महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष के दो नेताओं अर्थात् विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्री झगन भुजबल तथा विधान सभा में आदिवासी नेता श्री पिचाड़ के घरों पर हमले से संबन्धित हैं। इसके बाद मैं उस बात पर आऊंगा कि श्री शरद पवार द्वारा इसकी मांग क्यों की गई थी। निर्दोष दलितों की हत्या केवल 11 तारीख की सुबह की घटना ही नहीं हैं बल्कि शिव सेना और सत्ता में इनके सहयोगियों द्वारा उत्पन्न सम्पूर्ण मानसिकता और वातावरण का परिणाम हैं *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : गुजरात के विषय में भी कुछ बतलाओ। 16 तारीख के बारे में भी कुछ बतलाओ।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : बतलाएंगे। *(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : श्री भुजबल के घर पर आक्रमण करके, वे दलितों की हत्या से ध्यान हटाने में सफल हुए हैं। यही सफलता है जो उन्हें मिली है। आपको इसका उद्देश्य समझना चाहिए। *(व्यवधान)*।

श्री राम नाईक : आपको पश्चिम बंगाल के बारे में भी बताना चाहिए। *(व्यवधान)*।

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : महोदय, हत्या का कार्य, जैसा कि मैंने कहा है, शोचनीय और निन्दनीय है। पिछले कई वर्षों में यह पूरा वातावरण तैयार किया गया था। वोटों की राजनीति के द्वारा दलितों और उच्च जातियों के बीच विभाजन करने का जानबूझ कर प्रयास किया गया।

महोदया, पहले दो पहलुओं पर चर्चा किये बिना, मैं सीधे गोली चलाने को उचित ठहराये जाने पर आता हूं। दलित भीड़ को किसने भड़काया और यह देश के अन्य भागों में किसने फैलाई। यह कुछ लोगों की हत्या से सम्बन्धि कार्य नहीं था—जो जैसाकि मैंने कहा निन्दनीय है—लेकिन न्यायोचित ठहराने, गलत सिद्धान्त बनाने का स्पष्ट प्रयास है कि क्योंकि वहां कुछ टैंकर खड़े थे, क्योंकि दलित भीड़ हिसंक हो गई थी क्योंकि दलित भीड़ टैंकरों को जला सकती थी और पूरा समुदाय नष्ट हो सकता था और इसीलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और यह न्यायोचित था। यह पूरी दलील का सबसे गम्भीर पहलू है।

श्री शरद पवार ने कल टैंकर सिद्धांत की बात स्पष्ट कर दी थी। मैं केवल दो और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यहां दो मानव अधिकार ग्रुप हैं एक लोकशाही हक संगठन और दूसरा कमेटी फार दा प्रोटेक्शन आफ डेमोक्रेटिक राइट्स। उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया है और वहां क्या हुआ यह एक सम्पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने हर मिनट का ब्यौरा दिया *(व्यवधान)* आप इस पर विश्वास भी करेगें। लेकिन ये दोनों मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यकर रही सम्माननीय गैर-सरकारी संगठन हैं। और उनकी रिपोर्टें सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में पूर्णरूप से प्रकाशित हुई हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ? मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं टाइम्स आफ इंडिया में बताए गए कुछ मुद्दों का उल्लेख करता हूं और उन्हें उद्धृत करता हूं इसमें कहा गया है :-

> "रामबाई अम्बेडकर नगर में पिछले शुक्रवार को हुई पुलिस फायरिंग सम्बन्धी रिपोर्ट टैंकर वाली बात को अस्वीकार करती है। और यह दलील पुलिस द्वारा महज अपने बचाव के लिए दी गई है।"

इसके आगे यह कहा गया है :-

> "टैंकर वाली बात केवल मनगढ़ंत हैं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलाने की घटना के काफी बाद में, लगभग दोपहर के समय, पुलिस आरटीओ पोस्ट से भी आगे से टैंकर लाई और उन्हें नासिक को जाने वाली जली हुई लगजरी बस के पीछे खड़ा कर दिया।"

यहां कई ऐसी घटनाएं हैं। मैं उन्हें उद्धृत कर सकता हूं लेकिन मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि यह सत्य है अथवा नहीं। मेरा प्रश्न केवल यह है कि इसे उचित ठहराने का प्रयास करने की राज्य सरकार को कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार इसकी जांच करने के लिए न्यायिक जांच आयोग स्थापित कर सकती थी।

महोदया, क्या हुआ ? यह केवल वह नहीं है अब मैं शिव सेना के मुखपत्र पर आऊंगा। 'सामना' ऐसा समाचार पत्र है जो कई भाषाओं

में प्रकाशित किया जाता है। इसके सम्पादक श्री बाबा साहब ठाकरे स्वयं हैं मैं व्यापक रूप से इसमें से दो-तीन बार उद्धृत करूंगा।

यह मराठी पत्र है और मैं स्वतह अनुवाद कर रहा हूं ... *(व्यवधान)* मैं एलपीजी टैंकरों के बारे में दिनांक 14 जुलाई के 'सामना' के सम्पादकीय से उद्धृत कर रहा हूं।

मैं उद्धृत करता हूं :-

"एस०आर०पी० के जवानों ने तभी गोली चलाई जब उपद्रवी भीड़ के रामबाई अम्बेडकर नगर के बाहर एलपीजी टैंकर को आग लगाने का प्रयास किया। यदि इन टैंकरों में आग लग जाती तो 500 लोग जलकर मर सकते थे। क्या ये लोग, जो पुलिस फायरिंग का विरोध कर रहे थे गैस विस्फोट के पश्चात् मानव विनाश का समर्थन अथवा प्रशंसा करते ?"

यह 'सामना' में सम्पादकीय लेख है। यह माना गया कि टैंकर भरे हुए थे और उनसे बड़ा विस्फोट हो सकता था और 500 लोग मर जाते और इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसे न्यायोचित ठहराया गया।

इन घटनाओं ने दलितों को भड़का दिया। इसकी आवश्यकता नहीं थी मेरे अनुसार राज्य सरकार, गृह मंत्री, मुख्य मंत्री को जाने और यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि यह न्यायोचित है क्योंकि बाद में इसका पता चल जाना था। मुझे विश्वास है कि मानव अधिकार ग्रुपों ने इसे स्पष्ट कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि टैंकरों को घटना घटित होने के बाद में लाया गया था ताकि हमले को न्यायोचित ठहराया जा सके। जो कि पूर्णतः मनगढ़ंत है। लेकिन मेरी उसमें रूचि नहीं है। ... *(व्यवधान)* मैं तो वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो 'सामना' में कहा गया है।

अपराह्न 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल यहां इनके नेता शरद पवार जी ने जो बताया ये वही दोहरा रहे हैं कि पुलिस टैंकर लाई। 15 मिनट पहले जब हन्नान मोल्लाह जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनको वहां के लोगों ने बताया कि 15 दिन से टैंकर रैपेयर के लिए वहीं था। इसमें से सच क्या है ?

सभापति महोदय : आपका जब मौका आएगा तो आप जवाब दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उनकी बात सच है या आपकी ? ... *(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : आप इनको बोलने दीजिए। आप बाद में जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : मैं उस सुबह वहां पर नहीं था मैं तो वही कह रहा हूं जो दो मानव अधिकार ग्रुपों की रिपोर्ट में कहा गया है और जो व्यापक रूप से प्रचारित किया जा चुका है। यहां एक रेखाचित्र है। मैं आपको यह रेखाचित्र दिखा सकता हूं। यहां सभी कुछ मेरे पास है। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि यह टैंकर वाली बात एक दम मनगढ़ंत है।

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। समय समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय : ठीक है, इस पर चर्चा कल पुनः आरम्भ की जायेगी। अब सभा कल 31 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा गुरूवार, 31 जुलाई, 1997/9 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई है।

सी० एल० एस०—48 15.6.97 (एन०)

220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।